खण्ड-06 सत्र -08 (भाग-01) / अंक-101

बृहस्पतिवार 28 फरवरी, 2019 / 9 फाल्गुन, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06 (भाग-1) में अंक 96 के अंक 101 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र–8 भाग (1) बृहस्पतिवार, 28 फरवरी, 2019/9 फाल्गुन1940 (शक) अंक–101

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2	निधन सम्बन्धी उल्लेख	3–4
3	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4–10
4	बधाई प्रस्ताव (नियम–114) (सीवर/सीवेज निकासी व्यवस्था के लिए स्वाचालित मशीनों के शुभारम्भ पर।)	10–11
5	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या– 41–44, 46 – 53 तथा 55)	11–58
6	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या– 45, 54 एवं 56–60)	58–79
7	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर(प्रश्न संख्या– 142–225 (215,216,218,219 221–225 को छोड़कर)	79–364
8	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	365–387
9	माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य(नियम–106(2))	387–392
10	वार्षिक बजट 2019–20 पर चर्चा जारी...	392–430
11	माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर	430–440
12	माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य	440–454
13	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए अनुदान माँगों पर विचार तथा पारण	454–462
14	विनियोजन (संख्या–2) विधेयक, 2019 का पुरःस्थापन, विचार तथा पारण)	
15	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव	462–463

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–8 भाग (1) बृहस्पतिवार, 28 फरवरी, 2019/9 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–01

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार

2 श्री संजीव झा

3 श्री पवन कुमार शर्मा

4 श्री अजेश यादव

5 श्री महेन्द्र गोयल

6 श्री सुखवीर सिंह दलाल

7 श्री ऋतुराज गोविन्द

8 श्री रघुविन्दर शौकीन

9 श्रीमती बंदना कुमारी

10 श्री जितेन्द्र सिंह तोमर

11 श्री राजेश गुप्ता

12 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

13 श्री सोमदत्त

14 सुश्री अलका लाम्बा

15 श्री आसिम अहमद खान

16 श्री विशेष रवि

17 श्री हजारी लाल चौहान

18 श्री शिव चरण गोयल

19 श्री गिरीश सोनी

20 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

21 श्री जरनैल सिंह

22 श्री राजेश ऋषि

23 श्री महेन्द्र यादव
24 श्री नरेश बाल्यान
25 श्री आदर्श शास्त्री
26 श्री गुलाब सिंह
27 कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28 सुश्री भावना गौड़
29 श्री सुरेन्द्र सिंह
30 श्री प्रवीण कुमार
31 श्री मदन लाल
32 श्री सोमनाथ भारती
33 श्रीमती प्रमिला टोकस
34 श्री नरेश यादव
35 श्री करतार सिंह तंवर
36 श्री प्रकाश
37 श्री अजय दत्त
38 श्री दिनेश मोहनिया
39 श्री सौरभ भारद्वाज
40 सरदार अवतार सिंह कालका
41 श्री सही राम
42 श्री नारायण दत्त शर्मा
43 श्री अमानतुल्लाह खान
44 श्री राजू धिंगान
45 श्री मनोज कुमार
46 श्री नितिन त्यागी
47 श्री ओम प्रकाश शर्मा
48 श्री एस.के. बग्गा
49 मो0 इशराक
50 श्री जगदीश प्रधान
51 श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–8 भाग (1) बृहस्पतिवार, 28 फरवरी, 2019/9 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–01

सदन अपराह्न 2.04 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।

शोक संवेदना

(वायु सेना के एम.आई.17 हैलीकॉप्टर हादसे के संबंध में शोक संवेदना)

माननीय सदस्यगण! यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि कश्मीर के बडगाम जिले में कल बुधवार दिनांक 27 फरवरी, 2019 को वायु सेना का एम.आई.17 हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में स्क्वैड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ, सार्जेंट विक्रांत और पंकज नोहार सहित भारतीय वायु सेना के छह कर्मी शहीद हो गये तथा एक स्थानीय नागरिक भी काल का ग्रास बन गया।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस दुर्घटना में शहीदों को श्रद्धाँजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार जनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन रखा जाएगा।

(सदन द्वारा सैन्य शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन)

माननीय अध्यक्षः विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की माँग के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि जम्मू–कश्मीर सीमा पर भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए मिग–21 और सुखोई–30 लड़ाकू विमान भेजे तथा पाकिस्तानी विमान एफ–16 को मार गिराया लेकिन इस कार्रवाई के दौरान भारत का मिग–21 विमान क्रेश हो गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करने का एक कथित वीडियो भी सामने आया। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से विंग कमांडर अभिनंदन की सलामती की प्रार्थना करता हूँ तथा भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यथाशीघ्र यथासंभव प्रयास किये जायें। पाकिस्तान को जिनेवा संधि तथा मानवाधिकार कानूनों के तहत विंग कमांडर अभिनंदन के साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा अनावश्यक और आपत्तिजनक वीडियो जारी नहीं करने चाहिए। क्योंकि इससे, पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और अधिक खराब हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैंने नियम–66 में नोटिस दिया है। आप उसको डिसाइड करिए ना, अगर 66 में जो नोटिस है, उसके बारे में आप जानते हैं। मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ...

माननीय अध्यक्षः वो मंत्री आ रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हैं जी?

माननीय अध्यक्षः वो मंत्री जी आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, सिर्फ एक मिनट का समय देने के लिए आपसे निवेदन कर रही हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड विजेन्द्र जी, वो कोई महत्वपूर्ण विषय है... मैं बता रहा हूँ। मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम–66 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन और अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है। मैं इस संबंध में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाये जाने वाले मामलों के बाद अपनी व्यवस्था दूँगा। निश्चित रूप से दूँगा, चिंता न करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, इसमें मंत्री जी बतायेंगे?

माननीय अध्यक्षः हाँ– हाँ, बिल्कुल करेंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, ये कल का जो वाकया हुआ, ...(व्यवधान) वो शर्मसार करने वाला है। जब वो हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के बीच में कुछ और भी घटना घट रही थी। इसके ऊपर मैं एक मिनट आपसे चाहूँगी अपनी बात रखने की अध्यक्ष जी। ये मेरी जबान रहेगी। भावनाएँ और दर्द पूरे हिन्दुस्तान का है। सर, शर्मसार हुए हैं हम लोग। कल एक हमारा जांबाज विंग कमांडर हमारे वायुसेना के सिपाही का जहाज जो है, तबाह होता है और उसके बाद एक हमारे जांबाज जो है, वायुसेना के पायलट की मौत हो जाती है, शहीद हो जाता है वो देश के लिए और दूसरा, पाकिस्तान के आज कब्जे में है। वही समय था जब भाजपा के नगर निगम के लोग विधान सभा के दरवाजे पर भाजपा जिंदाबाद और दिल्ली सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, ये समय राजनीति करने का अध्यक्ष जी, नहीं है। आज देश के प्रधान मंत्री 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि विंग कमांडर अभिनंदन जो आज पाकिस्तान के पास में है, कब्जे में

है, उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं, अपना दुःख दर्द बाँटते, देश उनकी तरफ देखता। आज शर्मसार हैं, हम सब राजनीति से उठ गए हैं।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः पूरा पक्ष–विपक्ष एक है।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, बैठ जाइए प्लीज, नहीं बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बाः लेकिन शर्म आती है कि देश के प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं, भाजपा सरकार के नेता पर आज भी 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' की बात कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बाः आज भी हेलो इंडिया शर्म आती है। विज्ञान भवन में प्रधान मंत्री जी हेलो इंडिया का ऐप जारी करते हैं। दुःख हो रहा है ये जख्मों में जो है, नमक छिड़का जा रहा है। प्रधान मंत्री जी की संवेदनशीलता का...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए, क्या भूल गए? कैसे भूल गए? एक–एक चीज की निंदा हो रही है। आप भूल गए पाकिस्तान की बात!

सुश्री अलका लाम्बाः कहाँ संवेदनशीलता देश के प्रधान मंत्री की 'खेलो इंडिया' ऐप्प की जरूरत है। अभिनंदन विंग कमांडर देश के जांबाज सिपाही, पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए और देश के प्रधान मंत्री और इनके कर्नाटक के बेशर्म नेता येदुरप्पा तक कहते हैं, इस हमले से भाजपा को लाभ होगा। भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, भाजपा में मोदी सत्ता में वापिस आ पाएँगे। शर्म आती है! इस सदन में इन्हें बेनकाब करना होगा।

माननीय अध्यक्षः ये गलत बात नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही। अलका जी, बैठिए दो मिनट।

सुश्री अलका लाम्बाः हमारे कंधों पर बंदूक चलाते हैं, उन्हें बताना होगा कि देश–विपक्ष दिल्ली विधान सभा, दिल्ली का एक–एक विधायक...

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए, सारे बोलेंगे। एक समय लेकर बोलिए, नहीं, बोलिए, बात करिए। आप आवाज का गला घोंट रहे हैं दूसरे की। किसका? किन्होंने? नहीं, अर्जेंट... विधान सभा से रिलेटिड होगा जो कुछ हुआ है, कैसे गलत है, बताइए? ये गलत है, वो ठीक तो जो कल हुआ, नहीं, वो ठीक था जो कल हुआ?

सुश्री अलका लाम्बाः आज देश और देश की सेना के साथ पूरी ताकत बनकर खड़ा है। जब हर किसी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी पूर्ण राज्य का अनशन जो है, रद्द कर दिया। लेकिन देश के प्रधान मंत्री एक मिनट के लिए अपने राजनीतिक प्रचार–प्रसार को रोक नहीं रहे हैं। खून खोल रहा है लोगों का। जिस समय पुलवामा में... अध्यक्ष जी, जिस समय पुलवामा में हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों पर हमला हुआ, उस समय देश के प्रधान मंत्री जिम कार्बेट में अपनी शूटिंग करवा रहे थे और ये जवाब मिलता है कि मेरा संपर्क नहीं था। ऐसे प्रधान मंत्री के हाथ में ये देश कैसे सुरक्षित हो सकता है?

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, चलिए, आप बोलते रहिए। आप जो मर्जी आए, बोलिए, बोलिए।

सुश्री अलका लाम्बाः जिन्हें हमले के तीन घण्टो बाद तक भी पता नहीं चलता कि पुलवामा में... हमारे जवानों के ऊपर हमला हो चुका है।

मैं भाजपा के लोगों से हाथ जोड़कर, देश के प्रधान मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी, राजनीति बंद करिए। देश को प्रधान मंत्री की जरूरत है और अगर भाजपा को आरएसएस संघ को अपने नेता के तौर पर जरूरत है। प्रधान मंत्री जी को कहेंगे, इस्तीफा दीजिए। संघ और भाजपा के नेता के तौर पर 'मेरा बूथ मजबूत' करिए। ये देश सेना के साथ खड़ा है। जवाब भी दे देगा और विंग कमांडर अभिनन्दन को बाइज्जत हिफाजत से अपने परिवार के पास भी पहुँचाने का दम रखते हैं लेकिन शर्म है!

माननीय अध्यक्षः बैठिए, धन्यवाद। बैठिए–बैठिए अलका जी, बैठिए प्लीज, बैठिए।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, एक तरफ देश के प्रधान मंत्री जी सब छोड़कर 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' का नारा दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, विषय पूरा हो गया।

सुश्री अलका लाम्बाः दूसरी तरफ पूरा देश 'मेरा जवान सबसे मजबूत' का नारा दे रहे है। हम कहना चाहेंगे, 'हमारा जवान, सबसे मजबूत।' और मैं चेतावनी देकर कहती हूँ कि देश के प्रधान मंत्री ने अगर अपना ये प्रचार–प्रसार ऐसे समय पर भी नहीं थामा, इन्हीं का बूथ इन्हें ले डूबेगा क्योंकि देश का जवान आज सरहद पर इस देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा है और देश के प्रधान मंत्री अपने प्रचार–प्रसार में लगे हुए हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा अपने आसनों पर खड़े होकर सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः चलिए बैठिए–बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ, बैठिए प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, पूरी उम्मीद करते हैं, विंग कमांडर वायुसेना के जांबाज सिपाही जो है, वो सकुशल अपने परिवार के पास लौटेंगे, ऐसी ये देश उम्मीद करता है और कामना करता है, जयहिन्द।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए—बैठिए प्लीज। बैठिए ओम प्रकाश जी। नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं और किसी को...

....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उन्होंने रख दिया विषय। मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ। किसी को मैं समय नहीं दे रहा हूँ। इस विषय पर मैं, कोई किसी को समय नहीं दे रहा हूँ। मंत्री जी को आ जाने दो ना, मैं दूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी, आप गलत भाषा बोल रहे हैं आप। पाकिस्तान के एजेंट वो थे, जिन्होंने विधान सभा को घेरा। वो थे पाकिस्तान के एजेंट।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए, ओम प्रकाश जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीश जी बैठिए, बैठिए प्लीज। नितिन जी, बैठिए प्लीज, बैठिए, पहले बैठिए प्लीज। प्रश्नकाल श्री गिरीश सोनी जी। क्या है बताइए ना? ये आवाज खोलिए। एक सेकण्ड... क्या कहना चाह रहे हैं?

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, मैंने आपसे निवेदन किया था, नियम 114 के तहत मैं... सरकार ने जो आज एक ऐतिहासिक कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप आज्ञा दें।

माननीय अध्यक्षः करिए। किसको? मैंने कब? नहीं, उठेंगे तभी तो इजाजत दूँगा। चलिए, बोलिए, क्या बोलना है? बोलिए, जल्दी।

बधाई प्रस्ताव (नियम—114)

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, आज मैं सदन के सम्मुख माननीय मुख्य मंत्री और दिल्ली सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी जो जल बोर्ड, स्वयं मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में आज दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए बेहतर व्यवस्था देने के लिए 200 जो हैं मशीनों का शुभारंभ किया गया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बोल लेने दो। बोलते रहने दीजिए। उनकी आदत है, बोलेंगे, बोलते रहें। सोमनाथ जी, बैठ जाइए प्लीज। चलिए, अब उनको बोलने दीजिए, मैंने अलाऊ किया ना। चलिए याद आया, आया तो सही। कोई बात नहीं याद आया।

सुश्री राखी बिड़लाः पैर धोने से काम नहीं चलेगा दलितों का, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करकर काम चलेगा। उनकी जो है, जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी और जो कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ। ये जो अमानवीय काम पिछले कई दशकों से आजादी के 70 सालों के बाद तक मजबूर थे करने के लिए... सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई करने के लिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री और दिल्ली सरकार को

धन्यवाद देती हूँ और साथ के साथ दो लाइनें कहकर अपनी बात को खत्म करूँगी कि देश के दलित को वोट बैंक न समझें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, बैठ जाइए। कोई अलाउड नहीं, नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है। राखी जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः चुनाव के समय दलितों के पैर धोने से काम नहीं चलेगा। दलितों की जिंदगी को सुरक्षा मुहैया कराना, उनके जीवन को सुरक्षित जो है, हाथों में रखना और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम जो हमारी दिल्ली सरकार ने किया है, मैं उसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल, मुख्य मंत्री और दिल्ली सरकार को पुनः आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

तारॉकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः प्रश्नकाल श्री गिरीश सोनी जी। प्रश्न संख्या–41।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, मैं किसी को अलाऊ नहीं कर रहा हूँ प्लीज। मैं किसी को अलाऊ नहीं कर रहा। मनोज जी, प्लीज। नहीं, हो गया। श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 से अधिक बस क्यू शेल्टर या तो जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं या पूरी तरह टूटे हैं;

(ख) क्या विभाग के पास इन्हें बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हॉ, तो कब तक;

(घ) क्या विभाग के पास मादीपुर सब्जी मंडी में 917 बस स्टैंड को मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हॉ, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण बताइए।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं0—41 का उत्तर निम्न हैः

(क) मादीपुर विधान सभा में आधुनिक बस शेल्टर अच्छी स्थिति में हैं, परन्तु दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए बस शेल्टर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है;

(ख) जी हाँ;

(ग) दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा लागत ऊर्जा (कॉस्ट एनर्जी) प्रोद्योगिकी (टैक्नोलॉजी) सार्वभौमिक मानव आराम (यूनिवर्सल ह्यूमन कम्फर्ट), लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन (कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऐण्ड रॉबस्ट डिजाइन) को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। सरकार से अनुमोदन के पश्चात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट नियुक्त करने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई थी जो कि सफल नहीं हो सकी। बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स से अनुमोदन के पश्चात दिल्ली सरकार से फण्ड देने का निवेदन किया जाएगा तदनुसार निविदाएँ भी आमंत्रित की

जाएँगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही सफल निवेदक का चयन हो जाता है, मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में मौजूदा क्षतिग्रस्त बस स्टैण्डस के स्थान पर आधुनिक बस शैल्टर बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा;

(घ) जी हॉं; और

(ङ) और (च)उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा पूरे सदन को कि इस बजट में बस क्यू शेल्टर्स के लिए जैसे पिछली बारी पूरे सदन में वादा किया था, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ की राशि का प्रोविजन कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्षः सोनी जी सप्लीमेंटरी।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से... क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछे जाने तक मेरे पास उसका सेंक्शन लैटर नहीं आया था। लेकिन डीटीडीसी में मेरे 13 क्यू शेल्टर्स जो है, पास हो चुके हैं। मुझे सिर्फ ये ही पूछना है कि क्योंकि वो एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है, हमारा उसका कभी वास्ता रहा नहीं है। मतलब डायरेक्टली आपका है तो वो आइडिया कब तक बन जाएँगे इसी मंथ में वो सेंक्शन हुए हैं और मैं समझता हूं 50 करोड़ रुपया उसके लिए भी इस बस स्टैंड्स के लिए भी इस साल रखा गया है तो उसमें भी तो, उसमें से भी कुछ बनेंगे, ये ही मैं पूछना चाहता हूँ?

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसे पिछली बार भी इस सदन में चर्चा हुई थी जब तक दिल्ली सरकार द्वारा ये टेंडर्स फाइनलाइज नहीं होते हैं... क्योंकि पिछली बार तीन–चार बार बस क्यू शेल्टर्स के टेंडर फेल हुए तो मेरा पूरी इस सदन से, सभी मैम्बर्स से रिक्वेस्ट था कि एमएलए फंड के द्वारा जो भी विधायक बनवाना चाहते हैं, वो उसके द्वारा बनवा लें

और जो एमएलएज ने रिक्वेस्ट... लगभग 18 एमएलएज की रिक्वेस्ट आई थी। उसमें से अखिलेश त्रिपाठी जी, सरिता, राम निवास गोयल जी, वो अध्यक्ष जी आप हैं, श्रीदत्त शर्मा, प्रकाश जारवाल, महेन्द्र गोयल, राजेश ऋषि, बंदना कुमारी, शिव चरण गोयल, सोमदत्त, गुलाब सिंह, इन सभी के जो टेंडर्स हैं, वो लग चुके हैं और बहुत जल्द बस क्यू शेल्टर बनाने स्टार्ट कर दिए जाएँगे। कुछ चूंकि एमएलए फंड से जो रिक्वेस्ट आती है, उसका पैसा यूडी से रिलीज होता है पहले। तो गिरीश सोनी, सही राम, राजेश गुप्ता, महेन्द्र यादव, अनिल कुमार बाजपेयी, जगदीप सिंह और शरद कुमार चौहान, इनकी भी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। लेकिन यूडी डिपार्टमेंट से फंड्स का सेंक्शन अभी नहीं आया है। जिसके कारण ये टेंडर नहीं चल सके अभी तक। तो जैसे ही यूडी डिपार्टमेंट से फंड्स का सेंक्शन का ऑर्डर आ जाएगा, ये भी टेंडर बहुत जल्द लगा दिए जाएँगे।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः जिनके सेंक्शन आ गए हैं, मैं ये पूरे सदन के बीच ये रख रहा हूँ कि नेक्स्ट वन वीक में उनके टेंडर भी लगा दिए जाएँगे।

माननीय अध्यक्षः केवल, केवल दो। हाँ, ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर बहुत से बस शेल्टर ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और वो जर्जर हालत में हैं। दुकानें तो लोगों ने तोड़के दो–दो मंजिल, तीन–तीन मंजिल बना ली हैं। लेकिन बीच में जो बस स्टैंड की जगह थी, वो आज टूटी पड़ी है। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इसको भी बनाने का प्रावधान उनके पास है?

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी, जहां–जहां बस क्यू शेल्टर्स पे अगर किसी प्रकार का एन्क्रोचमेंट या अनऑथोराइज जैसे कब्जा किया जा रहा है...

माननीय अध्यक्षः सिर्फ उसके बाद सही राम जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः तो वो उसको एरिया डीएम के द्वारा और एन्फोर्समेंट विंग जो ट्रांसपोर्ट का है, उसके द्वारा खाली कराया जाता है। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर बस क्यू शेल्टर है जिसमें आपको... ऐसी अगर आपके उसमें संज्ञान में है तो आप वो बता दें हमें, उसको खाली करा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः श्री सही राम जी। अब देखो एक सप्लीमेंटरी रुक जाएगी। भई इससे समय खराब होगा प्लीज।

श्री राजेश ऋषिः ये एक छोटा सा बहुत जरूरी बताना था कि डीडीए द्वारा बनाए गए बस स्टैंड हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं, इसके दोनों तरफ दुकानें डीडीए ने अलॉट करके बीच में बस स्टैंड बनाया था वो आज जर्जर हाल में हैं। क्या वो आप बना सकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ?

माननीय परिवहन मंत्रीः देखिए अगर डीडीए ने कोई चीज बनाई है, जैसे सपोज एनडीएमसी एरिया है, एनडीएमसी एरिया में वो अपना खुद का उनका रहता है। उसमें डीटीसी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई इंवोल्वमेंट नहीं है। तो अगर आपकी नॉलेज में अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टांस है तो आप वो दे दीजिए। उसपे हम जो भी उचित कार्रवाई होगी, वो पक्का करेंगे।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यूडी मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं और काफी लंबे समय से हमने ये रिक्वेस्ट दे रखी है, लैटर दे रखे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा फंड रिलीज करा दें, कम–से–कम हमारे कई काम तो हों।

माननीय अध्यक्षः ये बस शेल्टर के लिए दिया वो।

श्री सही रामः जी, जी।

माननीय अध्यक्षः एक बार देख लीजिए इसको, जल्दी रिलीज हो जाए। सही राम जी ने रिक्वेस्ट दी हुई है। आप एक बार देख लीजिएगा इसको। नाम बोला तो है, मंत्री जी ने नाम बोला है, बोला है उन्होंने।

श्री सही रामः रिस्वेक्ट कर रहा हूँ मैं कि यूडी से पैसा रिलीज करा दें। हाँ, जैन साहब से ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं।

माननीय अध्यक्षः अभी जैन साहब के पास रिकॉर्ड नहीं होगा। भई देखिए, सही राम जी।

श्री सही रामः जी, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसको नोट कर लें, जाके अपना करा लेंगे आज या कल।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। श्री ओम प्रकाश जी, प्रश्न संख्या–42।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–42 प्रस्तुत हैः

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चिकित्सा सहायक स्टाफ के भिन्न–भिन्न प्रकार के सृजित पदों की संख्या बताइए;

(ख) इन पदों को भरने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी;

(ग) क्या इन्हें डायवर्टिड किया गया है;

(घ) यदि हॉ, तो ये कहॉ–कहॉ से डायवर्टिड करके लिए गए हैं, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए;

(ङ) पैरा मेडिकल स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक, व्यावसायिक योग्यताएँ, अनुभव का पूरा विवरण दीजिए;

(च) क्या वर्तमान स्टाफ इन अपेक्षाओं को पूरा करता है; और

(छ) उनके लिए नियत अधिकतम आयु सीमा क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–42 को उत्तर निम्न है:

(क) चिकित्सा सहायक के नाम से कोई पद सृजित नहीं है। हालांकि, भिन्न भिन्न प्रकार के 3294 पद चिकित्सा में सहायता कर रहे हैं। इन पदों में से 2436 नियमित आधार पर तथा 858 अनुबंध के आधार पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 773 रिक्त पदों के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी)को माँगपत्र (रेक्वीजिशन) भेजा गया है;

(ख) इन पदों की भर्ती समकालीन भर्ती नियमों के आधार पर की गयी थी;

(ग) जी नहीं;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(ङ) पैरा मेडिकल स्टाफ, विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक, व्यावसायिक योग्यताएँ, अनुभव आदि भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित है।

यह सर्विसेज का मामला है जिसके बारे में समय—समय पर जारी डीओपीटी भारत सरकार के सर्कुलर लागू होते हैं एवं सर्विसेज विभाग से समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर राय लेकर कार्रवाई की जाती है;

(च) जी हॉ; और

(छ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः मेरा इस विषय में केवल इतना ही कहना है कि यदि इनके लिए नये पद सृजित नहीं किए गए हैं और डायवर्ट किया गया है तो कहाँ से डायवर्ट किया गया है आप लिख रहे हैं, 'जी, नहीं।'

माननीय अध्यक्षः भाई उन्होंने मना किया है डायवर्ट किया नहीं, बस।

श्री ओम प्रकाश शर्माः हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से डायवर्ट किए गए हैं तो ये सवाल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या... सप्लीमेंटरी हाँ, जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधानः सर, मेरा कल प्रश्न था दिल्ली के अनाधिकृत बस्तियों के बारे में।

माननीय अध्यक्षः किसके?

श्री जगदीश प्रधानः इसमें हमने लिखा था कि अनाधिकृत कालोनियों को नियमित के किए जाने में क्या अड़चन है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, देखो जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधानः इस प्रश्न को ही गायब कर दिया।

माननीय अध्यक्षः इस क्वेश्चन से सप्लीमेंटरी अगर कोई क्वेश्चन गायब हैं, उत्तर नहीं आया...

श्री जगदीश प्रधानः मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रश्न पूछा, उसको गायब कर दिया। गायब कर देते हैं, ये कहना था।

माननीय अध्यक्षः मुझे दीजिएगा बाद में लिखके, प्लीज। प्रमिला टोकस जी प्रश्न संख्या— 43।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—43 प्रस्तुत हैः

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर के पुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वसंत विहार में एलिवेटिड रोड के निर्माण का कार्य निर्धारित समय के भीतर न पूरा होने के कारण बताइये;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि वसंत विहार इन्कलेव कालोनी की बाउण्ड्री वॉल का कुछ हिस्सा ऐलिवेटिड रोड के स्तम्भ बनाने के लिए तोड़ा जा चुका था जो लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत किया जाना था;

(घ) यदि हॉ, तो दीवार का गिराया गया यह हिस्सा अब तक उनके द्वारा पुनः निर्मित क्यों नहीं किया गया है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की परियोजना डिवीजन द्वारा एक सर्विस रोड बिछाई जानी थी;

(च) यदि हॉ, तो यह अब तक क्यों नहीं बिछाई गई है; और

(छ) यह सर्विस रोड कब तक बिछाई जाएगी; तथा

(ज) आर के पुरम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पैदल पथ सेतु के निर्माण के लिए विभाग ने कौन–कौन से स्थानों को प्रस्तावित किया है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए?

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं– 43 को उत्तर निम्न हैः –

(क) बसंत बिहार में एलिवेटिड रोड के निर्माण का कार्य निर्धारित समय के भीतर न पूरा होने के कारण निम्न प्रकार से हैः

1. पेड काटने की अनुमति,
2. विभिन्न उपयोगिताओं, जैसे; बी.ए.ई.एस, डीजेबी, एमटीएनएल और आई.जी.एल. का स्थानांतरण,
3. एजेन्सी द्वारा धीमी गति से काम करना,
4. सक्षम अधिकारी द्वारा एजेन्सी से देरी से कार्य पूरा करने के कारण हर्जाना/क्षतिपूर्ति रू0 27.8 करोड़ लगाया गया है;

(ख) फ्लाई ओवर दिनांक 30.04.2019 तक पूरा होने की उम्मीद है। आवश्यक जाँच/परीक्षणों को लेने और सम्बद्व गतिविधियों को पूरा करने के बाद इसे 30 जून 2019 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा;

(ग) जी हाँ;

(घ) अधिकांश ध्वस्त भागों को बहाल कर दिया गया है। बहुत कम स्थानों को वर्तमान में छोडा गया है जो अगले 30 दिनों में पूरा हो जाएगा;

(ङ) जी हाँ। वसंत बिहार जंक्शन के बीच सर्विस रोड परियोजना के अन्तर्गत बिछाई गई है;

(च) वसंत बिहार से आरटीआर जंक्शन के सर्विस रोड पर एक लेयर (डी.बी.एम) पहले ही बिछाई जा चुकी है। अन्तिम लेयर, अन्य कार्य पूर्ण होने व दिल्ली जल बोर्ड का काम पूरा करने के बाद बिछाई जाएगी।

(छ) दिनांक 30.04.19 तक बिछाई जाएगी।

(ज) पैदल यात्रियों के आवागमन हेतु मैट्रो स्टेशन से स्प्रिंगडेल स्कूल एवं एस.एम. मार्ग को जोड़ने के लिए स्काईवॉक बनाया जायेगा। इस विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित चार नग पैदल पथ सेतु प्रस्तावित हैं:

1. नैलसन मन्डेला मार्ग पर बाबा गगंनाथ मन्दिर के पास, इसका टेण्डर 20.2.2019 को प्राप्त हुआ है,
2. बाहरी रिंग रोड पर मोती लाल नेहरू कॉलेज कैम्पस के पास; इसका टेण्डर 20.02.2019 को प्राप्त हुआ है,
3. राव तुला राम मार्ग पर पेट्रोल पम्प के पास, निविदा इस सप्ताह आमंत्रित कर दी जाएगी, और
4. तमिल संगम मार्ग पर मोहन सिंह मार्किट के पास। इस सप्ताह आमंत्रित कर दी जाएगी।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि ये कब तक पूरा हो जाना था, कितने साल ये लेट हुआ और एक ये 'घ' का जो जवाब दिया है इन्होंने अभी तक किसी भी दीवार का कोई निर्माण नहीं किया है इसमें और एक मेरा एफओबी को लेकर ये सेक्टर–7 में मलाई मंदिर के पास और वहीं पर स्कूल है, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट मेरी उसको भी आप एफओबी में लीजिए, धन्यवाद।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): यह जो एलीवेटेड रोड है 2016 में बननी थी परन्तु... मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसको पेड़ों को काटने की अनुमति कई साल में मिली। उसके बाद जो शिफ्ट होनी थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हुआ और बाकी जो इनका सजेशन है कि एक और बनाया जाए, उसका सजेशन नोट किया जाता है। चार बनाये जा रहे हैं; उनमें से दो के टेंडर हो चुके दो हो रहे हैं, इस हफ्ते हो जाएँगे।

श्रीमती प्रमिला टोकसः दीवार का?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः इसमें ये लिखा है कि 30 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लिखा है पहले ही।

श्रीमती प्रमिला टोकसः वहाँ पर शुरू ही नहीं की है अभी।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः वो कह रहे हैं, 30 दिन में, जितना भी है आपके, ये समझियेगा मार्च के महीने में कंप्लीट कर देंगे पूरा।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, मेरा जवान सबसे मजबूत। अध्यक्ष जी, एक एलीवेटेड रोड पीडब्ल्युडी विभाग द्वारा मीराबाग से लेकर जनकपुरी तक बनाई गई थी। इस एलीवेटेड रोड के नीचे जो स्कोप में काम थे वो काम अधूरे छोड़ दिये गये थे, जैसे; फुटपाथ और सर्विस लेन। माननीय मंत्री जी ने पिछले कुछ महीने पहले मीटिंग करके आदेश भी दिये थे विभाग को कि छोड़े हुए काम पूरे कर दिये जायें पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि उस पर एक बारी रिप्लाई करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः चलिए, श्री सोमनाथ भारती जी, प्रश्न संख्या–44।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा जवान सबसे मजबूत। माननीय लोक निर्माण मंत्री प्रश्न संख्या–44 को उत्तर देने की कृपा करेंः

(क) मालवीय नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों का पूरा ब्यौरा दीजिए, जिसमें इन सड़कों की मूल चौड़ाई, उपलब्ध वर्तमान चौड़ाई, लोक निर्माण विभाग को अन्तरण करने की तिथि, लोक निर्माण विभाग को सड़क सौंपने के समय सड़क चौड़ाई का उल्लेख हो;

(ख) इन सड़को पर अवैध कब्जा मुक्त पैदल पथ, जल मल निकासी, उपयुक्त दूरी पर लगे बेंच, मध्यवर्ती पटरी, ग्रिल और भू–दृश्य निर्माण की उपलब्धता कराने का पूरा ब्यौरा दीजिए;

(ग) गौतम नगर के निवासियों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पीछे वाले नाले पर बनी सड़क पर पहुँचने के लिए रास्ता खोलने के लिए प्रस्ताव में हुई प्रगति की स्थिति बताइये;

(घ) क्या अरबिन्दो मार्ग पर बने यू–टर्न को इसके मूल स्थान पर शिफ्ट किया गया था;

(ङ) यदि हॉ, तो इस निर्णय का विवरण दीजिए, जिसके परिणामस्वरूप यू–टर्न की स्थिति में परिवर्तन आया;

(च) इस यू–टर्न को अपने मूल स्थान पर कब तक दोबारा बना दिया जाएगा; और

(छ) खिड़की गाँव को डीएलएफ साकेत माल, टीबी अस्पताल को पीटीएस कालोनी से जोड़ने, एक अधचीनी में और आईआईटी को केन्द्रीय

विद्यालय से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को जोड़ने वाले पैदल सेतुओं के निर्माण के प्रस्तावों की स्थिति बताइए?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–44 को उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) सडकों की लम्बाई, फुटपाथ, ड्रैनेज, सेंन्ट्रल वर्ज का विवरण सड़कों की सूची (अनुसंलग्नक–।) में दिया गया है।

(ख) सड़कों की साइड व फुटपाथ पर कई जगहों पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण को हटाने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम व एसडीएम हौजखास को फोटोग्राफ के साथ अनुरोध किया गया है। इस विधान सभा के अंतर्गत सड़कों पर बागवानी, भू–दृश्य (लैण्डस्केपिंग), इत्यादि कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र.स.	सड़क का नाम	टिप्पणी
1.	अरबिन्दो मार्ग	
2.	रिंग रोड (एम्स से अफ्रिका ऐवन्यू मार्ग)	लैण्डस्कैपिंग कार्य हो चुका है।
3.	अगस्त क्रांति मार्ग	
4.	प्रैस एन्क्लैव मार्ग	
5	बसंत कौर मार्ग	सैन्ट्रल वर्ज पर ग्रीलिंग कार्य करने की जरूरत है।
6	हुकुम चन्द्र मार्ग	वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।

क्र.स.	सड़क का नाम	टिप्पणी
7	चौ हुकुम चन्द्र मार्ग	
8	चौ. झण्डू सिंह मार्ग	
9	आउटर रिंग रोड (चिराग दिल्ली से आई.आई. टी) तक।	

(ग) नाले पर बनी सडक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अन्दर है तथा इसकी ओपनिंग एम्स से सम्बंधित है;

(घ) जी हां, लगभग 40 मीटर शिफ्ट किया गया है;

(ङ) इसका निर्माण 2014 में किया गया था। स्थान परिवर्तन का लिखित में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि कार्य स्थल पर पाया गया। आईआईटी अरविन्दों मार्ग, ग्रीन पार्क, व अरविन्दों मार्ग मेन रोड क्रॉसिंग जहाँ से स्टॉम वाटर आता है, वहाँ पर डीप बैरल हैं, इसलिए स्थान परिवर्तित किया गया है;

(च) वांछित स्थान पर यू–टर्न को शिफ्ट करने के कैरिज–वे का चौड़ा हो जाने के कारण शिफ्टिंग के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। मौजूदा फुटपाथ के साथ–साथ कई पेडों की हरियाली है। जिसे सौंदर्य और पर्यावरण की दृष्टि से बनाये रखना आवश्यक है। यात्रियों की समस्या को देखते हुए यू–टर्न को कुछ संभावित हद तक शिफ्ट किया जा सकता है। दिनांक 16. 02.2019 को कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। उसी अनुसार ड्राइंग यूटीटीआईपीईसी को प्रस्तुत करने हेतु बनाई गई जिसे यूटीटीआईपीईसी की अनुमति के बाद किया जायेगा; और

(छ) खिड़की गाँव से डीएलएफ साकेत माल तक फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव सैद्धाान्तिक रूप से एफओबी कमिटी ने फरवरी 2019 के तीसरे सप्ताह

में अनुमोदित कर दिया है तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन बनाया जा रहा है। टीबी अस्पताल से पीटीएस कालोनी; अधचिनी गाँव से आईआईटी दिल्ली केन्द्रीय विद्यालय,जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यलयः सभी तीनों जगहों पर प्रस्तावित एफ.ओ.बी. सब–वे सब–कमेटी द्वारा रेड लाइट निकट होने के कारण सम्भव (फिजीबल) नहीं पाया गया।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष जी, ये जो जवाब मिला है, इसमें कई त्रुटियाँ हैं। एक तो जो मैंने पूछा था कि जब इसे लिया गया था पीडब्ल्युडी के द्वारा एमसीडी से, तब क्या इसकी चौड़ाई थी और आज क्या चौड़ाई है। जो चौड़ाई इसमें दर्शाई गई है, वो बिलकुल ही गलत है। अगर इसमें आप जाँच करवा लें तो बड़ा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे कैसे रिपोर्ट बना देते हैं ये नंबर–एक, नंबर–दो, जो लैंडस्केपिंग कार्य हो चुका है, पता नहीं, कब लैंडस्केपिंग कर दिया, कैसे कर दिया, हम तो कहते रहते हैं। ये जो आपके 'ख' का जवाब था, अभी तक लैंडस्केपिंग मेरे नजर में नहीं हुई है, इनकी नजर में पता नहीं कैसे हो गई? माननीय मंत्री जी 'ग' का जो जवाब दिया है इसमें कि एम्स के अधीन आता है, एम्स के पीछे नाले के ऊपर पुल बनाकर के गौतम नगर के निवासियों को एक्सेस देने की जो तैयारी थी, ये पीडब्ल्युडी की थी और पीडब्ल्युडी कर रही थी। उसमें एम्स के द्वारा एक केस किया गया और उसके बाद सारा कुछ विड्रा कर लिया गया। तो इसमें पीडब्ल्युडी का क्या रोल रहेगा, उसकी जानकारी चाहिए और आखिरी जो 'ङ' में जवाब दिया है, जो आपने कहा कि इसका निर्माण 2014 में किया गया था। स्थान परिवर्तन का लिखित में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब उसका पोजीशन चेंज किया गया था, यूटर्न का, तो कोई न कोई तो रिकॉर्ड होगा, किसी न किसी ने तो आदेश दिया होगा। इसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि

ये जो यू–टर्न की पोजीशन चेंज की गई थी, किसी एक पर्टीकुलर व्यक्ति को फायदा पहुँचाने के लिए किया गया था माननीय मंत्री जी, और पहले इसका जवाब दे दें फिर मैं एक और।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः मुझे लगता है, इनको सबको, सजेशन जो आ रहा है इनको नोट कर लिया जाए और जहाँ तक ये 'ङ' के विषय में कह रहे हैं कि अगर इसको यू–टर्न की जगह को शिफ्ट किया गया है तो मैं डिपार्टमैंट को कहता हूँ, दोबारा से इसको चैक किया जाए कि किस आधार पर इसको चेंज किया गया था।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय मंत्री जी, इसमें जो आपने आखिरी सवाल का जवाब दिया है, अब टीबी हास्पिटल से... चूंकि पहली मुसीबत ये होती है कि जो हम इंगलिश में सवाल पूछते हैं विधान सभा उसको हिन्दी में करती है और हिन्दी से फिर अंग्रेजी में बनता है तो उसमें काफी कुछ गुम हो जाता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अध्यक्ष महोदय आपसे हाथ जोड़कर विनती होगी की जिस भी भाषा में हम भेजते हैं, उसी भाषा में उसको आगे भेज दिया जाए क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स के पास सही सवाल पहुँचता नहीं। तो उसका सही जवाब नहीं आता है। अब इसमें मैंने कहीं नहीं मांगा था कि भई टीबी हास्पिटल से पीटीएस कालोनी तक हमको फुटओवर ब्रिज चाहिए। पीटीएस कालोनी कहीं है, टीबी हास्पिटल कहीं है। वो बन ही नहीं सकता तो इसमें ये सवाल पूछ लिया गया। हमने माँगा था कि टीबी हास्पिटल में भी चाहिए एक फुटओवर ब्रिज और पीटीएस कालोनी में भी चाहिए तो इसमें पूछ लिया की वहाँ से वहाँ तक तो नंबर–एक ये है और माननीय मंत्री जी कोई प्रपोजल था आपके यहाँ कि आईआईटी दिल्ली से लेकर कुतुब टीबी हॉस्पिटल तक एक ऐलिवेटेड रोड बने और एक और प्रपोजल था कि प्रेस इन्कलेव रोड पर मालवीय नगर मैट्रो स्टेशन से साकेत कोर्ट तक एक ऐलिवेटेड रोड बने, इसकी क्या स्थिति है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अभी ऑफलाइन इनकी योजना के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः सर, जैसे अभी ये एक शिकायत बहुत आम है कि पीडब्ल्युडी के जो काम हैं, उनके एस्टीमेट कब बनते हैं, वर्क एवॉर्ड कब होता है और काम कब खत्म हो जाता है, ये माननीय विधायकों को पता ही नहीं लगता और अभी भी भारती जी ने बताया कि उनके यहाँ पर एक लैंड स्केपिंग का काम भी हो गया और उनको पता भी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जैसे एमएलए लैड फंड के अंदर वो कम्पलीशन लैटर एक लिया जाता है, उस तरह से पीडब्ल्युडी भी अगर अपने इलाके में कोई काम करती है तो वो विधायक से जो लोकल विधायक है, उनसे भी कप्लीशन सर्टिफिकेट ले ताकि उसकी निगरानी भी हो सके। क्योंकि ये शिकायत भी बहुत आम थी, पिछले साल भी हर साल होती है कि नालों कि सफाई हो जाती है, विधायक को पता नही लगता। सड़क बन जाती है, विधायक को पता नहीं लगता। फुटपाथ रिपेयर हो जाते हैं। बने हुए फुटपाथ ही रिपेयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, विधायक को पता ही नहीं होता तो ये कम्लीशन रिपोर्ट जो है, सर्टिफिकेट जो है, ऐसा प्रावधान माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं क्या, ये लाने के लिए सभी विधायकों के लिए?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीडब्ल्युडी को निर्देश दूँगा कि जो भी वर्क ऑर्डर हो, वो सारे कन्सर्ड एमएलए को भेज दिये जाएँ, जो भी ऑर्डर हो।

श्री विशेष रविः वर्क एवार्ड होने के बाद वो कब एजेन्सी काम शुरू कर रही है, सर्टिफिकेट ले जाएँगे ताकि हम तभी सर्टिफाई करेंगे ना उसको।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने कहा है, जो भी, जिस भी काम का वर्क ऑर्डर होगा, वो माननीय विधायक के पास कॉपी भेजी जाएगी। शेडयूल आ जाएगा पूरा। उसमें सारा कवर हो जाएगा। श्री रामचन्द्र जी अनुपस्थित। नितिन त्यागी जी। प्रश्न संख्या–46।

श्री नितिन त्यागीः माननीय पीडब्ल्युडी मंत्री प्रश्न संख्या–46 का उत्तर दें प्लीज और एक बात कहनी रह गई थी, मेरा जवान सबसे मजबूत।

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मदर डेयरी और शकरपुर के निकट एफओबी–36 पर दो यूटर्न अण्डर पास बनाने की परियोजना शुरू की गई थी;

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और इसको पूरा करने के लिए कितनी समय–सीमा निश्चित की गई है;

(ग) एफओबी–36 की परियोजना कब स्वीकृत की गई थी और इसकी मूल अनुमानित लागत कितनी थी; और

(घ) क्या इन एफओबी के नीचे किए जा रहे विकास कार्य लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की जानकारी में थे, जो इस कार्य को देख रहे हैं?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं0–46 का उत्तर निम्न हैः

(क) इस परियोजना को दो भागों में किया गया है। प्रथम भाग के अंतर्गत कार्य दिनांक 21.10.2013 को शुरू होकर दिनांक 02.03.2017 को समाप्त हुआ। द्वितीय भाग का कार्य दिनांक 04.01.2017 को शुरू होकर दिनांक 16.07.2018 को समाप्त हुआ;

(ख) प्रथम भाग के कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति रू. 14.62 करोड़ की थी एवं कार्य समाप्ति की नियत तारीख 15.10.2014 थी। द्वितीय भाग के कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति रू 9.68 करोड़ की थी एवं कार्य समाप्ति की नियत तारीख 03.09.2017 थी;

(ग) प्रथम भाग का कार्य 20.08.2013 को स्वीकृत किया गया एवं द्वितीय भाग का कार्य 18.05.2013 को स्वीकृत किया गया। प्रथम भाग की मूल लागत रू 14.62 करोड़ एवं द्वितीय भाग की रू 9.68 करोड़ थी; और

(घ) जी हां, उत्तर रेलवे से प्राप्त अनुरोध पत्र संख्या–

1–डीआरजी/डीवाई.सीई/सीएसबी/ दिनांक 19.04.2017 के संदर्भ में इस विभाग के पत्र संख्या 54(1)/का.अभि./एफ–31/546 दिनांक 20.10.2018 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

माननीय अध्यक्षः हॉ, नितिन जी। सप्लीमेंटरी।

श्री नितिन त्यागीः सर अगर, हम लोगों को ये पता था कि यहाँ पर उत्तरी रेलवे जो है, कुछ कार्य करने वाली है इस पुल के नीचे और पुल की जो फ्लोर है, उसको तोड़ा जाएगा तो इसके ऊपर सड़क क्यों बनाई गई? सर, ये जो ऑर्डर लिखा है, 20.10.2018 सर, इस टाइम पर पहले यहाँ पर सड़क बनाई जाती है, इस पुल के ऊपर और बनते ही उस सड़क के दो हफ्ते अंदर–अंदर उस सड़क को पूरी की पूरी को तोड़ा जाता है कि अब रेलवे का काम शुरू होगा। तो किस का पैसा है, ये जो इस तरीके से पीडब्लयुडी ने खर्च कर किया, एक चीज। दूसरी चीज, ये पहले भाग में और दूसरे भाग में वहाँ पर अभी तक टाइलों का काम चल रहा है सर इस पुल के अंदर। ये कह रहे हैं खत्म हो गया है, जो हो गया। अभी तक टाइलों का काम चल रहा है। ये रोड डिवाइडर का काम

जो है, वो चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पर ब्लाक्स रखे जा रहे हैं। वहाँ पर रोड डिवाइडर का पहले से प्रावधान था। पहले प्रावधान में नहीं बनाया गया। उसके लिए अलग से टेंडर किया गया दोबारा, तीसरी बार उसमें पैसे लगाए गए तो ये कैस हो रहा है? एक ही पुल के लिए, वो ही बात है कि हम लोगों को वर्क आर्डर की कॉपी नहीं मिलती। अगर वर्क आर्डर की कॉपी मिले तो हम लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। कुछ पता नहीं चलता। आपने आज सडक इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। आज सड़क बनाई है, कल रेलवे वालों ने तोड़ दी और आपको पहले से पता है कि रेलवे वालों के पास परमिशन है उसे तोड़ने का। पुल जा रहा है, पुल के ऊपर की सड़क आपने बनाई है। पुल फिर तोड़ दिया उन्होंने, रेलवे वालों का अपना वे बनाना है। और अब वो पूरा का पूरा टूटा हुआ है। अभी ताजी–ताजी सड़क बनी थी, धुआँ भी नहीं खत्म हुआ था तारकोल का।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि एक प्रश्न का जवाब गलत दिया गया है। अगर जवाब गलत दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि इसके प्रश्न के संदर्भ का जो मैटीरियल भेजा है, वो जाँच कर लें।

माननीय अध्यक्षः शास्त्री जी। सप्लिमेंटरी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि जितने फुट ओवर ब्रिज होते हैं सड़क पर, उसमें कोई मिनिमम डिस्टेंस की गाइडलाइन्स पीडब्ल्युडी विभाग ने तय की है और अगर है तो वो गाइड लाइन्स क्या हैं, एक ही सड़क पर ये मिनिमम डिस्टेंस की? दूसरा, जितना ओवर ब्रिज एफओबी बने हैं, उन पर एस्केलेटर और एलिवेटर लिफ्ट लगाने का कोई प्रावधान है पीडब्ल्युडी में?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः पहली बात तो प्रश्न दूसरे का मैं आन्सर दूँगा कि एस्केलटर और लिफ्ट लगाने की बात जहाँ तक है, सभी जो जितने भी एफओबी बनाए जा रहे हैं, उनमें सब में लिफ्ट लगाई जा रही है। एस्केलेटर लगाने का प्रयोग असफल रहा है। दिल्ली में जितने भी एस्केलेटर लगाए गए ज्यादातर खराब हुए या खराब नहीं हुए तो उनके अंदर मिट्टी चली जाती है और काम नहीं करते। तो उनकी मेन्टेनेंस का बहुत बड़ा ईश्यू है। कॉस्ट भी ज्यादा आती है और मेन्टेनेंस का बहुत ही बड़ा ईश्यू है। अब जितने भी एफओबी बनाए जा रहे हैं, सभी में लिफ्ट लगाई जा रही है; ग्लॉस लिफ्ट। एक साइड से उसमें ग्लॉस लगाया जाता है ताकि लोगों को अंदर से दिखता रहे। जहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस की बात है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पाँच सौ मीटर से कम के ऊपर तो एफओबीज नहीं लग सकते।

माननीय अध्यक्षः हाँ, अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरा जवान सबसे मजबूत। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न भी है कि एमबी रोड बहुत ही कन्जेस्टेड है। कल भी मैंने सदन में इसके बारे में रखा था। वहाँ पर मैंने कई बार लिखा है कि वहाँ पर दो तो यू टर्न बनने हैं। उसकी जगह है और दो एफओबी बनने हैं तो पीडब्ल्युडी नहीं बना रहा है। क्या वो बन सकते है, एमबी रोड खान पुर पर?

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, ये शकरपुर से रिलेटिड जानकारी तो माननीय मंत्री जी के पास है?

श्री अजय दत्तः सर मैं जानकारी नहीं मैं इनके संज्ञान में ला रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः संज्ञान में ला रहे हैं ना?

श्री अजय दत्तः जी।

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

श्री अजय दत्तः खान पुर एमबी रोड पर एफओबी और दो यू टर्न, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–47 अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बाः मेरा जवान सबसे मजबूत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न संख्या–47 प्रस्तुत हैः

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विकलांग पेन्शन के लाभार्थियों की संख्या, विकलांग पेन्शन के पेंडिंग आवेदन पत्रों की संख्या और रद्द किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और इनके रद्द करने के कारणों का विवरण दीजिए;

(ख) वृद्धावस्था पेन्शन लाभार्थियों की संख्या, वृद्धावस्था पेन्शन के पेंडिंग आवेदन पत्रों की संख्या और रद्द किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और इन्हें रद्द करने के कारणों का विवरण दीजिए;

(ग) क्या किसी पेन्शन भोगी को अपना आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो क्या आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ जोड़ने तक पेन्शन बंद की गई है; और

(ङ) वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त करने के लिए आयु संबंधी अपेक्षित न्यूनतम दस्तावेज प्रमाणों की संख्या विवरण सहित बताइए?

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी अनुपस्थित हैं, शायद अस्वस्थ हैं। कल भी वो थोड़ी तबीयत खराब थी उनकी। आ गए तो मैं बाद में ले लूंगा। प्रश्न संख्या –48 श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरा जवान सबसे मजबूत। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न संख्या –48 का उत्तर देने का कष्ट करें:

क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हॉ, तो बिस्तरों की संख्या और अन्य सुविधाएँ, जो इस नए भवन में उपलब्ध होंगी;

(ग) कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक की संख्या और कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित नए मोहल्ला क्लीनिकों का विवरण दीजिए;

(घ) कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पॉली क्लीनिकों की संख्या और कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित नए मोहल्ला क्लीनिकों का विवरण दीजिए;

(ङ) क्या क्षेत्र के सभी औषधालयों में पैथोलॉजिकल परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं;

(च) यदि हॉ, तो वहाँ उपलब्ध परीक्षणों का विवरण दीजिए;

(छ) क्या मोहल्ला क्लीनिकों और औषधायलयों में भर्ती किये जाने के लिए नया स्टाफ प्रस्तावित किया जाना है; और

(ज) यदि हॉ, तो कब तक?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–48 का उत्तर निम्न है:

(क) नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ख) 460 बिस्तरों का नया एस.सी. एच ब्लाक बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल द्वारा प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत आपरेशन थियेटर गहन चिकित्सा यूनिट व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी;

(ग) कोण्डली विधान सभा क्षेत्र में 07 मौहल्ला क्लीनिक निम्नलिखित हैं:

1. दल्लुपुरा गांव, हरिजन बस्ती, निकट समुदाय भवन,
2. प्रताप चौक दल्लूपुरा,
3. ब्लॉक–19, कल्याणपुरी, वार्ड 213,
4. बी–5, खिचड़ीपुर, वार्ड 214,
5. वसुंधरा इन्क्लेव, मुख्य सड़क दल्लूपुरा निकट परसोना जिम,
6. घरोली डेरी फार्म, मयूर विहार, फेस–3,
7. प्राचीन शिव मंदिर के सामने स्वास्थ्य विहार, मयूर विहार, फेज–3, प्रगति,मार्ग, भारती पब्लिक स्कूल के सामने, प्रस्तावित तीन नए मोहल्ला क्लीनिक निम्नलिखित है:

    1. डी.डी.ए फ्लैट्स, गाजीपुर,
    2. दिल्ली जल बोर्ड, बी ब्लॉक, एसपीएस कोण्डली, घरोली,

3. दिल्ली जल बोर्ड, एस.ई कार्यालय, नाला रोड, कोण्डली; और

(घ) कोण्डली विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी पॉलीक्लीनिक नहीं चल रहा है। भविष्य में कोंडली विधान सभा क्षेत्र में तीन दिल्ली सरकार औषधालय को उन्नत (अपग्रेड) करके पॉली क्लीनिक में परिवर्तित किया जायेगाः

1. डी.डी.ए फ्लैट्स, गाजीपुर,

2. दिल्ली जल बोर्ड, बी ब्लॉक, एसपीएस कोण्डली, घरोली,

4. दिल्ली जल बोर्ड, एस.ई कार्यालय, नाला रोड, कोण्डली,

(ङ) जी हॉ;

(च) बुनियादी प्रयोगशाला सुविधायें जैसे मल, मूत्र, रक्त, बलगम इत्यादि की जाँच की जाती है;

(छ) मोहल्ला क्लीनिकों में डॉक्टर, फार्मेसिस्ट, मोहल्ला क्लीनिक असिस्टेंट व मल्टीटॉस्क वर्कर प्रस्तावित हैं; और

(ज) डॉक्टर के एंपेनलमेंट के लिए इन्टरव्यू चल रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक असिस्टेंट की सूचीबद्व एंपेनलमेंट की लिखित परीक्षा हो चुकी है तथा फार्मासिस्ट व मल्टी टॉस्क वर्कर के सूचीबद्व एंपैनलमेंट किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी मनोज जी।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का भवन निर्माण कार्य आरंभ होना है, पिछले काफी लंबे समय

से वो लंबित होता जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि वो कब तक हम उस अस्पताल में जो काम है नई बिल्डिंग का, कब तक आरंभ कर पाएँगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का प्रोजेक्ट ईएफसी से क्लियर हो चुका है जिसको क्लियर होने में लगभग तीन से साढ़े तीन वर्ष लगे। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फाईलों के अंदर पूरे अस्पताल बन सकते हैं और साइट पे बनने में समय कम लगता है। लगभग साढ़े तीन साल पहले इसके नक्शे बने थे। तीन साढ़े तीन साल में ईएफसी से क्लियरेंस हुई है, हमने इसके टेंडर लगा के इसको बनाया जाएगा। काम शुरू होने के बाद दो साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, जी, मनोज जी, एनी सप्लीमेंटरी? सप्लीमेंटरी राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः मेरा जवान, सबसे मजबूत। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों की तरह दीप चंद बंधु अस्पताल में भी दिक्कत है कि एनस्थीसिस्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। जिस वजह से हम शाम को आपरेशंस वगैरह कुछ भी नहीं कर पाते। अभी मंत्री जी ने शायद उसके अंदर ये कहा है कि हम आरके से उसको यूज कर लें, उसी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसमें दरअसल प्राब्लम है कहाँ पर, दिल्ली सरकार क्यों इन लोगों को नहीं ले पाती है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले ढ़ाई साल से सर्विसेज एलजी साहब के पास है और एलजी साहब... अस्पताल की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है, चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, पर किस अफसर को दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, देना है कि

नहीं देना है, किसको कहाँ ट्रांस्फर करना है, सब एलजी साहब का प्रेरोगेटिव है, उसकी कोई फाइल हमें नहीं दिखाई जाती।

माननीय अध्यक्षः अजेश यादव जी, प्रश्न संख्या–49।

श्री अजेश यादवः मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न संख्या–49 का उत्तर चाहता हूँ:

क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बादली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की उन सड़कों का पूरा ब्यौरा दीजिए जहाँ पर एलईडी लाइटें लगी हैं;

(ख) बादली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उन स्थानों का पूरा ब्यौरा दीजिए जहाँ पर विभाग द्वारा एलईडी मास्ट लाइट लगाई गई है;

(ग) पिछले चार वर्षों में बादली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पता लगाए गए अंधेरे स्थलों (डार्क स्पॉट) की संख्या; और

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान एलईडी लाइट लगाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाए गए डार्क स्पॉटों की संख्या बताइये

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः मेरा जवान सबसे मजबूत।

श्री अजेश यादवः क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे, ये सवाल हैं सामने ही हैं।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मेरा जवान सबसे मजबूत, ये बिल्कुल पक्का है, उन्होंने यही पूछा है और उसका जवाब मैंने दे दिया है। फिर भी इनके नाम से एक

प्रश्न लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रश्न संख्या–49, उसका जवाब इस प्रकार हैः

(क) बादली विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के द्वारा कोई एल.ई.डी. लाइट नहीं लगायी गयी है। इस विधान सभा क्षेत्र में सोडियम लाइट्स हैं;

(ख) इस विधान सभा क्षेत्र में कोई नई हाई मास्ट लाइट नहीं लगाई गयी है।

(ग) इस विधान सभा क्षेत्र में कोई डार्क स्पॉट नहीं है। इस क्षेत्र में नई लाइट लगाने हेतु एक करोड़ 12 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह कार्य लगभग छः महीने में पूरा हो जाएगा; और

(घ) इस विधान सभा क्षेत्र में कोई डार्क स्पॉट नहीं है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी?

श्री अजेश यादवः अध्यक्ष महोदय, क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी विधान सभा में डार्क स्पॉट न हो कोई भी? ये मोदी का स्मार्ट सिटी थोड़ी है कि भई बन गया कागजों में। कोई विधान सभा हो ही नहीं सकती जिसमें न हो। कम से कम 100 मैं दे दूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अफसर को मेरे पास एक बारी भेज दें, मैं उसको दिखा दूँगा और आप लगवा दें। बस।

माननीय अध्यक्षः चलिए। ऐनी सप्लीमेंटरी?

...(व्यवधान)

श्री अजेश यादवः मेरे यहाँ डार्क स्पॉट ही नहीं है।

माननीय अध्यक्षः एक करोड़ 12 लाख की लाइटें स्वीकृत हुई हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप उसकी लिस्ट माँगिए न, आप कहिए मंत्री जी, मुझे ये लिस्ट कब तक मिल जाएगी?

श्री अजेश यादवः इसी सवाल में... कहीं कुछ भी नहीं है।

माननीय अध्यक्षः एक करोड़ 12 लाख का जो सेंक्शन हुआ है, उसकी कहाँ—कहाँ लगेंगी, लिस्ट माँगिए।

श्री अजेश यादवः दे दो मंत्री जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः लिस्ट एक हफते में दे दी जाएगी।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या—50, जितेन्द्र जी। तोमर जी, आज नाराजगी दूर कर लो।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः जी।

माननीय अध्यक्षः आज नाराजगी दूर कर लो थोड़ी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः नहीं, नाराजगी है ही नहीं कुछ। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना का जवान विश्व में सबसे मजबूत और इसका सबूत कल अभिनंदन ने दिया पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान की सेना में बंदी होने के बावजूद इतने साहस के साथ अभिनंदन ने जवाब दिया कि मैं अपने घर का पता नहीं बताऊँगा, अपने शहर का नाम नहीं बताऊँगा, ये अलग बात है कि मीडिया ने घर का पता भी बता दिया, पूरा इतिहास ही बता दिया, वो अलग बात है।

श्री सोमनाथ भारती: वो मीडिया ने बता दिया।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, जी, सो ये तो साबित कर दिया हमारे देश के जवानों ने कि मेरा जवान सबसे मजबूत है।

श्री सोमनाथ भारती: भाजपा को शर्म आनी चाहिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर: मैं निवेदन करूँगा लोक निर्माण मंत्री महोदय से कि वो प्रश्न संख्या– 50 को उत्तर देने की कृपा करें:

क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में रोड संख्या–37 नाहर सिंह मार्ग पर नजफगढ़ नाला (गंदा नाला) के ऊपर सेतु को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराइए?

माननीय लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–50 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) जी हाँ;

(ख) दिनांक 23.01.2019 को कार्य की निविदा प्राप्त हो चुकी है। मार्च 2019 में कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है; और

(ग) की गयी कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि अनेक्सर–ए में संलग्न है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी? हो गया? चलिए, धन्यवाद। प्रश्न संख्या–51 श्री राजेश गुप्ता जी। आज रिकॉर्ड टूट जाने दो, अभी 10 मिनट हैं मेरे पास।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या–51 का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार नई बसें खरीद रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये सारी बसें एसी हैं;

(ग) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र को इनमें से कितनी बसें दिए जाने की संभावना है; और

(घ) पाँच बस क्यू शेल्टरों की वर्तमान स्थिति बताइए जो एमएलए निधि में से स्थापित किए गए थे?

माननीय परिवहन मंत्रीः मेरा जवान सबसे मजबूत, अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या संख्या–51 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) व (ख) जी हाँ;

1. परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा कलस्टर स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की 3000 (1000 नॉन एसी स्टैंडर्ड फ्लोर हाईड्रोलिक लिफ्ट सहित, 1000 एसी लो फ्लोर, तथा 1000 इलैक्ट्रिक एसी लो फ्लोर) अतिरिक्त बसें चलाई जाएँगी;
2. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 (800 नॉन एसी और 200 एसी) लो फ्लोर बसों की खरीद का प्रस्ताव डीटीसी बोर्ड की बैठक में रखने का विचार हैं;

(ग) कलस्टर स्कीम के अन्तर्गत वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की बसों की जानकारी सलंग्नक 'क' 'ख' 'ग' पर दी गई है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र को दी जाने वाली बसों का निर्णय नई बसें आने पर ही तय किया जायेगा; और

(घ) विधायक निधि से पाँच बस क्यू शेल्टरों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव अर्बन डिपाटमेंट में भेजा जा चुका है जिसकी प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति वांछित है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी?

श्री राजेश गुप्ताः मेरा जवान, सबसे मजबूत। सर, ये जो आपने पाँचवें का जवाब दिया है कि 5–6 यूडी में भी हैं तो उसे तो यूडी डिपार्टमेंट देख लेगा, एक रिक्वेस्ट और है कि पिछले 2–3 सालों में हालात अब इतने खराब हो चुके हैं, बस क्यू शेल्टर्स के कि वो गिरने लगे हैं और कोई उठाने के लिए नहीं आता, कबाड़ी इसे उठा–उठा के ले के जाते हैं और अभी भी एक फिलहाल गिरा हुआ है और बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है; मेरे विधान सभा की एच. ब्लॉक का हमारा जो सरकारी स्कूल है, सामने मार्किट है, मान्टफोर्ट पर एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ वो गिरा हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है एक तो उसे हटा लिया जाए, उसके अलावा जो ऐसे लग रहे हैं कि जो गिर सकते हैं क्योंकि ज्यादातरों की हालत ऐसी हो चुकी है, कृपया अगर आप उन्हें वहाँ से हटा लें।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि उसका एग्जैक्ट डिटेल्स आप दे दीजिएगा, उसको हटवा देंगे और वैसे भी अध्यक्ष जी, समय–समय पर ये निर्देश दिए

जा रहे हैं कि जिन बस क्यू शेल्टर्स की हालत बहुत खराब हो गयी है, उसको या तो रिपेयर कर दिया जाए जा उसको निकाल दिया जाये।

माननीय अध्यक्षः एनी सप्लीमेंटरी? सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय मंत्री जी, कई बार मैंने पहले भी आपसे गुजारिश किया हुआ है तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है; कालोनीज को मैट्रो स्टेशन से जोड़ने की, उसके लिए कब आप शुरूआत करेंगे... जी? ये तो पॉलिसी डिसीजन है? बता सकते हैं

माननीय परिवहन मंत्रीः मेरे से कंसर्न्ड नहीं है? ये क्वेश्चन का इससे कोई रिलेशन नहीं है।

श्री सोमनाथ भारतीः it is a policy decision, I am asking you.

माननीय परिवहन मंत्रीः नहीं, नहीं but you cannot ask a question on policy decision.

माननीयअध्यक्षः सोम नाथ जी, देखिए, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी पर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अंदर एक कालोनी है उसको कनेक्ट करने की बात चल रही है, पिछले चार साल से, वो कब शुरू होगा मैट्रो स्टेशन से ?

माननीय अध्यक्षः चलिए, आदर्श जी?

श्री आदर्श शास्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि बस की, नई रूट चलाने के लिए और एग्जिस्टिंग रूट को बंद करने के लिए स्पेस्फिक पॉलिसी क्या है सरकार की?

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी, समय–समय पर जितनी भी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं, सपोज कोई एरिया जो अनसर्व्ड है बस रूट से, तो उसमें दो आप्शंस हैं कि या तो एग्जिस्टिंग बस रूट को मोडिफाई करके उसका जो डेविएशन है, तो उसको जो भी रिक्वेस्ट आती है, वो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और उसके द्वारा या तो रूट को मोडिफाई कर लेते हैं या अगर नया रूट चलाने की आवश्यकता है तो उसका पूरा एक बार सर्वे करके या डीटीसी है या क्लस्टर है तो जो फॉर्मेलिटी ट्रांसपोर्ट द्वारा पूरी करके उसको चालू किया जाता है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–52, राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–52 का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंगोलपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2017–18 और 2018–19 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई थी; और

(ख) इन छात्रवृत्तियों को वितरित करने की वर्तमान स्थिति और इसका पूरा ब्यौरा दीजिए?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–52 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) इस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के तहत समस्त दिल्ली के मान्यता प्राप्त प्राइवेट/सरकारी स्कूलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृति सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। विभाग द्वारा इन वर्गों के

विद्यार्थियों को दी गयी छात्रवृति का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रानुसार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं; और

(ख) इस विभाग द्वारा वर्ष 2017—18 तक की लगभग सभी छात्रवृतियों का निष्पादन कर दिया गया है एवं वर्ष 2018—19 के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के तहत इन वर्गों के छात्रों से ऑन—लाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2019 है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 53, श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः मेरा जवाब, सबसे मजबूत, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रश्न 53 का उत्तर देने की कृपा करें:

(क) आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल की माँग पूरा करने के लिए 2014—19 के दौरान थोक में खरीदी गई औषधियों का तिथिवार विवरण दीजिए;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2018—19 के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियाँ नहीं खरीदी गई थीं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके कारण बताइये;

(घ) क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल के लिए चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया जा चुका है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस नियुक्ति का आदेश पत्र प्रस्तुत कीजिए;

(च) आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ क्या है;

(छ) वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशक, आयुष द्वारा बुलाई एवं अटेंड की गई बैठकों का उनकी अटैण्डेंस शीट की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण दीजिए;

(ज) आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाध्यापक के दायित्व (कार्य) क्या हैं; और

(झ) क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाध्यापक के पास प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–53 का उत्तर इस प्रकार हैः

(क) सूची संलग्न है;

(ख) जी हाँ;

(ग) वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की पूर्ति हेतु आयुष निदेशालय ने दिल्ली सरकार के ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की थी जो कि अंतिम प्रक्रिया में है, तथा उक्त निविदा पर मुकद्दमा होने के कारण वित्तीय निविदा अभी तक नहीं खोली गयी है;

वर्तमान में उक्त मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा इसकी सुनवाई साप्ताहिक हो रही है। उक्त मुकदमे का निर्णय शीघ्र होने की संभावना है;

(घ) आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बियां कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक का पद नहीं है, चिकित्सा अधीक्षक का कार्यभार प्राचार्य के अधीन है;

(ङ) लागू नहीं होता है;

(च) आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बियां कॉलेज अस्पताल में शैक्षिक एवं चिकित्सकीय प्रशासनिक कार्य प्राचार्य के पर्यवेक्षण में होता है तथा वित्तीय शक्तियाँ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स के अनुसार निदेशक, आयुष निदेशालय एवं प्राचार्य के अधीन है;

(छ) ऐसा कोई विवरण इस प्रारूप में उपलब्ध नहीं है;

(ज) कालेज एवं अस्पताल से संबधित सभी कार्य प्रधानाचार्य द्वारा किये जाते हैं;

(झ) जी हाँ, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशिल पॉवर रूल्स के अन्तर्गत आयुष निदेशक द्वारा वित्तीय शक्तियाँ प्रधानाध्यापक को कार्यालय प्रमुख (हेड ऑफ ऑफिस) के रूप में प्रदत्त है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी?

श्री विशेष रविः सर, मैं सवाल करने से पहले एक जानकारी रखना चाहूँगा। इस अस्पताल के अन्दर लगभग सात सौ–आठ सौ दवाइयाँ उपलब्ध रहतीं थीं। इस अस्पताल की जो डेली की ओपीडी है, वो एक हजार से ऊपर थी। आज की डेट के अन्दर वर्तमान में इस अस्पताल के अन्दर मुश्किल से पाँच से दस दवाइयाँ हैं और ओपीडी की संख्या दस से बारह हो गयी है। तो जो 'ग' में जो कहा गया है कि आखिरी बार जो दवाई खरीदी गयी थी; 2018 में खरीदी गयी थी। उसके बाद दवाइयाँ इसलिए अभी तक नहीं आयी अस्पताल के अन्दर क्योंकि वो मैटर केस में है। कोई कोर्ट का कोई लीगल इसके अन्दर प्रॉब्लम है। किसी ने केस कर दिया है। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि दवाई जैसे जरूरी चीज के लिए अगर अस्पताल ने किसी टैन्डर के लिए दवाई के टैन्डर के लिए कोई केस कर दिया है तो क्या विभाग के पास कोई और व्यवस्था

नहीं है अस्पताल को दवाई उपलब्ध करवाने के लिए? क्या एक साल से दवाई अस्पताल में न होना ठीक है और वो पेशेन्ट कहाँ जाएँगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में कहा था कि किसी और अस्पताल के परचेज ऑर्डर के हिसाब से आप दवाइयों का ऑर्डर दे दीजिएगा। परन्तु अधिकारीगण इसमें कोई इन्टरेस्ट, रूचि नहीं लेते हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा, इसी अस्पताल के अन्दर, लगातार दो साल तक एक दिन दवाई का ऑर्डर दिया गया? कई करोड़ रुपये तक दवाई का ऑर्डर दिया जाता है अगले दिन उसकी डिलीवरी दिखाई जाती है। उसके अगले दिन उसकी पेमेन्ट हो जाती है। मान लो एक ऐसा अस्पताल है जिसके अन्दर करोड़ों रुपये की दवाइयाँ... दो दिन के अन्दर सारा काम हो जाता है। जब मुझे शिकायत मिली। मैंने उसकी जाँच के लिए बोला। तो पहले एक रिपोर्ट दी गयी झूठी–मूटी रिपोर्ट बनाके दे दी गयी। नहीं, कोई अनियमितता नहीं है। दुबारा जाँच के लिए कहा गया तो दुबारा एक कमिटी बनाई। वो कह दिया, कुछ गलत नहीं है। तीसरी बारी कहा गया, हाँ जी, गलती तो हुई है। गड़बड़ तो की गयी है। तो मैंने कहा, इसको एसीबी या सीबीआई को भेज दीजिएगा। तो दिल्ली सरकार का विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट जिसमें करोड़ों रुपये के घपले को जो कि सिद्ध हो चुका है कि कई करोड़ रुपये। कह दिया ये तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। इसकी जाँच करने की जरूरत नहीं है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देख लिजिएगा। तो ये मजाक बना रखा है। जानबूझ के... क्योंकि अब सबको पता है। शाबाशी मिलेगी। जो काम नहीं करेगा, उसको एलजी साहब के यहाँ से प्रशस्ति पत्र देंगे, उसका परमोशन करेंगे। तो इसलिए किसी भी डाइरेक्शन का जानबूझ के उल्लंघन किया जाता है। अस्पतालों के अन्दर दवाई जानबूझ के उन्होंने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि दवाई न ली जाये। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर

चल रहा है तो दवाई नहीं खरीद सकते आप। ये बिल्कुल जानबूझ कर नहीं करा है।

श्री विशेष रविः सर, ये मैटर आपके संज्ञान में भी है। आपने खुद ने सेक्रेटरी महोदय से बात की थी और कहा था कि यहाँ पर अल्टरनेट व्यवस्था कराई जाए। उस बात को भी एक महीने से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्षः बताया तो मैंने।

श्री विशेष रविः और ये मैटर हमने प्रिविलेज कमिटी को भेजा था। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते के अन्दर इसकी डेट लगा के इस मैटर को प्रिविलेज कमिटी में लेके जाया जाए जहाँ पर जो डाइरेक्टर हैं हमारे कॉलेज के, वो और जो सचिव हैं, वो वहाँ पर आके इस बारे में वो जानकारी दें, जवाब दें कमिटी को।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। अब नहीं। इसमें प्लीज। सुखबीर सिंह दलाल जी, अनुपस्थित हैं। महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–55 को उत्तर चाहूँगा और आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज यहाँ तक आप लेके आये हैं। ये सवाल बहुत मजबूत है और इसका उत्तर भी बहुत मजबूती से मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–55 निम्न प्रकार से हैः

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की योजना चला रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की नियमावली सहित इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इस योजना की शुरूआत से ही इसका लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) जिन अस्पतालों में इस योजना को लागू नहीं किया है, उनकी सूची प्रदान की जाए;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग को कुछ अस्पतालों द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को इस योजना का लाभ न देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हाँ, तो इन सभी शिकायतों का शिकायतकर्ताओं सहित पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–55 का निम्न प्रकार से हैः

(क) जी हॉ;

(ख) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 15 फरवरी, 2018 को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संलग्न है जिसके द्वारा इस योजना की नियामावली अनुलग्नक–क पर दी गयी है;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति 15 फरवरी, 2018 के उपरान्त सड़क दुर्घटना में घायल अथवा उसका मेडीको लीगल केस दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत कराया गया हो ऐसे व्यक्ति का किसी भी दिल्ली स्थित निजी पंजीकृत अस्पताल तथा नर्सिंग होम में निःशुल्क इलाज

का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान ऐसिड अटैक तथा थर्मल बर्न इन्जरी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी है। इन तीन उपरोक्त श्रेणी की पात्रता हेतु किसी भी आय एवं निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 15 फरवरी, 2018 से 31.12.18 तक इस योजना में कुल 1757 लाभार्थी हैं। यद्यपि मेडिकल एथिक्स के तहत ऐसे मरीजों का पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता। फिर भी यदि इस विषय पर अगर कोई संशोधन होता है तो सम्बन्धित एजेन्सी संस्थाओं को सूचित किया जाता है;

(घ) दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ऐमेन्डमेन्ट रूल 2011 के नियम–14 में संलग्न अनुसूची की धारा 14.2 के अन्तर्गत सभी दिल्ली में स्थित निजी पंजीकृत अस्पताल, नर्सिंग होम को इस योजना को लागू करना अनिवार्य है;

(ङ) जी हॉ; और

(च) इस सन्दर्भ में वेंकेटेश्वर अस्पताल के अलावा सभी शिकायतों का निवारण हो चुका है; वेंकेटेश्वर अस्पताल को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ। दिल्ली के अन्दर अगर दिल्ली की बाउन्ड्री के अन्दर अगर किसी भी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेन्ट होता है या किसी आग में जल जाता है या ऐसिड अटैक विक्टिम है तो उसका किसी भी सरकारी अस्पताल में या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का जो भी खर्चा आता है, वो दिल्ली सरकार देती है। उसके अन्दर उससे किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ नहीं माँगा जाता एक्सेप्ट कि उसको मेडिकल लीगल केस होना चाहिए बस।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेन्टरी।

श्री महेन्द्र गोयलः सर, एक हास्पिटल है, ब्रह्मशक्ति हास्पिटल। एक रोड एक्सीडेन्ट हो गया था, उसके अन्दर में उन्होंने पहले मरीज से पैसे जमा करवाये और उसके बाद इलाज के लिए मना कर दिया जब कि वो पैनल पर है। डीजीएचएस से मैंने बात की तो वो दिल्ली सरकार के पैनल के ऊपर हॉस्पिटल है। मरीज का नाम, जो पैसे की रसीद है, वो मैं आपके कार्यालय पर भेज दूँगा। तो उसकी भी जाँच करवाई जाये और एक और इसमें मैं पूछना चाहूँगा जो व्यक्ति कोई रोड एक्सीडेन्ट के दौरान या कोई दुर्घटना के दौरान हास्पिटल के अन्दर क्योंकि हास्पिटल कई बार नहीं लेता उसको और वो मजबूरीवश पैसे जमा करवा देता है क्योंकि व्यक्ति को एक ही बात होती है कि मुझे अपने मरीज को बचाना है और वो मजबूरीवश वो पैसे जमा करवा देते हैं तो क्या वो पैसे उसके रिफण्ड हो सकते हैं या नहीं, ये मैं माननीय मंत्री साहब से जानना चाहता हूँ?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी के अन्दर दिल्ली के सभी नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल हैं, उसने दिल्ली सरकार के साथ एग्रीमेन्ट किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो दिल्ली सरकार पर रजिस्टर्ड है। सिर्फ इतना ही सफिशिएन्ट है उसको इस योजना को देना ही पड़ेगा पहली बात। अगर किसी ने भी किसी रोड एक्सीडेन्ट विक्टिम जिसका कि एमएलसी होना जरूरी है; एमएलसी इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली की बाउन्ड्री के अन्दर होना चाहिए ऐसे भी बहुत सारे केस आये हैं कि सोनीपत में एक्सीडेन्ट हो गया, उसको दिल्ली ले आये। उसके बाद फिर वो शोर मचाते हैं। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि नहीं जी, ये क्या हो गया? ये तो क्या फर्क पड़ता हैं जी। ये तो हमारा पेशेन्ट तो लेके तो सीधा यहीं पर तो आये थे। उसको नहीं कर सकते। दिल्ली की बाउन्ड्री के अन्दर एक्सीडेन्ट होना चाहिए। अगर किसी अस्पताल ने पैसे लिए हैं,

नर्सिंग होम ने पैसे लिए हैं तो उसका रिफण्ड भी कराया जाता है। अभी पीछे मैक्स हास्पिटल शालीमार बाग में एक केस हुआ था जिसमें छः लाख रुपये उन्होंने लिए थे। पूरे के पूरे छः लाख रुपये वापस किये। जब ये चीज हमारे संज्ञान में आयी... दूसरा ऐसे ही एक अस्पताल है द्वारका में। वहाँ पर आठ लाख रुपया लिए गए थे। वो आठ लाख के आठ लाख रुपये वापस किए गए। जितने भी ऐसे कोई भी केस आएगा। उस अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त... नरेश जी के यहाँ भी एक केस नरेश जी मेरे सामने लाये थे, उसका भी पूरा पैसा रिफण्ड कराया गया था। कई लाख रुपये थे वो भी शायद। तीन लाख रुपये थे, उसको रिफण्ड कराया गया था। आप हमारे सामने बता दीजिएगा। उसको रिफण्ड कराया जाएगा। दरअसल होता क्या है; जो अस्पताल के अपने रेट होते हैं, अगर अस्पताल ने तीन लाख का बिल बना के दिया है तो सरकारी बिल एक लाख रुपये का बनता है। ये मैं फर्क पहले बता देता हूँ। अगर आपको छः लाख का बिल बनाके दे रहा है तो सरकार का दो लाख का बिल बनेगा। तो सरकार उसको दो लाख ही पे करेगी। हमने रेट फिक्स किये हुए हैं। तो आप कोई भी शिकायत कीजिए नहीं तो उनका लाइसेन्स केन्सिल करना हो तो लाइसेन्स कैन्सिल करेंगे हम। आप बता दीजिएगा।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद सर। जिस हिसाब से देश का जवान मजबूत है तो इसी हिसाब से हमारे मंत्री जी भी मजबूत हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इस विधान सभा को।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अब कोई नहीं ले रहा हूँ। समय हो गया।

श्री राजेश गुप्ताः देखिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरे ख्याल से...

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः छः नम्बर का उत्तर दिया गया है, ये गलत है।

माननीय अध्यक्षः कौन से छः नम्बर। भाई कौन सा छः नम्बर, स्टार्ड क्वेश्चन का?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः मैं बता देता हूँ सर। कोई भी लिखित शिकायत या तो मेरे पास या डीजीएचएस आफिस में आप दे दीजिएगा। कोई पेन्डिंग नहीं है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः डेन्टा मेन्टा अस्पताल। एक लाख। डिटरमेन्ट किया ना, पैसे दिए उसको? और अभी कुछ नहीं किया। डीजीएचएस के नाम से उसका कम्प्लेन्ट गया हुआ है। आज कम से कम ढ़ाई—तीन महीने हो गये।

माननीय अध्यक्षः भाई विशेष जी, अब नहीं प्लीज। नहीं, मैं नहीं एलाउ करूँगा प्लीज। नहीं, मेरा समय मुझे देखना है न। आज बजट पर चर्चा है। नहीं मैं बिल्कुल एलाउ नहीं कर रहा हूँ।

श्री विशेष रविः वहाँ पर, उसको उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाया जाता है। तब भी ये स्कीम लागू रहेगी या एक अस्पताल में आने के लिए।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः वो अस्पताल छोटा है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः सुन लीजिये। अगर उस अस्पताल में वो सुविधायें नहीं हैं, मान लो किसी की सर्जरी होनी है, ब्रेन सर्जरी होनी है। छोटे अस्पताल में ले गये, उसने मरहम पट्टी कर दी। तो वो इमीडेटली

इसको ट्रांस्फर कर दे। ऐसा नहीं हो कि वो चार दिन उसको पहले रखे, पहले तो अपना बिल बनाता रहे, उसके बाद कहे कि जी, हम वहाँ पर चले जायें और कई बार अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि देखो, ये स्कीम बनाई गई थी, किसी की जान बचाने के लिए। अब इसका मिस यूज कैसे होता है; बसंत कुंज के अंदर हड्डियों का अस्पताल है। क्या नाम है उसका स्पाइनेल इंजरी। एक पेशेंट आये वहाँ से 15 दिन ऐडमिट रहे, 15 दिन के अंदर उनका पूरा इलाज किया गया। कम से कम 10 लाख रुपये का बिल था। सारा पैसा सरकार ने दिया। उसके बाद वो शिकायत लेकर ये आये कि जी, उन्होंने तो छुटटी कर दी। मैंने कहा छुटटी कर दी तो इसमें तो क्या दिक्कत है? कहते कि अब वो ये कह रहे हैं कि जी, आप ओपीडी में आकर इलाज करा लो। कहते हैं, हम अपने घर से इतनी दूर से कैसे आयें जी? अब वो ये कहते, देखो, हमने जान बचाने का वो दिया था, हमने पूरी जिंदगी का तो नहीं दिया था। वो कहते हैं, हमें तो तीन महीने तक हर रोज आना पड़ेगा। कौन आयेगा, जायेगा। आप इसको ऐडमिट कराइयेगा इस तरहे के इशू जरूर आते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, एक बारी छुट्टी करने के बाद ये पॉसीबल नहीं है कि आपकी छुटटी हो गई दो दिन के बाद फिर जाकर दूसरे में ऐडमिट हो गये। अगर ऐक्सीडेंट हुआ है, आप इमीजेटली यहाँ से वहाँ ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः हाँ, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं।

श्री विशेष रविः वो रिएम्बर्समेंट होगा उसका?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः रिएम्बर्समेंट नहीं होता, फ्री में होगा।

श्री विशेष रविः मतलब उन अस्पताल से मिल जायेगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः दोनों में फर्क है। आपको बता देता हूँ। जैसे गंगा राम हॉस्पिटल है। मैं बता देता हूँ। गंगाराम हास्पिटल ने हमसे एग्रीमैंट नहीं किया परंतु वो इलाज सबका करता है। पैसे नहीं लेता, न ले। हमने उनको कह रखा है, भई, पैसे चाहिए तो एग्रीमेंट कर ले। अगर पैसे नहीं चाहिए तो इलाज तो करना पड़ेगा, इलाज वो कर रहे हैं।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं पूरी सदन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकिण्ड, बाजपेयी जी का एक रह गया है इसी विषय पर बस, फिर उसके बाद करिये आप।

श्री अनिल बाजपेयीः सर, मैं माननीय मंत्री जी... मेरी गांधीनगर विधान सभा में जिसके बाद ये स्कीम लागू की गई थी कि मेरे यहाँ एक नौजवान था, वो चार लोगों को बचाने गया था उसकी डेथ हो गई थी। आप भी गये थे, माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे। तभी माननीय मंख्यमंत्री जी से इस बात पर आपसे चर्चा हुई थी। उसमें एक उस दिन दो इंसीडेंट मेरे यहाँ हुए थे; एक राजगढ में एक नौजवान था वो बचाने गया किसी को, करंट से उसको बचा लिया और खुद जब गया तो उसकी डेथ हो गई। उसको दो लाख रुपया दे दिया। एवॉर्ड उसको फादर को दे दिया गया लेकिन सर, जब उसको एवार्ड दिया जा रहा था जो मेन लड़का था, जिसने चार लोगों की जान बचाई थी...

माननीय अध्यक्षः भई बाजपेयी जी, क्वेश्चन तो कोई नहीं हुआ। ये तो भाषण हो रहा है।

श्री अनिल बाजपेयीः उन अधिकारियों को भी कहा था आपने।

माननीय अध्यक्षः यही दिक्कत है, समय खराब हो रहा है

श्री अनिल बाजपेयीः आज तक उनको सर, पैसा नहीं मिला और न ही उनके परिवार को कोई ब्रेवरी रिवार्ड दिया गया और न ही पैसे दिये गये। आप ने खुद मंत्री...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, मैं बिल्कुल एलाऊ नहीं कर रहा हूँ। मैं चैप्टर क्लोज कर चुका हूँ, बिल्कुल नहीं, प्लीज। मैं किसी को एलाउ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं सदन की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ऐसा पहली बार हुआ है कि जितने भी स्टार्ड क्वेश्चन्स हमारे साथियों ने लगाये थे और जो इस विधान सभा में उपस्थित थे, उन सभी के आज सवाल लगे और बड़े अच्छी तरीके से हमारे मंत्री ने उनके जवाब दिये। इसके लिए मैं आपको पूरी सदन की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

45. श्री रामचन्द्र : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में खोले जाने के लिए प्रस्तावित मौहल्ला क्लीनिकों की संख्या बताएं;

(ख) ये मौहल्ला क्लीनिक कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे;

(ग) इस समय कितने मौहल्ला क्लीनिक क्रियाशील है और इनकी वास्तविक संख्या बताइए;

(घ) पोर्टा केबिन मौहल्ला क्लीनिकों का निर्माण कब प्रारंभ होगा; और

(ङ) क्या बवाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पॉलीक्लीनिक भी निर्मित किया जा रहा है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) बवाना विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में प्रस्तावित मौहल्ला क्लीनिक निम्नलिखित हैं कुल संख्या 06 :–

1. कुतुबगढ़ चौपाल
2. बूद्धलनुी माजरा चौपाल
3. चाँदपुर चौपाल
4. झटकौर ग्राम
5. पंजाबखोर चौपाल
6. औचन्दी ग्राम

(ख) उपरोक्त सभी स्थान लोक निर्माण विभाग को मौहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए हस्तांतरित कर दिए गए है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार चार महीने में पोर्टा केबिन तैयार किए जायेंगे। उसके उपरान्त शुरू हो जायेंगे।

(ग) इस समय तीन मौहल्ला क्लीनिक निम्न स्थानों पर क्रियान्वित हैः–

1. राजीव नगर, बेगमपुर
2. सुल्तानपुर डबास गांव
3. ईश्वर कॉलोनी बवाना

(घ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोर्टा केबिन के निर्माण के लिए जगह हस्तांतरित कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा कर ली गई है, कार्ड अवार्ड कर लिया गया है तथा चार माह में मौहल्ला क्लीनिक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा; और

(ङ) जी नहीं।

54. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु क्या है;

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन के सभी आवेदकों का उनके नाम, पते सहित विवरण क्या है जिन्होंने 01.03.2017 के बाद आवेदन किया था और जिनके आवेदन किसी कारणवश अब तक लम्बित है;

(ग) दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए जिन आवेदकों ने आवेदन किया था परन्तु जिनके आवेदन कुछ कारणोंवश लम्बित हैं, उनके पते व फोन नं. सहित पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए; और

(घ) किसी व्यक्ति के दिल्ली में पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए रहने व 60 वर्ष से अधिक आयु का होने पर भी उसके पास दिल्ली में पाँच वर्ष से अधिक अवधि का आवासीय प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में वृद्धावस्था पेंशन जारी कराने के लिए कौन–कौन से वैकल्पिक दस्तावेज लगाए जा सकते हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक।

दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन करने के लिये कोई आयु सीमा नहीं है।

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 01.03.2017 के बाद कुल 2224 वृद्धजनों ने आवेदन किया जिनमें से कुल 142 आवेदन अब तक लंबित हैं।

पूर्ण विवरण सी.डी. में संलग्न है;

(ग) दिल्ली परिवार लाभ योजना के अंतर्गत मुंडका विधान सभा क्षेत्र के कुल लंबित 244 आवेदकों के पते फोन नं. सहित सूची सी.डी. में संलग्न है; और

(घ) आवेदक के दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए आवासीय प्रमाणपत्र के न होने की स्थिति में निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज लगाए जा सकते हैं–

1. जनप्रतिनिधि जैसे क्षेत्र का सांसद, क्षेत्र का विधायक के द्वारा प्रमाणित।
2. आवासीय कल्याण संघ का अध्यक्ष अथवा महासचिव के द्वारा प्रमाणित।
3. आवेदक के दो पड़ोसी उनके संपर्क विवरण सहित।
4. पंजीकृत महिला एस.एच.जी.एस./महिला मंडल की अध्यक्ष अथवा महासचिव अध्यक्ष अथवा महासचिव द्वारा प्रमाणित।
5. आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक/क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता के द्वारा प्रमाणित।
6. केंद्र/दिल्ली सरकार का राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित।

56. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श नगर विधान सभा में एस.सी./एस.टी. फण्ड से चलाई जा रही विकास योजनाओं का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में एस.सी./एस.टी. फण्ड से प्रस्तावित कुछ कार्य लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) एस.सी./एस.टी. फण्ड से कौन–कौन से कार्य कराए जा सकते हैं और प्रत्येक कार्य पर कितनी राशि खर्च की जा सकती है, पूर्ण विवरण सहित सूची प्रदान करें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) वर्तमान में एस.सी./एस.टी. फण्ड से आर्दश नगर विधान सभा में कोई भी विकास योजना नहीं चलाई जा रही है;

(ख) जी हाँ;

(ग) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रस्ताव माननीय विधायक श्री पवन कुमार शर्मा से गाँव भडौला में वाल्मिकी चौपाल एवं एम. सी.डी. कॉलोनी में सामुदायिक भवन के निर्माण के संबंध में प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों को बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2017 में भेज कर यह अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावों को योजना के मापदण्डों के अनुसार जाँच कर विस्तृत अनुमान के मापदण्डों के अनुसार जाँच कर विस्तृत अनुमान विभाग को भेज दिए जाए। इस संदर्भ में बाढ़ एवं सिचांई विभाग एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम से विस्तृत प्रस्ताव वांछित है; और

(घ) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है। योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य पर खर्च की जाने वाली राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

अनुलग्नक 'क'

List of improvement works can be under taken under the scheme of "Improvement of SC/ST Basties".

1. Repair/ construction of common bathrooms and community latrines.
2. Repair/ relaying of side drains and pavements.
3. Kharanja/ repair of kucha roads (brick edge soling).
4. C.C. flooring of approach roads of kharanjas.
5. Repair / construction of community centre/ chaupal.
6. Construction of Multiservice facilitation centers to be operated in collaboration with different Govt. /Private Agencies.
7. Development of Parks and providing benches in public parks.
8. Development of Sports complex,
9. Installation of street lights including high mast lights for safety and security of people living in the SC/ST Basties,
10. Installation of CCTV Cameras for security of SC/ST persons,
11. Laying water and sewer lines and construction of main drains,

12. Construction of gymnasium,
13. Construction of library,
14. Construction of dispensary,
15. Setting up of Schools including residential schools,
16. Construction/ Renovation/ Alteration of Ambedkar Bhawan auditorium
17. Construction of reservoir,
18. Overhead water tank for DJB water,
19. Setting up of vocational schools,
20. Construction of commercial shed for providing tea stall, cobbler shop, tailor shop, other petty economic activities under the scheme.
21. Construction of sub-ways wherever found technically feasible.
22. Hostel for working women and school girls.
23. Construction of culverts, foot-bridges/bridges.
24. Crematoriums or development of burial grounds.
25. Construction of tube wells and water tanks for providing drinking water to the people or execution of other works which may help in this respect.
26. Provision of common services/ community services including maintenance of group toilets, courtyard, common path and similar other services in privately owned katras subject to the stipulations

that no ceiling on individual works or on total quantum or works per MLA will be imposed.

27. Bus Stop and Bus 'Q' Shelter.

28. Garbage Collection Centre like one's in NDMC Area.

29. Solar Traffic Lights.

30. The development / Strengthening of common areas/common facilities/common passages / balconies /Courtyards/ Common stairs/toilet blocks and various facilities in the slum complexes developed by Slum & JJ Department and other such residential complexes allowed under the scheme.

31. Provision of PVC Over head tanks for portable water storage in JJ Clusters and unauthorized colonies.

32. The above is not exhaustive but merely an illustrative list of activities for which funds may be released under the scheme. It will be open to the Department to release funds for any other purpose connecting with the needs of the local SC residents; Decision in this regard will be taken with the prior approval of Minister in Charge after taking into consideration percentage of SC population in the particular locality.

Projects, based on the recommendations of the area MLA, may be executed by any of the executing agencies of the Government, after getting NOC from agency concerned, wherever required, in consultation with / concurrence of the Administrative Department concerned.

57. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल सेवा' को 'फ्री एम्बूलेंस सेवा' का नाम दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सेवा को एम्बूलेंस सेवा कहना भ्रामक नहीं होगा क्योंकि एम्बूलेंस का अर्थ बीमार अथवा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने वाली गाड़ी कहा जाता है;

(ग) यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति में रोगियों की जान बचाने में सक्षम है;

(घ) क्या यह सेवा अवकाश के दिन अथवा कार्यदिवस के बाद भी उपलब्ध होती है; और

(ङ) इनके चालक एम्बूलेंस तथा अस्पताल से किस प्रकार संपर्क रखेंगे?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल सेवा' (एफ. आर.वी.) को सामान्यतः बाइक एम्बूलेंस कहा जाता है तथा यह सेवा जन साधारण के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

(ख) 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल सेवा' (बाइक एम्बूलेंस) स्थायी एम्बूलेंस की पूरक है। 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल सेवा' (बाईक एम्बूलेंस) भीड़भाड़ एंव झुग्गी–झोपड़ी वाले इलाकों में स्थाई एम्बूलेंस के साथ आपातकालीन स्थिति में रोगियों की जान बचाने के लिए भेजी जाती है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल (बाईक एम्बूलेंस) आम एम्बूलेंस से पहले पहुँच कर रोगी/बीमार व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करने का कार्य करती है;

(ग) फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल (बाइक एम्बूलेंस) प्रशिक्षित एम्बूलेंस कर्मी चिकित्सीय उपकरणों–ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बू बैग, स्कश पंप, बी.पी. उपकरण, आक्सीमीटर, ग्लुकोमीटर, बेसिक फर्स्टएड किट इत्यादि से लैस होती है। इस प्रकार से प्रशिक्षित एम्बूलेंस कर्मी अस्पताल पहुँचने से पहले बेसिक फर्स्ट एड जिसमें एयर वे मैनेजमेंट, सी.पी.आर. व रक्त स्राव को रोकना शामिल है के रोगियों की जान बचाने के काबिल होते हैं;

(घ) शुरूआत में फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल (बाइक एम्बूलेंस) प्रातः 07.00 बजे से रात 23.00 बजे तक वर्ष के 365 दिन उपलब्ध रहेगी; और

(ङ) कंट्रोल रूम व एम्बूलेंस अस्पताल से संपर्क के लिए यह फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल (बाइक एम्बूलेंस) मोबाइल डाटा टर्मिनल/एम.डी.टी., जी.पी.एस./ए.वी.एल.एस. उपकरणों से लैस है।

58. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के सिख कत्लेआम के कितने आरोपी सजा काट रहे हैं;

(ख) 1984 के सिख कत्लेआम के कितने आरोपियों को पैरोल पर रिहा किया गया है; और

(ग) इस घटना में संलिप्त कितने आरोपी पांच या सात साल की सजा काट रहे हैं?

माननीय गृह मंत्री : (क) वर्तमान में दिल्ली कारागार में 1984 के सिख कत्लेआम के कुल 52 आरोपी सजा काट रहे हैं।

जेल संख्या	कुल कैदियों की सं.
1	01
2	02
3	04
4	00
5	00
6	00
7	00
8/9	02
10	00
11	00
12	01
13	00
14	42
15	00
16	00
कुल	52

(ख) वर्तमान में दिल्ली कारागार में 1984 के सिख कत्लेआम के कुल 05 आरोपी पैरोल पर जाते हैं।

जेल संख्या	कुल कैदियों की सं.
2	01
3	03
12	01
कुल	05

(ग) इस घटना में संलिप्त 39 आरोपी पाँच साल की सजा काट रहे हैं।

जेल संख्या	कुल कैदियों की सं.
14	39
कुल	39

जेल संख्या	सजा की अवधि 5 वर्ष	सजा की अवधि 10 वर्ष	सजा की अवधि उम्र कैद	सजा की अवधि मृत्यु दंड?	कुल कैदी
1	2	3	4	5	6
1	00	00	00	01	01
2	00	00	02	00	02

1	2	3	4	5	6
3	00	01	03	00	04
4	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00
8/9	00	00	02	00	02
10	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00
14	39	02	01	00	42
15	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00
कुल	39	03	09	01	52

59. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पका–पकाया/गर्म खाना पैक करने और परोसने के लिए कौन–कौन सी किस्म के प्लास्टिक/पेट्रोकेमिकल आधारित पात्र अनुमत्य है;

(ख) गैर अनुमोदित प्लास्टिक/पेट्रोकेमिकल से बने पात्रों का प्रयोग करने वाले और इनमें पका–पकाया/गर्म खाना पैक करने और परोसने वाले अपराधियों पर अभियोग चलाने और दण्ड देने संबंधी कौन–कौन से प्रावधान है;

(ग) क्या दिल्ली में थर्मोकोल/पॉलिस्टीरीन पदार्थ से संबंधित सामग्री से निर्मित पात्र पका–पकाया/गर्म खाना पैक करने और परोसने के लिए अनुमत है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे अपराध करने वाले संगठनों/विक्रेताओं को दिए जाने वाले दण्ड का विवरण क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ङ) ऐसे अपराध करने वाले संगठनों और विक्रेताओं को दिए जाने वाले दण्ड का विवरण क्या है; और

(च) दिल्ली में वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान थर्मोकोल/पॉलीस्टीरीन वर्ग की सामग्री इस्तेमाल करने वाले जिन संगठनों पर अभियोग चलाकर जिन्हें दण्डित किया गया, उन पर लगाई गई पैनल्टी सहित उनका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेंजिंग) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है, जोकि 1 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगा। विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए अनुमत प्लास्टिक सामग्री की सूची 'क' संलग्न है;

(ख) गैर अनुमोदित प्लास्टिक/पेट्रोकेमिकल से बने पात्रों का प्रयोग करने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में सजा का प्रावधान है। और, यदि उसमें पैक/परोसा हुआ खाना असुरक्षित पाया

जाता है, तो खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 में सजा का प्रावधान है;

(ग) खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग एवं लेवेलिंग) विनियम 2011 की धारा 2.1.1 (2) के अनुसार पॉलिस्टिरिन (आई.एस.: 10142) अनुमत है; (संलग्नक–'ख')

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता; और

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

अनुसूची–III

प्लास्टिक सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं

क्र.सं.	मानकों की सूची
1.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पॉलीथीन के लिए विनिर्देश–आई. एम. 10146
2.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पॉलीस्र्टेन के लिए विनिर्देश–आई. एस.–10142
3.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीविनाईल क्लोराईड (पी.वी.सी.) और उसके सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश–आई.एस. 10151

क्र.सं.	मानकों की सूची
4.	खाद्य पदार्थों, दवाइयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीप्रोपीलेन और उसके महपॉलिमरों के लिए विनिर्देश—आई.एस. 10910
5.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली लोनोमर रेजिन्स के लिए विनिर्देश—आई.एम. 11434
6.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली ऐथीलेन एक्रिलिक एसिड (ई.ए.ए.) महपॉलिमरों के लिए विनिर्देश—आई.एस. 11704
7.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीएल्केलेन टेरीपेथलेट्स (पी.ई.टी. एवं पी.बी.टी.) के लिए विनिर्देश—आई.एस. 12252
8.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली नायलोन 6 पोलीमर के लिए विनिर्देश—आई.एस. 12247
9.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली इथाइलीन विनाईल एसीटेट (ई.वी.ए.) सहपोलीमिर्स के लिए विनिर्देश—आई.एस. 13601
10.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली एथीलीन मेथा ऐक्रेलिक एसिड (ई.एम.ए.ए.) के लिए विनिर्देश—आई.एस. 13576

क्र.सं.	मानकों की सूची
11.	खाद्य पदार्थों, दवाइयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीकार्बोनेट रेजिन्स के लिए विनिर्देश–आई.एस. 14971
12.	खाद्य तेल, घी और वनस्पति के पैकेजिंग के लिए लचीले पैकेजिंग सामग्री के लिए विनिर्देश 14636
13.	ढलाई और बाहर निकालने के लिए पॉलिएक्लीन टेरीफेथलेट्स (पी. ई.टी. और पी.बी.टी.) के लिए विनिर्देश–आई.एस. 13193
14.	पॉलीऐथीलीन फिल्म एवं शीटों के लिए विनिर्देश–आई.एस. 2508
15.	रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एल.एल.डी.पी.ई.) फिल्म्स के लिए विनिर्देश–आई.एस.–14500
16.	उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन सामग्री का ढलाई और बाहर निकालने के लिए विनिर्देश–आई.एस. 7328
17.	खाद्य पदार्थों, दवाइयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली मेलामाईन–फार्मलाडिहाइड रेजिन्स के लिए विनिर्देश–आई.एस. 14999
18.	कम घनत्व पॉलीथीन फिल्में – आई.एस. 2508 है.
19.	ब्लो मोल्ड पॉलीओलेफिन कंटेनर–भाग 2:5 लीटर से ऊपर तक और जिसमें 60 लीटर क्षमता भी शामिल है–आई.एम. 7408
20.	स्ट्रेच क्लिंग फिल्म्स–आई.एस. 14995 है।

संलग्नक–'ख'

(a) a number of retail packages, where such first mentioned package is intended for sale, distribution or delivery to an intermediary and is not intended for sale direct to a single consumer; or

(b) a commodity of food sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity of food to the consumer in smaller quantities.

CHAPTER-2

PACKAGING AND LABELLING

2.1: Packaging

2.1.1: General Requirements

1. A utensil or container made of the following materials or metals, when used in the preparation, packaging and storing of food shall be deemed to render it unfit for human consumption:—

(a) containers which are rusty;

(b) enameled containers which have become chipped and rusty;

(c) copper or brass containers which are not properly tinned

(d) containers made of aluminium not conforming in chemical composition to IS:20 specification for Cast Aluminium & Aluminium Alloy for utensils or IS:21 specification for Wrought Aluminium and Aluminium Alloy for utensils.

2. Containers made of plastic materials should conform to the following Indian Standards Specification, used as appliances or

receptacles for packing or storing whether partly or wholly, food articles namely:–

(i) IS: 10146 (Specification for Polyethylene in contact with foodstuffs);

(ii) IS: 10142 (Specification for Styrene Polymers in contact with foodstuff);

(iii) IS: 10151 (Specification for Polyvinyl Chloride (PVC), in contact with foodstuffs);

(iv) IS: 10910 (Specification for Polypropylene in contact with foodstuffs);

(v) IS: 11434 (Specification for Polymer Resins in contact with foodstuffs);

(vi) IS: 11704 Specification for Ethylene Acrylic Acid (EAA) copolymer;

(vii) IS: 12252 - Specification for Poly alkylene terephathalates (PET);

(viii) IS: 12247 - Specification for Nylon 6 Polymer;

(ix) IS: 13601 - Ethylene Vinyl Acetate (EVA);

(x) IS: 13576 - Ethylene Metha Acrylic Acid (EMAA);

(xi) Tin and plastic containers once used, shall not be re-used for packaging of edible oils and fats;

Provided that utensils or containers made of copper though not properly tinned, may be used for the preparation of sugar confectionery

or essential oils and mere use of such utensils or containers shall not be deemed to render sugar confectionery or essential oils unfit for human consumption.

3. General packaging requirements for Canned products,

(i) All containers shall be securely packed and sealed.

(ii) The exterior of the cans shall be free from major dents, rust, perforations and seam distortions.

(iii) Cans shall be free from leaks.

2.1.2: Product specific requirements

Version-II (22.01.2019) GURPREET SINGH
Administrative Officer

60. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेट्रो फेज–4 की स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन–कौन सी शर्तें लगाई गई हैं;

(ख) ये शर्तें किन नियमों के तहत लगाई गई हैं;

(ग) क्या ये शर्तें मेट्रो रेल्वेज (संशोधन) अधिनियम, 2009 तथा मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है;

(घ) सरकार को प्रति वर्ष कितने ऑपरेशनल घाटे का अनुमान है; और

(ङ) क्या दिल्ली मेट्रो को कहीं और भी ऑपरेशनल घाटा हुआ है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिनांक 19/12/2018 के कैबिनेट निर्णय संख्या 2666 के द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा मेट्रो फेज–IV को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गईः–

1. इस परियोजना के पूर्व अनुमोदन को संशोधित कर परियोजना लागत 46,845 करोड़ रुपये के साथ लागू किया जाएगा। इस परियोजनाएं में दिल्ली सरकार की 9707.50 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी होगी।

2. इस परियोजना में परिचालन हानि (Operational Loses), यदि कोई हो, तो दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में साझा तौर पर वहन किया जाएगा।

3. दिल्ली सरकार, जे.आई.ई.सी.ए. (Japan Internationalj Coorperation Agency) ऋण की अदायगी के संबंध में कोई दायित्व वहन नहीं करेगा, जिसमें ऋण की अदायगी, ब्याज या जे.आई.ई.सी.ए. ऋण से उत्पन्न कोई अन्य देयता शामिल है।

(ख) ये शर्तें विभिन्न वित्तीय तथा अन्य पहलुओं, डी.एम.आर.सी. में भारत सरकार और दिल्ली सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी, दिल्ली मेट्रो की पूर्व परियोजनाओं की स्वीकृति की शर्तों इत्यादि को ध्यान में रखकर लगाई गई हैं;

(ग) दिल्ली सरकार के दिनांक 19/12/2018 के कैबिनेट निर्णय संख्या 2666 द्वारा मेट्रो फेज–IV स्वीकृति के संदर्भ में डी.एम.आर.सी. या आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन शर्तों का मेट्रो रेल्वेज (संशोधन) अधिनियम, 2009 तथा मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अनुसार न होने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व डी.एम.आर.सी. के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार इस तरह के किसी भी घाटे को परिकल्पित नहीं किया गया है; और

(ङ) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

142. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंबेडकर नगर निर्माणाधीन हॉस्पिटल में काम करने वाले लेबर को मिनिमम वेजेज, पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की सुविधा दिए जाने का पिछले पांच साल का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) हॉस्पिटल में डॉक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति कब से की जाएगी; और इसके लिए नियुक्ति किए जाने का कार्य किस–किस एजेंसी को दिया गया है; का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) हॉस्पिटल को अब तक कितनी पेमेंट की जा चुकी है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) एन.बी.सी.सी. द्वारा प्राप्त उत्तर जो कि अस्पताल परियोजना के निर्माण के लिए एक कार्यकारी एजेंसी है, उपलब्ध जानकारी संलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न* की जा रही है।

(ख) यद्यपि अंबेडकर नगर अस्पताल परियोजना को निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल क तहत शुरू करने का विचार है, फिर भी सरकारी मोड के तहत भी, उक्त अस्पताल के संबंध में पद सृजन की एक फाइल प्रक्रियारत है; और

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) DSHM+DGHS द्वारा क्रेडिट राशि (ब्याज और रॉक सेलिंग) को छोड़कर अब तक जारी की गई कुल राशि रु. 1,74,5877,314/– (एक अरब चोहत्तर करोड़ अटठावन लाख सत्तर हजार तीन सौ चौदह रुपये) है।

143. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन हॉस्पिटल कब तक तैयार हो जाएगा;

(ख) इस अस्पताल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कब और किस एजेंसी द्वारा की गई, उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में कौन कौन सा सामान, किस कम्पनी का लगाया गया है, उसके एम.एस.ए की कॉपी सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) इसका काम किस–किस एजेंसी को सब–कॉन्ट्रेक्ट किया गया, उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य फरवरी 2019 के अंत में पूरा किया जाना है; और

(ख) से (घ) एन.बी.सी.सी. द्वारा प्राप्त उत्तर जो कि अस्पताल परियोजना के निर्माण के लिए एक कार्यकारी एजेंसी है, संलग्न किया जा रहा है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

144. श्री नितिन त्यागी : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : यमुनापार क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कितने अस्पताल कहाँ–कहाँ पर हैं?

दिल्ली सरकार के अन्तर्गत यमुना पार स्थित अस्पतालों की सूची निम्नवत है–

दिल्ली सरकार के अंतर्गत अस्पतालों की सूची

क्रम सं.	अस्पताल का नाम	पता
1.	डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान	कडकडडूमा, दिल्ली–110032
2.	गुरु तेगबहादुर अस्पताल	दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095
3.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	खिचड़ीपुर, दिल्ली–110091
4.	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	शास्त्री पार्क, दिल्ली–110053

सोसायटी अस्पतालों की सूची

क्रम सं.	अस्पताल का नाम	पता
1	2	3
1.	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	पुस्ता रोड, गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031

1	2	3
2.	दिल्ली स्टेट कैंसर अनुसंधान	दिलशाद गार्डन कॉम्पलेक्स, दिल्ली–110095
3.	इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन विहेवियर, एण्ड एलाइड साइंस (I.H.B.A.S.)	दिलशाद गार्डन कॉम्पलेक्स, दिल्ली–110095
4.	राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल	ताहिरपुर, नई दिल्ली–110093

145. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का फ्री इलाज न किए जाने के क्या कारण है;

(ख) इस अस्पताल में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी को फ्री इलाज मिलना कब से शुरू होगा;

(ग) इस अस्पताल में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का फ्री इलाज शुरू करने की सरकार की क्या योजना है;

(घ) इस अस्पताल में कितने ऑपरेशन थ्रियेटर बन रहे हैं और किस कम्पनी के द्वारा;

(ङ) इन ऑपरेशन थ्रियेटर्स का कितना बजट है; शेड्सूल वर्क ऑर्डर के साथ पूरा ब्यौरा क्या है;

(च) इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी सुविधा कब से शुरू की जाएगी;

(छ) दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल जनकपुरी में बने जनरल वार्ड और आई.सी.यू. को जनता के लिए कब से शुरू किया जाएगा;

(ज) दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में कौन–कौन सी सुविधा एवं मशीनें कार्यरत हैं;

(झ) कौन–कौन से मशीनों का टेंडर हो गया है; और

(ञ) इस अस्पताल में डॉक्टरों और मशीनें कब तक आ जाएंगी?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) इस अस्पताल में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का फ्री इलाज किया जाता है;

(ख) इस अस्पताल में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी को फ्री इलाज की सेवाएं पहले से ही दी जा रही है;

(ग) उपरोक्तानुसार;

(घ) इस अस्पताल में 07 मोंडयूलर ऑपरेशन थ्रियेटर, प्री–ऑपरेशन और रिकवरी रूम ऑपरेशन थ्रियेटरों के साथ बन रहे है, जो कि खुली निविदाओं के द्वार मैसर्ज मेडिकल प्रोडक्ट सर्विस कम्पनी को मिला है;

(ङ) इन ऑपरेश थ्रियेटर्स का कुल बजट–112 करोड़ है (वर्ष–2017–18) कार्य प्रगति पर है;

(च) संकाय (Faculty) पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इस अस्पताल में इमरजेंसी की सुविधा आरंभ हो जायेगी;

(छ) दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान (पश्चिम शाखा) के लिए चिकित्सा एवं अन्य स्टॉफ के पदों की स्वीकृति जिस के अनुमोदन के पश्चात् अंतःरोगी विभाग एव अन्य सुविधाओं को शुरू करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी;

(ज) वर्तमान में दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान (पश्चिम शाखा) में बाह्य रोगी विभाग, कीमोथेरेपी, रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे की सुविधाएं एवं सम्बन्धित मशीनें उपलब्ध है;

(झ) संस्थान द्वारा केवल रेडियोथैरेपी उपचार सम्बन्धित मशीनों का टेंडर विचाराधीन है; और

(ञ) उपरोक्त 'छ' के अनुसार।

146. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक बनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मौहल्ला क्लीनिक के रखरखाव के लिए कोई बजट आबंटित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वित्त वर्ष में कुल मोहल्ला क्लीनिक के रख–रखाव के लिए कुल आबंटित बजट व प्रत्येक मद में खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो टूट–फूट या चोरी होने पर क्लीनिक के रख–रखाव की क्या व्यवस्था है;

(ङ) वर्तमान में पूरी दिल्ली में विधान सभा क्षेत्रानुसार चल रहे मोहल्ला क्लीनिकस की संख्या व निर्माणाधीन मोहल्ला क्लीनिक्स का विवरण क्या है;

(च) प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक के लिए कुल कितना स्टाफ निर्धारित है;

(छ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी मोहल्ला क्लीनिक में कुल कितना स्टाफ कम है;

(ज) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र कि सैक्टर–16, 17 एवं रिठाला के मोहल्ला क्लीनिक के बचाव हेतु नाले पर दीवार बनाने का कार्य प्रस्तावित है; और

(झ) यह कार्य कब से लंबित है और उसके क्या कारण है?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां;

(ख) मौहल्ला क्लीनिक के रख–रखाव हेतु बजट लोक निर्माण विभाग अपने Routine Work से खर्च करता है;

(ग) पिछले वर्ष स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग बजट नहीं रखा गया था;

(घ) इस वित्त वर्ष 2018–19 के Grant in Aid में मोहल्ला क्लीनिक बजट से रखरखाव हेतु रुपये 50,000/– प्रति मौहल्ला क्लीनिक सालाना रखा गया है;

(ङ)

1. वर्तमान में पूरी दिल्ली में विधान सभा क्षेत्रानुसार 189 मौहल्ला क्लीनिक्स चल रहे हैं (सूची संलग्नक–क)।
2. प्रस्तावित 250 मौहल्ला क्लीनिक के लिए स्थान, निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है (संलग्नक–ख)।
3. इन मौहल्ला क्लीनिकों के निर्माण कार्य संबंधी विवरण हेतु लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(च) प्रत्येक मौहल्ला क्लीनिक के लिए चार पदों का स्टॉफ निर्धारित हैः–

1. डॉक्टर–01
2. फार्मान्स्टि–01
3. मौहल्ला क्लीनिक असिस्टेंट–01
4. मल्टी टॉस्क वर्कर–01

(छ) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में सात मौहल्ला क्लीनिक है। इन मौहल्ला क्लीनिक्स के चलने में कोई बाधा नहीं है;

(ज) जी हां; और

(झ) 16.04.2018 से लम्बित है। इस कार्य से सम्बंधित फाइल पर रुपये 9,91,000/– की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को 05.10.2018 को दे दी गई थी उसके उपरांत रुपये 16,74,500/– का आंकलन Revised करके लोक निर्माण विभाग द्वारा भेज दिया गया जिसकी स्वीकृति के लिए फाइल प्रक्रियारत है।

147. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में वर्ष में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में डेंगू के मामलों का पूर्ण विवरण;

(ख) दिल्ली क्षेत्र में डेंगू रोकथाम के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली क्षेत्र में डेंगू रोकथाम के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण;

(घ) दिल्ली के अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण क्या है; और

(ङ) स्वीकृत और उपलब्ध कर्मचारियों के बीच अंतर को भरने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) से (ग) इस महानिदेशालय की IDSP and NVBDCP शाखा से प्राप्त जानकारी संलग्न है (संलग्नक–'क')

(घ) यह ''सर्विसेज'' का मामला है, वर्तमान में यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य निदेशाालय से प्राप्त सूचना संलग्नक ''ख'' में उपलब्ध है। इनका स्वीकृति आदेश पत्रों (Post Creation Orders) से मिलान प्रक्रिया जारी है; और

(ङ) जैसे समय–समय पर पद रिक्त होते हैं तो DSSSB/UPSC को मांग पत्र (Requisition) भेज दिया जाता है। इस सम्बन्ध में DSSSB/UPSC द्वारा अभी विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि संलग्नक ''ग'' में उपलब्ध है।

148. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जिन वार्डों में मोहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए दिल्ली सरकार की योजनानुसार सरकारी जमीन नहीं है, क्या वहाँ किराये पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ तो कब तक इसे लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो मोहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए दूसरे किस विकल्प पर सरकार विचार कर रही है; पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हाँ, यह सत्य है कि जन वार्डों में मौहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली सरकार की योजना अनुसार सरकारी जमीन नहीं है। यहाँ किराये पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) लगभग 4–6 महीने के भीतर इसे लागू किया जायेगा; और

(ग) लागू नहीं।

149. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित चल रही योजनाओं का विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं पालम विधान सभा में लागू है;

(ग) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा;

(घ) क्या कोई गर–सरकारी संस्था भी इस योजना में शामिल हो सकती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके प्रावधानों का विस्तृत विवरण क्या है;

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क)

- ➢ जननी सुरक्षा योजना (JSY)– संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए NRHM के तहत एक केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित

योजना इस योजना के तहत शहरी में SC/ST/BPL श्रेणी से संबंधित गर्भवती महिलाओं को 600/– या 700/– का प्रोत्साहन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र को क्रमशः रु 500/– के प्रोत्साहन के रूप में, बी.पी.एल. महिलाओं को होम डिलीवरी के मामले में भी भुगतान किया जाता है। भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोटल के माध्यम से डायरेक्ट बेने पाउंड टी ट्रांसफर स्कीम (डी.बी.टी.) मोड द्वारा किया जाता है।

- स्पेशलाइज्ड न्यूबोर्ड केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.)– 16 सार्वजनिक अस्पतालों में स्थापित किया गया है जो उन शिशुओं की गहन देखभाल और पुनर्जीर्ववन प्रदान करते हैं जो बीमार और छोटे नवजात शिशु की देखभाल करते है और 5 नए एस.एन.सी.यू. पाइपलाइन के अधीन है और अभी तक इसे कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका है।
- राज्य में लेबर रूम और ओटी के भीतर सभी 16 डिलीवरी पॉईट्स पर न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर (NBCC) आवश्यक है और सभी डिलीवरी पॉईट्स पर न्यू बोर्न केयर सुनिश्चित करते हैं।
- पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC)–गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (SAM) की देखभाल के लिए 08 अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण NRCs 5 वर्ष से कम उम्र के (SAM) बच्चों को चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल प्रदान करने वाली सुविधा आधारित इकाइयाँ है जिन्हें चिकित्सा जटिलता है। साथ ही बच्चों की देखभाल और दूध पिलाने की प्रथाओं में माँ के कौशल में सुधार किया जाता है ताकि बच्चे को घर पर देखभाल प्राप्त हो।

- कंगारू मदर केयर (KMC)-दिल्ली में LBW शिशुओं (21 प्रतिशत) और प्री–टर्म शिशुओं (13.6 प्रतिशत) की उच्च घटनाओं को पता लगाने के लिए, कंगारू मदर केयर इकाइयां त्वचा के संपर्क में लाने और शुरूआती और अनन्य स्तन खिलाने के लिए बढ़ावा दे रही है 21 में (16 एस.एन.सी.यू. और 5 मेडिकल कॉलेज) और सभी वितरण बिंदुओं तक बढ़ाया तक बढ़ाया जाएगा।

- माता का संपूर्ण स्नेह कार्यक्रम (MAA) माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 29 नबंवर, 2016 को दिल्ली में (MAA) का शुभारंभ किया गया है। 'पहले घंटे' में स्तनपान संकेतक दिल्ली राज्य में 40 प्रतिशत से कम है, हालांकि संवैधानिक प्रसव 83 प्रतिशत है। MAA कार्यक्रम मुख्य रूप से स्तनपान संकेतकों में सुधार के लिए जागरूकता अभियाप पर केंद्रित होगा।

- शिशु यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेज (IYCF)-गंभीर तीव्र कुपोषण, कम से कम 5 मौतों में अंतर्निहित कारण से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य ने शिशु युवा बाल आहार प्रथाओं (IYCF) की रणनीति को लगभग प्रचारित करने की पहले की है। 25 दिल्ली सरकार अस्पतालों। प्रसूति घरों में शुरूआती दीक्षा के प्रचार के लिए (पहले घंटे के भीतर) विशेष रूप से स्तनपान, समय पर पूरक आहार और 2 साल तक लगातार स्तनपान कराना।

- चाइल्ड डेथ रिव्यू (सी.डी.आर.)– दिल्ली को U 5 मृत्यू दर 20 है (SRS-2015), यानी U 5 की 7400 मौतें। सी.डी.आर. को दिल्ली में हाल ही में बाल स्वास्थ्य वितरण तंत्र में अंतराल का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए लॉन्च किया गया है।

- गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े (IDCF)- पोस्ट नवजात मृत्यू दर और शिशु मृत्यू दर को कम करने के लिए, ए.आर.आई. और डायरिया संवेदीकरण प्रशिक्षण जिलों में हीथ केयर प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। राज्य में गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान (जुलाई–अगस्त, 15 दिनों के लिए) मनाया जा रहा है।

- टीकाकरण कार्यक्रम–परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा 0–6 वर्ष के टीकाकरण कार्यक्रम के भीतर सभी बच्चे को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम को पूरी दिल्ली में सभी एजेंसियों के 600 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- 'मिशन इन्द्रधनुष कवच' (MIK)- को 15 अप्रैल, 2015 से जून, 2018 तक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ दिल्ली राज्य भर में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में सुधार करने के लिए सभी गैर–प्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से चलाया गया है।

- साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक (WIFS) कार्यक्रम– उन साक्ष्यों के आधार पर, जो बताते हैं कि आयरन और फोलिक एसिड (IFA) की नियमित खपत एनीमिया की घटनाओं को संपादित करने के लिए प्रभावी है, जुलाई, 2013 में दिल्ली में शुरू किया गया था। WIFS कार्यक्रम लगभग 1200 सरकारी/सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा

रहा है। शिक्षा निदेशालय के साथ–साथ लगभग 10800 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्कूल/दिल्ली में महिला और बाल विकास जिसमें ''BLUE'' टैबलेट के Form में IFA पूरक है, को पूरे वर्ष प्रत्येक बुधवार को किशोर लड़कियों और लड़कों को दिया जाता है।

- राष्ट्रीय डी–वार्मिंग डे (एन.डी.डी.)–एनिमिया की रोकथाम और नियंत्रण रणनीति के एक भाग के रूप में, एन.डी.डी. का द्वि–वार्षिक दौर दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्कूल/स्कूल ओर स्कूली बच्चों और किशोरों दोनों के लिए प्रशासित किया जाता है (3–19 वर्ष दिल्ली भर में)।

- पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम, लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या के गैरकानूनी व्यवहार को खत्म करने और जनप्रतिनिधि और नागरिक समाज की सामूहिक चिंता पर बल देता है। यह निदेशालय जिला उपयुक्त अधिकारियों (पी.एन.डी.टी.) के साथ समन्वय में विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों को बालिका के महत्व के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए करते हैं।

- विश्व जनसंख्या दिवस (WPD)-एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो चाहता है वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

(ख) जी हाँ;

(ग) उपरोक्त ''क'' के अनुसार;

(घ) जी हाँ;

(ङ) विवरण संलग्नक ''ख'' में उपलब्ध है।

अनुलग्नक "ख"

Inspection Report

(For overall assessment of the functioning of the NGO)

District: Date of Visit:

Name of NGO:-

Address:-

Logistics Supplied for - **Immunization Services**

1. Free of Cost Board
2. Staffs Found
3. Immunization Room
4. Cold Chain Equipment
5. BMW Management
6. AEFI Management
7. Monthly Reporting

Report Submitied by :-

DPO (NRHM) DPO (RCH)

150. **श्री अजेश यादव** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादली विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने मोहल्ला क्लीनिक बनाये गए है;

(ख) इस क्षेत्र में अब तक कितने पौली क्लीनिक बनाये गये हैं;

(ग) इस क्षसेत्र में कितने और मोहल्ला क्लीनिक व पौली क्लीनिक खोले जाने पर विचार हो रहा है;

(घ) इस क्षेत्र में किस किस स्थान पर ये क्लीनिक बनाये जाएंगे और कब तक; और

(ङ) अब तक इस क्षेत्र में कोई भी मोहल्ला क्लीनिक या पौली क्लीनिक न बनाये जाने के क्या कारण हैं?;

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) बादली विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक मौहल्ला क्लीनिक भलस्वा डेरी में कार्यरत है;

(ख) बादली विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी पॉलीक्लीनिक नहीं चल रहा है;

(ग)

1. बादली विधानसभा क्षेत्र में कोई भी मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है परन्तु किराए पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए विज्ञापन देने की प्रक्रिया की जा रही है।

2. बादली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार औषधालय बी–ब्लॉक जहांगीरपुरी नजदीक बाबू जगजीवन राम स्मारक नजदीक उन्नत (upgrade) करके पॉलीक्लीनिक में परिवर्तित किया जायेगा।

(घ) बादली विधानसभा क्षेत्र में एक मौहल्ला क्लीनिक भलस्वा डेरी में कार्यरत है तथा अभी किराए पर मौहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए विज्ञापन देने की प्रक्रिया की जा रही है।

दिल्ली सरकार औषधालय जहांगीरपुरी बी–ब्लॉक को उन्नत कर पॉलीक्लीनिक में परिवर्तित किया जायेगा। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार को ढांचागत विकास के लिए दिनांक 23.08.2018 स्वीकृति आदेश प्रदान कर दिया गया है और उसे ध्वस्त कर नए भवन के निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए विभागीय कार्यवाही की जारी है। अतः मौजूदा स्थिति में कोई भी समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती; और

(ङ) बादली विधानसभा क्षेत्र में पहले से एक मोहल्ला क्लीनिक, भलस्वा डेरी में कार्यरत है तथा किराए पर मौहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए विज्ञापन देने की प्रक्रिया की जा रही है।

बादली क्लीनिक के लिए भूमि और भवन का चयन/उपलब्धता न होने के कारण अभी तक कोई भी पॉली क्लीनिक नहीं बनाया जा सका है।

151. **श्री विशेष रवि** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय मंत्री जी के कार्यालय में दिनांक 22.01.2019 की बैठक में तिब्बिया कॉलेज, अजमल खां रोड पर Dialysis Centre शुरू करने का निर्णय हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यह Dialysis Centre कब तक शुरू हो जायेगा;

(घ) इस अस्पताल में कितनी श्रेणी में दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए;

(ङ) वर्तमान में यहाँ 12.02.2019 तक कितने प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं उनके नाम बतायें;

(च) तिब्बिया कॉलेज और हॉस्पिटल में अंदर आयुर्वेदिक और यूनानी मिलाकर कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं; और

(छ) वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 में दिनाँक 03, 04 तथा 05 फरवरी को विभागानुसार ओ.पी.डी. मरीजों की संख्या बताएं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां;

(ख) प्रोग्रामी ऑफिसर डॉक्टर शालिनी द्वारा तिब्बिया हॉस्पिटल का दिनांक 29.01.2019 को निरीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट अपेक्षित है;

(ग) प्रक्रिया जारी है;

(घ) आयूष निदेशालय के औषध सूची अनुसार आयुर्वेद में 108 तथा युनानी में 104 दवाइयां होनी चाहिए;

(ङ) सूची संलग्नक क में प्रस्तुत है;

(च) तिब्बिया कॉलेज और हॉस्पिटल के अन्दर आयुर्वेदिक और यूनानी मिलाकर कुल 28 विभाग है तथा आयुर्वेदिक और यूनानी हॉस्पिटल में 16 विभाग हैं; और

(छ) सूची संलग्नक ख में प्रस्तुत है।

A & U Tibbia College Hospital

List of Medicine Ayurvedic Dispensary

Sl. No.	Name of Medicine	Packing
	Asava & Arishta & Syrup	
01	Ashoka Rishta	200 ml
02	Kanka Sava	200 ml
03	Kutja Rishta	200 ml
04	M. Sugar Care Cap	40 cap
05	M.B.P. Care CAP	40 cap

A&U Tibbia College Hospital

List of Medicine Unani Dispensary

Dated:12/02/2019

Sl. No.	Name of Medicine
1.	H. Mastagi
2.	H. Suranjan
3.	H. Rasut
4.	H-Bukhar
5.	H- Azaragi
6.	H- Mugil
7	Q Kafoor
8	Bandiul Buzoor

Sl. No.	Name of Medicine
9	R. Turh
10	Kusta Hajrul Yahood
11	Sunoon Mukhari Rutubat
12	Safoof Bars
13.	Sh. Anjabar
14.	Sh. Khaksi
15.	Sh. Sadar
16.	M. kundur
17.	M Rahul mominin
18	M Ispand sokhtani
19	M. Suranjan
20	Q Zlabitus

Scheduled drugs and other material available in Department of Panchkarma

Sl. No.	Name of Medicine
1	Dashmool kwath yavakuta
2	Rasna saptaka (yavakuta)
3	Bala moola churna
4	Saathi rice
5	Flour of black gram

Sl. No.	Name of Medicine
6	Tila taila
7	Madanphala pipp.ali powdered
8	Saindava Powdered
9	Neem leaves(yavakuta)
10	Patola leaves(yavakuta)
11	Vasa leaves(yavakuta)
12	Kantakaari(yavakuta)
13	Giloya (yavakuta)
14	Eranda moola (yavakuta)
15	Punarnava (yavakuta)
16	Palash (yavakuta)
17	Gokshru (yavakuta)
18	Shaali parni(yavakuta)
19	Prashniparni(yavakula)
20	Jau (Barley) yavakuta
21	Harad(yavakuta)
22	Baheda (yavakuta)
23	Aamla (yavakuta)

Sl. No.	Name of Medicine
24	Brahati (yavakuta)
25	Ashwagandha(yavakuta)
26	Atibala(yavakuta)
27	Balamoola (yavakuta)
28	Devadaaru(yavakuta)
29	Aaragvadha phali (yavakuta)
30	Madanphala(yavakuta)
31	Bhunimba (yavakuta)
32	Rasna(yavakuta)
33	Saptachada (yavakuta)
34	Shatavari (yavakuta)
35	Pili sarson (Yellow mustard)
36	Pippali churna
37	Madhuyasti churna
38	Saunf Churna
39	Ajwain churna
40	Madan phala (yavakuta)
41	Vacha churna
42	Nagarmotha churna

Sl. No.	Name of Medicine
43	Bilva majja churna
44	Haridra churna
45	Amaltas pulp
46	Nimbi taila
47	Cotton cloth (thick)
48	Dori
49	Vinegar
50	Go mutra ark
51	Honey

विभागानुसार ओ.पी.डी. मरीजों की संख्या 2018

Ayurvedic

	2018			2019		
	3 फरवरी	4 फरवरी	5 फरवरी	3 फरवरी	4 फरवरी	5 फरवरी
1	2	3	4	5	6	7
कायचिकित्सा	171	Sunday	161	Sunday	112	108
पंचकर्म	104		150		51	40
शल्य	167		181		113	84
शालाक्य	76		91		46	44

1	2	3	4	5	6	7
वार्धक्य	42		45		43	0
स्त्री प्रसूती	47		88		76	43
बालरोग	37		41		19	33
स्वास्थ्यरक्षण	0		83		43	53

Unani

	2018			2019		
	3 फरवरी	4 फरवरी	5 फरवरी	3 फरवरी	4 फरवरी	5 फरवरी
इलाज–बील–तदबीर	84	Sunday	113	Sunday	97	94
मौलीजात	235		269		251	215
अमराज जिदल	101		124		88	64
जरहात	33		124		125	64
अमराज–ए–ऐन–अनफ उजल वा हलक	40		67		36	29
अमराज–ए–अतफाल	43		39		30	22
इलमुक कवालत वा अमराज–ए–निसवान	53		76		84	76
समाज ए तिब्ब	41		Nil		Nil	53

152. **श्रीमती प्रमिला टोकस** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अभी तक किसी को इसका लाभ मिला है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारणों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के कारण इन योजनाओं के लाभ लाभान्वितों को मिलने में देरी हुई, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण क्या है;

(घ) क्या किशोर स्वास्थ्य योजना के तहत अभी किसी लाभार्थी को इसका लाभ मिला है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके कारणों का पूर्ण विवरण क्या है;

(च) क्या साप्ताहिक आयरन और विटामिन उपलब्ध कराने वाली योजना के तहत अभी तक किसी महिला को इसका लाभ मिला है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारणों का विस्तृत विवरण क्या है;

(ज) मानव संसाधन प्रबंधन योजना के तहत अभी तक कितने परिवारों को लाभ मिला या भविष्य में इस विषय पर सरकार की कोई और योजना है, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है; और

(झ) मातृ शिशु योजना के तहत अभी तक कितने परिवारों को लाभ मिला और भविष्य में इस योजना के तहत परिवारों को क्या–क्या लाभ मिल सकते हैं और प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जननी सुरक्षा योजना लाभान्वित महिलाओं की संख्या–

- 12409 (2017–18)
- 7098 (अप्रैल से दिसम्बर तक 2018–19)

जननी शिशु सुरक्षा योजना लाभान्वित महिलाओं और शिशुओं की संख्या

- जननीः 263953 (2017–18)
- जननीः 188091 (अप्रैल से दिसम्बर तक 2018–19)
- शिशुः 43344 (2017–18)
- शिशुः 33850 (अप्रैल से दिसम्बर तक 2018–19)

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) हाँ।

(ङ) लागू नहीं।

(च) हाँ।

(छ) लागू नहीं।

(ज) यह इस विभाग से सम्बंधित नहीं है।

(झ) परिवार कल्याण निदेशालय को 'मातृ शिशु योजना' नामक योजना के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है।

153. **श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के 'आयुष्मान भारत' योजना को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस योजनपा को लागू न करने से दिल्ली वासियों को क्या लाभ और हानियाँ हुई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की अपनी स्वास्थ्य बीमा प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार ने दिनांक 23.08.2018 को नेशनल हैल्थ एजेंसी (अब नेशनल हैल्थ अथॉरिटी) को आग्रह किया था कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में आम आदमी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना–आयुष्मान भारत के नाम से कार्यान्वयन किया जाए। डिप्टी सी.ई.ओ. नेशनल हैन्थ एजेंसी ने दिनांक 28.09.2018 को जवाब दिया कि यह एक राष्ट्रीय योजना है तथा इसमें पोर्टेबिलिटी का प्रावधान है इसलिए आयुष्मान भारत को उपसर्ग के तौर पर रखना अनिवार्य है। इस संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सकरार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हैल्थ एजेंसी/अथॉरिटी के बीच बैठक हो चुकी है तथा वार्तालाप जारी है;

(ख) इस योजना को लागू न करने से वासियों को कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएँ जैसे परामर्श, जांच (बायोकेमिस्ट्री, पैथेलॉजी, माइक्रोबायोजलॉजी एवं रेजियोलॉजी), सर्जरी, नर्सिंग, खाना दवाइयां व जांच आदि निःशुल्क देने का प्रावधान है, सञ्चथ ही कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए 53 चिन्हित निजी अस्पतालों में 10 प्रतिशत आई.पी.डी. तथा 25 प्रतिशत कुल ओ.पी.डी. पूर्ण रूप से निःशुल्क देने का पहले से ही प्रावधान है;

(ग) जी हाँ;

(घ) विस्तृत जानकारी अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

Annexure-A

Chronological Details

1.	A/A & BS received	23.03.2018 (copy enclosed)
2.	Consultant appointed	12.09.2018
3.	Tender Called.	28.12.2018 (copy enclosed)
4.	Tender received.	23.01.2019
5.	Financial bid opened.	02.02.2019

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT, 5TH LEVEL B-WING
DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

4(21)/ Bridge/2014-PWD-III/Estate 4204-4215 Dated 22/03/2018

To

The Engineer-in-Chief
Public Works Department,
GNCT of Delhi,
12th Floor, MSO Building
IP Estate, New Delhi-02
Sanction No. 33/2018

Sub.: Construction of Bridge on Najafgarh drain at Tri Nagar/Inderlok, Karampura and Rampura including road improvement, drainage, footpath etc.

Sir.

In reference to proposal of E-in-C, PWD vide UO No. E-in-C/ Dir(W)/PE/2018/1079 dated 13.02.2018 for the above subject project, I am directed to convey Administrative Approval & Expenditure Sanction of Expenditure Finance Committee (EFC), GNCED, approved and sanctioned in 4th meeting held on 15.03.2018 and communicated, vide Jt. Secretary Finance Department letter no. F.2(5)/2017-18/Fin./Infra/ 012458513/JsFina/660-668 dated 20.05.2018 for Rs. 85.90 crore (Eighty Five Crore ninety lakhs Only) for carrying out the work "Construction of Bridge on Najafgarh drain at Tri Nagar/Inderlok,

Karampura and Rampura including road improvement, drainage, footpath etc. for an estimated cost of Rs. 85.90/- crore (Eighty five Crore ninety lakhs Only) subject to the following terms and conditions:

1. The expenditure involved is debitable to the Major Head of Account-5054 'Roads and Bridges (Capital outlay Roads & Bridges, Distt and other roads & bridges) from within the sanctioned budget allotment subject to availability of fund. However, before incurring any expenditure, Engineer-in-Charge must ensure that all requisite codal formalities as per GFR-2017, CPWD work manual. Instruction of Finance Department, GNCTD, GOI and CVC guidelines have been observed.

2. A/A & E/S has been accorded purely-based on the estimated calculations submitted by the Engineering Division. However, the detailed requirement such as quantity, rates and its technical specification, feasibility, necessity etc. for each project shall be worked out by the Engineering Division at the stage of preparing detailed estimate/technical sanction by the Competent Authority.

3. Project shall be completed as per approved scope of work at the sanctioned cost within the stipulated period. No cost escalation will be considered in future.

4. The tender shall be invited as per the approved cost considered by the EFC.

5. Compliance of pre sanction/post-sanction guidelines/ requirement circulated as Annexure to Government order no. PA.DSF/Misc/2012-13/Exp.-4/538-45 dated 17.05.2012 during planning and execution period.

6. The contingencies should be restricted to original PE.

7. Financing the works shall be managed by the Engineer-in-Charge as per the provisions made in its budget for respective works.

8. The copy of the agreement shall be furnished to this office immediately after award of work.

9. The Engineer-in-Charge and/or construction agency must not chage the scope of works in any manner as indicated to the Prelimary Estimate without approval of the competent authority.

10. Engineer-in-Charge/construction agency may identify the porbable impediments in the execution of projects well in advance and may project contingent measures/plans as identified to deal with them, so as to ensure completion of the projects as per approved time schedule.

11. Work completion certificate and copy of the 3rd party Quality Control Certificate may be furnished to Engineer-in-Chief/Chief Engineer which in turn will apprise the Finance Deptt./PWD Secretariat of the completion of work as per prescribed standards and schedule.

12. The Construction Agency shall submit the final bill to Admn, Department, reporting utilization of funds, completion of project and settlement of advance/deposit money in the completion of the work/project.

13. It will be ensured that all the payments to contractors are made through electronic fund transfer only.

14. The concerned Engineers/contractor shall ensure that the quality of the work shall be as b per standard prescribed.

15. Chief Engineer will ensure that after A/A & E/S of PE the details - name of work, estimated cost, awarded cost, work completion cost, work start date, completion date, name of agency along with a copy of estimate must be uploaded on the website of the department. Further a small plaque be set up on work site, mentioning agency, date and cost of completion etc.

16. Tenders shall be invited by way of e-tendering and wide publicity may also be given as per GFR 2017/CPWD Work manual.

17. The provision made for each of the civil/ electrical work shall be utilised for the specific purpose only. Inter-change of provision shall not be reported to.

18. Engineer-in-Chief/Chief Engineer shall enter into comprehensive Contract with contractors incorporating the provision for maintenance as per the provisions in the

estimates. Performance guarantee in the shape of Security deposit shall be kept for maintenance period also.

19. Engineer-in-Chief/Chief Engineer shall submit quarterly monitoring report and annual performance report/ project completion report within 15 days of completions of the quarter/year/completion of the project as the case may be.

20. This issues with the prior approval of Finance Department, GNGTD vide UO No. 35/Accounts dated 21.02.2018 in the file CD No. 057292485 at page 47/N.

Yours faithfully

(VINEET KUMAR)
DEPUTY SECRETARY (PWD)

F. No. 4(21)/Bridge/2014/PWD-III/Estt/ 4204-4215 CD. No. 057292485 Dated: 23/03/2018

Copy to:

1. Secretary to Hon'ble Minister, PWD, 7th floor, A-Wing, Delhi Sectt, New Delhi.

2. OSD to Chief Secretary, Delhi, 5th Level, A-Wing, Delhi Sectt., New Delhi.

3. .... Secretary, Finance Department, GRCTD, 4th Floor, A-Wing, Delhi Secretariat, Delhi

4. ....

5. ....

6. Dy. Secretary, Finance (Budget) Department, GNCT of Delhi, 4th Level, A-wing Delhi Secretariat, New Delhi.

7. Chief Project Manager (Flyover-2&3), Opp. Indraprastha Park, Ring Road, Sarai Kale Khan, New Delhi.

8. Pay & Accounts Office, PAO No.12, MSO Building, IP Estate, New Delhi.

9. PPS to Pr. Secretary, PWD, 5th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, Delhi.

10. PA to Special Secretary, PWD, 5th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, Delhi.

11. Guard File

(VINEET KUMAR)

DEPUTY SECRETARY (PWD)

संलग्नक 'क'

ANNEXURE-A1

Routes passing through Wazirpur Vidhan Sabha Constituency of Clusters 13,14 (part), 16A, 16B

Sl. No.	Route No.	Cluster No.	From	To	Number of Cluster Buses	Via
1	2	3	4	5	6	7
1	153	14 (part)	Dr. Mukherjee Nagar via Ashok Vihar Crossing, VVazirpur Depot	Hastsal JJ Colony	8	1. Mukherji Nagar Bandh 2. Gtb Nagar 3. Model Town-li 4. Ashok Vihar Crossing 5. W.P.Depot-l 6. P.B. Terminal 7. Madi Pur JJ Colony 8. Peera Garni 9. Guru Harikishan Nagar 1. Nangloi Syed 11. Maj. Bhupinder Singh Nagar 12. C-Blk Vikas Puri 13. Lig Flats Hastsal 14. Hastsal JJ Colony

1	2	3	4	5	6	7
2	978	14 (part)	Azadpur via Ashok Vihar Crossing, VVazirpur Depot	Najafgarh	12	1. Azadpur Terminal. 2. Ashok Vihar Crossing 3. Wpd -1 4. Punjabi Bagh Terminal 5. Madipur JJ Colony 6. Peera Garhi 7. Jwalapuri 8. Nangloi 9.Nilthoii Crossing 10. Ranholla 11. Tilangpur Kotla 12. Baprolla 13. Dkd 14. Najafgarh
3	114B	16B	Katewra Village via Ashok Vihar Crossing, VVazirpur Depot	Azadpur	4	Azadpur, Ashok Vihar Crossing,VVazirpur Depot, JD Blk Pitampura, C Blk Saraswati Vihar, Mangolpur Khurd, Budh Vihar, Rama Vihar
4	174	16B	Kanjhawala via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Azadpur	8	1. Azadpur 2. Ashok Vihar Crossing 3. Wpd 4Jd Blk Pittampura 5. C-Blk Saraswati Vihar 6. Mangolpur School 7. Mangol Pur Khurd 8. Pooth Kalan 9. Begam Pur 10. Karala 11. Kanjawala.

5	102	16B	Rohini Sector 22 (Lakhi Ram Park) via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Old Delhi Railway Station	8	1. O.D. Rly. Stn. 2. Mori Gate /ISBT 3. Ice Factory 4. Clock Tower 5. RP Bagh 6. Bara Bagh 7. Ashok Vihar Crossing 8. W.P. Depot-I 9. Jd-Blk Pitam Pura 10. Rohini Sec 7, 8, 9, Crossing 11. Rohini Sec-VI Terminal 12. Nala (Gas Plant) 13. Sec-25 (Azad Chowk Main Rd) 14. Rohini Sec-23 15. Rohini Sec-20 JJ Colony 16. Rohini SC-22 (Lakhi Ram Park)
6	174stl	16B	Jaunti Border via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Azadpur	8	1. Azadpur 2. Ashok Vihar Crossing 3. WP Depot 4. JD Block Ppura 5. C Block Sarswati Vihar 6. Mangolpur School 7. Mangolpur Khurd 8. Pooth Kalan 9. Begumpur 10. Karala 11. Kanjhawla 12. Ladpur 13. Jyonti Village 14. Jyonti Border
7	141	16B	Rithala Village	Old Delhi Railway Station	11	1. Fatehpuri, 2. Mori Gate/ ISBT, 3. Ice Factory, 4. Partap

1	2	3	4	5	6	7
			via Wazirpur Depot			Nagar, 5. E Blk Shastri Nagar, 6. B-3 Keshav puram, 7. Wazirpur Depot, 8. KD Block Pitam pura, 9. Madhuban Chowk 10. Rohini Depot., 11.
8	988	16B	Qutubgarh via Wazirpur Depot	Palika Kendra	11	Palik Kendra, Kend Terminal, RML Hosp, Mandir Marg, Jhandewalan, GGS Marg, Sarai Rohilla, Zakhira, PB Terminal, Wazirpur (D), JD Block Pitampura, Rohini Sec-7 / 8 Crossing, Vidhya Vihar Marg, Pkt D-2/15 Rohini, Rohini Se-16, Shahbad Daulatpur, Shahbad Dairy, Perhladpur, Barwala, Pooth Khurd, Dhakewala, Bawana, Dariyapur, Bajitpur, Katewara, Qutab Garh
9	114	16B	Fateh Puri via Ashok Vihar Crossing,	Qutab Garh/ Q.G.Border	12	1. Fateh Puri 2. Mori Gate/ISBT 3. Ice Factory 4. Clock Tower 5. Maurice Nagar 6. Gtb Nagar

			Wazirpur Depot			7. Model Town-II 8. Ashok Vihar Crossing 9. W.P. Depot -110. Jd Blk Pitam Pura 11. C-Blk Saraswati Vihar 12.
10	197	16B	Rajapur, Prashant Vihar via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Old Delhi Railway Station	5	1. OLD.Rly Station 2. Mori Gate/ISBT 3. Ice Factory 4. Clock Tower 5. Maurice Nagar 6. GTB Nagar 7. Model Town-II 8. Ashok Vihar Crossing 9. WP Depot-110. Kd Blk Maurya Enclave 11. Raja Pur (Prashant
11	167	16B	Uttari Pitampura via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Shivaji Stadium	6	Shivaji Std, Mandi House, Delhi Gate, Shantivan, Jamuna Bazar, ISBT, Old Sectt, GTB Nagar, Model Town-II, Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot, KD Block Morya Enclv, Uttri Pritampura
12	144a	16A	Sindhu Border via Ashok Vihar Crossing	Kamla Market	10	Sindhu Border, Shingola, Khampur, Bakouli, Alipur, Budhpur, Nangli Ponam, Badli

1	2	3	4	5	6	7
						GT Rd, GTK Depot, Adarsh Nagar, Ashok Vihar Crossing, B -3 Keshavpuram,Shastri Block E Block, Sarai Rohilla, DBGupta Mkt, PS Paharganj, Kamla Mkt
13	142	16B	Jahngirpuri E Block via Ashok Vihar Crossing, Ashok Vihar Water Tank	Old Delhi Railway Station	8	ISBT, Ice Factory, Kishanganj Dispensary, Gulabi Bagh, Bharat Nagar Crossing, Wazirpur JJ Colony, Ashok Vihar W/T, Ashok Vihar Crossing, Adarsh Nagar, E Block Jhagirpuri
14	117	16A	Old Delhi Rly. Stn. via Ashok Vihar Crossing, Ashok Vihar Water Tank	Bhalsva JJ Coly	10	1. Rly. Station 2. Mori Gate/ ISBT 3. Ice Factory 4. Kishan Ganj Dispensary 5. Gulabi Bagh 6. Bharat Nagar. Crossing 7. Wazir Pur JJ Colony 8. Ashok Vihar W/Tank 9. Ashok Vihar Crossing 10. Adarsh Nagar. 11. Gtk Depot 12. Balswa JJ Colony
			Total		121	

संलग्नक 'ख'

ANNEXURE-A2

Routes passing through Wazirpur Vidhan Sabha Constituency of Low Floor CNG Bus Clust

Sl. No	RT. NO.	Cluster No.	From	To	Number of Cluster Buses	Via
1	2	3	4	5	6	7
1	159	14SLF	Inderpuri via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Jahangirpuri E Block	7	1. Inder Puri 2. Loha Mandi 3. Sp Depot 4. Karam Pura 5. P.B.Terminal 6. W.P. Depot-l 7. Ashok Vihar Crossing 8. Adarsh Nagar 9. Jahangir Puri E-Blk.
2	181	14SLF	Nizamuddin Railway Station via Shakti Nagar Nagia Park	Jahangirpuri E Block	24	1. Nizamuddin Rly Stn. 2. Ps Nizamuddin 3. JLN Stadium 4. Bharti Nagar 5. Shahjahan Rd 6. Krishi Bhawan 7. Regal 8. N.D.Rly Stn-I 9. Ps Pahar Ganj 10. D.B.Gupta Mkt. 11.

1	2	3	4	5	6	7
						Subhdara Colony 12. Shakti Nagar Nagia Park 13. Rp Bagh 14. Bara Bagh 15. Adarsh Nagar 16. E-Blk Jahangir Pur.
3	442	14SLF	Azadpur Terminal via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Nehru Place Terminal	22	1. Azadpur Terminal 2. Ashok Vihar Crossing 3. Wpd-I4. Punjabi Bagh Terminal 5. Pun.Bagh Club 6. Raja Garden 7. Maya Puri Depot 8. Naraina Village 9. Barar Square 10. R.R. Linell. Dhaula Kuan 12. Moti Bagh-113. Nauroji Nagar 14. AIIMS 15. Andrews Ganj 16. Sant Nagar 17. Nehru Place Trml.
4	861	14SLF	Tilak Nagar via Ashok Vihar Crossing	Jahangirpuri E Block	14	1. Tilak Nagar 2. Mukherji Park 3. Raja Garden 4. P Bagh Club 5. P Bagh Terminal 6. W P Depot 7. Ashok Vihar Crossing 8. Adrash Nagar 9. Jahangir Puri E-Block

5	935	14SLF	Azadpur Terminal	Majra Dabas	9	1 Azad Pur 2 Ashok Vihar Crossing 3 Wazir Pur Depot 4 PBagh Terminal 5 Madi Pur Jj Colony 6 Peera Garhi 7 Jwala Puri8 Nangloi 9 Qamarddin Nagar Crossing 10 Mundka 11 Rani Khera 12 Madan Pur Dabas 13 Karala 14 Kanjhawala 15 Chand Pur 16 Majra Dabas
			via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot			
6	164	16SLF	Shivaji Stadium	Saraswati Vihar Water Tank	8	1. Shivaji Std. 2. Mandi House 3. Delhi Gate 4. Red Fort 5. ISBT. 6 Old Secretariat 7. Khalsa College 8. GTB Nagar 9. Model Town-II 10. Ashok Vihar Crossing 11. Wpd 12. Jd Blk. Pittam Pura 13. C- Blk Saraswati Viahr 14. Saraswati Vihar Water Tank.
			via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot			
7	168	16SLF	Hauz Khas Terminal	Ashok Vihar Phase-II	8	1. Hauz Khas Terminal 2. SJ Hospital 3. SJ Air Port 4. Ps Tughlak Rd 5. Krishi Bhawan 6. Kend Terml. 7. Ridge Road 8. Shanker Road 9. Wp Nagar
			via A 1 Keshav Puram, Ashok Vihar Ph I, II			

1	2	3	4	5	6	7
						10. Karam Pura Terminal 11. P.Bagh Terml.12. A-l Keshav Puram 13. B-3 Keshav Puram 14. Ashok Vihar-1 15. Ashok Vihar Ph-II.
8	235	16SLF	Wazirpur JJ Colony via Wazirpur JJ Colony, Ashok Vihar, Ashok Vihar Crossing	Nand Nagri Terminal	9	1. Wp JJ Colony 2. Ashok Vihar-II 3. Ashok Vihar Crossing 4. Model Town-II 5. GTB Nagar 6. Br Hosp. 7. Nanak Sar 8. Bhajan Pura 9. C-4 Yamuna Vihar 10. Babar Pur Extn 11. Jyoti Colony 12. Nand Nagri Extn.
9	913	16SLF	Nangloi JJ Colony via B 3 Keshav Puram, Wazirpur JJ Colony	Karawal Nagar	9	1 Nangloi JJ Colony 2 Jawala Puri 3 Peera Garhi 4 Paschim Vihar Water Tank 5 Road 29, 30 Crossing 6 Madi Pur JJ Colony 7 Punjabi Bagh Terminal 8 A-1 Keshav Puram 9 B-3 Keshav Puram 10 Wazir Pur JJ Colony 11 Bharat Nagar Crossingl2 Shakti Nagar /Nagia

						Park 13 Univarcity Gatel4 B R Hospital 15 Nanaksar 16 Bhajan Pura 17 Dayal Pur 18 Karaval Nagar
10	964	16SLF	Nehru Place Terminal via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Saraswati Vihar Water Tank	10	1 Nehru Place Terminal 2 Snp Depot 3 Lajpat Nagar 4 Ashram 5 Sarai Kale Khan 6 Road Bridge Crossing 7 Railway Bridge Rind Road 8 Ito Ring Road 9 ShantiVan 10 Jamuna Bazar 11 1 S B T 12 Old Sectt 13 Gtb Nagar 14 Model Town-li 15 Ashok Vihar Crossing 16 Wp Depot 17 Jd Blk Pitam Pura 18 A-Saraswati Viharl9 Saraswati Vihar W/Tank
11	3	17SLF	Pragati Maidan via Ashok Vihar Ph 1, II, Ashok Vihar Crossing	Shalimar Bagh	6	1. Pragati Maidan 2. ITO Agcr 3. Delhi Gate 4. Ajmere Gate 5. P.S. Pahar Ganj 6. Db Gupta Mkt. 7. Sarai Rohilla. 8. Gulabi Bagh 9. Bharat Nagar. Crossing 10. Ashok Vihar W/Tank 11. Ashok Vihar Crossing 12. Ae Blk. Shalimar Bagh 13. Bh-Blk. Shalimar Bagh.

1	2	3	4	5	6	7
12	156	17SLF	Nizammudin Railway Station via Ashok Vihar Ph, II	Ashok Vihar Phase II	6	1. Nizamuddin Rly. Station 2. Ps Nizamuddin 3. Golf Club 4. India Gate/ Baroda House 5. Krishi Bhawan 6. Palika Kendra 7. Shivaji Stadium 8. Chittra Gupta Rd 9. Db Gupta Mkt 10. Subhdara Colony 11. Bharat Nagar Crossing 12. Ashok Vihar Ph-I 13. Ashok Vihar-II.
13	GL-90	14SLF	Rohini Sector 16 via Wazirpur Depot	Kendriya Terminal	7	1. Rohini Sec-16, 2. Rohini Sec. 11, 3. Pkt D-2/15 Rohini 4. Vidhya Vihar Marg 5.Rohini Sec-7 & 8 Crossing 6. KDBlock Ppura 7. Wazirpur Depot 8. PB Terminal 9. Zakhira 10. Sarai Rohilla 11. DB Gupta Mkt 12. PS PGanj 13. ND Rly Stn 14. Regal 15. Kend Terminal
				Total	139	

संलग्नक 'ग'

ANNEXURE-A3

Routes passing through Wazirpur Yidhan Sabha Constituency of Electric Bus Clusters

Sl. No.	Route No.	Cluster No.	From	To	Number of Cluster Buses	Via
1	2	3	4	5	6	7
1	89	E-1	Trinagar Jai Mata Market via B 3 Keshav Puram	Sarojini Nagar Depot/Lajpat Nagar	21	1. Trinagar J Mata Mkt 2. B-3 Keshavpuram 3. Shastri Nagar E Block 4. Sarai Rohilla 5. AS Rd 6. Mandir Marg 7. Regal 8. Kr. Bhawan 9. P/S Tughlak Rd 10. SJ Airport 11. INA Mkt 12. SN Depot
2	166	E-1	Shalimar Bagh BH Block via Ashok Vihar Crossing.	Palika Kendra/ Delhi Sectt.	18	1. Palika Kend. 2. N.D Rly Station 3. P.S. Pahar Ganj. 4. D.B. Gupta Mkt 5. Sarai Rohilla 6. Gulabi Bagh 7. Bharat Nagar Crossing 8. Ashok Vihar Water Tank.

1	2	3	4	5	6	7
						9. Ashok Vihar Crossing 10. AE- Blk Shalimar Bagh 11. Bh- Block Shalimar Bagh
3	39	E-2	Jheel via B 3 Keshav Puram	Trinagar Jai Mata Market	8	1. Jheel 2. Khureji 3. Shaker Pur 4. Rainy Well 5. Ito Ring Rd. 6. Delhi Gate 7. Ajmeri Gate 8. Ps Pahar Ganj 9. Db Gupta Mkt 10. Sarai Rohilla 11. E-Blk Shastri Nagar 12. B-3 Keshav Puram 13. Tri Nagar Jai Mata Mkt.
4	996	E-2	Rohini Sector 1 via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Kalyanpuri	7	1. Rohini Sec-1 2. M. Pur School 3. C-Blk Saraswati Vihar4. J.D.BIk.Pitam Pura 5. WpDepot 6. Ashok Vihar Crossing7. Model Town-Ii 8. Gtb Nagar. 9. Old Secretariat 10.1SBT11. Jamuna Bazar 12. Shantivan 13.Ito/Delhi Gate 14. Rainy Well 15. Mother Diary 16. Mayur Vihar-li 17. Kalyan Puri
5	220	E-3	Haiderpur Village	Kendriya Terminal	7	Haiderpur village, BH Block Shali-mar Bagh,AE Block

			via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot			Shalimar Bagh, Ashok Vihar Crossing, Bharat Nagar Crossing, Subhadra Colony, Sarai Rohilla, DBGupta Mkt, PS Pahar-ganj, ND Rly Stn G-l, Regal, Kend. (Term)
6	986	E-3	Mori Gate Terminal via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Rohini Sector 11 SFS Flats	6	1. Mori Gate 2. Old Secretariat 3. Gtb Nagar.4. Motel Town-Ii 5. Ashok Vihar Crossing 6. W.P.Depot 7. Jd Blk Pitam Pura 8. Rohini Sec-7 & 8 Crossing 9. Good Will Apptt.10. Pkt.D-2 Sector-15 11. Rohini Sec-16 Crossing 12. Rohini Sec-11 Sfs Flats
7	933	E-3	Mori Gate Terminal via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Sultanpuri	8	1 Mori Gate Terminal 2 Old Sectt 3 G T B Nagar4 Model Town -Ii 5 Ashok Vihar Crossing 6 Wp Depot-I 7 Kd Lock Pitam Pura 8 Rohini Sec-7&8 9 Rohii Sec-910 Sec-3,4,5,6 Crossing 11 Mangol PurKhurdl2 Mangol Puri Y-Blk 13 Mangol Puri Q-Blk 14 Sultan Puri
8	881	E-4	Kamla Market	lndrapuri (Loni)/ Bhajanpura	17	Madhu Vihar, Dwaraka Crossing, Dabri Vill, C-I

1	2	3	4	5	6	7
			via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot			Janakpuri, Uttam Nagar, Distt Centre, Maj BS Marg, Sunder Vihar, Peeragarhi Depot, Mangolpur Sch, C Block Sarswati Vihar, JD Block Pitampura, Wazirpur Depot, Ashok Vihar Crossing, Model Town-2, GTB Nagar. Mukherji Nagar Bandh
9	971	E-4	Anand Vihar ISBT via Ashok Vihar Crossing, Wazirpur Depot	Rohini Sector 1 Avantika	22	1 Anand Vihar ISBT 2 Surya Nagar 3 Seemapuri 4 Anand Gram 5 Mandoli Crossing 6 Yamuna Vihar C-4 7 Bhajan Pura 8 NanakSar9 B R Hosp 10 Gtb Nagar II Model Town-II 12 Ashok Vihar Crossing 13 W P Depot 14 K D-Blk Pitam Pura 15 Rohini Sec-7 & 8 Crossing 16 Rohini Sec-3,4,5,6 17 Rohini Sec-1 Avantika
				Total	114	

संलग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI O/O DELHI AROGYA KOSH DIRECTORATE OF GENERAL OF HEALTH SERVICES F-17, KARKARDOOMA, DELHI-110032

No.E-3923/Pt. File/11058-11066 Dated: 15/06/2018

MINUTES OF MEETING

The ninth meeting of the Empowered Committee, constituted vide Order No. E-3923/Pt.File-1/CD-000471772/Prsecyhfw/1534-1539 dated 18.12.2017, was held under the Chairmanship of Pr. Secretary (Finance) on 12.06.2018 at 11.00 AM in her Conference Room.

The following officers participated in the meeting:

I. Smt. Renu Sharma, Pr. Secretary (Finance / Planning)

II. Sh. Sanjeev Khirwar, Secretary (Health & FW)

III. Sh. E. Raja Babu, Spl. Secretary (H&FW)

IV. Dr. Kirti Bhushan, DGHS

V. Dr. Achal Gulati, Director-Principal, Dr. BSA Medical College

VI. Sh. B.K. Sharma, Advisor (Planning), GNCTD

2. At the outset, the Chairperson welcomed all the participants and inquired regarding me term of reference of the Empowered Committee and the earlier decisions taken by the Committee.

3. Dr. R.N. Das, Incharge Delhi Arogya Kosh informed that the Term of Reference of the Empowered Committee constituted on December 18, 2017 were to discuss and finalise the draft RFP to be submitted by Sh. Gajendra Haldea for Universal Health Insurance Scheme to be operationalized by Is' April, 2018, and to finalize the timelines for various steps to achieve the target. However, the preamble of the order mentioned that the committee is constituted to discuss and finalise the various elements of the Universal Health Insurance Scheme. The copy of the order is annexed as Annexure-A.

4. Dr. Das further informed that the extent of insurance cover was discussed in the second meeting held on 28.02.2018 and finalised in the eighth meeting held on 01.05.2018 that each insured family shall have a total cover of Rs. 5 lakh per annum. The family shall have a cover of Rs. 50,000/- for secondary level care and Rs. 4,50,000/- for tertiary level care and the same shall be switchable. Similarly, the eligibility criteria was discussed in the fourth, sixth & seventh meeting held on 21.03.2018, 17.04.2018 & 24.04.2018, respectively and finalised in the eight meeting held on 01.05.2018 that all residents of Delhi, irrespective of their income status, shall be eligible for availing this scheme. However, government employees and PSU employees shall be excluded. A person whose name is either mentioned in the deprived household category of SECC, 2011 or in the National Food Security Card or has been provided a sanctioned load of 2 KW or less shall be automatically eligible for this scheme without requiring to submit any other documents). Amy person having a sanctioned load of more than 2 KW shall be required to provide any one documentary proof of residence in Delhi, namely, Voter ID, Passport, Driving License, Extract of electoral roll, Domicile Certificate issued by Revenue Department, Birth Certificate for children less than 18 years and Marriage Certificate for women married to a person residing in Delhi.

5. The Chairperson pointed out that despite eight meetings convened by. Empowered Committee during the last six months, the RFP for Universal Health Insurance Scheme has not finalised. In the meantime GoI has also introduced a National Health Protection Scheme providing coverage upto Rs. 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization and has set up a National Health Agency (NHA). The GoI would also be providing funds to the extent of 60% of eligible beneficiaries identified by SECC.

6. It was recommended by the Empowered Committee that the Health Department with the approval of the competent authority may start Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM) in Delhi for health insurance of Rs. 5 lakh per household belonging to deprived categories as per SECC data. The household identified by GoI from SECC data may be verified by Health Department through the help of Revenue Department, Anganwadi and ASHA worker, etc. In addition to the list of deprived household of SECC, the other categories of household recommended by the Empowered Committee in their earlier meetings may also be included for health insurance as a top up by GNCTD.

7. The GoI will bear 60% of total expenditure under Ayushman Bharat- PMRSSM and 2 remaining 40% by GNCTD for the deprived household as per SECC data. In the current year a provision of Rs. 100 crore is already available under Health Insurance Scheme horn which 40% of our share for deprived household from SECC and expenditure of top up household can be met.

8. It was decided that MoU may be signed by Health Department with National Health Agency, GoI after approval of the Competent Authority, so that Health Insurance Scheme may be started

in Delhi as early as possible. It was noted that earlier RFQ issued by Health Department in the year 2016 was already over. A State Health Agency may be constituted by Health Department as per guidelines of National Health Agency.

9. The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

(Dr. R.N. Das)
Incharge, DAK

No.E-3923/ Pt. File/11058-11066 Dated: 15/06/2018

Copy to:

1. Sh. Gajendra Haldea, Member, D&DC of Delhi, Delhi Secretariat
2. PS to Pr. Secretary (Finance), Delhi Secretariat
3. PS to Pr. Secretary (Planning), Delhi Secretariat
4. PS to Secretary (H&FW), Delhi Secretariat
5. S to Spl. Secretary (Infrastructure) & Nodal Officer, Insurance Scheme, Delhi Secretariat
6. PS to DGHS, F-17, Karkardooma, Delhi-110032
7. PS to RDHS (North)
8. Advisor (Planning), GNCTD, Delhi Secretariat
9. Guard file

(Dr. R.N. Das)
Incharge, DAK

154. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों के मोटे बिलों पर लागाम लगाने के लिये क्या उपाय कर रही है;

(ख) प्राफिट कैपिंग (Profit capping) पॉलिसी कब तक लागू हो जाने की आशा है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा प्रणाली में सुधार करके सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को शोषण, ओवर चार्जिंग तथा मनमर्जी से मुक्त करवाने के लिए कोई पॉलिसी बना रही है;

(घ) यदि हॉ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ङ) यह कब तक लागू हो जायेगी?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) से (ङ) प्राइवेट अस्पतालों के मोटे बिलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 9 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है समिति की अनुशंसा के आधार पर एक ड्राफ्ट एडवाइजरी जारी किया गया ताकि विभिन्न स्टेकहोल्डर अपनी राय दें पाएं। विभिन्न स्टेकहोल्डर की राय प्राप्त होने के पश्चात् एडवाइजरी का अन्तिम प्रारूप तैयार किया जाएगा।

155. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी तथा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अभी तक कौन कौन से विभाग चालू नहीं हुए और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) इन अस्पतालों में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कितने बिस्तर हैं और कितने बढ़ाये जाने की योजना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि आज भी कार्डियोलाजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डिक सर्जरी, वैस्क्यूलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी के मरीज इन अस्पतालों में भर्ती नहीं किये जा सकते; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) इस अस्पताल के अन्दर वास्तव में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

1. कॉडयोलॉजी
2. नेफरोलॉजी
3. न्यूरोलॉजी
4. गेस्ट्रोएन्टालॉजी

उपरोक्त सुविधाओं के अलावा अन्य सहायक सुविधाएं भी उपलब्ध हैः–

1. लैब की सुविधा
2. एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड
3. इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी (endoscopy and colonscopy) की सेवाएं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में उपलब्ध है।
4. ई.ई.जी. ई.एम.जी. तथा एन.सी.वी. की लैब सुविधाएं न्यूरोलॉजी विभाग में उपलब्ध है।

5. इस अस्पताल में कैथ लैब भी है जिसमें ह्दय रोग (कार्डियक रोगी) से सम्बन्धित मरीज आते हैं जिनका इनवेसिव प्रोसिजर (Invasive Procedure) द्वारा इलाज किया जाता है जैसे Angiography] Stent, Ballon, Angiopladty और पेसमेकर इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध है

इस अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए जिनका सी.टी.. स्केन और एम.आर.आई. करने की आवश्यकता है उन्हें दिल्ली सरकार की DAK/DAN स्कीम के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

इस अस्पताल के अन्दर उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. इस अस्पताल में 15 मशीनों वाली डायलेसिस यूनिट आरम्भ हो चुकी है।

2. इस अस्पताल में सात मॉडयूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है तथा इसके शीघ्र ही क्रियान्वित होने की सम्भाना है।

राजीव गाँधी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल

राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, नेफोलॉजी, क्लीनिकल हेमेटोलॉजी, रयूमेटोलॉजी विभाग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) **जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल**

इस अस्पताल में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत बिस्तरों का विवरण निम्न प्रकार है:–

	विभाग	वर्तमान बिस्तर	संभावित बिस्तर
1.	कार्डियालॉजी	35	50
2.	न्यूरोलॉजी	25	60
3.	नेफरोलॉजी	05	50
4.	गेस्ट्रोलॉजी	15	50
5.	अन्य	20	250

राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

राजीव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रथम चरण में 250 बिस्तर स्वीकृत है एवं 200 बिस्तर कार्यरत है। भविष्य में 50 बिस्तर और बढ़ाने की योजना है।

(ग) **जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल**

रोगियों को सर्जरी के अलावा आवश्यक उपचार और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर भर्ती किया जाता है। सर्जरी को आरम्भ करने की प्रक्रिया चल रही है।

राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

1. जी नहीं, यह सत्य नहीं है। राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी और वैस्कयूलर सर्जरी के अलावा भी पुल्मोनोलॉजी, जी.आई. सर्जरी, गैस्ट्रोइट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, क्रिटिकल

केयर, इत्यादि विभागों की सुविधा के साथ मरीजों को भर्ती किया जाता है।

2. हृदय शल्य चिकित्सकों के आने से कार्डिक सर्जरी की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। केवल नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है।

(घ)

जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

लागू नहीं होता

राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा बार–बार विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी नेक्रोलॉजी विभाग में कोई भी सीनियर डॉक्टर के ना आने के कारण से नेफ्रोलॉजी विभाग अभी बिस्तर डायलिसिस की सुविधा PPP में उपलब्ध है।

राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के M.O.A के अनुसार न्यूरोलॉजी विभाग नीति के अंदर नहीं है।

156. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार अपने सभी अस्पतालों में उपलब्ध गहन चिकित्सा तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं संबंधी जानकारी विस्तृत तथा जीवांत रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वेंटीलेटर और आई.सी.यू. बेड जैसी आवश्यक सुविधाओं की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होने से डॉक्टरों और मरीजों के केयर करने वालों को सुविधा हो जायेगी; और

(ग) यदि हाँ तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) जी हाँ; और

(ग) इसके लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

DATE-WISE PURCHASE OF MEDICINE DURING 2014-15 TO 2017-18.

Date-26/08/14 Unani

Sl. No.	Name of the Medicine
1.	Syrup e Jeeki
2.	Sarbat e aashabee
3.	Sharbat e tawanai
4. .	Sharbat e musafee
5.	Heepato syrup
6.	Sharbat e muskkin
7.	Tab e kulliva
8.	Tab e zukum

Sl. No.	Name of the Medicine
9.	Tab dimageen
10.	Tab meda
11.	Sharbat e cold
12.	Syp e ama
13.	Qurs e shatavar
14.	Cap debio
15.	Sharbat e ishteha
16.	Tab e jaRtuddam
17.	Tab e hazma

Sl. No.	Name of the Medicine
18.	Syp e zehen
19.	Cap e khas
20.	Sharbat e jaalee
Date- 24/02/2015	
1.	Habb e iawahar
2.	Habb e tankar
3.	Qurs e kafoor
4.	Itrifal satara
5.	Jawahrish ialinus
6.	Jawahrish aamla sada
7.	Jawahrish e mastagi
8.	Jawahrish shahi
9	Khamira e marvarid
10.	Kusta e faulad
11.	Marham quba
12.	Maioon e falsafa
13.	Maioon e suparipak
14.	Maioon e surnjan
15.	Maioon e nankhwah
16.	Sharbat e buzoori motdil

Sl.No.	Name of the Medicine
Date- 26/08/2014	
1.	Araq e mako
2.	Araq e aieeb
3.	Habb e hindi zeeqi
4.	Habb e Jund
S.	Habb e mudirr
6.	Habb e rasaunt
7.	Habb e surfa
8.	Habb e musaffi khoon
9.	Habb e ral
10.	Qurs e ghafis
11.	Qurs e ziavitus
12.	Bandiq ul bazoori
13.	Jawahrish e podina
14.	Jawarish zarooni sada
15.	Khamira e abresham sada
16.	Kusta e sadaf
17.	Lauq e khas khas
18.	Lauq e khiarshambar
19.	Lauq e sapistan
20.	Marti am kafoori

Sl. No.	Name of the Medicine
21.	Maioon e dabidul ward
22.	Maioon e pyaz
23.	Maioon e rahul mominin
24.	Majoon e ushba
25.	Maioon e masik ul baul
26.	Anoshdaru
27.	Dawa u! misk matadilsada
28..	Trivag nazla
29.	RoRhan e babuna sada
30.	Safoof e chuktki
31.	Sharbat e anjbar
32.	Sharbat e sadar
33.	Sharbat e zufa murakkab
34.	Sharbat e khaksi
Date- 26/08/2014	
1.	Araq e badivan
2.	Khamira e gaozaban sada
3.	Araq e Gaozaban
4.	Kushta e godanti
5.	Araq kasani
6.	Marham tooba

Sl. No.	Name of the Medicine
7.	Habb e azaraki
8.	Maioon e aard khurma
9.	Habb e bukhar
10.	Maioon e azaraki
11.	Habb e kabid
12.	Maioon e ispansokhtani
23.	Itrifal satara
24.	Majoon e supari paak
25.	Itrifal ustukhaddus
26.	Majoon e zabib
27.	Itrifal kishneezi
28.	Maioon e kundoor
29.	Itrifal zamani
30.	Raushan e amala
31.	Jawarish amala sada
32.	Raushan e shurkh
33.	Jawarish e vishbasa
34.	Sharbat e unnab
35.	Jawarish jalinush
36.	Sharbat e buzoori motdail
37.	Jawarish kamooni

Sl.No.	Name of the Medicine	Sl.No.	Name of the Medicine
38.	Sharbat e dinar	4.	Biopure syrup
39.	Khamira e marvarid	5.	M liv syrup
Date- 24 02 2015 Ayurveda		6.	Hridya tab
1	H ortho oil	7.	M vasako syrup
2.	H lergy tab	8.	K cold tab
3.	H Digest syrup	9.	M shankhpushapi syrup
4.	H kuntal oil	10.	H ortho oil
5.	H dispep syrup	11.	M tribhuvan mishran
6.	H kof syrup	12.	H digest tab
7.	H zyme syrup	13.	M brahmi rasayan
8.	H Dia tab	14.	H derm oil
9.	H hep syrup	15.	M swadhisth virechan choorna
10.	H dia Cap	16.	H dant powder
11.	HBP care cap	17	Dycon tab
12.	H She syrup	18.	H rheu oil
13.	H dep syrup	19.	Dvcon syrup
14.	H kof ointment	20.	H rheu ont
Date-26/08/2014		21.	Antaftan
1.	Ayush 64	22.	H pile ointment
2.	Rifit tab	23.	Caldis tab
3.	M liv tab	24.	H derm Oint

Sl.No.	Name of the Medicine
25	Caldis syrup
26.	H lax powder
27.	Leutab tab
28.	H kof ointment
29.	Asto syrup
30.	H burn Ointment

Date wise list of Medicine Purchased (Ayurvedic)

Dated 01.03.2016

Sl. No.	Name of the Medicine
1.	Chandraprabhawati
2.	Supari Pak
3.	Abhya Rishta
4.	Kutja Rishta
5.	Saraswati Rishta
6.	PanchgunaTaila
7.	Ajmodadi Churna
8.	Amla Churna
9,	Dashmula Rishta
10.	Chitrak Haritiki
11.	Sarivadyasava

Sl. No.	Name of the Medicine
Dated 14.03.2016	
1.	Keshore Guggulu
2.	Yograj Guggula
3.	Chikrakadi Vati
4.	Kutjaghanwati
5.	Eiadi Gutika
6.	Navayash Lauha
7.	Ashwagandha Churna
8.	Avpatiikar Chura
9.	Haritika Churna
10.	Lavan Bhaskar Churna
11.	Sitopaladi Churna
12.	Swadisht Wachen Churna
13.	Talisadi Churna
14.	Triphala Churna
15.	Arvindasava
16.	Chandnasava
17.	Balaraishta
18.	Maha Narayan Taila
19.	Bhrinraj Taila
20.	Musli Pak

Sl. No.	Name of the Medicine
21.	Maha Vishqarbha Taila
22.	Br. Marichyadi Taila
23.	Dhanwantar Taila
24.	Anu Taila

Date wise list of Medicine Purchased (Unani)

Dated 09.02.2016

Sl. No.	Name of the Medicine
1.	Araq-e-Ajwayan
2.	Araq-e- Badiyan
3.	Itrifhal Kishnizi
4.	Itrifhal Zamani
5.	Jawarish Anarain
6.	Majoon-e-Arad Khurma
7.	Majoon-e-Kundur
8.	Sharbat-e-Bajoori-Motadil
9.	Sharbat-e-Faulad
to.	Sharbat-e-Unnab
11.	Habb-e- Asad
12	Habb-e-Hudar
13.	Habb-e-Zehar Mora
14	Habb-e-Rewand
15.	Qurs-e-Ziabetus Khaas
16.	Kushta-e-Hajrul Yahood

Dated 14.03.2016

Sl. No.	Name of the Medicine
1.	Habb-e-Suranjan
2.	Itrifal Mullayan
3.	Itrifai Ustukhuddus
4.	Jawarish Amla Sada
5.	Jawarish Jalinus
6.	Jawarish Pudina
7.	Jawarish-e-Biswasa
8.	Jawarish-e-Kamooni
9.	Jawarish Shahi
10	Jawarish-e-Zanjabeel
11.	Khamira-e-Marwareed
12.	Khamira-e-Gauzaban Sada
13.	Maboonn-e-Dabiidulward
14.	Majoon-e-Falsfa
15	Majoon-e-Najah
16.	Rauqhan-e-Surkh
17.	Sharbat-e-Deenar

Sl. No.	Name of the Medicine
18	Qura-e-Mulaiyan
19.	Jawarish Mastagi
20.	Majoon-e-Jograj Guggal
21.	Majoon-e-Supari-Pak
22.	Raughan-e-Aamla
32.	Arq-e-Badiyan
33.	Habb-e-Bukhar
34.	Habb-e-Kabid Naushadri
35.	Habb-e-Muqil
36.	Habb-e-Shifa
37.	Habb-e-Suranjan
38.	Habb-e-Tankar
39.	Qurs-e-Kafoor
40.	Qurs-e-Mulaiyin
41.	Kushta-e-Faurad
42.	Kushta-e-Godanti
43.	Itrifal-e-Kishneezi
44-	Itrifal-e-Shahtra
45.	Itrifal-e-Ustukhuddus
46.	Itrifal-e-Zamani
47.	Jawarish-e-Amla Sada

Sl. No.	Name of the Medicine
48.	Jawarish-e-Anarain
49.	Jawarish-e-Bisbasa
50.	Jawarish-e-Kamooni
51.	lawarish-e-Mastagi
52.	Jawarish-e-Pudina
53.	Jawarish-e-Shahi
54.	Jawarish-e-Zanjabeel
55.	Khamira Gaozaban Sada
56.	Khamira Marwareed
57.	Marham-e-Kafoori
58.	Marham-e-Quba
59.	MaJoon-e-Arad Khurma
60.	Majoon-e-Dabeed-ul-Ward
61.	Majoon-e-Hajr-ul-Yahood
62.	Majoon-e-lspand Sokhtani
63.	Majoon-e-Jograj Guggul
64.	Majoon-e-Kundar
65.	Majoon-e-Nijah
66.	Majoon-e-Supari Pak
67.	Majoon-e-Suranjan

Sl. No.	Name of the Medicine
68.	Raughan-e-Amla
69.	Raughan-e-Surkh
70.	Sharbat-e-Buzbori Motadil
71.	Sharbat-e-Deenar
72.	Sharbat-e-Faulad
73.	Sharnat-e-Unnab
77.	Habb-e-Asgand
78.	Habb-e-Azaraqi
79.	Habb-e-Bawaseer Amya
80.	Habb-e-Bawaseer Damiya
81.	Habb-e-Hilteet
82.	Habb-e-Zeeki Hindi
83.	Habb-e-Mudir
84.	Habb-e-Mumsik khoon
85.	Habb-e-Rasaut
86.	Habb-e-Raal
87.	Habb-e-Surfa
88.	Qurs-e-Ziabetus Khas
89.	Qurs anjbar
90.	Kusta sadaf
91.	Jawarish zarooni sada

Sl. No.	Name of the Medicine
92.	Lauk e khiar shanbhar
93.	Laooq e sapistan
94.	Majoon e chopchini
95.	Majoon e muqawwi e rahem
96.	Majoon e rahul momeneen
97.	Majoon e zabeeb
98.	Raughan e babuna
99.	Raughan e baiza e murgh
100.	Safoof ebars
101.	Safoof muhazzil
102.	Sharbat e anjbaar
103.	Sharbat e khakshi
104.	Sharbat e saclar
105.	Sharbat e zufa murrbak
106.	Banadiq ul bazoor
107.	Dawa ul misk motadil sada
108.	Tiryaq e arba
109.	Tiryaq e nazala
110.	Zuroor e quia

Date- 07/03/2017 avurveda

Sl. No.	Name of the medicines
112	Avipattikar Churna
113	Abhyarishta
114	Chandrapratha vati
115	Kaishore Guggulu
116	Yograj guggulu
117	Dashmularishta
118	Lavanabhaskara Churna/ Bhaskarlavan Churna
119	Triphala churna
120	Sitopladi churna
121	Maharanaryan Taila
122	Balarishta
129	H-Kunatal Oil
130	H-Dep Syrup
131	H-Zyme Syrup
132	H-Hep Syrup
133	H-Ortho Oil
134	H-Dia Capsule
135	H-Dant Powder
136	H-Rheu Ointment

Sl. No.	Name of the Medicine
137	H-Vigo Capsule
138	H-Kof Syrup
139	M. Vasaco Syrup
140.	M. Brahmi Rasyan
Date	**24/08/2016**
141.	Abhyarishta
142.	Amritarishta
143.	Arjunarishta (Parthadyarishta)
144.	Ashokarishta
145.	Ashvagandharishta
146.	Kanaksava
147.	Kumaryasava
148.	Khadirishta
149.	Mustakarishta
150.	Bilvadi Leha
151.	Vasavaleha
152.	Dashmula Kwath Churna
153.	Gojihvadi Kashaya Churna
154.	Amritadi Guggulu
155.	Gokshuradi Guggulu

Sl. No.	Name of the Medicine
156.	Simhanada Guggulu
157.	Trayodashanga Guggulu
158.	Punarnava Guggulu
159.	Balachaturbhadra Churna
160.	Dashansanskar Churna
161.	Lavanabhaskara Churna/ Bhaskarlavan Churna
162.	Pushyanuga Churna
163.	Panchanimba Churna
164.	Arjuna Churna
165.	Yashtmadhu/Madhuyasti/ Yashti Churna
166	Asanbilwadi taila
167	Bala Taila
168	Eranda Taila
169	Jatyadi Taila
170	Ksheerabala Taila/ Ksheerbala Taila Avarti (Ekpaki)
171	Maharanaryan Taila
172	Moorivenna Taila
173	Nirgundi Taila

Sl. No.	Name of the Medicine
174	Pinda Taila
181.	Vatavidhavansan Rasa
182.	Pradarantak Lauha
183.	Drakshasava
184.	Haridra khand paak
185.	Kanchnaar gugglu
186.	Hingwashtak churn
187.	Praval pishti
188.	Rohitkaristh
189.	Lodhrasava
190.	Arka yavani
191.	Agastya haritki
192.	Brahm rasayan
193.	Kantkaryavaleh
194.	Sukumar ghrita
195.	Apamargkshartail
196.	Dasharvg lep
197.	Vishamushti vati
198.	Sphatika bhasm
199.	Ekangveer rasa
200.	Hridyarnav rasa

Sl. No.	Name of the Medicine
201.	Laghumalini basanta rasa
202.	Sshirshuladi vajra rasa
Date 24/07/2017 Ayurved	
1	M-Ayur Antacid Cap.
2	M-Ayur Antacid Syp.
3	M-BP Care Cap.
4	M-Cough Care Syp.
5	M.M-Desertto Care Cap.
6	M-Gyno Care Cap
7	M-Heamocare Cap.
8	M-Heamocare Syp
9	M-Liv Care Cap.
10.	M-Liv Syp.
11	M-Leuco Care Cap
12	M-Obi Care Cap.
13	M-Psoracare Cap.
14	M-Rheuma Care Cap.
15	M-Sugar Care Cap.
16	M-Thyro Care Cap.
17	M-Rheuma Care Oil.
18.	Dycon tab. - 40tab

Sl. No.	Name of the Medicine
19.	Dycon Syrup - 100 ml
20	Antaf tab-40 tab
21	Exol Syp - 100ml
22	Exol tablet-40 tab
23	Vast Syp. - 100ml
24	Dealka Syp. - 100ml.
25	Leu Tab - 40 tab
26	K-Temp Syp. - 100ml
27	Curgul - P - 40 tab
28	Refit tab - 40tab
29	Blopure Syp. - 100ml
30	Antaf Syp-100 ml.
39	Curgul - P oint - 20gm
40	Dermex oint - 20gm
41	Avipattikar Churna
42	Ashvagandha Churna
43	Ashvagandha Rishta
44	Haritki Churna
45	Kaishore Guggulu
46	Dasmula Kwath
47	Gokshuradi Guggulu

Sl. No.	Name of the Medicine
48	Sinhnada Guggulu
49	Trayodashanga Guggulu
50	Punarnava Guggulu
51	Lavan Bhaskar Churna
52	Triphala Churna
53	Talisadi Churna
54	Yashti Madhu Churna
55	Jatyadi Tail
56	Maha Narayan Tail
57	Krimimudgar Ras
58	Arshkuthar Ras
59	Laxmivilas Ras
60	Kamdudha Ras
61	Chandraprabha Vati
62	Kanchnar Guggulu
63	Hingvashtak Churna
64	Srnriti Sagar
Date	**23/03/2018**
65.	Abhyarishta
66.	Amritarishta
67.	Apamargkshar Taila
68.	Arsh Kuthar Rasa
69.	Ashwagandha Churan
70.	Baiachutrbhadirika Churna
71.	Balarishta
72.	Bhaskar Lavan Churna
73.	Br Manjistadi Kwath
74.	Chandnamirta Rasa
75.	Chandnasava
76.	Chitrakadi Gutika
77.	Drakashava
78.	Dashmula Kwath
79.	Dashmoolarishta
80.	Gandhak Rasayan
81.	Haritaki Churna
87.	Mahanarayan Taila
88.	Panchguna Taila
89.	Paraval Bhasma
90.	Phaltrikadi Kwath
91.	Punarvadi Guggulu
92.	Punarnavasava
93.	Rohitakarishta

Sl. No.	Name of the Medicine
94.	Saptamrita Loh
95.	Sarivadi Vati
96.	Shudh Shilajit
97.	Tribhuwan Kirti Ras
98.	Trinpanchmool Kwath
99.	Varunadi Kwath
100.	Arogyavardhini Vati
101.	Sutsekhar Ras
102.	Chandraprabha Vati
103.	Sitopladi Churan
104.	Panchtikta Ghrit Guggul
105.	Neelibhringyadi Ker Taila
106.	Kusthrakshas Taila
107.	Bala Ashwagandha Lakshadi Taila
108.	Laghu Vishgarbha Taila
109.	Kshirbala Taila
110.	Kshirbala Taila
111.	Chandan Bala Lakshadi Taila
112.	Mahamash Taila

Sl. No.	Name of the Medicine
113.	Eranda Taila
114	Madhuyashti Taila
115	Dhanwantar Taila
116	Dashan Sanskar Churan
117	Tankan Bhasma
Date 24/07/2017 Unani	
1.	Itrifal Kishneezi
2.	J. Pudina
3.	M. Jograj Guggul
4.	Arq Badiyan
5.	J. Kamooni
6.	J Jalinoos
7.	M. Arad Khurma
8.	J. Anarain
9.	M. Dabidulward
10.	Amla Sada
18.	Sh.Khakshi
19.	Sh. Sadar
20.	Arq Ajeeb
21.	Majun Chobchini
22.	J. Zarooni

Sl. No.	Name of the Medicine
23.	M. Ushba
24.	H. Mussaffi Khoon
25.	Safof Muhazzil
26.	Laua Sappistan KH. Shambar
27.	Quras Mulayan
28.	Sh. Bazoori Motadil
29.	Sh. Unnab
30.	Sh. Deenar
31.	Khamira Marwareed
32.	M. Falasfa
33.	H. Hudar
34.	H. Kabid Maushadari
35.	H. Tinkar
36.	It. UstuKhuddus
37.	Quras Ziabeetus
38.	Triyaq Nazla
Date	**13/03/2018**
1	Arq-e-Kasni
2	Arq-e-Badiyan
3	Arq-e-Mako

Sl. No.	Name of the Medicine
4	Bandiq-ul-Bazoori
5	Habb-e-Bukhar
6	Habb-e-Hindi Zeeqi
7	Habb-e-Hudar
8	Habb-e-Muquil
9	Habb-e-Suranjan
10	Habb-e-Tursh Mustahi
11	Habb-e-Zahar Mohra
12	Habb-e-Bawaseer Khooni / Badi
13	Habb-e-Rasaut
14	Itrifal Zamani
15	Itrifal-e-Shahtara
16	Jawarish Anarain
17	Jawarish Bisbasa
18	Jawarish Mastagi
19	Jawarish Shahi
20	Jawarish Zanjabeel
21	Jawarish-e-Pudina
22	Khamira Gaozaban Sada
28	Majoon Muqawwi-e-Raham

Sl. No.	Name of the Medicine
29	Qurs Mulayyan
30	Majoon Rahul Momineen
32	Majoon Ushba
32	Majoon-e-Chobchini
33	Majoon-e-Hajrul Yahood
34	Majoon-e-lspand Sokhtani
35	Majoon-e-Supari Pak
36	Majoon-e-Suranjan
37	Qurs Kafoor
38	Qurs-e-Ziabetus
39	Rougharve-Surkh
40	Safoof Hazim
41	Safoof Muhazzil
42	SafoofTabkheer

Sl. No.	Name of the Medicine
43	Safoof-e-Mushil
44	Sharbat Deenar
45	Sharbat-e-Anjabar
46	Sharbat-e-Buzoori Motadil
47	Sharbat-e-Khaksi
48	Sharbat-e-Sadar
49	S-harbat-e-Unnab
50	Sharbat-e-Zufa Murakkab
51	Zaroor-e-Qula
52	Safoof-e-Bars
53	Habb-e-Azaraqi
54	Raughan-e-Babuna Sada
55	Raughan-e-Turb

157. श्री संजीव झा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने नए मोहल्ला—क्लीनिक बनाए जाने की योजना है;

(ख) इन मोहल्ला—क्लीनिक को बनाने के लिए किन—किन स्थानों पर कितनी जमीन चिन्हित की गई एवं उसका पूरा विवरण क्या है;

(ग) इन मोहल्ला क्लीनिक्स का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(घ) इनके निर्माण में कितनी–कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2019 तक निम्नलिखित जगहों को लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार को मौहल्ला क्लीनिक के निर्माण हेतु हस्तांतरित कर दिए गए हैं। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. उत्तराखंड एन्कलेव, ग्राम सभा
2. जोगी चौपाल, ग्राम सभा
3. जगतपुर, ग्राम सभा
4. मुकुंदपुर चौपाल ग्राम सभा– मुकुंदपुर चौपाल ग्राम सभा के निरीक्षण के बाद AE,PWD, द्वारा पाया गया कि : मौजूदा AAMC के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मोजूदा भवन की स्थिति जीर्ण–शीर्ण है, और यदि अनुमति दी जाए जो मौजूदा भावन को ध्वस्त करने के बाद नए भवन का निर्माण किया जा सकता है।
5. दिल्ली जल बोर्ड एन्कलेव
6. खसरा नं–142/9/2, मिलन झरोड़ा
7. मुकुंदपुर पार्ट–II बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास, इस जगह का हस्तांतरण दिनांक 25.02.2019

(ख) उपरोक्त प्रत्येक जगह के लिए 600 वर्गफुट जगह चिन्हित की गई है (संलग्नक–क);

(ग) निविदा कर ली गई है व कार्य अवार्ड कर दिया गया है;

(घ) प्रत्येक आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक पर सिविल व विद्युत कार्य करने पर लगभग 18.50 लाख रुपये का खर्चा आएगा; और

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार (संलग्नक–क)।

IMMEDIATE

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI O/O DELHI AROGYA KOSH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES F-17, KARKARDOOMA, DELHI-110032

F.No. E. 4125/10665-10681 Dated: 15/02/2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for cashless treatment of medico-legal victims of road accident, acid attack and thermal burn injury, where incident has occurred in the National Capital Territory of Delhi, in registered nursing homes/ private hospitals situated in NCT of Delhi and for seeking reimbursement of the cost incurred during treatment of such victim by the concerned nursing home/private hospital through Delhi Arogya Kosh.

In pursuance to Order No. F.No. 22 (4793)/DAN-Pt. File/ CD##000451497/js3hfw/277-90 dated 19.01.2018 issued by Jt. Secretary (H&FW) regarding amendment in the eligibility criteria of Delhi Arogya Kosh for providing free treatment of medico-legal victims of road accident, acid attack and thermal burn injury, where incident has occurred in the National Capital Territory of Delhi in identified private hospitals and in order to implement the scheme, the following guidelines are being framed:

1. **Eligibility criteria in r/o domicile and income status of the victim for receiving cashless treatment.**

   All medico-legal victims of road accident, acid attack and thermal burn injury, where the incident has occurred in the National Capital

Territory of Delhi and under the jurisdiction of Delhi Police, shall be eligible for cashless treatment in nursing home/private hospital, irrespective of income and domicile status.

The victim is not required to carry any document for the purpose of verification/eligibility except that the incident has occurred in the jurisdiction of Delhi Police.

2. Existing Statute and Obligation:

(a) Nursing home/ private hospital registered under Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 shall not refuse treatment to the injured/ serious patients brought to them due to any reason, whatsoever.

An order dated 21.02.2013 was issued by Secretary (H&FW), GNCTD in this regard and circulated to Keepers of all nursing homes/private hospitals of Delhi and all keepers have submitted an undertaking to this effect at the time of registration/'renewal of registration.

(b) Section 357 C of the Code of Criminal Procedure (CPC) provides that keepers of all private hospitals in NCT of Delhi shall immediately provide first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of the offence covered under section 326 A of the Indian Penal Code (IPC) and shall immediately inform the police of such incident.

Hence, duty is cast on the keeper of every nursing hospital/ private hospital to ensure that no victim of acid attack will be returned without providing the victim first-aid or immediate medical treatment, free of cost.

A circular dated 19.12.2013 was issued by Spl. Secretary (H&FW), GNCTD in this regard to all hospitals in NCT of Delhi.

3. **Condition for exemption of a nursing home from this scheme:**

Nursing homes which have taken prior approval of the Supervising Authority regarding exemption of the availability of doctor at night in accordance to Clause 13.1 of the Schedule appended with Rule 14 of Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Rules, 2011 shall be presently exempted from this scheme.

All registered nursing homes/ private hospitals which have not been provided the aforementioned exemption under Clause 13.1 of the Schedule appended with Rule 14 of Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Rules, 2011 by the Supervising Authority shall mandatorily implement this scheme.

In case, it is found that a nursing home/ -private hospital has refused to treat/ stabilize a medico-legal victim of road accident, acid attack and thermal burn injury, and no prior exemption for the same was given by the Supervising Authority or has not provided cashless treatment to such victims within the staff, facilities and medical expertise available in the concerned nursing home/private hospital, a Notice to Show Cause shall be issued under section 7 read with section 8 (ii) of Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 as to why the registration of the concerned nursing home/ private hospital registration should not be cancelled.

4. **Procedure to be followed after arrival of a victim of road accident, acid attack and thermal burn injury:**

After providing immediate first-aid and requisite treatment for saving the life and limb of the victim, within the staff, faculties

and medical expertise available, the heating doctor (registered with Delhi Medical Council) shall inform the local police station, record the Daily Diary Number (D.D No.) on the case-sheet and prepare the medico-legal document.

The keeper of the nursing home/ private hospital shall inform the following details of the victim preferably within six hours of his/ her arrival on email ID: dak.emergency@gmail.com or SMS the requisite details on mobile numbers 8745011340 & 8745011319:

i. Name of the nursing home and address

ii. Casualty Record No./ Emergency Registration No.

iii. MLC No.

iv. Name

v. Age

vi. Gender

vii. Address

viii. Brought By

ix. Informant

x. Brief History: Whether road accident or acid attack or thermal burn injury

xi. Police Station

xii. D.D. No.

xiii. Investigating Officer

In case the patient is unconscious/ drowsy and not oriented in time, space and person, then details at (iv) & (vii) above are not required, however, approximate age of the patient is to be provided.

5. Transfer of the victim from a nursing home/ private hospital to another medical establishment.

(a) Provided that the nursing home, where the victim has been initially received/ brought, is not equipped to handle such case within the staff, facilities and medical expertise therein (as mentioned in Form B submitted by the keeper at the time of registration/ renewal of registration), the doctor/ keeper shall ensure immediate transfer of the victim to an appropriate higher centre with requisite facilities either in their own ambulance or use the services of the ambulance provider mentioned by the keeper at the time of registration/ renewal of registration or use the services of CATS ambulance of GNCTD.

(b) Decision regarding transferring such victim MUST be taken within 24 hours of his/her time of arrival at the concerned nursing home/ private hospital.

(c) Information regarding transfer of such victim to another medical establishment alongwith reasons for the same shall be provided by the keeper to the supervising authority within 24 hours of such transfer on email Id: dak.emergency@gmail.com.

In case, the reason for such transfer/ referral is not found satisfactory by the Supervising Authority, a Notice to Show Cause shall be issued under section 7 read with section 8

(ii) of Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 as to why the registration of the concerned nursing home/private hospital registration should not be cancelled.

6. Procedure to be followed at the time of discharge

The hospital shall provide a copy of the bill showing 100% discount, discharge summary to the victim and keep a receipt of the same alongwith certification regarding cashless facility provided to the victim concerned.

7. Facilities to be provided to such victims:

The keeper shall provide all facilities to the victim as provided to a paid indoor patient admitted in the similar category i.e. the lowest economy category available in the concerned hospital/ nursing home. The keeper shall not charge any amount from the victim and his/her family or guardian for any reason, whatsoever. However, under no circumstances, elevation of category i.e. from general ward to semi private room/private room, shall be permitted during the entire length of stay of the victim in the concerned nursing home/private hospital.

In case, it is found that the concerned nursing home/private hospital has discriminated in the provision of facility and treatment in any manner whatsoever against the victim in providing services in the nursing home/private hospital, as compared to other patient of equal status and coming for identical services therein, action as deemed fit, shall be initiated against the keeper.

8. Reimbursement

Nursing Homes/ private hospitals interested in seeking reimbursement of the expenditure incurred during the treatment

of such victim(s) are required to enter into an agreement with Delhi Arogya Kosh for this purpose. The payment shall be made at the previously finalised rates.

Reimbursement shall only be given on prospective basis after the agreement is entered and executed by both the parties.

The above provisions are applicable with immediate effect.

(Dr. Kirti Bhushan)
Director General Health Services &
Member Secretary, DAK

F.No. E. 4125/10665-10681 Dated: 15/02/2018

Copy for information to:

1. Chief Secretary, GNCTD, 5th Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi
2. Pr. Secretary (Home), GNCTD, 5th Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi
3. Commissioner of Police, Delhi Police Headquarters, I.P. Estate, New Delhi w.r.t. direct Station House Officers of all Police Station under the jurisdiction of Delhi Police regarding this scheme
4. Spl. Commissioner (Operations), Delhi Police, Police Headquarters, ITO, New Delhi
5. Pr. Secretary (H&FW), 9th Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi

6. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi
7. Advisor to Hon'ble Chief Minister, Delhi
8. Secretary to Hon'ble Minister of Health, GNCTD
9. All members of Governing Body of Delhi Arogya Kosh
10. Addl. Commissioner of Police, Police Control Room, PHQ, LP. Estate, New Delhi-110002 w.r.t. direct the police personnel manning PCR vans regarding this scheme
11. Project Director, CATS w.r.t. direct the personnel manning CATS ambulance regarding this scheme
12. Standing Counsel (Criminal), GNCTD, Delhi High Court w.r.t. compliance of the directions of the Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No.7927/2012 in the matter of Court on its motion Vs UOI & Anr vide order dated 28.02.2013
13. Standing Counsel (Civil), GNCTD, Delhi High Court w.r.t. compliance of the directions of the Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No.7927/2012 in the matter of Court on its motion Vs UOI & Anr vide order dated 28.02.2013
14. President, DMA Nursing Home & Medical Establishment Forum w.r.t. inform all their members
15. Keepers of all registered nursing homes/private hospital situated in NCT of Delhi
16. Guard file.

(Dr. Kirti Bhushan)
Director General Health Services &
Member Secretary, DAK

(TO BE PUBLISHED IN THE PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT)

9th Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

Notification No.: F.24/Misc./ NH/DHS/94/PF/A-2.- Dated: 04.03.2011

NOTIFICATION

No. F.24/Misc/NH/DHS/94/PF /A-2 - In exercise of the powers conferred by section 16 of the Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 (Delhi Act 6 of 1953). The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make, after previous publication, the following tules to further amend the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1953, namely:–

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Rules, 2011

   (2) These rules shall come into force with immediate effect:

   Provided that the nursing homes already standing as registered on the date on which these rules come into force shall comply with these rules within a period of ninety days from the said date.

2. Amendment of rule 6. - In the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1953 (hereinafter referred to as "the

principal Rules"), in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) An application for the renewal of registration shall be made every third year, in Form 'B' before 31st January of applicable yearand shall be accompanied with fee as prescribed in rule 7."

3. **Substitution of new rule for rule 7.** - In the principal Rules, for rule 7, the following rule shall be substiutted, namely:-

"7. Fees for registration and renewal of registration - (1) The fees to be paid for registration and renewal of registration fora period of three years shall be charged as under:-

Bed Strength	**Registration /Renewal Fees**
Up to ten beds	Two thousand rupees
Eleven beds to thirty beds	Three thousand rupees
Thirty-one beds onwards	Three thousand rupees plus one hundred rupees per bed for every additional bed.

(2) Where the fee for renewal is not deposited in time as required under rule 6, an additional late fee amounting to ten percent of the renewal fee shall be charged per month or part thereof.

(3) Failure to file an application for renewal of registration within six months of the last date prescribed under sub-rule (1) of rule 6, shall result in refusal of the application for

renewal and removal of name from the register after giving an opportunity of being heard."

4. **Substitution of new rule for rule 11.-** In the principal Rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

"11. Issue of duplicate certificates. - In the event of a certificate of registration being lost, mutilated or destroyed, the holder may apply to the supervising authority for a duplicate certificate and the supervising authority, if it thinks fit, may issue a duplicate certificate upon payment of a fee of five hundred ntpees. A certificate issued under this rule shall be marked as 'DUPLICATE'."

5. **Amendment of rule 12.** - In the principal Rules, in rule 12, - for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The keeper of a nursing home shall keep -

(a) a register of patients admitted into the nursing home as per form D appended to these rules and submit the same as per the guidelines framed by the supervising authority from time to time;

(b) a correct alphabetical index of the names of the patients admitted in the nursing home in accordance with the admission register as per Form "D" ;

(c) a record of health of every patient admitted in the nursing home containing the following information in addition to any other information, that may be required

by the supervising authority and submitted as per guidelines framed by the supervising authority from time to time:-

(1) Admission number

(2) Name ___________ son/daughter/wife of Shri_________

(3) Age

(4) Sex

(5) Occupation

(6) Religion

(7) Doctor in charge of the case

(8) Date and time of admission

(9) Date of discharge

(10) Admitting diagnosis

(11) Final diagnosis

(12) Result/outcome of the case

(13) Case surmnary

(14) Record of investigations

(15) Consent

(16) Details of operative procedure and anesthesia, if given

(17) Records of treatment

(18) Records of nursing care

(19) Special record and progress notes for patient admitted in ICU/ICCU

(20) Diet

(21) If medico legal case, date and time of information to police

(22) Summary of medico legal case given to police

(d) in the Form "E" appended to these rules, a record of every maternity case admitted into the nursing home and of every child delivered;

(e) a record of all the miscarriages, medical termination of pregnancies and stillbirths occurring in the nursing home as per the provisions of The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971) in Form F1 and The Pre-Natal Diagnostic Technique (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1 994 (57 of 1994) in Form F2."

6. **Substitution of new rule for rule 13.-** In the principal Rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Intimation of death occurring in nursing home. - If any death occurs in the nursing home, the keeper of the nursing home shall, furnish the information in respect of such death within stipulated time to the Medical Officer of the concerned local authority, i.e., MCD/NDMC/Cantonment Board, having jurisdiction over the area in which the nursing home is situated".

7. Amendment of rule 14.- In the principal Rules, in rule 14, for the 'Schedule', the following 'Schedule' shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

(See rule 14)

Requirements to be complied with by a nursing home:

1. **Location and surroundings. -** The nursing home shall be situated in a place having clean surroundings and shall have sufficient facilities for parking area for the visitors, as per norms of Master Plan for Delhi 2021 (MPD 2021).

2. **Buildings. -**

2.1 The building /premises for a nursing home shall conform to the land use as prescribed under Master Plan for Delhi (MPD) 2021.

2.2 The rooms in the nursing home shall be well ventilated and lighted and shall be kept in clean and hygienic conditions. Arrangements shall be made for coo ling the rooms in summer and healing then in winter.

2.3 The walls of the labour room and operation theatre up to a height of 1.22 metre (4 feet) from the floor shall be of such construction as to render it waterproof. The flooring shall be such as not to permit retention or accumulation of dust. There shall be no chinks or crevices in the walls or floors.

2.4 Aseptic conditions shall be maintained in labourroom and the operation room.

2.5 Adequate arrangements shall be made for isolating patients of septic and infectious cases.

3. Space accommodation for the patients, etc.-

3.1 A nursing home providing facility for a single specialty or additional specialty shall have sufficient waiting area for the patients and attendants with proper sitting arrangements and other facilities near the reception/registration counter and shall have appropriate infrastructure according to the specialty or specialties. The floor space in the general nursing home shall not be less than 7.43 square metre (80 square feet) for one bed and additional minimum 5.57 square metre (60 square feet) for every additional bed in the room and the area shall not include the area for toilet for the patient. A nursing home shall have minimum of two beds for admission of the patients.

3.2 A nursing home having facility for intensive care shall, in the main areas, have a space of 11.15 square meter (120 square feet) per bed with at least three feet area on all sides of the bed to be kept unencumbered for free movement of the staff and the equipments. There shall be sufficient storage space for medicines and equipments (for ventilators, special beds, suction machine, transport equipment, wheel chair carts, monitors, etc.). The intensive care units shall have study large shelves, wide room access with touch less/ mechanical door openers and outlets for battery charging. The space for doctors/staff on duty shall be in addition to the intensive care unit bed space. The supportive service rooms (changing rooms, duty rooms and attendant rooms)

shall be near the intensive care unit. There shall be space for readily accessible storage (one for 2/4 bedded pod; 3-4 for 10 bedded ICU), crash cart alcoves (with electrical outlets), medication station, refrigerator, lockable cabinet (for narcotics), countertop .... area, storage cabinet/ drawers, X-ray view box.

3.3 Besides the main areas in Hie intensive care units, the ancillary areas shall include space for communication (house telephones, intercommunication system and emergency code alarm system), clerical space (filing cabinets and drawers) and public space adjacent to unit and prayer area.

3.4 A nursing home which intends to provide facilities for a newborn nursing or neonatal care unit shall have 4.65 square metre (50 square feet) per neonatal bed with provision of separate area for hand wash and gowning, formula preparation, stores and duty room for doctors. The floor area and walls upto 1.22 metre (4 feet) shall be washable.

4. Operation theatre and labour room. - The operation theatre shall be provided with a minimum floor space of not less than 13.94 square metre (150 square feet) and a separate labour room with an area of not less than 9.29 square metre (100 square feet) per table. The labour room shall have the facilities and equipments for neonatal resuscitation unit.

5. **Provision of duty room.-** A duty room shall be provided for the nursing staff on duty and nursing station /staff shall be available at each floor and near patient care areas.

6. Storage space.- Adequate space for storage of medicines, food articles, equipments, etc. shall be provided and the storage cabinets should label the items therein.

7. **Water supply. -** The water used in the nursing home shall be pure and of drinkable quality.

8. Health, clothing and sanitary requirements of staff.-

8.1 The staff employed shall be free from contagious diseases, and shall be provided with clean uniforms suitable to the nature of their duties.

8.2 The workers shall be medically examined at the time of employment and periodically so examined thereafter. The worker shall be vaccinated against all contagious diseases to which they are exposed or have a high risk of being exposed.

9. The equipments and Linens, etc.- The nursing home shall-

9.1 provide and maintain adequate number of commodes, bedpans and slop sinks, with flushing arrangements;

9.2 have high pressure sterilizer, instrument sterilizer, instrument washer disinfector and ward items washer disinfector (for bed pans, kidney trays and urine bottles);

9.3 have an uniniermpted supply of oxygen through adequate number of oxygen cylinders fitted with all necessary attachments and flow meter, for safe and hygienic delivery of oxygen to the patients;

9.4 have apparatus for transfusions, necessary equipments, instruments, apparatus and medicines of such quality and

numbers, as are required in accordance with the services offered by the nursing home;

9.5 have the equipments and drugs required in the neonatal resuscitation unit in the labour room and in the neonatal care unit as per guidelines framed by the supervising authority from time to time;

9.6 have monitoring, diagnostic, radiological, therapeutic/ supportive in case providing facilities for intensive care and bedside facilities and availability of drugs as per the guidelines framed by the supervising authority from time to time;

9.7 have adequate quantity of bed sheets, mattresses, pillows, blankets, draw sheets and other linens;

9.8 have a separate almirah under lock and key for poisons.

10. **Food. -** If the nursing home provides diet to the patients, it shall be prepared and served in hygienic conditions.

11. **Nursing Staff.-**

11.1 There shall be one qualified nurse on duty at all times having minimum qualification as general nursing and midwifery course, registered with the Delhi Nursing Council, for every ten beds or a fraction thereof in the nursing home: Provided that a part of nursing staff may be substituted with the prior approval of the supervising authority by other trained staff like midwife etc. according to die specific needs of the nursing home.

11.2 The nursing home providing facilities of intensive care shall have the qualified staff nurses with experience of working in a 10 bedded ICU/CCU for one year. At one point of time there shall not be more than 40% inexperienced staff nurses, who have not had experience of working in intensive care unit for one year, thus ensuring that there would be availability of minimum 60% experienced staff nurses in one shift. The staff nurses shall be available in the ratio of 1:4 for patients on ventilators and 1:4 for patients who are not on ventilators round the clock and for every 10 nurses there shall be one qualified supervisor who can be one of the senior nurse in the intensive care unit round the clock. The paramedical staff posted in the intensive care unit shall have the previous experience of working in the intensive care unit.

11.3 The nursing home newborn nursing or neonatal care unit shall also have 1:1 nurses patient ratio.

12. **Records.** - Separate stock registers shall be maintained by the nursing home for

(a) equipment

(b) instruments and

(c) linens.

13. **Doctor. -**

13.1 There shall be one qualified doctor of modem scientific system of medicine having registration with the Delhi Medical Council, round the clock for every 25 beds or fraction thereof, and the consultant of the concerned specialty shall be on call, in the nursing home.

Provided that in such nursing homes where for any medical/ surgical procedures the night stay of the patient after admission may not be required, the availability of a doctor at night may be exempted with the prior approval of the supervising authority, however, the doctor shall be on call duty, and there shall be nursing staff on duty round the clock.

13.2 In the nursing homes providing intensive care, there shall be a postgraduate doctor (MD) in the relevant specialty ICU In case of nursing home providing facilities of super specialty, the consultant of relevant specialty shall be available on call.

Provided that in case of non availability of a postgraduate doctor, a doctor after graduation, having experience of working for one year in a 10 bedded general ICU/CCU under the supervision of a consultant, may be considered for working as resident doctor in the ICU/CCU. The ratio of the doctors shall be in the ratio of 1:4 beds round the clock and the consultants shall be on call.

14. Co-operation at the time of natural calamity or disaster and treatment of injured/serious patients.-

14.1 In the event of any natural calamity including outbreak and epidemics ordisaster, the owner or the keeper of every nursing home shall, on being directed by the supervising authority in writing co-operate and provide such reasonable assistance and medical aid as may be considered essential by the supervising authority at the time of natural calamity including outbreaks and .... or disastrous situation.

14.2 The nursing home shall not refuse treatment to the injured/ serious patients brought to them due to any reason, whatsoever.

15. Display of charges. - The keeper of the nursing home shall ensure that the charges levied by the nursing home for all services available in the nursing home are prominently displayed.

16. Provision of uninterrupted supply of electricity. - The keeper of a nursing home shall ensure the provision of standby power backup system in case of power failure in the nursing home.

17. Handling of biomedical waste. - The nursing home shall abide by the Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, and shall also get authorization from Delhi Pollution Control Committee under those rales.

18. Disruption of services at a nursing home. - Where the services of a nursing home are likely to be disrupted due to any reason for more than 15 days at one time, the keeper shall give information about the same to the supervising authority, at least, four weeks in advance:

Provided that in the event of any exigency leading to disruption of services permanently, the information shall be given to the supervising authority within twenty four hours of such disruption."

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

sd

(RAJENDRA KUMAR)
SECRETARY (HEALTH AND FAMILY WELFARE)

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
(DELHI AROGYA KOSH)
F-17, KARKARDOOMA, DELHI-110032

No. F.1789/DAK/27 Dated: 16/01/19

SHOW CAUSE NOTICE

Whereas it has brought to the notice of Delhi Arogya Kosh, Directorate of Health Services by Sh. Narender Sharma, brother of road accident victim, Sh. Jitender Sharma R/o D-105, Rama Vihar Delhi-81, (copy enclosed) that your Hospital has charged for treatment of victims, Sh. Jitender Sharma.

As per terms & condition of agreement between Venkateshwar Hospital and DAK, hospital cannot charge any payment for the treatment of road victims.

So, you are directed to explain that why should not your hospital be de-empanelled from DAK. The reply should reach this office within 15 days of issue of this show cause notice, failing which further course of action shall be taken without any further opportunity.

Yours Faithfully,

(Dr. Imteyazul Haque)
SMO (DAK)

M/s Venkateshwar Hospital,
Sec, 18A, Dwarka Delhi-110075

158. श्री संजीव झा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुराड़ी विधान क्षेत्र के अंतर्गत 5 नये मौहल्ला–क्लिनिक बनाए जाने की योजना है;

(ख) (1) DJB Site, Pradhan Enclave, Badarpur Majra, Burari.

(2) Jogi Chopal, Vijay Colony, Delhi

(3) J, Uttakhand Enclave.

(4) Burari, Uttakhand Enclave.

(ग) निविदा कर ली गई है व कार्य अवार्ड कर दिया गया है!

(घ) और (ङ) प्रत्येक आम आदमी मौहल्ला–क्लिनिक पर सिविल व विद्युत कार्य करने पर लगभग 18.50 लाख रुपये का खर्चा आएगा।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य : (क)

(ख) प्रत्येक जगह के लिए 600 वर्ग फुट की जगह चिन्हित की गई है।

2. Jharoda, Milan Vihar, Burari, में अभी कार्य करने में बाधा है क्योंकि नवनिर्मित गली का लेवल ऊँचा करने के कारण भराव की आवश्यकता है व नालियों का ढलान कार्य स्थल की तरफ कर दिया है जिसके कारण कार्यस्थल व आसपास पानी जमा है।

3. Jharoda, Jagarpur, Main Road. कार्य स्थल का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने के कारण तहसीलदार/पटवारी ने कब्जा नहीं दिया है।

158. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अधीन सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में स्वीपर और ड्राइवर मरीजों का इलाज करते है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि आँखों के डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है जिसके कारण उपरोक्त कर्मचारियों की मदद ली जा रही है; और

(ग) 31 जनवरी, 2019 को मरीजों की आँखों का इलाज करते सफाई कर्मियों की पंजाब केसरी अखबार में छपी फोटों की सच्चाई क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) यह कथन सत्य नहीं है कि सत्यवादी राजा हरिशचंन्द्र अस्पताल में स्वीपर और ड्राईवर मरीजों का इलाज करते हैं। किसी भी मरीज एवं स्टाफ द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत मौखिक या लिखित रूप में इस अस्पताल में आज तक नहीं की गई है।

(ख) यह कथन सत्य नहीं है कि नेत्र विभाग में स्टॉफ की कमी है। इस अस्पताल में नेत्र विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 05 है जिसमें से सभी स्वीकृत पदों की संख्या 05 है जिसमें से सभी पद भरे हुए है तथा इसके अलावा एक एक सीनियर रेजिडेंट एड–हॉक बैसिंल पर कार्यरत है; और

(ग) 31 जनवरी 2019 को पंजाब केसरी में छपी फोटो में जो दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वे मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। जांच करने पर यह पाया गया कि एक व्यक्ति सफाई कर्मचारी है जिसने बताया है

कि वो अपनी अटेंडेस (उपस्थिति) की जांच कर रहा था और दूसरा व्यक्ति जो कि तस्वीर धुंधली होने के कारण साफ पहचान में नहीं आ रहा है, वो कोई मरीज या मरीज का रिश्तेदार हो सकता है।

159. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने गुरू तेग बहादुर अस्पताल में डांस थेरेपी प्रारंभ की है;;

(ख) इस पहल की क्या कोई मेडिकल स्टडी उपलब्ध है, उसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों इत्यादि की भारी कमी है और डॉक्टरों पर भी पहले से ही काम ज्यादा है;

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना को प्रारंभ करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) डॉक्टरों रोगियों तथा उनके परिजनों में इस योजन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है?;

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) हाँ संलग्न है;

(ग) गुरू तेग बहादुर अस्पताल में विभागों द्वारा मांगी गयी व अस्पताल में Prescribed आवश्यक दवाएं उपलब्ध है।

उपकरणों की मांग विभागों द्वारा उनकी आवश्यकता पर आधारित होती है जो कि मांगे जाने पर तुरंत क्रय विभाग को प्रस्तुत की जाती है।

डॉक्टरों पर अतिरिक्त बोझ एक आभासिक स्थिति है;

(घ) मरीजों से कनेक्ट होने के लिए डांस थैरेपी/हैप्पीनेस थेरेपी एक अच्छा उपाय है;

(ङ) उन्होंने इस योजना का स्वागत किया है।

160. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र को भी इलैक्टिक बसों के रूट में रखा गया है,

(ख) यदि हाँ, तो अम्बेडकर नगर टर्मिनल को, कितनी इलैक्ट्रिक बसें, किस–किस रूट के लिए उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि विराट सिनेमा से मैटो फीडर बस चलाई जाती है;

(घ) यदि हाँ, तो कितनी और किन रूटों पर; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) इलैक्ट्रिक बसों के लिए बनाए गए कलस्टरों में अम्बेडकर नगर टर्मिनल से गुजरने वाले रूटों की **योजना संलग्न 'क'** पर दी गई है;

(ग) वर्तमान में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन द्वारा विराट सिनेमा से मेट्रो फीडर बस नहीं चलाई जाती है;

(घ) उपरोक्तानुसार; और

(ङ) दिल्ली मेट्रो के वर्तमान बस बेड़े में सीमित संख्या में बसें हैं।

संलग्न–'क'

Routes planned under Clusters formed for Electric Buses passing through Ambedkar Nagar Terminal

Sl. No.	Route No.	Cluster No.	From	To	Number of Cluster Buses	Fare Stage
1	2	3	4	5	6	7
1	512	E-2	R. K. Puram Sector 1 via Ambedkar Nagar Terminal, Ambedkar Nagar Sec 4	Ambedkar Nagar Sector 4 (Virat Cinema)/ Nehru Place	6	1. R.K. Puram Sec-1 2. Mohd. Pur 3. S.N. Depot 4. I.N.A Colony 5. S.J Hospital 6. IIT Gate 7. Panchsheel Club 8. Begam Pur 9. Saket Market 10. J.BIock Saket 11. Ambedkar Nagar Terminal 12. Ambedkar Nagar Sect-IV-(Virat Cinema)
2	680	E-2	Kendriya Terminal via Ambedkar Nagar Terminal,	Ambedkar Nagar Sector 4 (Virat Cinema)/Nehru Place	12	1. Kend Terminal 2. Kr. Bhawan 3. Teen Murti 4. USSR Embassy 5. Moti Bagh 6. RK Puram-1 7. JNU 8. Qutab Enclave 9. PTS 10. Saket Mkt

			Ambedkar Nagar Sec 4			11. AN Terminal 12. AN Sect-4 (Virat Cinema)
3	447	E-3	Bhalswa JJ Colony via Ambedkar Nagar Sec 5	Ambedkar Nagar Sector 5	9	1. Bhalswa JJ Colony 2. Mukand Pur 3. Burari Crossing 4. Jagat Pur 5. Majnu Ka Tilla 6. Raksha Vigyan Kend 7. ISBT R Ring Rd 8. Yamuna Bzr 9. Shanti Van 10. Delhi Gate 11. Supreme Court 12. Sunder Nagar/Golf Club 13. Ps Nizamuddin 14. Ashram 15. Sapna Cinema 16. Sant Nagr 17. Kalkaji 18. DDA Flats 19. Hamdard Nagar 20. Ambedkar Nagar Sec - 5.
				Total	27	

161. श्री सुश्री राखी बिड़ला : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी बसें, किन–2 रूटों पर चल रही हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि बस रूट नं0 231, 568, 808, 939, व 966, के फेरे बढ़ाने व तय रूटों पर न चलने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक इन परेशानियों का हल कर दिया जाएगा?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली परिवहन निगम की चलने व होकर गुजने वाली बसों का विवरण **परिशिष्ट 'क'** में उपलब्ध है;

(ख) जी नहीं, वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की 29 बसें अनुसूचित हैं, विवरण उपरोक्त **परिशिष्ट 'क'** में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त मंगोल पुरी विधान सभा क्षेत्र से कलस्टर स्कीम के अंतर्गत 28 बसें चलती हैं तथा 119 बसें इस क्षेत्र से होकर गुजरती है; और

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार कलस्टर सेवा में 2000 (1000 लो फ्लोर ए.सी. सी.एन.जी. बसें) अतिरिक्त बसें लाने का निर्णय ले चुकी है। इसके अतिरिक्त 1000 इलैक्ट्रिक बसों को लाने का प्रस्ताव है। ये बसें आने के बाद पूरी दिल्ली में बसों की ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

परिशिष्ट–'क'

Detail of Bus Routes in Mangol Puri Vidhan Sabha Constituency Route Originating from Mangol Puri Terminal

Route No.	From	To	Total Buses
1	2	3	4
231	Mangol Puri Q-Blk.	Old Delhi Rly. Station	1
568	Mangol Puri Q-Blk.	S.J.Terminal	7
808	Mongol Puri Q-Blk.	Tilak Nagar	4
901	Mongol Pun Y-Blk.	Kamla Market	26
939	Mongol Puri Q-Blk.	Anand Vihar ISBT	9
940	Mangol Puri Q-Blk.	Snivaji Stadium	6
940A	Mangol Puri Q-Blk	Inder Puri JJ Colony Krisht Kunj	2
953	Mongol Puri Q-Blk.	Karol Bagh Terminal	1
966EXT	Mangol Puri Q-Blk.	Nizamuddin Rly. Station	8
	Total Buses		64
Route Passing through Mangol Puri			
114	Old Delni Rly. Station	Qutabgarh Border	15
114A	Azad pur Terminal	Auchandi Border	4

1	2	3	4
114B	Ajad pur Terminal	Katewara Village	1
114EXT	Azad Pur(T)	Jat Khore	1
174STL	Azad Pur (T)	Jyonti Border	2
182A	ISBT. K. Gate	Sukhbir Nagar	9
247	ISBT Kashmere Gate	Kanjhawala Village	4
254	Satar Pur Extn.	Quamruddin Nagar	23
569	S.J Terminal	Sultan Puri D-Blk.	14
741	Mangla Puri	Jyonti Shivalaya	2
741A	Uttam Nagar Terminal	Katewara Village	1
7S1	Mangla Puri	Azad Pur Terminal	26
879	Janak Puri D-Blk.	Shahbad Dairy	32
879A	Janak Puri D-Blk.	Badli Rly. Station	3
8798	Janak Puri D-Blk.	Shahbad Dairy	4
8798 Spl.	Janak Puri D-Blk.	Rohini 5ector-34 (Block C-13, PKT-2 Gate No. 1)	2 Trip
583	Uttam Hagar (T)	Kashmere Gate ISBT	10
908	Karampura (T)	Sultan Puri	4
921	Old Delni Rly. Station	Rani Khera	2

1	2	3	4
921EXT	ISBT Kashmere Gate	Mubarakpur Dabas	3
937 A	Old Delhi Rly. Station	Sultan Puri	23
943	Anand Vihar ISBT	Sultan Puri Terminal	4
944	Kendriya Terrninal	Sultan Puri	8
954	Ambadkar Stadium (Tr.)	Sultan Puri Terminal	15
957	Shivaji Stadium	Rohini Sec-22 Terminal	34
957Spl.	Budh Vihar Ph-II Xing	Shivaji Stadium	1
962	Kendriya Terminal	Kanjhawala Village	1
962A	Shivaji Stadium	Majra Dabas	
970	J.L. Nehru Stadium	Rohini Sec-1 Avantika	10
971	Anand Vihar ISBT	Rohini Sec-1 Avantika	46
972	Haewali Village	Uttam Nagar (T)	5
972A	Bawana	Uttam Nagar (T)	15
982	New Seema Puri	Sultan Puri	13
984A	Rohini Sec-1 Avantika	Lajpat Nagar	5
By Pass Express	Uttam Nagar Terminal	Sarai kale Khan ISBT	19

1	2	3	4
Gramin Mudrika (+)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6
Gramin Mudrika (-)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6
OMS (+)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	38
OMS (-)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	31
	Total Buses		442+2 Trip

162. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेन्टेनेन्स एंड मेनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स, 2017 के अब तक लागू न हो पाने के क्या कारण है;

(ख) इसके अधिसूचित किये जाने में क्या रूकावटें हैं;

(ग) इसे कब तक अधिसूचित कर दिया जायेगा; और

(घ) सरकार इसमें क्या क्या संशोधन लेकर आ रही है?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) (ख) और (ग) दिल्ली मेन्टेनेन्स एंड मेनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेस रूल्स, के संशोधित प्रारूप को इससे प्रभावित

होने वाली व्यक्तियों के सूचनार्थ तथा आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने की अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रक्रिया जारी है; और

(घ) अभी प्रस्ताव विचाराधीन है तथा सक्षम अधिकारी (Competent Authority) की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, स्वीकृति मिलने तक संशोधन किए जा सकते है तथापि इस प्रश्न का उत्तर प्रारूप अधिसूचना (Draft Notification) होने पर ही दिया जा सकता है।

163. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डी.टी.सी. बस स्टैंड पर विज्ञापन और प्रचार के लिए जो जगह है, उन्हें कम्पनी को देने की नीति क्या है;

(ख) इन्हें कितने समय के लिए किस कम्पनी को दिया गया है; इसका पूर्ण विवरण क्या; और

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में डी.टी.सी. बसों के माध्यम से प्रचार या विज्ञापन करने की योजना पर भी सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली में डी.टी.सी. बस स्टैण्ड पर विज्ञापन और प्रचार के लिए जो जगह है, उन्हें कंपनियों को खुली निविदाओं के द्वारा दिया जाता है;

(ख) विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र.सं.	बस क्यू शैल्टर्स की संख्या और एजेंसी का नाम	समयावधि
1.	319+100 मेसर्स जेसी डिकॉक्स	20 वर्ष विस्तारयोग्य 5 वर्ष (24.02.12 से)
2.	328+100 मैसर्स जेसी डिकॉक्स	20 वर्ष आगे विस्तारयोग्य 5 वर्ष (26.09.12 से)
3.	156 मेसर्स टाइम्स हो	7 वर्ष आगे विस्तारयोग्य 3 वर्ष (23.10.17 से)
4.	137 (जोन–2) मेसर्स ए.ओ.एम.	10 वर्ष आगे विस्तारयोग्य 5 वर्ष (23.10.17 से)
5.	148 (जोन–4) मेसर्स ए.ओ.एम.	10 वर्ष आगे विस्तारयोग्य 5 वर्ष (23.10.17 से)
6.	146 (जोन–5) मेसर्स ए.ओ.एम.	10 वर्ष आगे विस्तारयोग्य 5 वर्ष (23.10.17 से)

(ग) जी हाँ; और

(घ) डी.टी.सी. बसों पर विज्ञापन का कार्य वर्तमान में निगम द्वारा तीन कम्पनियों को ई–टैन्डर के द्वार बन्दा बहादूर मार्ग, नारायणा, पूर्वी विनोद नगर, सरोजनी नगर, वजीरपुर, शादीपुर, रोहिणी–2 नांगलोई, गाजीपुर डिपो को दिया गया है।

निगम के शेष डिपो पर भी भविष्य में विज्ञापन का कार्य प्रगति पर है।

164. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार सराय कालेखां पर रीजनल रैपिड टॉजिंट स्स्टिम (आर.आर.टी.एस.) मेगा स्टेशन को रोक रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार की मंशा के अनुसार यदि यह स्टेशन भूमिगत बनाया जाता है तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा व प्रस्तावित होटल बनाने में कई वर्षों की देरी होगी क्योंकि ऐलिवेटेड स्तर पर स्टेशन बनाने के प्रस्ताव से एक साथ एक से अधिक एजेंसियां कार्य कर सकती हैं जबकि स्टेशन को भूमिगत बनाए जाने से एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कालेखां आर.आर.टी.एस. मेगा स्टेशन को भूमिगत की बजाए ऐलिवेटेड बनाने से होने वाले खर्च में चार हजार करोड़ रुपए की बचत होगी; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार के इस निर्णय से जनसंख्या के बोझ को कम करने, वायु प्रदूषण को कम करने, सड़कों पर वाहनों की भीड़ को कम कर दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने तथा दिल्ली की आधारभूत संरचनाओं की कमी को पूरा करने, अन्य राज्यों से दिल्ली में जनसंख्या के दवाब को कम करने के काम प्रभावित होंगे?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर निर्माण हेतु एन.सी.आर.टी.सी. की संशोधित योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 24.01.2019 के पत्र द्वारा दे दी है। इस संशोधित योजना के अनुसार सराय काले खां पर एलिवेटेड स्तर पर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।

डी.टी.आई.डी.सी. ने सूचित किया है कि भूमिगत स्टेशन बनाए जाने की स्थिति में भी एक से अधिक एजेंसिया कार्य कर सकती है एवं बस अड्डा निर्माण कार्य समानांतर रूप से हो सकता है। स्टेशन को भूमिगत करने कुछ देरी की संभावना अवश्य है;

(ग) NCRTC ने सूचित किया है कि दिल्ली–मेरठ, दिल्ली–अलवर और दिल्ली–पानीपत तीनों कॉरिडोर के लिए सराय काले खां में एलिवेटेड स्टेशन की योजना से इन परियोजनाओं की लागत पहले प्रस्तावित भूमिगत स्टेशन की तुलना में 4000 करोड़ रुपये घट जायेगी। हांलांकि, लागत में कमी होने की पुष्टि कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर दिल्ली–पानीपत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) अथवा इस कथन का विश्लेषण करने वाली कोई तुलनात्मक रिपोर्ट अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर.आर.टी.एम. कॉरिडोर निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 24.01.2019 के पत्र द्वारा दे रही है।

165. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने पर डी.टी.सी. में 10000 नई बसें जोड़ने का वायदा किया था;

(ख) इस दौरान कितनी बसों को सेवा योग्य न होने के कारण हटाया गया;

(ग) फरवरी, 2015 में डी.टी.सी. की कितनी बसें चल रही थी और अब कितनी बसें चल रही हैं;

(घ) फरवरी, 2015 में डी.टी.सी. के कितने रूट थे और अब कितने रूट है;

(ङ) 2015 से 2018 तक वर्षानुसार बस यात्रियों की संख्या क्या रही है; और

(च) वर्ष 2019 में किस किस श्रेणी की कितनी नई बसें जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में कुल 11000 स्टेज कैरिज बसें चलाने का निर्णय है। दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार 5500 बसें क्लस्टर स्कीम द्वारा चलाई जाएगी;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा फरवरी–2015 से 997 बसों को सेवा योग्य न होने के कारण हटाया गया है;

(ग) फरवरी 2015 में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 4897 बसें थी। वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 4879 बसें थी। वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 3882 बसों का बेड़ा है;

(घ) फरवरी, 2015 में डी.टी.सी. के कुल 574 रूट परिचालन में थे, तथा माह फरवरी , 2019 में डी.टी.सी. के कुल 442 रूट परिचालन में है;

(ङ) वर्ष 2015 से 2018 तक वर्षानुसार बस यात्रियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18
12944.24	11516.52	10897.91

यात्री भार लाख में दर्शाया गया है; और

(च) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 (800 नोन एसी और 200 एसी) लो फ्लोर बसों की खरीद का प्रस्ताव डी.टी.सी. बोर्ड की बैठक में रखने का विचार है।

166. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय परिचहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नागरिक सेवाओं जुड़े कर्मचारियों जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अध्यापक, दिल्ली के डॉक्टर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए डी.टी.सी. की बसों की बसों में फ्री यात्रा करने के लिए पास दिये जा सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो योजना को लागू करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जागा?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) (ख) और (ग) वर्तमान में डी.टी.सी. द्वारा नागरिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अध्यापक, दिल्ली के डॉक्टर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए डी. टी.सी. बसों में फ्री–यात्रा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

167. श्री रामचन्द्र : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली वाली बसों की संख्या बहुत कम है;

(ख) इस क्षेत्र के लिए नई बसें कब तक आ पायेगी;

(ग) बवाना विधान सभा क्षेत्र में कितने बस रूट ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं;

(घ) बंद पड़े बस रूटों पर बस सेवा पुनः कब तक शुरू हो जाएगी;

(ङ) इस क्षेत्र के लिए कितने नए बस रूट नम्बर शुरू करने की विभाग की क्या योजना है; और

(च) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं, सांसधनों की उपलब्धता के आधार पर इस क्षेत्र में संतोषजनक बस सेवा परिचालन में है;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें आने पर ही विचार किया जा सकता है;

(ग) बवाना विधानसभा क्षेत्र के बन्द रूटों का विवरण **परिशिष्ट 'क'** पर उपलब्ध है;

(घ) दिल्ली परिचहन निगम के बेड़े में बसों की वृद्धि होने पर बन्द किये हुए रूटों को जांच उपरान्त चलायास जा सकता है;

(ङ) भविष्य में कलस्टर सेवा के अन्तर्गत स्टैण्डर फ्लोर, लो फ्लोर और इलैक्ट्रिक बसों के परिचालन के अनुसार 360 बसें बवाना विधान सभा से परिचालित होगी;

(च) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निम्न प्रकार से सीटें आरक्षित है।

विवरण	टाटा	अशोक लैलेण्ड
महिलाएं	10	10
विकलांग	4	2
वरिष्ठ नागरिक	4	4
दृष्टिहीन	1	1

Sl. No.	Route No.	From	To
1	62	Kamla Market	Shahbad Dairy
2	102	Old Delhi Railway. Station	Rohini Sect-22 (Lakhi Ram Park)
3	123	Mori Gate Terminal	Harewali Border
4	161	Fateh Puri	Sultan Pur Dabas
5	174	AzadPur	Kanjhawla
6	927	Punjabi Bagh Terminal	Bawana
7	961	Narela	Njaf Garh
8	981	Narela	Tikri Bdr
9	983	Pun.Bagh Terminal	Harewali Border
10	987	Karampura Terminal	Rohini Sec.25(Deep Vihar)
11	994	Shahbad Dairy	JLN Stadium

168. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रिक बसों की पायलट योजना में आजादपुर टर्मिनल से भी कोई परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है;

(ग) इलैक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारम्भ कब तक किया जाना संभावित है;

(घ) क्या परिवहन विभाग द्वारा टूटे–फूटे बस–स्टॉप की मरम्मत हेतु कोई विशेष योजना चलाई जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसका कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) और (ख) जी नहीं;

(ग) इलैक्ट्रिक बसों का परिचालन अक्टूबर 2019 तक शुरू होना अपेक्षित है;

(घ) जी हाँ;

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

169. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सड़कों को भीड़भाड़ से मुक्त कराने और लोगों को उनके निजी वाहन सड़कों पर लाने से हतोत्साहित करने के लिए अध्ययन प्रारम्भ गया है; विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली में उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन के साधन क्या है और फरवरी 2015 से इनमें क्या बढ़ोतरी हुई है;

(ग) मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन से बस रूट चलते हैं और कहाँ से कहाँ तक जाते है, बस रूट के स्टापों ओर उनके फेरों के बारे में पूरा विवरण क्या है;

(घ) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बस उपलब्ध कराने के लिए विभाग को भेजे गये अनुरोध की स्थिति क्या है;

(ङ) अर्जुन नगर हुमायूंपुर, सफदरजंग इन्कलेब, ग्रीन पार्क, यूसूफ सराय, गौतम नगर, मस्जिद मौठ, हौज, खास, खिड़की गांव के निवासियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं उपलब्ध कराने और वर्तमान रूटों के फेरे बढ़ाने के लिए सरकार द्वार की गयी कार्रवाई का विवरण क्या है;

(च) कालू सराय में हौजखास बस डिपो का क्षेत्रफल क्या है;

(छ) इस डिपों में विद्यमान और प्रस्तावित सुविधाएं तथा इस डिपो से चलने वाले बस रूटों का विवरण क्या है; और

(ज) फरवरी 2015 से किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुरू की गई ऐसी किसी सेवा का विवरण क्या है?

माननीय परिवहन मंत्री : (क)

1. परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा कल्स्टर स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की 3000 (1000 नोन ए.सी. स्टैण्डर्ड फ्लोर हाईड्रोलिक लिफ्ट सहित, 1000 ए.सी. लो फ्लोर, तथा 1000 इलैक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ए.सी. लो फ्लोर) बसें इन्गेज की जा रही है;

2. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 (800 नान ए.सी. और 200 ए.सी.) लो फ्लोर बसों की खरीद का प्रस्ताव डी.टी.सी. बोर्ड की बैठक में रखने का विचार है;

3. परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में परिचालित समस्त रूटों के लिए डिम्स द्वारा 'रूट रेशनलाइजेशन का अध्ययन' करवाया जा रहा है;

4. दिल्ली मेन्टेनेन्स एंड मेनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेस रूल्स 2019 का प्रारूप विचाराधीन है;

(ख)

1. दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में फरवरी 2015 से कोई वृद्धि नहीं हुई है, अपितु वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम का फ्लीट 3882 है, जोकि फरवरी 2015 में 4897 था। 997 बसें अपना निर्धारित 15 वर्ष का समय पूरा करने के पश्चात् सेवा से हटा दी गई;

2. कलस्टर स्कीम में परिचालित बसों की संख्या फरवरी 2015 में 1263 थी जोकि बढ़कर 1679 हो गई है। अतः कलस्टर बसों के बेड़े में 416 बसों की वृद्धि हुई है;

3. राज्य परिवहन प्राधिकरण के अन्तर्गत 800 प्राइवेट मिनी स्टेज कैरिज की बसें फरवरी 2015 के पूर्व से वर्तमान तक परिचालन में है;

4. मेट्रो फीडर की 174 बसें प्रचालन में है। फरवरी 2015 में मेट्रो फीडर की 291 बसें परिचालन में थी, परन्तु 117 बसों 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर परिचालन से हट गई है; और

5. इसके अतिरिक्त फरवरी 2015 में 34,438 टैक्सियां पंजीकृत थी जो फरवरी 2019 में बढ़कर 91,644 हो गई तथा ऑटो रिक्शा फरवरी 2015 में 43,776 पंजीकृत थे जो फरवरी 2019 में बढ़कर 89,011 हो गये है;

(ग)

1. मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र से चलने व होकर गुजरने वाले दिल्ली परिवहन निगम तथा कलस्टर के रूटों का विवरण फेरों सहित **परिशिष्ट 'क'** तथा **क–1** पर उपलब्ध है तथा इन रूटों पर पड़ने वाले पूर्ण बस स्टापों का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में उपलब्ध है; और

2. वर्तमान में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो द्वारा 6 फीडर बस एवं एक प्राइवेट मिनी स्टेज कैरिज का रूट संचालित है जिनका बस स्टॉप सहित विवरण **परिशिष्ट 'ग'** पर है।

(घ) पिछले 1 वर्ष में माननीय विधायक महोदय से अपनी क्षेत्र की बस सेवा उपलब्ध कराने के संदर्भ में 3 पत्र प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में दिया गया जवाब परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है;

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की वृद्धि होने पर जांच उपरान्त इस क्षेत्र के रूटों पर बस सेवा में वृद्धि की जा सकती है;

(च) हौजखास बस टर्मिनल का क्षेत्रफल 1,627 एकड़ है;

(छ) निम्नलिखित सुविधायें हौजखास बस टर्मिनल पर उपलब्ध हैः–

1. रूट संख्या 335,620,765 की सुविधा यात्रियों हेतु उपलब्ध है।

2. यहाँ पर कम्प्यूट्रिकृत पास अनुभाग की सुविधा भी उपलब्ध है।

(ज) प्रश्न में मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण उत्तर देना संभव नहीं है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

170. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोण्डली विधान सभा क्षेत्र में कितने बस स्टैंड/शेल्टर बने हुए हैं और प्रत्येक की दशा का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में बस शेल्टर कब बनाये गये थे;

(ग) क्या इस क्षेत्र में नए बस शेल्टर बनाने की सरकार की क्या कोई योजना है;

(घ) क्या मयूर विहार फेस–3 से मैट्रो स्टेशन, न्यू अशोक नगर, और मयूर विहार एक्सटेंशन के लिए सीधी डी.टी.सी. की बस सेवा है;

(ङ) यदि हाँ तो बस का रूट नम्बर क्या है और

(च) यदि नहीं तो इन दोनों मैट्रो स्टेशनों के लिए कब तक बस चलाने की योजना है?

माननीय परिवहन मंत्री : (क) कोण्डली विधानसभा क्षेत्र में 53 बस स्टाप हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट 'क'** पर उपलब्ध है;

(ख) कोंडली विधानसभा में आधुनिक बस शेल्टर कॉमनवेल्थ गेम्स के समय 2010–11 में बनाए गए थे और दिल्ली परिवहन निगम द्वार पुराने बनाए गए बस क्यू शेल्टर के निर्माण का समय ज्ञात नहीं है;

(ग) जी हाँ;

(घ) व (ङ) जी नहीं; और

(च) वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम की कोई ऐसी योजना नहीं है।

परिशिष्ट "क"

कोन्डली विधान सभा क्षेत्र–56 बस स्टॉपों की सूची

क्रम	स्टाप का नाम	दिशा	स्थान (निकट)
1.	दल्लूपुरा सीवेज पम्प	मयूर विहार–3	आर.एस. विद्यालय
2.	दल्लूपुरा सीवेज पम्प	गाजीपुर	शमशान घाट
3.	दल्लुपूर	मयूर विहार–3	खेल मैदान
4.	दल्लूपरा	गाजीपुर	दि.ज.बोर्ड क्वार्टरस
5.	कोण्डली मोड़	मयूर विहार–3	अम्बेडकर पार्क
6.	कोण्डली मोड	गाजीपुर	बुध विहार
7.	मल्टीजिम	त्रिलोकपुरी	धर्मशिला कैंसर अस्पताल
8.	मल्टीजिम	मयूर विहार	दि.ज.बो. कार्यालय
9.	हाईलैंड अपार्टमैंट	त्रिलोकपुरी	डी.आर. अपार्टमेंट
10.	हाईलैंड अपार्टमैंट	मयूर विहार	विश्वकर्मा अपार्टमैंट
11.	डॉ. अपार्टमेंट	त्रिलोकपुरी	पर्यटन विहार
12.	डॉ. अपार्टमेंट	मयूर विहार विहार–1	पुलिस स्टेशन मयूर
13.	मयूर विहार फेस–3 टर्मिनल	मयूर विहार फेस–3,	रियान पब्लिक स्कूल टर्मिनल रूट नं. 493

क्रम	स्टाप का नाम	दिशा	स्थान (निकट)
14.	कल्याणपुरी	कल्याणपुरी	बस टर्मिनल एवं मार्किट
15.	कल्याणपुरी	पटपड़गंज	कल्याणपुरी थाना
16.	मयूर विहार फेस–3	कोण्डली	सर्वोदय बाल विद्यालय
17.	मयूर विहार फेस–3	मयूर विहार फेज–3	रियान पब्लिक स्कूल
18.	गाजीपुर डेयरी फार्म कॉलोनी	कोण्डली	श्मशान घाट
19.	गाजीपुर डेयरी फार्म कॉलोनी	मयूर विहार फेज–3	भारती पब्लिक स्कूल
20.	गाजीपुर डेयरी फार्म	कोण्डली	श्मशान घाट
21.	गाजीपुर डेयरी फार्म	मयूर विहार फेज–3	कोण्डली मोड़ बुध विहार
22.	कोण्डली	कोण्डली	कोण्डली गांव
23.	कोण्डली	मयूर विहार फेज–3	अम्बेडकर पार्क
24.	पुरानी कोण्डली	कोण्डली	दिनकर पब्लिक स्कूल
25.	पुरानी कोण्डली	मयूर विहार फेज–3	घड़ौली डेयरी फार्म

क्रम	स्टाप का नाम	दिशा	स्थान (निकट)
26.	खोडा कॉलोनी	मयूर विहार मोड़	सी.आर.पी.एफ. कैम्प
27.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प	मयूर विहार मोड़	सलवान पब्लिक स्कूल
28.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प	मयूर विहार फेज–3	सलवान पब्लिक स्कूल
29.	मयूर विहार फेस–3, ए–1 ब्लॉक	मयूर विहार मोड़	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
30.	मयूर विहार फेस–3, ए–1 ब्लॉक	मयूर विहार फेज–3	मेन मार्किट
31.	भारती पब्लिक स्कूल	मयूर विहार मोड़	दिल्ली जल बोर्ड
32.	भारती पब्लिक स्कूल	मयूर विहार फेज–3	सैंट मैरी स्कूल
33.	न्यू कोण्डली ए–1	मयूर विहार मोड़	बी.पी. स्कूल
34.	न्यू कोण्डली ए–1	मयूर विहार फेज–3	ए–2, ओपन ग्राउण्ड
35.	मयूर विहार मोड	मयूर विहार मोड़	सैंट मैरी स्कूल
36.	मयूर विहार मोड	मयूर विहार फेज–3	दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय
37.	मयूर विहार मोड–3	मयूर विहार मोड़	पुलिस चौकी नोएडा मोड़

क्रम	स्टाप का नाम	दिशा	स्थान (निकट)
38.	मयूर विहार मोड–3	मयूर विहार फेज–3	रियान पब्लिक स्कूल
39.	कल्याणपुरी	पूर्वी विनोद नगर	प्लाई वुड मार्किट
40.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल (वसुन्धरा)	दल्लूपुरा	धर्मशिला अस्पताल
41.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल (वसुन्धरा)	त्रिलोकपुरी	धर्मशिला अस्पताल के सामने
42.	मयूर विहार फेस–3 (सी.आर.पी.एफ. कैम्प)	मयूर विहार, फेस–3	सलवान पब्लिक स्कूल
43.	मयूर विहार फेस–3 (सी.आर.पी.एफ. कैम्प)	वसुन्धरा इन्क्लैव	सलवान पब्लिक स्कूल
44.	कल्याणपुरी मोड	मयूर विहार–3	चैक पोस्ट
45.	कल्याणपुरी मोड	गाजीपुर	मछली बाजार
46.	गाजीपुर डेरी फार्म	मयूर विहार–3	पावर हाउस
47.	गाजीपुर डेरी फार्म	गाजीपुर	पावर हाउस के सामने
48.	गाजीपुर डेरी फार्म डी.डी.ए. फ्लैट्स	मयूर विहार–3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
49.	गाजीपुर डेरी फार्म डी.डी.ए. फ्लैट्स	गाजीपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने

क्रम	स्टाप का नाम	दिशा	स्थान (निकट)
50.	गाजीपुर मोड	मयूर विहार–3	दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस
51.	गाजीपुर मोड	आनन्द विहार	डी.डी.ए. आफिस
52.	गाजीपुर मोड	खिचड़ीपुर	सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प के सामने
53.	ममता पब्लिक स्कूल/ हिन्डल अपार्टमेंट	दल्लूपुरा	नजदीक समर विल्ला स्कूल

171. श्री नितिन त्यागी : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिल्ली सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं हैं;

(ख) पिछले चार वर्षों में उक्त योजनाओं के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि नियत करके बांटी जा चुकी है, इसका पूरा विवरण क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभग्राही अथवा भावी लाभग्राही तक पहुँचाने के लिए कैसे विज्ञापित व प्रचारित किये जाते हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) इस विभाग द्वारा जिन योजनाओं के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति/सहायता प्रदान की जाती है उनका विवरण अनुलग्नक "अ" में वर्णित है;

(ख) इस विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रति वर्ष फंड का आबंटन अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है। जिसका विवरण अनुलग्नक "ब" में वर्णित है; और

(ग) इस विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in के माध्यम से दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रों से ऑन–लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं तथा इसका प्रचार समाचार पत्र में विज्ञापन देकर और दिल्ली सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस 1076 के द्वारा भी किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का पूरा विवरण निम्नलिखित हैं:–

1. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ट्यूशन की अदायगी।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों (कक्षा 6 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
4. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
7. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार।

अनुलग्नक—ब

Expendititure Statement for the year 2015-16 to 2018-19 (upto till date)

(Rs. in Thousand)

Sl. No.	Name of the Scheme	2015-16 Expenditure	2016-17 Expenditure	2017-18 Expenditure	2018-19 Expenditure
1	2	3	4	5	6
1	Scholership/Merit Scholership to OBC and Minority students - Class I to XII	494224	206157	214524	182989
2	Free Supply of Books and Stationery to OBC and Minority students- Class I to XII	609552	256222	179250	120351
3	Re-imbursement of tution fee in public school for OBC and Minority students	249908	43663	273405	307937
4	Post Matric Scholarship for OBC Students (CSS)	174096	39	3257	6630

1	2	3	4	5	6
5	Scholarship for Colleges and university students for OBC and Minority students.	29597	15928	16095	4994

* No such fund provided only to OBC students

172. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के रिठाला गांव स्थित हरिजन चौपाल के निर्माण के हेतु से फंड की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग को मिले फंड एवं प्रत्येक मद पर खर्च की गई राशि का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) पिछले चार वर्षों में इस विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र पर खर्च किए गए फंड का पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) क्या विभाग दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या का आँकड़ा रखता है; और

(च) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्रानुसार यह विवरण क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) जी, हाँ,

(ख) इस विभाग में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव रिठाला गाँव की हरिजन चौपाल को तोड़कर उसके पुनःनिर्माण किये जाने से संबंधित था। इस संबंध में कार्यकारी एजेंसी को पत्र लिखा गया था कि इस चौपाल को तोड़ने की अनुमति के लिये संबंधित नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे क्योंकि यह चौपाल एम.सी.डी. द्वारा निर्मित है एवं इसके अतिरिक्त इस कार्य से संबंधित प्रस्ताव डी.एस.आर.–2016 के लागू होने के कारण, उन्हें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को संशोधित कर वांछित दस्तावेजों के साथ पुनः प्रेषित करने हेतु वापस भेज दिया गया है। संशोधित प्रस्ताव अभी तक लंबित है;

(ग) पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग को मिले फंड एवं प्रत्येक मद पर खर्च की गई राशि का पूर्ण निम्नलिखित हैः–

(लाखों में)

योजना	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
निर्देश एवं प्रशासन	496	463	777	570	783	446	586	415
शिक्षा विकास	24519	22919	28200	22679	28626	9371	28476	22244
आर्थिक विकास	1655	0	1180	0.55	100	0.45	100	50
स्वास्थ्य आवास और अन्य	4921	4473	4624	3900	5013	2039	6502	5401

योजना	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
सी.एस.एस. स्कीम	2245	723	3246	1909	1455	474	1585	1255
कैपिटल	40	37.63	37	29.47	50	25.16	50	48.43

(घ) विभाग द्वारा "अनु.जाति/अनु.जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना" के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में रिठाला विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (लाख)
1.	2015—16	0.00
2.	2016—17	114.28
3.	2017—18	24.02
4.	2018—19	0.00

(ङ) जी नहीं; और

(च) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

173. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुण्डका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 01.01.2015 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए इस निर्वाचन के क्षेत्र के लिए निष्पादन किए गए कार्यों का विवरण क्या है;

(ख) 01.01.2015 से मुण्डका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए इस निर्वाचन के क्षेत्र के लिए निष्पादन किए जाने वाले प्रगति अधीन कार्यों का विवरण क्या है; और

(ग) दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.वि./अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) 01.01.2015 से अब तक विभाग द्वारा मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में निष्पादन कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है;

(ख) 01.01.2015 से अब तक विभाग द्वारा निष्पादन किये जाने वाले प्रगति अधीन कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'ख' में वर्णित है; और

(ग) इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.वि./अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण विवरण अनुलग्नक "ग" में वर्णित है।

अनुलग्नक 'क'

Sanction Issued/Funds released to DUSIB & I & FC Deptt, North MCD, East MCD, South MCD & DJB under the Scheme of Improvement of SC/ST Basties from 1/01/2015 to till date

Sl. No.	AC	M.L.A Name	Details of Work(s)	Executive Agency	File No. & date of sanction.	Amount (in Rupees)
1	2	3	4	5	6	7
1	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Regarding release of fund for the work of Improvement of SC/ST basties, providing and laying cement concrete payment & construction of drains by raising the level in main lanes of SC/ST Basti at C-3, Swam Park Mundka	The Exeuctive Engineer, C-2, 3rd floor, Circle office Building, Road No. 28, Shivaji Place, Raja Garden, New Delhi-110027. (DUSIB)	No.F.3(15)/2015-16/ DSCST(lmpl.)/ 276-90 dated 8/04/2016	23299000
2	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Providing and laying Cement concretes pavements and constructions of drain by raising the level	The Exeuctive Engineer, C-2, 3rd floor, Circle office Building, Road No. 28, Shivaji Place,	No.F.3(15)/2015-16/ DSCST(lmpl.)/ 660-74 dated 25/04/2016	5261000

1	2	3	4	5	6	7
			in main lanes of SC/ST Basti at Chander Vihar (Gum Nanak Basti).	Raja Garden, New Delhi-110027 (DUSIB)		
3	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Construction of Balimiki Chaupal at village Nilothi	The Executive Engineer C-III, DUSIB IInd Floor Clircle Office Bldg. Raja Garden Delhi-110027	No.F.3(4)/2016-17/ DSCST(lmpl.)/989-1003 dated 9/05/2016	6299000
4	8	Shri Sukhbir Singh Dala Hon'able MLA Mundka AC-8	Providing Dash fasteners for Stone Cladding on outer faces of Building at C hall B-Block, Nangloi Ph-ll Mundka Assembly Constituency (AC-8)	The Executive Engineer, C-2 3rd Floor Circle office Building, Road No. 28 Shivaji Place, Raja Garden New Delhi-27	No.F.3(4)/2016-17/ DSCST(lmpl.)/548 8-5501 dated 7/10/2016	1095200
5	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Providing and laying cement concrete payment & construction of drains by raising the level in main lanes of SC/ST basti at C-5	The Executive Engineer, C-2 3rd Floor Circle office Building, Road No. 28 Shivaji Place, Raja Garden New	No.F.3(27)/2015-16/ DSCST(lmpl.)/116 11-628 dated 28/2/2017	8654100

			Khatik Mohalla Swarn Park Mundka AC-8.	Delhi-27		
6	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Impovement of left out portion existing gali in SC/ST Basti at village Karala in Kanjhawala Block AC-8.	The Executive Engineer, CD-VIM l&FC Deptt, GNCT of Delhi Rohini office complex, Sector-15 Rohini Delhi-89	No.F.3(1)/2016-17/ DSCST(lmpl.)/105 47-560 Dated 31/01/2017	1077000
7	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Demolishing of existing & Re-construction of Double Storey harijan. Chaupal at Village Mundka, AC-8.	The Executive Engieer, CD-XII l& FC Deptt, GNCT of Delhi Opp, ESI Hospital, Basaidarapur New Delhi-27	No.F.3(7)/2016-17/ DSCST(lmpl.)/116 54-666 Dated 28/02/2017	7500000
8	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Construction of Double Storey Balmiki Chaupal at Kh. No. 77/22/2 in SC/ST Basti at village Ladpur in Kanjhawala Block AC-8.	The Executive Engineer, CD-VI, l & FC Deptt, GNCT of Delhi, Bharat Nagar Delhi-36	No.F.3(4)/2016-17/ DSCST(lmpl.)/115 60-573 Dated 28/02/2017	12236000
9	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka	Improvement of SC/ST Basti at village Ladpur	The Executive Engieer, CD-I I&FC	No.F.3(35)/2016-17/ DSCST(Impl.)/115	5107000

1	2	3	4	5	6	7
		(AC-8)	in Kanjhawala Block AC-8.	Deptt, GNCT of Delhi Opp, ESI Hospital, Basaidarapur New Delhi-27	74-588 Dated 28/02/2017	
10	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Mundka (AC-8)	Improvement of gali at SC/ST Basti at village Madanpur in Kanjhawala Block, AC-8.	The Executive Engineer, CD-VIM I&FC Deptt, GNCT of Delhi Rohini office complex, Sector-15 Rohini Delhi-89	No.F.3(4)/2016-17/ DSCST(Impl.)/124 77-488 Dated 16/03/2017	293000
11	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Hon'ble MLA Mundka	Repair/ Raising of Lanes and drains at Balmiki Basti at Village Rasoolpur, Mundka AC-8.	The Executive Engineer C-2 DUSIB, 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28 Shivaji Place, Raja Garden New Delhi-27	No.F-3 (4)2016-17/ DSCST(impl.)/194 7-60 dated 8/06/2017	1668700
12	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai Hon'ble MLA Mundka	Repair/Raising of Lanes at harijan Basti at village Garhi Randhala Mundka AC-8.	The Executive Engineer, C-2, DUSIB, 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28 Shivaji Place, Raja Garden	No.F-3 (4)2016-17/ DSCST(Impl.)/ 196 0-74 dated 8/06/2017	3349000

				New Delhi-27		
13	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai Hon'ble MLA Mundka	Repair/Raising of Lanes at Harijan Basti and Badi Basti at village Jyonti AC-8 Mundka.	The Executive Engineer C-2 DUSIB, 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28 Shivaji Place, Raja Garden New Delhi-27	No.F-3 (4)2016-17/ DSCST(impl.)/193 2-45 dated 8/06/2017	6856000
14	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai Hon'ble MLA Mundka	Construction of Julaha Chaupal at village Mundka (AC-8).	The Executive Engineer, C-2, DUSIB 3rd Flood Circle office bldg. Road No. 28 Place Raja Garden, New Delhi-27.	No.F-3 (2)2017-18/ DSCST(impl.)/856 4-78 dated 22/09/2017	7449100
15	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai Hon'ble MLA Mundka	Reconstruction of Balmiki Chaupal at village Garhi Randhala, Mundka (AC-8).	The Executive Engineer, C-2, DUSIB 3rd Flood Circle office bldg. Road No. 28 Place Raja Garden, New Delhi-27.	No.F-3 (4)2017-18/ DSCST(impl.)/827 2-86 dated 20/09/2017	15821000
16	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai Hon'ble MLA Mundka	Repair/Raising of lanes at Balmiki Basti and Harijan Basti at Village	The Executive Engineer, C-2, DUSIB 3rd Flood	No.F-3 (2)2017-18/ DSCST(impl.)/887 1-85 dated	553000

1	2	3	4	5	6	7
			Rani Khera, AC-08.	Circle office bldg. Road No. 28 Place Raja Garden, New Delhi-27.	26/09/2017	
17	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Hon'ble MLA, Mundka	Construction of side drain and road of Twenty Point Programme plots at village Tatesar In Distt N/W	The Executive Engineer CD-8 I & FC Deptt., Govt of NCT. of Delhi Sec-15 Rohini Delhi-110089	No. F.3(22)/2018-19/ DSCST (Imp.)/ 165-177 dated 01/01/2019	10832000
18	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Hon'ble MLA, Mundka	Construction additional Hall ano Repair of Balimiki Chaupal at village Hiran Kudna in distt. (West)	The Executive Engineer, CD No. XII, I & FC Deptt., GNCTD, Basai Darapur, Opp. E.S.I. Hospital, Delhi-110027.	No. F.3(22)/2018-19/ DSCST (Imp.)/221-233 dated 02/01/2019	1898000
19	8	Sh. Sukhbir Singh Dalai, Hon'ble MLA, Mundka	Repair and renovation of Balmiki Chaupal at village Kanjhawala in Distt. N/W.	The Executive Engineer, CD-VIII, I&FC Deptt., Govt of NCT. Of Delhi, Sec-15, Rohini, Delhi-110089.	No.F.3(22)/2018-19/ DSCST(Imp.)/2264-76 dated 12/02/2019	2411000
				Total		121659100

अनुलग्नक 'ख'

List of under process Pending Proposals (Mundka)

Sl. No.	Details of Proposal	Name of Executing Agency	Executing Agency (I&FC/DUSIB)	CD	Estimated Cost (in Lakh)	Month	Date of receipt of Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of RMC road at Balmiki Basti Village Hirankudna in Distt. West.	I & FC Deptt.	The Executive Engineer, CD-XII, l& FC Deptt., Govt. of Delhi, Basaidara pur, Opp. ESI Hospital, Delhi-110027	I &FC CD-XII	87.88	June	20-06-18
2	Improvement of three number streets from Rakesh H.No. 642toVed Prakash H. No. 748, dharambir H. No. 688 to Surender H.No. 689 and Raj singh H.No. 702 to Krishan H.No. 717 in village Mundka Distt. West. (Including Maintenance for 6 years).	I & FC Deptt.	The Executive Engineer, CD No. XII, I & FC Deptt., GNCTD, Basai Darapur, Opp. E.S.I. Hospital, Delhi-110027.	I &FC, CD-XII	12.41	June	27-06-18

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Demolishing of existing & Re-Construction of Double storey new Balmiki Chaupal at Village Qamaruddin Nagarin Nangloi Block.	I&FC Deptt.	The Executive Engineer, CD No. XII, I & FC Deptt., GNCTD, Basai Darapur, Opp. E.S.I. Hospital, Delhi-110027.	I &FC, CD-XII	95.20	June	27-06-18
5	Construction of Balmiki Chaupal at Village Kamrudin Nagar, AC-08, Mundka.	DUSIB	The Executive Engineer C-2 DUSIB Delhi 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28 Shivaji Place, Raja Garden New Delhi	DUSIB C-2	155.68	Aug	20-08-18
6	Construction of Double Storey Balmiki Chaupal in SC/ST Basti at village Rani Khera in Kanjhawala Block.	I & FC Deptt.	The Superintending Engineer Flood Circle-II, l&FC Deptt., GNCT of Delhi, Office Complex, Sec-15 Rohini Delhi-89	I &FC, FC-II	103.18	Aug	29-08-18
7	Construction of double storey Balmiki chaupal in SC/St Basti at village Madanpur in Kanjhawala Block.	I & FC Deptt.	The Superintending Engineer Flood Circle-II, l&FC Deptt., GNCT of Delhi, Office Complex, Sec-15 Rohini Delhi-89	I &FC, FC-II	139.72	Aug	29-08-18
8	Demolishing and re-	I & FC	The Executive Engineer,	I &FC,	77.50	Aug	29-08-18

	construction of double storey Balmiki chaupal in SC/ST basti at village Mohammadpur majri in Kanjhawala Block.	Deptt.	CD-VIM, l&FC Deptt., Govt of NCT. Of Delhi, Sec-15, Rohini, Delhi-110089.	CD-VIII			
9	Re-construction of Balmiki Chaupal at village Mohd. Pur Majri, AC-08, Mundka.	DUSIB	The Executive Engineer C-2 DUSIB Delhi 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28* Shivaji Place, Raja Garden New Delhi	DUSIB C-2	105.93	Sep	04-09-18
10	Construction of Balmiki Chaupal at village Tikri Kalan Mundka (AC-08)	DUSIB	The Executive Engineer C-2 DUSIB Delhi 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28 Shivaji Place, Raja Garden New Delhi	DUSIB C-2	128.58	sep	06-09-18
11	Improvement of lanes at E-Block, Nangloi Ph-ll by laying cement, concrete paver blocks, AC-08	DUSIB	The Executive Engineer C-2 DUSIB Delhi 3rd Floor Cirle Office Bldg, Road No.28 Shivaji Place, Raja Garden New Delhi	DUSIB C-2	49.09	Nov	08-11-18
			Total		955.17		

अनुलग्नक "ग"

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रों के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:–

1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन की अदायगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
4. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
5. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
6. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा निम्न मुख्य योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है:–

1. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना:

   इस योजना के तहत दिल्ली में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित पात्रताधारी विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार यू.पी.एस.सी. /एस.एस.सी. इत्यादि द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग उपलब्ध करा रही है।

2. एक आवासीय विद्यालय कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KISS), जो कि कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KIIT), भुवनेश्वर एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उद्दम में MOU के तहत चलाया जा रहा है। इनमें रहने वाले छात्राओं को शिक्षा, आवास, खाना, युनिफार्म, लेखन सामग्री, किताबें तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

3. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. के विद्यार्थियों के लिए दिलशाद गार्डन में दो होस्टलों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 160 विद्यार्थी (छात्र–100 व छात्रा–60) लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं का आवास एवं खाने–पीने की सुविधाएँ निशुल्क दी जाती है।

4. यह विभाग, डी.एस.एफ.डी.सी. के माध्यम से अनुसूचित जाति/जन जाति/अ.पि.व. तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की एवं दिल्ली स्वरोजगार योजना द्वारा ऋण आवंटन की सुविधा प्रदान की जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

1. अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए 2.50 लाख रुपया तक दिया जाता है।
2. अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद रु. 85000 से रु. 8,25,000 तक दिया जाता है।
3. बस्तियों का सुधारीकरण।
4. दिल्ली स्वरोजगार योजना एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यकों के लिए।

174. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनु.जाति, अनु.जनजाति विभाग द्वारा स्थापित बारात घरों के संचालन/बुकिंग तथा रखरखाव हेतु वर्तमान में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या अनु.जाति, अनु. जनजाति विभाग के बारात घरों के संचालन हेतु सरकारी दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन हो रहा है;

(ग) द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनु.जाति, अनु.जनजाति विभाग द्वारा स्थापित कुल बारात घर तथा उनके संचालन/बुकिंग/रखरखाव हेतु तत्संबंधित सरकारी दिशा निर्देशों/आदेश पत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनु.जाति, अनु.जनजाति

विभाग द्वारा स्थापित कितने बारात घरों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं; और

(ङ) न्यायालय में विचाराधीन इन मामलों का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) इस संदर्भ में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि अनुलग्नक ''क'' पर संलग्न है;

(ख) इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। विभाग में बारात घरों के संचालन से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है जिनके समाधान के लिये भू–स्वामित्व ऐजेंसियों को निर्देश जारी किये गये है;

(ग) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में पांच बारात घरों/चौपालों के निर्माण के लिये इस विभाग द्वारा धनराशि दी गयी है। इनके संचालन से संबंधित दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' में वर्णित है;

(घ) राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार एक बारात घर का मामला न्यायालय में विचराधीन है; और

(ङ) राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर सिविल सूट संख्या 228/2015, पाटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है। अगली सुनवाई की तिथि 14.03.2019 है।

URGENT/BY SPEED POST

GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MIN.
B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P.
ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.3(20)2009-10/DSCST/Imp.614-732 Dated:15/01/2018

OFFICE ORDER

In super session of all earlier orders issued on the similar subject, New procedure/guidelines is formulated with the prior approval of the Hon'ble Minister, Welfare of SC/ST for handing over and management of the chaupals/ Community Centers constructed under the scheme of "Improvement of SC/ST Basties" and related matters are as follows:-

Management of the assets by Govt. Agencies.

Primarily, wherever feasible, management of the Chaupals/ Community Centers be carried out by the concerned custodians / land owning government agencies and user charges so collected from the booking be deposited in the Govt. accounts and be used for maintenance and watch & ward of the assets.

1. Management of the assets created on Lai Dora/Extended Lai Dora and Gram Sabha land etc. in the villages shall be carried out by concerned S.D.Ms, through Block Development Officers,

2. Management of the assets created on the land own by Delhi Urban Shelter Improvement Board, GNCT of Delhi be carried out by DUSIB at their own.

Management of the assets by local residents organizations.

Only in the situation where it is not feasible to carry out management of the assets by Govt. Agencies, the same may be handed over to the local organizations as follows:-

1. Management of chaupals / community centers may be handed over to a suitable local organization having majority of SC persons & duly recommended by area MLA. It should have a well defined governing body, duly elected by its members on year to year basis & membership of the organization should be open to all local SC/ST residents of the locality. Necessary amendments in the rules and regulations and Memorandum of Association of the organization shall be carried out within a period of six months for this purpose.

2. In case of any breakdown in functioning of SC/ST managing groups or other emergencies, the chaupal can be handed over to a government agency to run it temporarily till another robust organization takes it over.

3. Where more than one eligible registered organization is available, preference may be given to the organization with longer tenure.

4. The organization should not have been constituted for profit to any individual or body of individuals.

5. Organization should have a well defined governing body duly elected by its members. Regular elections ihall be held by the organization as per its Memorandum of Association.

6. There should be well defined set of guidelines for admitting members and rejection of an application made by a person for membership. The organization should not be deny membership to any local SC/ST resident who may apply for its membership without proper and justified reasons.

7. The organization should preferably be working within local area where the chaupai/community hall constructed by this Department falls.

8. Majority of the members in the organization should be persons belonging to SC/ST Community and the governing body/managing committee should have majority of the persons belonging to SC/ST.Community.

9. Organization having experience of work in the field of welfare of SC/ST persons of the area may be given preference.

10. Members of the managing committee of the organization should not have been convicted for offence of moral turpitude.

11. The members of the managing committee of the organization should not be close relations and the managing committee should be a democratically elected body.

12. Preference should be given to an organization having adequate monetary resource at its command.

13. Preference should be given to an organization working in the local area of the chaupai/community hall and having its office in proximity to the community hall/chaupal.

14. RWA/NGO should be a non-political body and having no known affiliations with a political group.

15. Proper accounts of income & expenditure have to be maintained and submitted to its registering authority on yearly basis.

16. The chaupal shall be open for inspection by the functionaries of Government of NCT of Delhi.

17. The Management Committee shall be responsible for the day to day maintenance and upkeep.

18. The electric & water connection shall be in the name of the Management Committee of RWA/Association/Society of the local area to whom the chaupal has been handed over. The Management Committee shall be responsible for payment of electricity and water charges.

19. The Management Committee's responsibility is to ensure that the government assets are maintained and managed properly and not put to any kind of misuse by any group or any of the individuals.

20. The Chaupal shall not be used as the office of the RWA/ Association/Society to whom the chaupal has been handed over.

General Guidelines:-

1. Handing over the management of assets to the local residents shall not construe any claim as matter of right. For optimum utilization of the assets, it will be in the discretion of the Govt. to utilize the infrastructure whole or

a part, for any other useful purpose like opening of Mohalla Clinic, facilitation center, learning center, etc.

2. All the chaupals/community halls constructed out of funds provided by this department shall be covered.

3. In these Chaupals/community halls, vocational training courses and similar activities for women/girls may be allowed to be organized.

4. Govt. Agencies/ Department concerned shall be responsible for the necessary repair & renovation, of these chaupals/ community halls. The funds to this effect shall be provided by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities based on approved estimates.

5. Initially Management of the chaupals/community centers be handed over by the SDM for the period of one year to the organization recommended by area MLA, that prima facie full fills the criteria laid down by this department.

6. Area SDM, after obtaining necessary feedback from the beneficiaries of the chaupals/communitv centers shall take a decision in coordination with area MLA for renewal of MOU or otherwise on year to year basis.

7. Approved user charges for booking of the chaupais/ community halls and proforma for MOU prepared by this Department.

8. Slight modifications in the standard user charges/rates of booking of the community hall/ chupals and terms and conditions of the MOU if required by the selected

organization will be decided by SDM, in consultation with area MLA, concerned Executive Engineers and representatives of the selected organization.

9. To avoid unnecessary delay in handing over the manafiement of assets to the selected organizations, necessary MOU may be signed by the office of the area SDM. After signing, copy of the MOU be forwarded to the Department for the welfare of SC/ST along with inventory of the assets by executing agencies for compilation of records. Physical possession of the assets be handed over to the representatives of the selected organization/group of local residents by the area Executive Engineer only after signing of required MOU.

10. Concerned Executive Engineer of the I&FC/DUSIB/any Govt. agency is the liaison officer between all the concerned authorities and responsible for proper handing over of the management of chaupal / community center after its construction.

11. Issue of handing over of management of chaupals / community centers should be finalized by the executing agency well before the completion of the work in consultation of area SDM so that utility created shall be open for usage of the beneficiaries at the time of its inauguration without any delay. Efforts shall also be made for proper handing over of the assets.

12. If required, any relaxation in the existing guidelines may be granted with the prior approval of the Hon'ble Minister (Welfare of SC/ST).

Standard user charges for the booking of the chaupai/community hall constructed of the funds from this Department.

- For Widows belonging to SC/ST Community - Rs. 2100
- For BPL families of SC/ST Community - Rs,2100
- For SC/ST Communities (Other than BPL/Widows) - Rs. 3100
- Communities other then SC/ST- Rs. 5100
- Charges for cleanliness- Rs.1,000
- Security Deposit- Rs. 5000 (Refundable)
- However, preference shall be given to SC/ST persons for the booking. Booking to the communities other than SC/ST may be allowed only when there is no booking for SC/ST person for the fixed day, 10 days before the day of booking
- Arrangement for water & electricity shall be made by the users themselves. If any applicant desires to make such arrangement then the charges would be mutually agreed up on by the applicant and the management committee and these would be over & above the charges mentioned above for booking one day.

(A.K.Srivastava)
Deputy Director (Implementation)

No.F.3(20)2009-0 /DSCST/Imp./614-732 Dated: 15/01/2018

Copy to:

1. Secretaries to Hon'ble Ministers, GNCT of Delhi.
2. All MLAs.

3. Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
4. All District Magistrates (Revenue), GNCT of Delhi with the request to issue necessary directions to concerned SDMs.
5. Chief Engineer, I&FC Department, GNCT of Delhi.
6. Director (Panchayat), GNCT of Delhi with the requet to issue necessary directions to B.D.Os.
7. All Executive Engineers, I&FC Department, GNCT of Delhi.
8. Chief Engineer (Coordination), DUSIB, GNCT of Delhi.
9. All Executive Engineers, DUSIB, GNCT of Delhi.
10. P.S. to Secretary (SC/ST).

(A.K. Srivastava)
Deputy Director (Implementation)

175. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित कल्याण विभाग की कुल कितनी जमीन है व यह जमीन किस प्रयोग में ली जा रही है;

(ख) क्या उस जमीन को अवैध तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है, विवरण दें;

(ग) क्या उस जमीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए कुछ चौपाल या बारात घर की स्कीम है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में इस भूमि को लेकर कोई अन्य स्कीम इस वर्ग के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है; और

(च) दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जमीन का स्वामित्व इस विभाग के पास नहीं है;

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है;

(ग) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है;

(घ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है;

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है; और

(च) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है।

176. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले दस सालों में कितना बजट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर लगा है;

(ख) इस मद में छठी विधान सभा के काल में कितना बजट लगा है; और

(ग) इस मद में अधिकतम कितना बजट लगाया जा सकता है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) विभाग द्वारा वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना'' के अंतर्गत पिछले दस वर्षों में 188.31 लाख रुपये का फण्ड स्वीकृत किया गया है;

(ख) विभाग द्वारा वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना'' के तहत छठी विधानसभा के काल में स्वीकृत की गई राशि 101.11 लाख रुपये है; और

(ग) विभाग द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

177. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग द्वारा एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./माइनॉरिटी के प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लिए चलाए गए अलग–अलग कल्याण कार्यक्रमों का 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 तक का संपूर्ण दिल्ली का विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) उक्त विवरण विस्तृत सूची के साथ तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र का भी उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या यह सत्य है कि बसोर/बंसकोर समुदाय उ.प्र. एवं म.प्र. में अनुसूचित जाति में सम्मिलित है लेकिन दिल्ली में नहीं;

(घ) क्या इस समाज में विभाग को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए;

(ङ) 'ग' के संबंध में क्या प्रगति है; और

(च) 'ग' के संबंध में विभागीय प्रक्रिया क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) इस विभाग द्वारा एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./माइनॉरिटी के प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लिए चलाए गए अलग–अलग कल्याण कार्यक्रमों का 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 तक योजनाओं का पूरा विवरण अनुलग्नक ''अ'' में वर्णित है;

(ख) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुजनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना का संचालन विधान सभा क्षेत्र के अनुसार किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत तिमारपुर विधान सभा में कोई भी कार्य वर्ष 2015–16 में स्वीकृत नहीं किया गया है। विभाग की अन्य योजनाएं विधान सभा क्षेत्र के अनुसार संचालित नहीं होती है;

(ग) जी हाँ, बसोर/बांसकोर जाति केन्द्र की दिल्ली हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची में सम्मिलित नहीं है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र शासित प्रदेश होने के कारण प्रभावी है;

(घ) जी नहीं, इस समाज में इस विभाग में अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है;

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है; और

(च) विभागीय प्रक्रिया इस प्रकार है–

1. कोई भी ऐसा प्रस्ताव विभाग में प्राप्त होने के पश्चात दिल्ली सरकार द्वारा संबंधित जाति का सर्वेक्षण किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था से प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु कराया जाता है।
2. सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली सरकार द्वारा विधान सभा के माध्यम से प्रस्ताव की संस्तुति के पश्चात, उपराज्यपाल महोदय की अनुमति एवं अनुमोदन से प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है। केन्द्र की अनुसूचित जाति सूची में संशोधन के सभी मामलों में केन्द्रीय मंत्रीमंडल की स्वीकृति आवश्यक है।

अनुलग्नक "अ"

क्र. सं.	अनु.जाति/ अनु.ज. जाति, अ.पि.वि./ अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएं	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता की सीमा	आवेदन की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1.	ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12 तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक 2. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत	60,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 100% 60,000/– से 2,00,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 75%	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। 1. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। 2. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका।

1	2	3	4	5
		हाजिरी। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।		3. पिछली कक्षा की हाजिरी का प्रमाण पत्र। 4. जाति प्रमाण पत्र। 5. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं और उसके विभाग में सत्यापित किये गए बाद इस आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
2.	(कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु.जाति/अनु. जन.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के	(i) अ.ज./अ.जन./अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा रु. 1000/– प्रति	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है।

लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	वर्ष (अंक % की कोई सीमा नहीं) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) के लिएः– 55 से 60% अंक पिछली कक्षा रु. 600/रु– प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा रु. 720/– प्रति वर्ष उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षाः– रु. 1620/– प्रति वर्ष (55% से 60% अंक पिछली कक्षा)	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 4. स्वयं घोषित आय आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।

1	2	3	4	5
			रु. 2040/– प्रति वर्ष (60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षाः– रु. 3000/– प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा) रु. 4500/– प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)	
3.	(कक्षा 1 से 12) की स्टेशनी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली	रु. 1000/– प्रति वर्ष रु. 2000/– प्रति वर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। 1. जाति प्रमाण पत्र 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली

		में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।		में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. स्वयं घोषित आय आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयी से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
4.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु. जन. जाति के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2. अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,648/– से 22,320/– प्रति वर्ष (ii) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र

1	2	3	4	5
		तक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	रु. 5,040/– से 11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)	3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 4. स्वयं घोषित आय आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
5.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय	कक्षा 1 से 5 अंक 1000 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10 तक (1000+4200	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले

		1 लाख रुपये तक।	+500) रुपये प्रतिवर्ष।	दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
6.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक।	कक्षा 11 से 12 तक (1400+ 10000) रुपये	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर

1	2	3	4	5
	स्कॉलरशिप योजना (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	2. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	प्रतिवर्ष अधिकतम कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (1850 +3000) रुपये प्रतिवर्ष कक्षा एम.फिल एवं पी.एच.डी. (3300) रुपये प्रतिवर्ष	आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।

7.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति। (स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्स)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	5000 / 10000–20000 और सूचीबद्ध संस्थान को देय पूरी फीस।	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र / सरकारी / अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।

1	2	3	4	5
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	1. पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थित 60 प्रतिशत से अधिक 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	होस्टलर (3 से 10) :– रु. 500/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12) रु. 100/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन

				किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप।	अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 260/– से रु. 750/– प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 160/– से रु. 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/

1	2	3	4	5
				महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
10.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/– से रु. 1200/– प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/– से रु. 550/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

				आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
11.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/– होस्टलर रु. 525/– प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष के 1000/–	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. स्वयं घोषित आय। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/

1	2	3	4	5
				महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
12.	डा. बी.आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार	15 सूचीबद्ध संस्थान	8000 रुपये प्रति कोर्स	टापर्स छात्रों की सूची सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान से मांगी जाती है।

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है—

1. एक आवासीय विद्यालय कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KISS), जो कि कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KIIT), भुवनेश्वर एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उद्यम में MOU के तहत चलाया जा रहा है। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा, आवास, खाना, यूनिफार्म, लेखन सामग्री, किताबें तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

2. विभाग द्वारा अनु.जाति/जन.ज./अ.पि.व. के विद्यार्थियों के लिए दिलशाद गार्डन में दो होस्टलों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 160 विद्यार्थी (छात्र—100 व छात्रा—60) लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं खाने—पीने की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

3. यह विभाग, डी.एस.एफ.डी.सी. (DSFDC) के माध्यम से अनु. जाति/जन.ज./अ.पि.व. तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

1. अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए 2.50 लाख रुपया तक दिया जाता है।

2. अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद रु. 85000 से रु. 8,25,000 तक दिया जाता है।

3. बस्तियों का सुधारीकरण।

4. दिल्ली स्वरोजगार योजना एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यकों के लिए।

178. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक से संबंधित वर्गों से जुड़ी योजनाओं का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आम आदमी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में भी बताइए;

(ग) फरवरी–2015 के बाद इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का, उनके नाम, पते और फोन नम्बर पते सहित विधानसभा क्षेत्रवार पूरा विवरण क्या है;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए सरकार के पास उपलब्ध धनराशि का पूरा विवरण क्या है;

(ङ) इसका वर्ष 2004 से वर्षवार और विधानसभा क्षेत्रवार इन पर इस राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(च) मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निष्पादन किए गए ऐसे सभी कार्यों के वर्क ऑर्डर का विवरण क्या है;

(छ) वर्ष 2009 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग जैसे विभिन्न बोर्ड और आयोग के बने सदस्यों का पूरा

ब्यौरा दिया जाए और तब से इन बोर्डों और आयोगों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त की विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ज) इन सदस्यों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाए?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों और अल्पसंख्यक से संबंधित वर्गों से जुड़ी योजनाओं का पूरा विवरण अनुलग्नक ''क'' में वर्णित है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) विधान सभा क्षेत्रवार विवरण/आंकड़े विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए वर्ष 2018–19 सरकार के पास आवंटित धनराशि का विवरण निम्न है।

(रुपये लाखों में)

	निर्देश एवं प्रशासन	शिक्षा विकास	आर्थिक विकास	स्वास्थ्य आवास और अन्य	सी.एस.एस.
2018–19	709.71	23980.00	200.00	7639.29	1412.00

(ङ) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं समस्त दिल्ली के निवासियों/विद्यार्थियों के लिए चलाई जाती है एवं इन योजनाओं के

लाभर्थियों का विधानसभानुसार न तो फण्ड का आवंटन होता है, न ही वितरण किया जाता है;

(च) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुजनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अंतर्गत मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में निष्पादित की गयी जाटव चौपाल गांव हुमायूंपुर के लिये वर्ष 2013–14 में 5.59 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी;

(छ) 2009 के उपरांत बने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोर्ड, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली सरकार तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली सरकार, के सदस्यों का पूरा ब्यौरा अनुलग्नक ''ख'' में संलग्न हैं।

अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े सभी मामले राजस्व विभाग, के अधीन हैं जिसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोर्ड की 2015 में हुई कार्यवाही का कार्यवृत्त जो इस विभाग में उपलब्ध हैं अनुलग्नक ''ग'' में संलग्न हैं।

अन्य आयोगों द्वारा बैठकों का कार्यवृत्त इस विभाग में प्राप्त नहीं हुए है; और

(ज) सदस्यों का मनोनयन माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सहमति से किया जाता है। जिसकी अधिसूचना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अनुमति के पश्चात् जारी की जाती हैं।

अनुलग्नक "क"

क्र. सं.	अनु.जाति/ अनु.ज. जाति, अ.पि.वि./ अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएं	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता की सीमा	आवेदन की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1.	ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12 तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक 2. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत	60,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 100% 60,000/– से 2,00,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 75%	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। 1. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। 2. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका।

1	2	3	4	5
		हाजिरी। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।		3. पिछली कक्षा की हाजिरी का प्रमाण पत्र। 4. जाति प्रमाण पत्र। 5. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं और उसके विभाग में सत्यापित किये गए बाद इस आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
2.	(कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु.जाति/अनु. जन.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के	(i) अ.ज./अ.जन./अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा रु. 1000/– प्रति	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है।

लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	वर्ष (अंक % की कोई सीमा नहीं) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) के लिएः– 55 से 60% अंक पिछली कक्षा रु. 600/रु– प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा रु. 720/– प्रति वर्ष उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षाः– रु. 1620/– प्रति वर्ष (55% से 60% अंक पिछली कक्षा)	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 4. स्वयं घोषित आय आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।

1	2	3	4	5
			रु. 2040/– प्रति वर्ष (60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षाः– रु. 3000/– प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा) रु. 4500/– प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)	
3.	(कक्षा 1 से 12) की स्टेशनी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली	रु. 1000/– प्रति वर्ष रु. 2000/– प्रति वर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। 1. जाति प्रमाण पत्र 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली

		में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।		में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. स्वयं घोषित आय आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयी से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
4.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु. जन. जाति के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2. अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,648/– से 22,320/– प्रति वर्ष (ii) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल **www.edistrict.delhigovt.nic.in** पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र

1	2	3	4	5
		तक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	रु. 5,040/– से 11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)	3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 4. स्वयं घोषित आय आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
5.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय	कक्षा 1 से 5 अंक 1000 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10 तक (1000+4200	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले

		1 लाख रुपये तक।	+500) रुपये प्रतिवर्ष।	दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
6.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक।	कक्षा 11 से 12 तक (1400+ 10000) रुपये	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर

1	2	3	4	5
	स्कॉलरशिप योजना (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	2. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	प्रतिवर्ष अधिकतम कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (1850 +3000) रुपये प्रतिवर्ष कक्षा एम.फिल एवं पी.एच.डी. (3300) रुपये प्रतिवर्ष	आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली मेंरहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।

7.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति। (स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्स)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	5000 / 10000–20000 और सूचीबद्ध संस्थान को देय पूरी फीस।	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र / सरकारी / अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।

1	2	3	4	5
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	1. पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थित 60 प्रतिशत से अधिक 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	होस्टलर (3 से 10) :– रु. 500/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12) रु. 100/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट। 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन

				किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप।	अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 260/– से रु. 750/– प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 160/– से रु. 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/

1	2	3	4	5
				महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
10.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/– से रु. 1200/– प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/– से रु. 550/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एस.डी.एम. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

				आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
11.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/– होस्टलर रु. 525/– प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष के 1000/–	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. स्वयं घोषित आय। आवेदन पत्रों की सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/

1	2	3	4	5
				महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
12.	डा. बी.आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार	15 सूचीबद्ध संस्थान	8000 रुपये प्रति कोर्स	टापर्स छात्रों की सूची सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान से मांगी जाती है।

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। इन योजनाओं में वह विद्यार्थी/लाभार्थी जोकि स्कीम के तहत पात्रता पूरी करते हैं वह विभाग/अधीनस्थ विभागों में आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है एवं समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से इनका प्रचार–प्रसार किया जाता है।

1. जब भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना–

   इस योजना के तहत दिल्ली में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित पात्रताधारी विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार यू.पी. एस.पी. /एस.एस.पी. इत्यादि द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग उपलब्ध करा रही है।

2. एक आवासीय विद्यालय कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KISS), जो कि कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KIIT), भुवनेश्वर एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उद्यम में MOU के तहत चलाया जा रहा है। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा, आवास, खाना, यूनिफार्म, लेखन सामग्री, किताबें तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

3. विभाग द्वारा अनु.जाति/जन.ज./अ.पि.व. के विद्यार्थियों के लिए दिलशाद गार्डन में दो होस्टलों का संचालन किया जा रहा है

जिनमें 160 विद्यार्थी (छात्र–100 व छात्रा–60) लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं खाने–पीने की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

4. यह विभाग, डी.एस.एफ.डी.सी. (DSFDC) के माध्यम से अनु. जाति/जन.ज./अ.पि.व. तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

1. अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए 2.50 लाख रुपया तक दिया जाता है।
2. अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद रु. 85000 से रु. 8,25,000 तक दिया जाता है।
3. बस्तियों का सुधारीकरण।
4. दिल्ली स्वरोजगार योजना एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यकों के लिए।

अनुलग्नक "ख"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कल्याण विभाग
अ.जा./ज.जा./अ.पि.
बी–ब्लाक द्वितीय तल विकास भवन, नई दिल्ली–110002

2009 के उपरान्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोर्ड, दिल्ली, सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली सरकार तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली सरकार के सदस्यों का पूरा ब्यौरा :

क्र.सं.	आयोग/बोर्ड	बोर्ड और आयोग के बने सदस्यों का ब्यौरा
1	2	3
1.	दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली सरकार	1. 19.04.12 श्री बीर पाल गहलोत और श्री राजू सराषर, आयोग के अंशकालीन सदस्य। इनका कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 62 वर्ष तक की आयु (जो कम हो)
		2. 03.05.2016 श्री संत लाल छावरिया, आयोग के अध्यक्ष।
		3. 13.11.2017 श्रीमती अनीता उज्जैनवाल और श्री रवि शंकर, आयोग के अंशकालीन सदस्य इनका कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 62 वर्ष तक की आयु (जो कम हो)।

1	2		3
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली सरकार	1.	24.10.11 श्री जगदीश यादव आयोग के अध्यक्ष। श्री अजयपाल सिंह और श्रीमती मेमवती बरवाला गैर सदस्य। इनका कार्यकाल 03 वर्ष।
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोर्ड	1.	01.09.10 श्री माला राम गंगवाल, अध्यक्ष 1, 109 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष सहित), 19 आधिकारिक सदस्य। इनका कार्यकाल 02 वर्ष।
		2.	20.06.13 श्री माला राम गंगवाल, अध्यक्ष 1, 131 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष सहित), 19 आधिकारिक सदस्य। इनका कार्यकाल 02 वर्ष।
		3.	21.06.15 श्री संदीप कुमार, अध्यक्ष 1, 63 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष सहित), 19 आधिकारिक सदस्य। इनका कार्यकाल 02 वर्ष।
		4.	03.05.18 श्री राजेंदर पाल गौतम, अध्यक्ष, 144 सदस्य इनका कार्यकाल 02 वर्ष।

अनुलग्नक–ग

Government of NCT of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Email:-secy.scst.delhi@nic.in Tel. No. 23379514

No. 20(210)/2010/DSCST/PG/21739-831 Dated: 8/12/15

Minutes of the first meeting of the newly constituted Scheduled Castes/Scheduled Tribes Welfare Board held on 6th November, 2015, at the Delhi Secretariat, Delhi

Following were present in the meeting:

1.	Sh. Sandeep Kumar	Hon'ble Minister lor SC/S IVOBCVMinorilies. GNCTD and Chairman of the SC/ST Welfare Board
2.	Dr. Ashok Kumar	Vice Chairman, SC/ST Welfare Board.
3	Sh. Sanjay Pratap Singh, IAS	Pr. Secretary. Department for the Welfare of SCVST/OBC/Minorilies, GNCTD and Member Secretary ofthe SC/ST Welfare Board
4.	Members of the Board	As Per list attached
5.	Sh. Kukleep Pakad, DANICS	Spl. Secretary, Department for the Welfare of SCVST/OBC/Minorilies, GNCTD
6.	Officers representing various departments of Govt. of Delhi	As per list attached

1. The meeting began with the welcome of Hon'ble Chairman and Vice Chairman by the Member Secretary with bouquet and all Members were welcomed. Member Secretary ahso welcomed all officers representing various departments of the Delhi Government.

2. Member Secretary briefly apprised all the Members ofthe Board about the various schemes being implemented by the ..Department for the welfare of SC/S'f/OBCVMinorities community residing within the jurisdiction ofthe National Capital Territory of Delhi and sought the suggestions of all the Members of the Board for effective implementation of various existing schemes as well as suggestions for any new scheme, they would like to begin by the department in future.

3. Member Secretary while throwing light on the expansion of the sphere of the Department within last few years apprised that the Department was earlier only looking after the welfare of SC/ST communities but after implementation ofthe Manual Commission report, the department has been entrusted with the task ofthe welfare of OBC category also and later on welfare ofthe Minorities in Delhi was also included in the responsibilities ofthe Department and today the Department is the Nodal Department for the welfare of SC/ST/ OBC/MIN in Delhi for the implementation of various schemes by the Delhi Government including some Centrally Sponsored Schemes. Member Secretary further apprised about the 11 schemes that are being presently implemented by the Department and sought the suggestions of the Members including the Members representing various Government Departments for their effective implementation. Member Secretary also apprised the department's initiative in implementing the schemes with the help of NGOs and Private Sector on PPP model.

4. Member Secretary apprised thai making infrastructure in SC/ST Basties is a very important but difficult task and slated that the Hon'ble

Minister for SC/ST/Chairman of the Board has been able to increase the budget allocation lor the infrastructure in the SC/ST Basties and emphasized that the participation of the Members of the Board is very important in this process because of their direct connection with the general public. Member Secretary emphasized the role of DUSIB and Irrigation & Flood Control in providing the infrastructure in such colonies further efforts also going to rope DSIIDC for implementation of the scheme. Member Secretary also informed that the Department's vision is to make separate schools and hostels in all Districts of Delhi for the reason that the children of these communities have to go very far for availing the present facilities available as they are not near to their residences. Member secretary also apprised about the Centrally Sponsored Schemes being run by the Department for such sections of the society.

5. Dr. Ashok Kumar, Vice Chairman of the Board conveyed his thanks to the Hon'ble Chief Minister. Hon'ble Chairman and Member Secretary of the Board for reconstituting the Board and shouldering him the responsibility.of Vice Chairman of the Board and extended all his help for the welfare of the SC/ST communities, in Delhi.

6. Hon'ble Chairman thanked and welcomed all the members of the Board and said that in earlier regimes functioning of the Board is only on papers and not practical. Now alter the formation of new Government the scenario has changed fully, henceforth all the decisions of the Board shall be taken with the advice of the Members of the Board, lie conveyed to the members that the present Government in Delhi is made by their active participation and the Government is indebted to their efforts for making this happen in Delhi. The Chairman also elaborated the vision of the Government for establishing separate schools and hostels for the SC/ST communities in all districts of the

Delhi, upkeep of which shall be the sole responsibility of the Delhi Government and sought the help and advice of the Members for making this dream come true. rl"he Chairman further said that inspite of various measures taken by the Government, the SC community is still lacing a lot of social stigma which needs to be tackled urgently and adequately.

7. The Chairman praised Sh. Pankaj, Member from Matiala Assembly Constituency who is running a Gurukul there with 30 SC girls and 30 SC boys from last many years and have made a Stadium there with their own efforts and invited him on dais to share his experience with the all Members present and assured him of every help the Government can attend him. Sh. Pankaj, thereafter, narrated his experience in running the Gurukul and Stadium at Gummanhera Village, Outer Delhi.

8. Sh. Ashok Kumar Tangani, Member thanked all present and assured his services for implementing the SC/ST schemes and wanted that each member of the Board should be apprised fully with all existing running schemes of the Department for the Welfare of SC/ST and also stressed that the budget outlay for the welfare of SC/STs be expanded.

9. Sh. Rupesh Mehra Valmiki, Member raised the issue of problem being faced by SC/ST belonging to neighboring states Haryana and UP, that constitute major portion of Delhi's SC/ST population, in getting loans from DSFDC and these loan schemes are not available to them and requested that this should also be made available lor these people. To this, Member Secretary stated that this problem is not only being faced by SC/ST but OBC community is also a sufferer and the Department is very well aware of. the problem and Special Secretary, DSCST is working on this problem and very soon we are going to moot a proposal on this issue to the Government.

10. Sh. Suraj Prakash Jinghala, Member wanted increase in the income criteria from present I lakh for the loan seekers from the Department which according to him is very low and wanted that it should be increased at least to 8-10 lakhs in the interest of the welfare of SC/ST community in Delhi.

11. Sh. Inder Raj Maruya, Member stated that in Ward No. 9, Malka Ganj about 80% of the population belonging to SC/ST category lives in a 'Katra' where sewerage lines/nalas are not being maintained properly. His concern was for the maintenance of that particular "katra" which is being disowned by all agencies in Delhi. To this, the Chairman asked him lo give his problem in writing and he will look into it. Member Secretary apprised that 16.75% of the budget of DUSIB should be spent on SC/ST areas and he suggested that DUSIB should make a plan for this 'Katra'.

12. Sh. Anil Kumar, Rohini. Member stated that the work at SC/ST Department is not being done properly unless the students are accompanied with some powerful person from the community else the students come into contacts of agents/middlemen who exploit the students. He was also of the view that the schemes of the SC/ST Department are even not known properly to the Members of the Board. To this, the Chairman told him that in the next meeting of the Board all the schemes shall be explained to the Members with the help of a Presentation.

13. Sh. Dinesh Kumar Shed, Member stated thai SC certificates earlier used to be issued manually and for making new certificates old certificates are required by the authorities and in the absence of old certificates, the candidate faces a lot of problem in getting issued the new certificates. He suggested that to make the process easy all

Members of the Board and MLAs of the area should be empowered to make recommendation for making the caste certificates. He also suggested that if 10 years residential status of Delhi is made compulsory, the problem can be solved to some extent.

14. Sh. Ashok Kumar, Member wanted to know to whom they should submit their grievances at the level of Government and whether the system prevailing from last 60 years would remain continue. He also suggested that health issues of SC/ST should also be included in the SC/ST welfare schemes and dispensaries should be made in the Harijan Basties for this. To this the Member Secretary apprised that in future the Board shall be made functional in such a way that all the SC/ST problems would be solved at the level of Board itself.

15. Sh. Rajendera Singh, Member wanted to know the area of their work and how and when their Identity Cards will be made, as suggested by the Chairman. He also raised the issues of the children of SC/ST studying out of Delhi. Answering his query, the Member Secretary stated that the Notification dated 21.10.2015 reconstituting the Board itself contains the 'Functions of SC/ST Board'. As regards other issues, the Member Secretary stated that all the Members shall be issued Identity Cards and Letter hbads for writing letters to the different departments of the Government. He also stated thai whenever any member comes to attend any meeting convened by the Board, he/she shall be reimbursed to and fro expenses as per rules and if any member wants'to seek any other facility he/she can always suggest the same to the Board and the same shall be forwarded to the Government for their consideration. Member Secretary also apprised that schemes run by the Department of SC/ST are for the SC/ST residents of Delhi irrespective of their children getting education anywhere in India.

16. Sh. Prithvi Raj Chauhan, Member from Jawalapuri Camp, Nangloi AC, stated that a community hall in the area is occupied by a NGO of a "Bahubali" and requested that this community hall be got freed from him. Member Secretary wanted to know whether this Hall is under Department for the Welfare of SC/ST and asked him to send his proposal/grievance through local MLA and the Department Will look into it.

17. Sh. Sanjay Chouhan, Member wanted to know about the issuance of Identity Cards and Letterheads to the Members and whether the Members would also have attesting powers. He also wanted to know whether, the Members can use National Emblem "Ashoka' on their Identity Cards and Letterheads or else it will be dummy Board as it used to be earlier. To this, Member Secretary apprised him that now-a-days the Central as well as State Government is promoting self-attestation of the documents to ease out the process of attestation hence giving attestation power would be of no use. However, keeping in view the sentiments of the maximum members present in the meeting, who wanted attestation power, the Member Secretary stated that if the Members want the attestation power, they can always make a proposal which will be forwarded to the Government for their consideration. To the question of dummy board, the Member Secretary stressed that so long as he is heading the Chair as Pr. Secretary SC/ST and/or Member Secretary of the Board, it would not be a dummy Board at all.

18. Sh. Sandeep Kumar, Member spoke about the problems being faced by the students in availing facilities meant lor SC/ST in schools in the absence of caste certificate of the students as caste certificates of their parents are not being honoured by the school authorities and suggested that the parent's caste certificate should be honoured by the school for providing such facilrtes. He also staled that Pie-Examination

Coaching Centres are very few in Delhi and even those exists, are kept very far from the reach of needy students unci such centres should be located near the homes of the students. He also wanted to know whether Pre-Examination Coaching Centre scheme is also available for professional courses. Member Secretary apprised that the Department of SC/ST is in process of running the PECC on PPP mode in the interest of students of these sections. If this scheme becomes successful, the Department would open such centres in PPP mode in all districts of Delhi.

19. Sh. Nawab Khan, Dy. Education Officer, NDMC stated thai there is big problem in disbursing funds to children through schools and suggested that if the fund is transferred electronically into the accounts of the students it would ease the process. He was also wanted to abolish the creamy layer limit for OBC beneficiary. To this,' the Member Secretary stated that the provision of creamy layer was always there in the report of Mandal Commission and thereafter the Apex Court in its decision in "Iruiru Sawhney Vs Union of India & Ors" (AIR 1993) upheld the creamy layer criteria with the rider that the Government can always increase or reduce the creamy layer limit as per the need of the hour.

20. Sh. Jaikaran, Member suggested that the children of SC/ST category should be given books/study material in the month of April itself i.e., in the beginning of the academic year. To this, Sh. N. T. Krishna, Jt. Director (Planning), Education Department apprised that upto 8' standard books are given in April itself whereas children of 9th standard onwards are given cash subsidy to enable them to purchase books of their own choice. He further staled that admissions to 11th & 12th standards are on till September and the funds are disbursed on completion of the admission procedure which is complete as on date for the-academic year 2015-16.

21. Sh. Jai Ram, Member raised EWS admission problem in schools as well as in hospitals and in particular raised the case of Balaji Action Hospital where he is unable to avail the benefit of EWS.quota of the Government and he was of the view .that there is corruption in the system and it should be addressed effectively. To this. Member Secretary slated that the problem is genuine and the Department would try to make a health scheme exclusively for SC/ST community members.

22. Dr. Ashok Kumar, Vice Chairman of the Board thanked all the members for their valued suggestions and assured them that their suggestions will be kept in view while formulating/implementing the schemes for the welfare of the SC/ST community and such schemes would be implemented with full force. He stated that the next meeting of the Board shall be convened very soon.

23. At the end, Sh. Kuldeep Pakad, Special Secretary, Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities conveyed thanks to the Chairman, Vice Chairman, Members of the Board specifically giving the names of all the speakers in the meeting and thanked them for their valued suggestions and assured them that all the suggestions put forward by the Members ate very useful and will show the path to the Board for effective implementation of all schemes for the welfare ofthe SC/ST communities residing in Delhi and. thereafter, invited all for the lunch.

24. The meeting ended with thanks to the Chair.

25. The minutes are issued with the approval ofthe Hon'ble Minister (SC/S T) who is the Chairman ofthe Welfare Board.

(K.P. Kangari)
Deputy Director (SCP)

To

1. The Hon'ble Minister (SC/ST) and Chairman, SC/ST Welfare Board.
2. The Vice Chairman, SC/ST Welfare Board.
3. Pr. Secretary, SC/ST and Member Secretary, SC/ST Welfare Board.
4. All Members of the SC/ST Welfare Board.
5. All the Departments implementing Welfare Schemes for SC/S T/OBC/Minoritics.

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister
2. Secretary to Hon'ble Deputy Chief Minister
3. Secretary to Hon'ble Minister SC/ST
4. Staff Officer to Chief Secretary
5 Guard file

(K.P. Kangari)
Deputy Director (SCP)

179. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया ऑफिस में अधिकारियों द्वारा पेंशन लाभार्थियों को बार–बार अनाप–शनाप आपत्तियां लगा कर तंग किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार की ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई योजना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया ऑफिस में विधायक ऑफिस से ऑनलाइन विधवा पेंशन फार्म भरने के पश्चात् जाँच करने के लिए ऑफिस में अभी तक कोई जाँच करने के लिए ऑफिस में अभी तक कोई जाँच ऑपरेटर नियुक्त नहीं किया गया है; और

(घ) ये ऑपरेटर कब तक नियुक्त कर दिए जायेंगे;

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं। आवेदनकर्ताओं के भिन्न–भिन्न दस्तावेजों में कोई कमी इत्यादि के संशोधन हेतु अवश्य फोन कर बुलाया जाता है तथा त्रुटि को खत्म किये जाने के लिये आवेदनकर्ता को स्वयं आना आवश्यक हो जाता है।

दस्तावेजों में पाई जाने वाली कमियाँ निम्न प्रकार है–

1. दस्तावेज अपूर्ण होने पर।
2. दस्तावेज अस्पष्ट होने पर।
3. e-district पोर्टल पर सत्यापित होने वाले दस्तावेजों के सत्यापित न होने के कारण इत्यादि।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता;

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कार्यालय में ऑनलाइन विधवा पेंशन फार्म भरने के पश्चात जाँच करने के लिये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा कल्याण अधिकारी (वेरीफायर) उपलब्ध है; और

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।

180. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग का सेक्टर–4, रोहिणी में क्षेत्रीय कार्यालय है;

(ख) इस कार्यालय की भूमि पर किसका मालिकाना हक है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस कार्यालय में काफी हिस्सा खाली पड़ा हुआ है;

(घ) इस कार्यालय की कुल जमीन, निर्मित हिस्से का और खाली भूमि के प्रतिशत का विवरण क्या है;

(ङ) इस कार्यालय की भूमि के मालिकाना हक वाले विभाग का नाम व उससे संबंधित अधिकारियों के नाम एवं संपर्क सूत्र का विवरण क्या है;

(च) विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र के लिए बुजुर्ग पेंशन के नए आवेदन लेने कब से आरंभ किए जाएंगे;

(छ) क्या यह सत्य है कि विभाग अनाथ बच्चों को पेंशन देने की योजना बना रहा है; और

(ज) यदि हाँ, तो इस योजना का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) इस कार्यालय की भूमि पर समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का मालिकाना हक है;

(ग) जी हाँ। चूंकि

1. किसी भी विद्यालय के स्वीकृत मापदंड के अनुसार बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त खुली भूमि रखना आवश्यक है।
2. डी.डी.ए. ने संपर्क भूमि को दो भागों में यथा; प्राथमिक विद्यालय तथा खेलने के स्थान के लिए आवंटित किया था।

अतः यह हिस्सा खाली रखना आवश्यक है।

(घ) मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर की कुल जमीन 3899.19 वर्ग मीटर है। निर्मित भाग 604.64 वर्ग मीटर है जो कि कुल भूमि का 16 प्रतिशत है तथा खाली भाग 3294.50 वर्गमीटर जो कि कुल भूमि का 84 प्रतिशत है;

(ङ) इस कार्यालय की भूमि पर समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार का मालिकाना हक है तथा अधिकारी का विवरण निम्नलिखित है–

जिला समाज कल्याण अधिकारी/संपदा अधिकारी (उत्तर पश्चिम–1), समाज कल्याण विभाग, सेक्टर–4, विश्राम चौक, रोहिणी–110085

फोन नं. 011.27040844

(च) रिठाला विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत विभाग द्वारा बुजुर्ग पेंशन के नए आवेदन 17.10.2018 से क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से लिए जा रहे हैं;

(छ) वर्तमान में इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है; और

(ज) उपरोक्त 'छ' के अनुसार लागू नहीं होता।

181. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की गई कुल विकलांग पेंशन का विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक सभी विधवा महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत कुल वृद्धा पेंशनर्स का विवरण?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की गई कुल 527 विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई;

(ख) दिल्ली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के तहत कुल 16906 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की गई कुल 2290 वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

182. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से वृद्धा एवं विकलांग पेंशन के कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए;

(ख) प्राप्त पेंशन आवेदन पत्रों की संख्या व पेंशन जारी किए गए आवेदकों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) जिन आवेदकों को पेंशन अभी तक जारी नहीं की गयी है; उनमें देरी के कारण बताते हुए उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पेंशन जारी न करने का विशेष कारण बैंक से आधार कार्ड का लिंक न होना भी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) पिछले वर्ष मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से वृद्धा एवं विकलांग पेंशन के कुल आवेदनों/पेंशनों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	प्रेषित पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन	195	122
विकलांग पेंशन	247	204

विवरण सी.डी. में संलग्न* है;

(ग) जिन आवेदकों को पेंशन अभी तक जारी नहीं की गयी है उनमें देरी के कारण आपरेटर के स्तर पर विचारधीन या आपत्ति के तहत है। इन आवेदनों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है; और

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) समाज कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 12.11.2018 के जारी होने से पहले आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ जोड़ता अनिवार्य था, किंतु 1 अप्रैल, 2018 से उपरोक्त आदेश के अनुसार बैंक से लिंक करने की आवश्यकता स्थगित कर दी गई है।

183. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समाज के कल्याण और उसके उत्थान के लिए विभिन्न संस्थाओं को फण्ड मुहिया कराया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो सालों में किन–किन संस्थाओं को कितना फण्ड दिया गया उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं के द्वारा समाज के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) वृद्धों के कल्याण हेतु मनोरंजन केंद्र

2016–17	– 209.78 लाख
2017–18	– 205.22 लाख

वृद्धा आश्रम लामपुर पी.पी.पी. मॉडल

30 लाख (03 वर्ष)

सूची सी.डी. में संलग्न है।

विकलांगों के कल्याण हेतु

2016—17	—	3158993
2017—18	—	3250758*

सूची सी.डी. में संलग्न www. edistrict. delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) समाज कल्याण विभाग दिल्ली क्षेत्र में वृद्धों एवं विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान देता है।

मनोरंजन केन्द्र जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए समाज कल्याण की आर्थिक सहायता से चलाए जाते हैं। इन केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिक अपने मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें मनोरंजन यात्रा, स्वास्थ्य शिविर योगा कैंप इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

वृद्धाश्रम में 60 वर्ष की उम्र से अधिक वृद्धों के लिए आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती है।

सूची सी.डी. में संलग्न है।

184. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष वृद्धावस्था पेंशन का नया कोटा जारी किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अनुसार अभी तक कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन मंजूर हो चुकी है, उसका विस्तृत विवरण क्या है;

(घ) इनमें से जिन लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है, उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) शेष लोगों को पेंशन न मिल पाने के क्या कारण है;

(च) शेष लोगों को कब तक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी; और

(छ) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाई जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन कब तक शुरू हो जाएगी?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हाँ। कोई नया कोटा जारी नहीं किया गया परंतु मृत्यु व अन्य कारणों से उपलब्ध 35000 रिक्तियों के अनुसार 500 आवेदन प्रति विधायक क्षेत्र के लिये उपलब्ध करवायी गई;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) विवरण संलग्न है;

(घ) विवरण संलग्न है;

(ङ) PFMS Portal पर आधार Validate (मान्य) न होने के कारण शेष लोगों को पेंशन नहीं पाई है;

(च) PFMS Portal पर आधार Validate (मान्य) न होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

आवेदनकर्ताओं को फोन से बुलाकर त्रुटियों को खत्म कर जल्द आपत्ति के कारण लम्बित आवेदनकर्ताओं को पेंशन मिलनी शुरू हो जायेगी; और

(छ) 17.10.2018 से 35000 रिक्तियां सभी विधानसभा क्षेत्रों को प्रदान की गई थीं जो कि अभी प्रक्रिया में हैं।

Sl. No.	Constituency No.	Constituency Name	Total Received	Application Granted for Sanction	Released
1	2	3	4	5	6
1	22	Ballimaran	500	380	0
2	23	Karol Bagh	500	202	0
3	21	Matia Mahal	370	344	0
4	24	Patel Nagar	231	23	0
5	39	Rajinder Ng.	120	66	0
6	61	Gandhi Ngr.	386	32	0
7	56	Kondli	279	26	0
8	60	Krishna Nagar	501	132	0
9	58	Laxmi Nagar	500	228	0
10	57	Patparganj	500	261	0
11	62	Shahdara	498	374	0
12	55	Trilokpuri	22	13	0
13	59	Vishwas Nagar	184	97	0
14	41	Jangpura	376	127	0
15	42	Kasturba Nagar	197	109	0

1	2	3	4	5	6
16	40	New Delhi	14	5	0
17	20	Chandni Chowk	485	15	0
18	25	Moti Nagar	466	380	0
19	19	Sadar Bazar	221	119	0
20	03	Timarpur	478	121	0
21	17	Wazirpur	413	9	0
22	67	Babarpur	365	115	0
23	66	Ghonda	471	179	0
24	68	Gokalpur	501	130	0
25	70	Karawal	492	180	0
26	69	Mustafabad	237	80	0
27	64	Rohtas Nagar	462	130	0
28	65	Seelampur	311	87	0
29	63	Seema Puri	378	103	0
30	09	Kirari	500	41	0
31	12	Mangol	492	293	0
32	08	Mundka	426	22	0
33	06	Rithala	450	30	0
34	13	Rohini	326	194	0

1	2	3	4	5	6
35	15	Shakur Basti	247	125	0
36	14	Shalimar	435	202	0
37	10	Sultanpur Majra	246	76	0
38	16	Tri Nagar	385	212	0
39	04	Adarsh Ngr.	487	360	0
40	05	Badli	39	2	0
41	07	Bawana	500	265	0
42	02	Burari	283	68	0
43	18	Model Town	464	33	0
44	01	Narela	483	425	0
45	48	Ambedkar Nagar	247	70	0
46	53	Badarpur	313	65	0
47	46	Chhatarpur	410	139	0
48	47	Deoli	500	124	0
49	50	Greater Kailash	237	86	0
50	51	Kalkaji	372	9	0
51	43	Malviya Nagar	311	32	0
52	54	Okhla	155	34	0
53	49	Sangam Vihar	500	196	0

1	2	3	4	5	6
54	52	Tughlaka Bad	366	109	0
55	36	Bijwasan	453	365	0
56	38	Delhi Cantt.	78	39	0
57	33	Dwarka	344	256	0
58	34	Matiala	429	173	0
59	45	Mehrauli	58	25	0
60	35	Najafgarh	36	25	0
61	37	Palam	186	21	0
62	44	R.K.Puram	185	138	0
63	32	Uttam Nagar	501	397	0
64	28	Hari Nagar	446	292	0
65	30	Janakpuri	500	438	0
66	26	Madipur	192	135	0
67	11	Nangloi Jat	500	275	0
68	27	Rajouri Gdn.	496	438	0
69	29	Tilak Nagar	500	450	0
70	31	Vikaspuri	500	429	0

185. श्री संजीव झा : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर अब तक कितनी वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इन सभी पेंशन धारकों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सभी को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर अब तक कुल स्वीकृत की गई पेंशन का ब्यौरा इस प्रकार है–

योजना का नाम	**स्वीकृत पेंशन**
वृद्धावस्था पेंशन	2535
विकलांग पेंशन	967
विधवा पेंशन	2594, प्राप्त जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।

(ख) सी.डी. में संलग्न है; और www. edistrict. delhigovt.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) सभी योग्य पाए गए आवेदकों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

186. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितनी पेंशनें छठी विधान सभा के काल में लगी हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड लिंक न होने के कारण बहुत सारी पेंशन नहीं आ रही है;

(ग) क्या आधार कार्ड पेंशन के लिए जरूरी है; और

(घ) आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण रुकी हुई पेंशनों का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 1443 पेंशनें छठीं विधान सभा के काल में लगी हैं;

(ख) जी नहीं;

(ग) आवेदक की वास्तविकता के प्रमाण हेतु आवेदन करते समय आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है; और

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।

187. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक विकलांग पेंशन से संबंधित निरस्त किए गए आवेदनों के आवेदकों के विधानसभा क्षेत्रवार नाम, पते, फोन नंबर क्या है; और

(ख) इन आवेदनों के निरस्त होने का क्या कारण है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक विकलांग पेंशन से संबंधित निरस्त किए गए आवेदनों के आवेदकों के विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध नाम, पते, फोन नंबर का विवरण सी.डी. में संलग्न www. edistrict. delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है; और

(ख) इन आवेदनों के निरस्त होने के निम्न कारण हैं–

1. प्रार्थी के पास दिल्ली में रहने का 5 वर्ष का प्रमाण का न होना।
2. प्रार्थी की आय का तय सीमा से अधिक होना।
3. प्रार्थी का विकलांग प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल से न होना।
4. विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी की विकलांगता का 40 प्रतिशत से कम होना।
5. प्रार्थी के द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों में किसी तरह की छेड़छाड़ (Tampering) होना अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र, इत्यादि।
6. प्रार्थी के दस्तावेजों में अन्य किसी प्रकार की त्रुटि का पाया जाना।

188. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी में एस.डी.एम.सी. से ट्रांसफर हुई पेंशन का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) जनकपुरी के निर्मल छाया में कितने बच्चे एवं बच्चियां हैं;

(ग) वे यहां कब से और किस कारण से हैं;

(घ) निर्मल छाया में डेली का रूटीन और मिलने वाली सुविधा एवं खाने का विवरण क्या है; और

(ङ) निर्मल छाया में कितने स्टॉफ हैं और कब से वह तैनात हैं, पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जनकपुरी में एस.डी.एम.सी. से ट्रांसफर हुई पेंशन का पूर्ण विवरण निम्नलिखित प्रकार है–

1.	विधवा पेंशन	0
2.	वृद्धावस्था पेंशन	463
3.	विकलांग पेंशन	08

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा निर्मल छाया काम्पलैक्स, में बालिकाओं तथा बालकों के लिए निम्नलिखित गृह चलाये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. बालिका गृह व बाल निकेतन
2. अभय महिला आश्रम
3. बालिका गृह–प्रथम व द्वितीय

निर्मल छाया काम्पलैक्स में 199 बालिकाएँ तथा 17 बालक हैं;

(ग) संस्था में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के दाखिले की तिथि व रहने का कारण अलग अलग है। यहां सभी बच्चे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार रखे जाते हैं। इन बच्चों में ज्यादातर अनाथ बच्चे, गुमशुदा बच्चे बाल मजदूरी, यौन उत्पीड़न से पीड़ित इत्यादि बच्चे आते हैं;

(घ) निर्मल छाया में डेली रूटीन का कार्य समय सारणी के अनुसार होता है। बच्चे सुबह उठकर स्नान आदि के निवृत्त होकर प्रार्थना करने के बाद नाश्ता करते हैं उसके बाद विद्यालय जाते हैं। विद्यालय से आने के उपरांत भोजन करते हैं। उसके बाद ट्यूशन तथा मनोरंजक

गतिविधियों में भाग लेते हैं। शाम में प्रार्थना करते हैं, तथा रात्रि का भोजन करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, अपरिपक्व, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, खेल–कूद, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं; और

(ङ) विवरण संलग्न है।

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।

Staff Details in Nirmal Chhava Complex (Children Home for -I & II, After Care home for Girls and Balika Greh & Bal Niketan)

Sl. No.	Name	Designation	Date of joining
1	2	3	4
1	Ms. Chesta Yadav	Superintendent	15.10.2018
2.	Ms. Anjela Singh	Superintendent	14.09.2018
3	Ms. Shivani Dey	Welfare Officer	08.12.2017
4	Ms. Aruna	Welfare Officer	17.11.2017
5	Ms. Meenu Bansal	Welfare Officer	16.08.2018
6	Ms. Preeti	Welfare Officer	01.09.2016
7	Ms. Madhu	Welfare Officer	12.12.2016

1	2	3	4
8	Ms. Deepali Singh	Welfare Officer	12.12.2016
9	Mr. Harish Chand	Sr. Asstt.	12.08.2016
10	Mr. Jagdsh Kumar	UDC	24.05.2016
11	Mr.Chetan	LDC	22.10.2018
12	Ms. Sarita	Music Teacher	21.10.2015
13	Ms. Savita	Craft Teacher	12.07.2015
14	Ms. Dimple	Asstt Taecher	01.06.2016
15	Ms. Rajesh Rani	Teacher	21.09.2017
16	Ms. Suman	House Mother	26.09.2015
17	Ms Menakshi	House Mother	13.06.2017
18	Ms. Komal	House Mother	April.2013
19	Ms. Ekta	House Mother	April,2013
20	Ms. Rachna	House Mother	August, 2016
21	Ms. Manita	House Mother	
22	Ms. Sunita	House Aunty	December, 2012
23	Ms. Ranjeet	House Aunty	April,2017
24	Ms. Gunjan	House Aunty	26.03.2018
25	Ms. Kumkum	House Aunty	August,2018
26	Ms. Geeta	House Aunty	19.08.2017

1	2	3	4
27	Ms. Urmila	House Aunty	19.08.2017
28	Ms. Munni	House Aunty	20.06.2015
29	Ms. Sandeep Kumari	House Aunty	31.03.2018
30	Ms. Pratima	House Aunty	31.03.2018
31	Mr. Sushant Gill	Jr. Asstt	27.07.2016
32	Ms Mamta	Care Taker	09.07.2012
33	Ms. Shuma Gill	Doctor	06.08.2009
34	Ms. Anjana	Staff Nurse	28.03.2017
35	Ms. Paramjeet Kaur	Staff Nurse	22.05.2017
36	Ms. KAvita Devi	Cook	18.07.2017
37	Ms. Seema	Cook	23.06.2018
38	Ms. Saraswati	Cook	July,2018
39	Ms. Chameli	Cook	11.06.2009
40	Ms. Makro	Aaya	30.12.2015
41	Ms. Shurti	Aaya	18.02.2009
42	Ms. Neela	Aaya	05.08.2015
43	Mr. Vijay	Driver	16.01.2008
44	Sanitaion Staff from Out Sourced Agency		
45	Security Staff from Out Sourced Agency		

189. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुण्डका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 01.01.2015 से रोकी/बंद की गई विधवा पेंशनरों का नाम, पते सहित विवरण और ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन रोके जाने के कारण क्या है;

(ख) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में 01.01.2017 और इसके बाद प्राप्त विधवा पुत्री विवाह के लिए जिन आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द किए जा चुके हैं, उन सभी आवेदकों की सूची क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट सहित;

(ग) क्या यह सत्य है कि 01.01.2015 से मुण्डका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के कार्यालय में लाडली योजना का फॉर्म एवं एन.डब्ल्यू.–1 एवं (डब्ल्यू.सी.डी.) द्वारा उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) विधवा पेंशन, लाडली योजना एवं विधवा की पुत्री विवाह में सहायता राशि देने के लिए जारी सभी मार्ग निर्देशों की प्रति?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) मुण्डका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 01.01.2015 से रोकी/बंद की गयी विधवा पेंशनरों की कुल संख्या 1256 है जिनका विवरण निम्न है–

1.	जाँच के दौरान नहीं पाए गये	97
2.	मृत्यु	87
3.	दोहरी पेंशन लेने के कारण	199
4.	सरकारी या अन्य पेंशन	15
5.	आधार संख्या उपलब्ध न कराने के कारण	181

6.	लाभार्थी के न पाए जाने के कारण/घर बंद होने के कारण/अन्येत्र जाने के कारण	348
7.	पुनर्विवाह	13
8.	स्वयं के अनुरोध पर	16
9.	आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना	11
10.	गलत पता होने के कारण	37
11.	अन्य कारण जैसे दस्तावेज न दिखाना इत्यादि	42
12.	आधार, बैंक खाते से न जुड़ा होना	**210

**उपर्युक्त सूचना 2015 से दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में आधार कार्ड से संबंधित विषय विभाग में विचारधीन है।

*नाम, पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाने हेतु।

संवेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों के नाम, पते एवं फोन नंबर का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है। अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं, तो आवेदकों को विवरण सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है;

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में 01.01.2017 के अब तक उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विधवा पुत्री विवाह के लिए कुल 23 आवेदकों के आवेदन रद्द किए गए हैं जिनका विवरण निम्न हैः

1. आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना–21

2. झूठी शादी का कार्ड, पता का न पाया जाना, पति और पुत्री का नाम मैच न करना–02

* आवेदकों विषय होने के कारण महिला एवं बाल विकास द्वारा आवेदकों की सूची का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है;

(ग) दिनांक 1.1.2018 से मुंडका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के कार्यालय में लाडली योजना का फॉर्म जिला कार्यालय उत्तर पश्चिम व (एन.डब्ल्यू.–1) (डब्ल्यू.सी.डी.) द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया; और

(घ) विधवा पेंशन, लाडली योजना एवं विधवा की पुत्री विवाह में सहायता राशि देने के लिए मार्ग निर्देशों की प्रति संलग्न है।

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
1, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली–110001

महिला एवं बाल विकास विभाग के वित्तीय सहायता योजना का विवरण

- विधवा पेंशन योजना का लक्ष्य और उद्देश्य–

18 से आजीवन वर्ष तक के आयु की उन विधवाओं, विवाह विच्छेद, तलाकशुदा, अलग/असहाय या परिवक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर सामाजिक संरक्षण प्रदान करना जिनके पास कोई भी पर्याप्त निर्वाह के साधन नहीं हैं और वे निर्धन, जरूरतमंद और असुरक्षित है।

विधवा पेंशन सहायता के लिए पात्रता और भुगतान का तरीका–

(क) पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से दो हजार पांच सौ रुपए प्रति लाभार्थी भुगतान किया जाता है।

(ख) आर्थिक सहायता आवेदन की स्वीकृति के उपरांत देय होती है।

(ग) प्रार्थी की सभी स्रोतों से वार्षिका आय रु. 1,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- **गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना**

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना का लक्ष्य और उद्देश्य–

(क) गरीब विधवाओं को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ख) अनाथ लड़की के अभिभावक जिसमें गृह/संस्था अथवा पोषक माता–पिता अथवा लड़की को अपने विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ग) यह अनुदान सिर्फ एक बार के लिए है।

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना पात्रता और भुगतान का तरीका–

30,000/– रुपये की एकमुश्त सहायता केवल आवेदक के नाम P.F.M.S. के माध्यम से अकाउंट में दिया जाता है।

आर्थिक सहायता के लिए शर्तें–

(क) प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र देने के तिथि से पूर्व 5 वर्षों का दिल्ली का स्थाई निवासी होना आवश्यक।

(ख) प्रार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 60,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान पाने के लिए उसका बैंक में ''एकल संचालिता'' खाता हो।

(घ) वह इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/दिल्ली नगर निगम तथा/अथवा नई दिल्ली नगर परिषद् या किसी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार के पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।

(ङ) जिस लड़की के विवाह के लिए सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

(च) विधवा महिला को यह सहायता सिर्फ दो लड़कियों के विवाह के लिए दी जा सकती है।

दिल्ली लाडली योजना–2008

दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में जन्म लेने वाली बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए 01.01.2008 को ''लाडली योजना'' की शुरुआत की गई है। यह योजना लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और उनकी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

इस योजना का लाभ प्रति परिवार केवल दो जीवित बालिकाओं तक सीमित है। स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड योजना की निधि प्रबंधक है।

इस योजना के तहत पात्रा लड़कियों को निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

क्रमांक	वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता का चरण (रु.) में
1.	जब कोई बालिका किसी संस्था में जन्म लेती है (बशर्ते कि बालिका पिछले एक साल में पैदा हुई हो)	रु. 11,000/—
2.	जब बालिका का जन्म घर पर होता है (बशर्ते बालिका पिछले एक साल में पैदा हुई हो)	रु. 10,000/—
3.	बालिका के कक्षा—1 में प्रवेश लेने पर	रु. 5,000/—
4.	बालिका के कक्षा—6 में प्रवेश लेने पर	रु. 5,000/—
5.	बालिका के कक्षा—9 में प्रवेश लेने पर	रु. 5,000/—
6.	बालिका के कक्षा—10 पास करने या कक्षा—11 में प्रवेश लेने पर	रु. 5,000/—
7.	बालिका के कक्षा—12 में प्रवेश लेने पर	रु. 5,000/—

I. योजना में बालिकाओं का पंजीकरण कब करना है–

(क) जन्म के समय एक वर्ष के भीतर अर्थात बालिका के पहले जन्मदिवस से पहले।

(ख) यदि बच्चा जन्म के समय पंजीकृत नहीं है, तो उसे स्कूल में कक्षा 1, 6, 9, 11 और 12 में प्रवेश पाने पर पंजीकृत किया जा सकता है।

II. पंजीकरण कहाँ करें–

(क) जन्म के समय–महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में।

(ख) स्कूल में–स्कूल में फॉर्म जमा किया जाएगाा जिसे स्कूल अधिकारियों द्वारा संबंधित जिला कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

III. योजना में पंजीकरण की योग्यता और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज–

(क) पंजीकरण से पहले दिल्ली में तीन साल का निवास प्रमाण पत्र।

(ख) परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए।

(ग) एम.सी.डी./एन.डी.एम.सी. (जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रर द्वारा) जारी किया गया बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

(घ) बालिका के साथ माता–पिता का सामूहिक फोटो।

(ङ) वार्षिक आय दिखाते हुए आय प्रमाण पत्र/स्व द्वारा घोषित आय का प्रमाण पत्र। जहां उन्होंने योजना का पंजीकरण कराया था।

(च) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के मामले में जाति प्रमाण पत्र।

(छ) माता–पिता और बालिका के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।

IV. छात्राओं और अभिभावकों के लिए निर्देश : छात्राएं विद्यालय से योजन का फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं और केवल विद्यालय में जमा करेंगी। छात्राओं को स्कूल प्राधिकारियों से फॉर्म के साथ संलग्न पावती पर्ची प्राप्त करना चाहिए और जब तक कि स्टेट में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIL) द्वारा जारी किया गया पावती पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उसे सुरक्षित रखना चाहिए। स्कूल प्राधिकरण पावती पर्ची को सत्यापित कर सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि फॉर्म जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

केन्द्रीय सहायता का नवीकरण :–

1. **माता–पिता की भूमिका** : जब बच्चा पंजीकरण के शैक्षिक स्तर तक पहुंच जाता है, अर्थात् स्कूल में शिक्षा 1, 6, 9, 11 या 1 प्रवेश लेता है, तो वह वित्तीय सहायता के नवीकरण के लिए पात्र हो जाता है। योजना में अगली वित्तीय सहायता के नवीनीकरण के माता–पिता को, योजना में पंजीकरण के समय प्राप्त हुई पावती पर्ची या स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIL) द्वारा किए गए पावती पत्र फोटोकॉपी तथा बालिका के स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र/उत्तीर्ण की गई कक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी ?? के स्कूल प्राधिकारियों को जमा करनी होती है। जिसे बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर स्कूल अधिकारियों से सम्बन्धित महिला एवं बाल

विकास विभाग के जिला कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज/जमा करा दिया जाता है।

2. **स्कूल की भूमिका** : माता–पिता से उपर्युक्त दस्तावेज प्राप्त करने पर, प्रधानाचार्य जिला से रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद कार्यालय को भेज देगा। नवीनीकरण जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहां बालिका का पंजीकरण शुरू में किया गया था। प्रति हर साल मई के महीने में शुरू हो सकती है। नवीकरण को जल्द से जल्द अग्रेषित किया जा सकता है ताकि जमा किए गए धन अधिकतम ब्याज प्राप्त हो।

VI. परिपक्वता राशि का दावा

योजना के तहत पंजीकृत लड़कियां 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने बाद योजना की परिपक्वता राशि का दावा कर सकती है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बालिका को अपने सम्बी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में परिपक्वता राशि प्राप्त करने का दावा करना होता है :–

(क) एस.बी.आई.एल. द्वारा जारी पावती पत्र या पावती पर्ची की फोटोकॉपी।

(ख) 10वीं एवं 12वीं पास की मार्कशीट/सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी।

(ग) बालिका के भारतीय स्टेट बैंक खाते की पासबुक की की फोटोकॉपी।

(घ) बालिका के आधार कार्ड की की फोटोकॉपी

योजना की परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए बालिका भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना अनिवार्य है। जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एस.बी.आई.एल. से प्राप्त पार्वती पत्र दिखाकर लड़कियों के द्वारा एक शून्य बीमा से खोला जा सकता है। इस चरण से पहले बैंक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पैसा उस बच्चे की यूनिक आई.डी. नंबर स्थानांतरित किया जाता है जिसे केवल एस.बी.आई.एल. द्वारा परिपक्वता के समय ही बालिका के बैंक खाते में आवंटित किया जाता है।

VI. शिकायत निवारण :–

योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शिकायत या स्पष्टीकरण के लिए बालिका या माता–पिता अपने सम्बन्धित जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्होंने योजना का पंजीकरण कराया था।

योजना का फॉर्म महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों और विभाग की वेबसाइट www.woddel.in. पर निःशुल्क उपलब्ध है।

190. सुश्री भावना गौड : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत की गई विधवा पेंशन का विवरण क्या है;

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक विधवा महिलाओं की लड़कियों को स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक 1294 विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है।

विधवा पेंशन के संबंध में ब्यौरा–

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक–285 विधवा पेंशन स्वीकृत

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक–304 विधवा पेंशन स्वीकृत

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक–335 विधवा पेंशन स्वीकृत

अप्रैल 2018 से अब तक–370 विधवा पेंशन स्वीकृत

कुल–1294

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक कुल 95 विधवा महिलाओं की लड़कियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की है–

विवरण निम्नलिखित हैं–

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक–32 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक–24 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक–22 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2018 से अब तक–17 आवेदन स्वीकृत

कुल–95

(ग) जी हाँ, यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है; और;

(घ) कुल 36 निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।;

विवरण निम्नलिखित हैं–

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक–08 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक–11 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक–11 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2018 से अब तक–06 आवेदन स्वीकृत

कुल–36

191. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में महिलाओं व किशोरियों के लिए चल रहे आश्रय गृहों के लिए स्पेशल टाक्स फोर्स (एस.टी.एफ.) का गठन न करने के क्या कारण है;

(ख) इन आश्रय गृहों के अक्सर महिलाओं व किशोरियों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) व (घ) क्या सरकार ने इन आश्रय गृहों के कुप्रबंधन तथा महिलाओं और किशोरियों के साथ किये जा रहे दुराचार की घटनाओं की कोई जांच करवाई है; और

यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट का विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) महिलाओं एवं किशोरियों की संस्थानों से संबंधित अधिनियमों में स्पेशल टास्क फोर्स का प्रावधान नहीं है;

(ख) हाल में हुई घटनाओं के चलते आश्रय गृहों में सुरक्षा गार्ड की सशक्त तैनाती की गई है। आश्रय गृहों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए है; और

(ग) व (घ) जी हाँ, हाल ही में गैर सरकारी संस्था सी.एफ.आई. में अप्रिय घटना घटित हुई थी। जिसके लिए विभाग ने बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार सारे बच्चों को बालिका गृह निर्मल छाया में स्थानांतरण किया है।

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।

192. श्री रामचंद्र : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा के अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र है;

(ख) बवाना विधानसभा में चल रहे आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में इस क्षेत्र में और नई आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की कोई योजना है;

(घ) उसका क्या ब्यौरा है;

(ङ) विभाग द्वारा कितने केन्द्र (हब सेंटर) बन चुके हैं; और

(च) कितने केन्द्र (हब सेंटर) और बनाए जाने हैं उसका विवरण बताने का कष्ट करें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) बवाना विधानसभा के अंतर्गत कुल 397 आंगनवाड़ी केंद्र है;

(ख) बवाना विधानसभा में चल रहे आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट का ब्यौरा निम्नलिखित हैं–

1. बवाना प्रोजेक्ट
2. कँझावला प्रोजेक्ट
3. सुल्तानपुरी प्रोजेक्ट
4. मीर विहार प्रोजेक्ट
5. रोहिणी–2 प्रोजेक्ट
6. टीकरी खुर्द प्रोजेक्ट
7. शाहबाद प्रोजेक्ट

(ग) निकट भविष्य में इस क्षेत्र में और नई आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है;

(ङ) विभाग द्वारा 101 केन्द्र (हब सेंटर) बन चुके हैं; और

(च) क्षेत्र में बच्चों के लिए उपयुक्त स्थान व उचित सुविधाएं उपलब्ध ा होने पर हब सेंटर खोलने का प्रावधान है तथा विभाग द्वारा और हब सेंटर खोलने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है।

193. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक विधवा निराश्रित कन्या विवाह से संबंधित जो भी आवेदन निरस्त किये गए उनके नाम, पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाए;

(ख) इन सभी आवेदनों के निरस्त होने के क्या कारण है;

(ग) 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत जो आवेदन निरस्त किए गए, उन सभी का नाम, पता एवं फोन नंबर का विवरण क्या है; और

(घ) इन आवेदनों के निरस्त होने का कारण भी बताएं;

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक विधवा निराश्रित कन्या विवाह से संबंधित 27 आवेदन निरस्त किये गए हैं–

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक–08 आवेदन निरस्त किये

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक–01 आवेदन निरस्त किये

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक–08 आवेदन निरस्त किये

अप्रैल 2018 से दिसंबर, 2018 तक–14 आवेदन निरस्त किये

कुल–27

- नाम, पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाने हेतु।

संवेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों के नाम, पते एवं फोन नंबर का विवरण प्रदान नहीं किया जा

रहा है। अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण उन्हें को सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है;

(ख) आवेदनों के निरस्त होने के कारण निम्न है–

- आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना
- पाँच साल पुराना दिल्ली में रहने का प्रमाण न होना
- अधूरा आवेदन होना
- दोहरी पेंशन लेना
- संयुक्त खाता होना

(ग) 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत जो आवेदन निरस्त किए गए हैं–

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक–13 आवेदन निरस्त किये

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक–27 आवेदन निरस्त किये

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक–133 आवेदन निरस्त किये

अप्रैल 2018 से दिसंबर, 2018 तक–122 आवेदन निरस्त किये

कुल–295

- नाम, पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाने हेतु

संवेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों के नाम, पते एवं फोन नंबर का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है। अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण उन्हें को सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है; और

(घ) आवेदनों के निरस्त होने के कारण निम्न है–

- आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना
- पाँच साल पुराना दिल्ली में रहने का प्रमाण न होना
- अधूरा आवेदन होना
- दोहरी पेंशन लेना
- संयुक्त खाता होना।

194. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकार द्वारा कितनी क्रैच बनी है;

(ख) कितनी क्रैच अभी सुचारु रूप से चल रही है व कितनी बंद कर दी गई है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी क्रैच बनाने की योजना थी;

(घ) बची हुई क्रैच कब तक व कितनी बना दी जाएंगी?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में सरकार द्वारा निम्न प्रकार की क्रैच चल रही है–

1. 23 आंगनबाड़ी सह क्रैच भारत सरकार की आई.सी.डी.एस. स्कीम द्वारा खोली गई और चल रही है।
2. 85 नेशनल क्रैच स्कीम के क्रैच जिसे 21 एन.जी.ओ. द्वारा चलाया जा रहा है। इनको भारत सरकार के आदेशानुसार दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा स्थानांतरित किया गया है।

3. 50 क्रैच शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए गया है।

4. 6 क्रैच महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ख)

1. वर्तमान में 21 आंगनबाड़ी सह क्रैच चल रहे हैं तथा 2 आंगनबाड़ी सह क्रैच आवश्यकतानुसार बंद किए गए हैं।

2. नेशनल क्रैच स्कीम के 85 क्रैच चल रहे हैं जिनमें से कोई भी बंद नहीं की गई है।

3. शहरी विकास विभाग द्वारा 50 क्रैच स्थानांतरित किए गए हैं जिनमें से कोई भी बंद नहीं की गई है।

4. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 क्रैच चल रहे हैं तथा 4 आवश्यकतानुसार बंद किए जा चुके हैं।

(ग)

1. सरकार द्वारा 30 आंगनबाड़ी सह क्रैच बनाने की योजना थी।

2. (क) नेशनल क्रैच स्कीम, (ख) शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा स्थानांतरित एवं (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले क्रैच विभागीय योजनाओं के तहत बनाए गए थे।

(घ)

1. भारत सरकार के पत्र संख्या 11–36/2016–सी.डी.–1 दिनांक 23.11.2017 के अनुसार आंगनबाड़ी सह क्रैच की योजना को बंद कर दिया गया है। इसलिए आगे बनाने का कोई विचार नहीं है।

2. नेशनल क्रैच स्कीम, शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा स्थानांतरित एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले क्रैच को आगे बढ़ाए जाने का निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।

195. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी वाणिज्यक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने के लिए अपनाए जाने वाले मानक एवं प्रक्रिया क्या है; और

(ख) किसी वाणिज्यिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कराने के लिए किन–किन मानकों एवं प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है?

माननीय उद्योग मंत्री : (क) और (ख) मास्टर प्लॉन–2021 के पैरा नं. 7.6.2.1 के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुरूप क्लस्टर जिनमें वास्तविक सर्वे के आधार पर 70 प्रतिशत से ज्यादा प्लाट औद्योगिक गतिविधि/उपयोग में हों एवं कम से कम 4 हेक्टेयर एरिया एक साथ हो, को पुनः विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है।

196. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में उद्योग धंधों के विकास के लिए कोई नई योजना दिल्ली सरकार के विचाराधीन है;

(ख) बाहरी दिल्ली में उद्योग धंधों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना का विवरण और सरकार इसे किस प्रकार लागू करेगी;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बिजली के बिलों में बेहताशा वृद्धि एवं लाइसेंस आदि की दरों के कारण दिल्ली के उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि ये उद्योग धंधे हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं?

माननीय उद्योग मंत्री : (क) (क, ख व ग) उद्योग के विकास के लिए दिल्ली सरकार डी.एस.आई.आई.डी.सी. के माध्यम से कँझावला, रानी खेड़ा और बापरोला में तीन नये औद्योगिक क्षेत्रों की योजना और विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। ये औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में उच्च तकनीक, परिष्कृत, ज्ञान–आधारित और सेवा क्षेत्र–आधारित उद्योगों के विकास के लिए है। रानी खेड़ा में बहु–स्तरीय विनिर्माण केन्द्र नॉर्थ एम. सी.डी. से अनुमोदन के अग्रिम चरण में है। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है;

(घ) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

197. श्री रामचंद्र : क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना डी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं;

(ख) इस औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव का जिम्मा किस कंपनी को दिया गया है;

(ग) मेन्टेनेन्स के लिए जिम्मेदार कंपनी द्वारा संतोषजनक कार्य न करने पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है;

(घ) डी.एस.आई.डी.सी. इन्फ्रा कंपनी को कौन–कौन से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है; और

(ङ) कार्य निर्धारण का ब्यौरा क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कुल 16312 औद्योगिक प्लाट हैं जिसमें 12658 फैक्ट्री वर्तमान में कार्यरत हैं;

(ख) इस औद्योगिक क्षेत्र में रख–रखाव का जिम्मा बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पी.पी.पी. मोड में दिया गया है;

(ग) अनुबंध के अनुसार संतोषजनक कार्य नहीं करने पर कंपनी पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, पेनल्टी की वसूली वार्षिक (Annuity) की राशि से वसूली किये जाने का प्रावधान है; और

(घ) व (ङ) बवाना इन्फ्रा डेवलपमैंट प्राइवेट लिमिटेड को संपूर्ण बवाना औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के रखरखाव, देखभाल, मरम्मत जैसे पार्क, बगीचे, सड़कें, सी.ई.टी.पी., पानी सप्लाई, सीवर, नालियां, बरसाती नालें, कूड़ा

कचरा एकत्रित करना, औद्योगिक क्षेत्र की साफ सफाई एवं कूड़े के निस्तारण इत्यादि करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन कार्यों को करने हेतु बवाना इन्फ्रा डेवलपमैंट प्राइवेट लिमिटेड को पूर्व निर्धारित दर पर मेंटेनेंस, सी.ई.टी.पी., पानी सप्लाई शुल्क प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रत्येक औद्योगिक इकाई से अनुबंध के अनुसार प्रतिमाह प्राप्त करने का प्रावधान है।

198. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने उद्योग सील किए गए थे;

(ख) क्या उन सभी को अब खोल दिया गया है;

(ग) क्या इन उद्योगों की श्रेणी (प्रदूषण) की बदल दी गई है; और

(घ) दिल्ली सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दोबारा न हो?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में Pickling की 75 इकाइयों को Hon'ble N.G.T. के आदेश अनुसार बंद करने के आदेश 06.12.2018 को D.P.C.C. ने जारी किए गये थे। इनको S.D.M. ने अपनी टीम के द्वारा 08.12.2018 & 09.12.2018 को सील करा दिया गया है;

(ख) अभी इन इकाइयों को खोला नहीं गया; और

(ग) व (घ) इन इकाइयों की प्रदूषण श्रेणी नहीं बदली गई है दिल्ली के मास्टर Plan 2021 में इन इकाइयों की श्रेणी बदलने के लिए दिल्ली सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के पास उचित कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

199. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मिलावटी दूध, सब्जी एवं फलों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) मिलावट पर रोक लगाने के लिए निरीक्षक द्वारा वर्ष 2018–19 में किए गए चालानों की संख्या व इसके लिए आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों का विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली में दूध, सब्जी एवं फलों में मिलावट में रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये जाते हैं–

1. विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से दूध, सब्जी एवं फलों के नमूने समय–समय पर जाँच के लिए उठाए जाते हैं। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज किए जाते हैं।

2. विभाग द्वारा दिल्ली में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकृत किया जा रहा है। उन्हें पंजीकरण/लाईसेंस निर्गत किया जा रहा है।

3. विभाग द्वारा समय–समय पर मिलावट के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।

(ख) विभाग द्वारा 2018–19 में अभी तक मिलावट से संबंधित कुल 130 मुकदमें दर्ज किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न है–

ए.सी.एम.एम. न्यायालय–41

ए.डी.एम. न्यायालय–89

(ग) जी नहीं; और

(घ) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना का प्रावधान नहीं है। जबकि, खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार पहले से ही खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सक्रिय रूप में कार्यरत है।

200. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डब्ल्यू.एच.ओ. तथा एफ.एस.एस.आई. के सर्वे के अनुसार भारत और खासकर दिल्ली में दूध और दूध उत्पादों में 60 प्रतिशत नमूनों में मिलावट है और दस प्रतिशत मामलों में डिटरजेंट जैसे पदार्थों की खतरनाक मिलावट है;

(ख) फूड सेफ्टी विभाग ने 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक दूध और दुग्ध उत्पाद के कितने फेल हुए व कितने मामलों में, क्या कार्रवाई की गई, पूरी दिल्ली तथा तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित जानकारी का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) एफ.एस.एस.आई. द्वारा तैयार की गई येलो मेनुअल (मिलावट के प्रति जागरूकता पैदा करने की) स्कूल तथा नागरिक समाज में किस तरह और कितनी संख्या में प्रसारित किया गया; और

(घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूध में मिलावट के अपराध में आजीवन कारावास तक की सजा तय करने के विधायी परिवर्तन करने हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) यह सत्य नहीं है;

(ख) फूड सेफ्टी विभाग ने 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक दूध और दुग्ध उत्पाद के 1348 नमूने जाँच के लिए उठाये गए, जिनमें से 191 नमूने जाँच में फेल हुए व 87 मामलों में कोर्ट में मुकदमें अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। बाकी मामले जाँच पूरी होने पर न्यायालय में दर्ज कर दिए जाएंगे।

तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र से कुल 23 नमूने उठाये गए, जिनमें से 2 नमूने फेल हुए जो जाँच पूरी होने पर न्यायालय में दर्ज कर दिए गए जाएंगे;

(ग) एफ.एस.एस.आई. द्वारा तैयार की गई येलो मेनुअल (मिलावट के प्रति जागरूकता पैदा करने की) स्कूल तथा नागरिक समाज को ई–मेल द्वारा भेजी गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	येलो मेनुअल	स्कूल एवं कॉलेज	नागरिक समाज
1.	स्तर–1	2080	447224
	स्तर–2	2080	–
	स्तर–3	2080	–

(घ) खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006 एक केन्द्रीय कानून है, जिसमें संशोधन करने की क्षमता केन्द्र सरकार के अधीन है।

201. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खाने की मिठाई की कितनी दुकानें व रेस्तरां खाद्य संरक्षण से पंजीकृत हैं व कितने बिना पंजीकरण के हैं;

(ख) जो रेस्तरां व खाने की दुकानें पंजीकृत नहीं है, उनमें से कितनों पर क्या कार्रवाई की गई, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या सभी खाने पीने की दुकानों व रेस्तरां पर फूड सेफ्टी शिकायत नम्बर के बोर्ड लगाए हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो शिकायत नम्बर क्या है;

(ङ) खाद्य सुरक्षा को देखते हुए नालों पर बनी दुकानों व कूड़ेदानों के साथ बनी दुकानों को क्या खाद्य संरक्षण पंजीकृत प्रमाण–पत्र दिया जाता है;

(च) यदि नहीं, तो इस तरह जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे दुकानदारों पर क्या कार्रवाई की गई और कब; और

(छ) खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग क्या कदम उठा रहा है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) खाद्य संरक्षा विभाग तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब तक कुल 28225 लाईसेंस तथा 90068 पंजीकरण जारी किए गए हैं। जिनमें खाने की मिठाइयों की दुकानें तथा रेस्तरां शामिल हैं। बिना लाइसेंस/पंजीकरण के मिठाई की दुकानें/रेस्तरां का ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है;

(ख) जो रेस्तरां व खाने की दुकानें पंजीकृत नहीं है, ऐसे खाद्य कारोबारियों को खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। 01 अप्रैल, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक कुल 742 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं;

(ग) इस संदर्भ में जागरूकता फैलाई जा रही है और काफी संख्या में दुकानदार बोर्ड लगा रहे हैं;

(घ) शिकायत नंबर—

खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार—1800113921 एफ.एस.एस.ए.आई. —1800112100/9868686868

(ङ) खाद्य संरक्षा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑन—लाइन है। सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दे दिया जाता है। कानून के अनुसार पंजीकरण की शर्तें पूरी करने की जिम्मेवारी खाद्य कारोबार कर्ता पर है;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता; और

(छ) खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग निम्न कदम उठाता है—

1. विभाग द्वारा खाद्य कारोबारीकर्ताओं से खाद्य पदार्थों के नमूने समय—समय पर जाँच के लिए उठाए जाते हैं। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज किए जाते हैं।

2. विभाग द्वारा दिल्ली में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकृत किया जा रहा है। उन्हें पंजीकरण/लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है।

3. विभाग द्वारा समय–समय पर मिलावट के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।

202. **श्री अजय दत्त** : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019 में अम्बेडकर नगर की किस–किस रोड के पुनर्निर्माण की योजना है; इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) पुष्प विहार के किस–किस फुटपाथ का निर्माण कार्य पिछले तीन सालों में कितनी लागत से किया गया; और

(ग) खानपुर पीपल चौक, एम.बी. रोड नाले का पुनर्निर्माण कार्य कब तक किया जाएगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) वर्ष 2019 में अम्बेडकर नगर के निम्नलिखित मार्गों का पुनर्निर्माण किया जाना है–

1. महर्षि वाल्मीकि मार्ग।
2. राजाराम मार्ग।
3. दुर्बलनाथ मार्ग।
4. एच. ब्लाक दक्षिणपुरी मार्ग।

(ख) वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 20.97 लाख की लागत खर्च कर मंदिर मार्ग, पुष्प विहार, सेक्टर–1, एन.बी.सी.सी. प्लाजा और पंकज जुयाल मार्ग पर फुटपाथ रिपेयर, कर्व स्टोन, नाली एवं पैच कार्य किया गया।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में कोई खर्चा नहीं किया गया; और

(ग) इस नाले के निर्माण कार्य का विस्तृत एस्टीमेट बनाया जा रहा है। कार्य को सितंबर, 2019 तक संपन्न करा दिया जाएगा।

203. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग को लिखे गए निम्नलिखित पत्रों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का विवरण क्या है;

1. 11820 / 26 / 07 /
2. 4(पी.एस. टू डी.ओ.एच.) / पी.डब्ल्यू.डी. / 2015–16 / 742
3. 111944 / 24 / 09 / 18
4. 111944 / 28 / 09 / 18
5. 1 / 01 / 2019
6. 112208 / 18 / 12 / 18
7. 112221 / 22 / 18

(ख) करोल बाग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का बागवानी, सिंचाई और वृक्षारोपण जैसे रखरखाव के कार्यों की क्या व्यवस्था है;

(ग) यदि ये टेण्डर से होते हैं, तो पिछली बार सेवाओं के लिए टेण्डर एवं ठेके कब दिये गए थे;

(घ) दिसंबर, 2018 से पहले सेवाएं कब और कितनी अवधि के लिए सौंपी गई थी;

(ङ) करोलबाग विधान सभा में चालू एवं चालू होने वाली सिविल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजनाओं का विलम्ब से चलने का क्या कारण है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) पत्रों का क्रमानुसार जवाब निम्नानुसार हैः

1. स्ट्रीट लाईट के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गये हैं और स्ट्रीट लाईट का कार्य 20.03.2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
2. प्रत्र इस विभाग में उपलब्ध नहीं हुआ है।
3. रानी झांसी मार्ग के पुनर्विकास की योजना युटीपैक द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। कार्य का प्राक्कलन प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
4. गोल चक्कर की मरम्मत का कार्य कर दिया गया है, गोल चक्कर के पास सड़क की हालत संतोषजनक है तथा उद्यान संबंधी कार्य कराया जाना है।
5. प्रत्र दिनांक 01.01.2019 इस विभाग में उपलब्ध नहीं हुआ है तथा प्रत्र दिनांक 10.01.2019 के संबंध में युटीपैक द्वारा अनुमोदित योजना में में एफ.ओ.बी. का प्रावधान नहीं था। अब इस मामले की पुनः समीक्षा की जा रही है।
6. राष्ट्र ध्वज लगाने का मामला सक्षम अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
7. यूटीपैक द्वारा अनुमोदित योजना में एफ.ओ.बी. का प्रावधान नहीं था। अब इस मामले की पुनःसमीक्षा की जा रही है।

(ख) करोल बाग क्षेत्र की सभी सड़क व अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थान जो लो.नि.वि. के अंतर्गत है पर सड़कों के Central Verge पर उद्यान कार्यों का उचित अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। पेड़ों की सिंचाई का कार्य ठेकेदार के टैंकरों द्वारा एवं रखरखाव का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पेड़ों एवं झाड़ियों की कटाई–छटाई का कार्य कराया जाता है;

(ग) पिछले वित्त वर्ष में केवल विभागीय कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षण कराया गया;

(घ) केवल पानी के टैंकर हेतु करार (Tender) किया गया जो जारी है;

(ङ) करोल बाग विधानसभा के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा भवनों का निर्माण होना है।

1. एस.के.वी. आराम बाग, लेन–44 नग कमरे
2. जी.जी.एस.एस.एस. पहाड़गंज–40 नग कमरे
3. जी.जी.एस. ईस्ट पार्क रोड–40 नग कमरे

(च) परियोजना के विलंब से चलने का कारण–एस.डी.एम./ई.आर.ओ. ए.सी.–23, करोलबाग के पत्र संख्या SDM/ERO/AC-23 KB/2018/636-42 दिनांक 28.01.2019 के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव तक कोई निर्माण कार्य/तोड़ फोड़ कार्य नहीं कराया जा सकता है (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है)।

204. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें हैं;

(ख) इन सभी सड़कों के नक्शे की प्रति;

(ग) इन सभी सड़कों को पिछली बार कब कब बनाया गया था;

(घ) पिछले पाँच वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कुल किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण, कार्य का नाम, लागत, कार्य आरंभ होने की तिथि, व कार्य खत्म होने की तिथि सहित क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम को सड़कों पर पार्किंग चलाने की अनुमति दी गई है;

(च) यदि हाँ, तो इस आदेश की प्रति और रिठाला विधानसभा की ऐसी सड़कों का विवरण जिनके लिए यह अनुमति दी गई है;

(छ) यदि नहीं, तो विभाग दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़कों पर पार्किंग चलाई जा रही है जिसके लिए शुल्क लिया जाता है; और

(ज) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़कों पर पार्किंग चलाई जा रही है जिसके लिए शुल्क लिया जाता है; और

(झ) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र की कुल 38 सड़कें, लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है;

(ख) Annexure-'A' संलग्न है;

(ग) ज्यादातर रोड वित्तीय वर्ष 2012–2013 में हुई थी। पिछले 5 वर्ष के अंदर कराए कार्यों का विवरण Annexure-'A' में संलग्न* है।

(घ) Annexure-'A' संलग्न है;

(ङ) दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुसार दिल्ली क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व दिल्ली नगर निगम का है इस पर बनी सड़कों रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। दिल्ली क्षेत्र की सड़कों पर पार्किंग चलाने की अनुमति लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दी जाती है;

(च) उपरोक्त 'ङ' के अनुसार लागू नहीं है;

(छ) लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है;

(ज) इस प्रकार की सूचना लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध नहीं है; और

(झ) उपरोक्त 'ज' के अनुसार लागू नहीं है।

205. श्री अजेश यादव : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादली विधान सभा का शेर शाह सूरी मार्ग (66 फूटा रोड) कितने समय से टूटा हुआ है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) अब तक इस ऐतिहासिक सड़क को न बनाये जाने का क्या कारण है;

(ग) इस सड़क को बनाने के लिए कितनी राशि का एस्टीमेट कब बनाया गया था;

(घ) उक्त एस्टीमेट अब किस स्तर पर है; और

(ङ) इस सड़क का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) 66 फुटा रोड पर D.J.B., T.P.D.D.L. व M.T.N.L. के द्वारा उनके सर्विस प्रदान करने वाले कार्य के लिए लगातार रोड काटने के कारण रोड लगभग 2016 से टूटा हुआ है;

(ख) सड़क के पुनः निर्माण के लिए प्रारंभिक एस्टीमेट, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु बनाया गया था जिसकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण इस सड़क को नहीं बनाया जा सका;

(ग) इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए रु. 7,81,00,000/– का प्रारंभिक एस्टीमेट वर्ष 2016 में सक्षम अधिकारी को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय अधिकारी को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (A/A & E/S) हेतु बनाया गया था;

(घ) उक्त एस्टीमेट रु. 7,81,00,000/– का अब प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति पत्र सं. SS/PWD/19/2018-19 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है; और

(ङ) इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रण हेतु प्रक्रिया जारी है तथा इस कार्य को लगभग छः माह में पूरा कर लिया जायेगा।

206. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017:18 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल, बागवानी, प्रोजेक्ट व अन्य द्वारा किए गए कार्यों, प्रत्येक कार्य पर व्यय धन राशि का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2019–20 किए जाने वाले कार्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क)

1. **सड़क कार्य**—वर्ष 2017–18 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में लो. नि.वि. द्वारा सड़कों कार्यों पर कुल राशि रु. 4,42,15,907/—व्यय किए गए है।

2. **भवन अनुरक्षण कार्य**—वर्ष 2017–18 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण Annexure-'II' में संलग्न है।

3. **वैधुत कार्य**—वर्ष 2017–18 मे मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में वैधुत कार्यों पर कुल राशि रु. 21,96,289/— व्यय की गई है।

4. **बागवानी कार्य**—वर्ष 2017–18 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में लो. नि.वि. द्वारा बागवानी का कोई कार्य नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 2017–18 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित निर्माण कार्य प्रस्तावित है—

1. स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाना–

क्र.सं.	स्कूल	कमरें
(i)	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय नं. 1, पंजाबी बाग	52
(ii)	सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 2, पंजाबी बाग	16
(iii)	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय नं. 1 मादीपुर	28
(iv)	सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 2 मादीपुर	15

2. इसके अतिरिक्त मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है–

   (i) क्लब रोड।

   (ii) रोड नं 33, नार्थ एवन्यू रोड।

   (iii) मादीपुर गाँव रोड।

3. भवन अनुरक्षण हेतु वर्ष 2019–20 में मादीपुर विधान सभा क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए कार्यों का पूर्ण ब्यौरा Annexure-'I' में संलग्न है।

4. मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019–20 में लो.नि.वि. द्वारा कोई विशेष उद्यान कार्य प्रस्तावित नहीं है।

ANNEXURE-I

Sl. No.	Name of work	Amount in Lakhs	Reference	Status
1	EOR to Govt. Girls Senior Secondary School No.1, Madipur, New Delhi (SH:- Construction of new boundary wall after demolition of old boundary wall, replacement of old windows with new one in class rooms, labs, toilets & flooring in class rooms with kota stone/ tile work in labs, offices, plastering of wall in toilet/ tile rowk in toilets, class rooms, labs, rennovation of toilet blocks, development of playground and interlocking tiles at the back of class rooms and other misc. work)	79.28	25(285)/EEWB-I/2018-19/249811 dated 24-07-2018	A/A & E/S awaited
2	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.2, Madipur, New Delhi (SH:- Repair and rennovation of toilet blocks, interlocking pave rod block back side of school and development of playground and other miscellaneous work)	19.89	23(285) EE/WB-I/2018-19/3047 dated 29-08-2018	A/A & E/S awaited

ANNEXURE-II

Sl. No.	Name of work	Agreement No.	Expenditure
1	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya at Basai Darapur, New Delhi (SH:- Repair of M.P. Hall and brick koba of roof of MP Hall and other ancillary works)	40/EE/M-132(N) (2017-18)	2620571.00
2	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.2, Punjabi Bagh, New Delhi (SH:- Laying of kota stone in damaged floor of class rooms and fixing ceramic glazed wall tiles in all the class rooms)	S4/EE/M-132 (N)/2017-18	2488944.00
3	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya No. 2, Punjabi Bagh, New Delhi(SH:- Relaying of R.C.C. roof in two rooms with ancillary work and koba & gunting work in four other rooms and repair and fixing the sanitary fixtures along with finishing)	95/EE/M-132 (N)/2017-18	1873868.00
4.	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyayala No.2, Madipur, New Delhi (SH:- Gunning in rooms & kota flooring in rooms and other misc. work)	106/EE/M-132 (N)/2017-18	2154707.00

207. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हे कि मादीपुर विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के नालों का वर्ष 2018–19 का डिसिल्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण है;

(घ) यह कार्य कब तक संपन्न हो जायेगा;

(ङ) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली रोड, फुटपाथ और नालों पर दुकानदारों नेजो कब्जे कर रखे हैं। उन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है; और

(च) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में की गई ऐसी कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय लोक विभाग मंत्री : (क) प्रत्येक वर्ष नालों की सफाई मानसून आने से पूर्व करायी जाती है। मादीपुर विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के नालों का वर्ष 2018–19 का डिसिल्टिंग का कार्य हो चुका है;

(ख) विवरण संलग्न * है;

(ग) लागू नहीं;

(घ) लागू नहीं;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ङ) समय–समय पर विभाग द्वारा नगर निगम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी जाती है। तदानुसार स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा समय–समय पर साथ मिलकर फुटपाथ और नालों पर दुकानदारों ने जो कब्जे पर रखे हैं। उन पर कार्रवाई की होती है; और

(च) दिनांक 16.02.2019 व 18.02.2019 को रोड नं. 28 व 29 पर यह कार्रवाई की गई। स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा लाजिस्टिक उपलब्ध कराया गया।

208. श्री अनिल कुमार वाजपेयी : क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाँधी नगर विधान सभा के अंतर्गत कौन–कौन सी सड़क आती है, उसकी विस्तृत जानकारी नक्शे समेत क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में पुश्ता रोड के सौंदर्यीकरण का क्या प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में पुश्ता रोड पर जो फुट ओवर ब्रिज बना है, उसमें स्व–चालित सीढ़ियां या लिफ्ट लगने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा विवरण और यह कब तक पूरा किया जायेगा;

(ङ) इस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की मैन गाँधी नगर मार्किट की सड़क पिछली बार कब बनायी गयी, उसकी लागत, पास टेंडर की राशि निर्माण के पूर्ण विवरण सहित जानकारी क्या है

(च) इस विधान सभा क्षेत्र की मार्केट वाली मेन रोड कब तक बन जाएगी, इसकी पूरी जानकारी क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) इस विभाग के अंतर्गत गाँधी नगर विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों की देख रेख की जाती है–

1. पुश्ता रोड
2. मदर डेरी से कश्यप्प मोहल्ला तक
3. Old G.T. Road (Old Yamuna Bridge to Darampura Y-Point)
4. Gurudwara Road (G.T. Road to Seelampur main Road);

(ख) भारत सरकार के निर्देशानुसार इस सड़क का अधीग्रहण NHAI द्वारा किया जाना है। क्योंकि इस सड़क को NHAI को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। अतः इस सड़क के सभी प्रस्तावित कार्य स्थगित कर दिये गये है;

(ग) पुश्ता रोड पर जो फुट ओवर ब्रिज बना है उसमें स्व–चालित सीढ़िया या लिफ्ट लगाने की साध्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इसके उपरांत ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है;

(घ) उपरोक्तानुसार साध्यता का आकलन होने के बाद ही लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियां लगाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। लगभग तीन माह में निर्णय लिया जाएगा; और

(ङ) गाँधी नगर मार्किट के रोड वर्ष 2012–13 मैन एम.सी.डी. द्वारा लो.नि.वि. को हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2012–13 से इस रोड की कार्य लो.नि.वि. द्वारा नहीं कराया गया है। अतः इसकी लागत टेंडर की राशि निर्माण पूर्ण विवरण की जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। इस विभाग द्वारा केवल समय समय पर गड्ढों की मरम्मत करने का कार्य ही कराया गया है। अतः वर्ष 2012–13 से पूर्व निर्माण की पूर्ण जानकारी एम.सी.डी. के पास ही उपलब्ध है; और

(च) इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि इस सड़क की strengthening का प्राकलन प्रक्रिया में है। लगभग 31 मार्च तक निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी।

209. श्री संजीव झा : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बुराड़ी बाईपास से लेकर हिरनकी तक जाने वाले मेन 100 फुटा रोड को चौड़ा करने एवं उसके सौंदर्यीकरण का फेज–2 का जो कार्य किया जाना है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है;

(ख) फेज–2 के इस कार्य हेतु टेंडर की प्रक्रिया कब तक आरंभ जो जाएगी; और

(ग) इसमें हुए विलंब के क्या कारण है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बुराड़ी बाईपास से लेकर हिरनकी तक जाने वाले मेन 100 फुटा रोड को चौड़ा करने एवं उसके सौंदर्यीकरण का फेज–2 के कार्य का प्रारंभिक अनुमान राशि रु.10.24 करोड़ सचिव, लो.नि.वि. दिल्ली सचिवालय के कार्यालय में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

(ख) सचिव, लो.नि.वि. दिल्ली सचिवालय के कार्यालय में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्ति के उपरांत लगभग 1 माह में टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी; और

(ग) माननीय मंत्री लो.नि.वि. के कक्ष में दिनांक 30.07.2016 को मीटिंग के दौरान लिये गये निर्णय के अनुपालन में मैन बुराड़ी रोड के रिंग रोड से बुराड़ी मोड़ तक का सौंदर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य फेस–1 में

पूर्ण होने के उपरांत फेस–2 (बुराड़ी मोड़ से अमृत विहार) के सौंदर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारंभ करना था। फेस–1 का कार्य जून, 2018 में पूर्ण हुआ था। फेस–2 के सुदृढ़ीकरण कार्य संबंधित तकनीक अध्ययन नवम्बर, 2018 में पूर्ण हुआ। इसके उपरांत इसका प्रारंभिक अनुमान बनाया गया जो कि जनवरी, 2019 में सचिव लो.नि.वि. के कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः इसमें कोई विलम्ब नहीं है;

210. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केशवपुरम में एम.सी.डी. द्वारा लगाई गई कॉम्पेक्टर मशीन के लिए जगह लोक निर्माण विभाग ने दी है;

(ख) यह जगह पी.डब्ल्यू.डी., एम.सी.डी. और डी.डी.ए. में से किसकी थी; और

(ग) क्या इसके लिए कोई धनराशि दिल्ली सरकार या एम.सी.डी. को प्राप्त हुई है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) इसमें कुछ भाग लोक निर्माण विभाग का है और कुछ भाग एम. सी.डी. का है जिस पर एम.सी.डी. द्वारा ही अनाधिकृत कब्जा हुआ है। इस संबंध में उपयुक्त एस.डी.एम. केशवपुरम को पत्र लिखा जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न है।); और

(ग) इस विभाग में इसके लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई;

सहायक अभियंता कार्यालय	Q/o The Assistant Engineer
लोक निर्माण, उ.प्र. आर–12	Public Works Department
केशव पुरम, रोड़ नं. 37,	Keshav Puram Road No. 37,
दिल्ली–35	Delhi-35

संख्या 23 (PS-Ench) स.अ./उ.प.आर.–12/लो.नि.वि./2018–19/1151 दिनांक 04/12/2018

सेवा में,

उपायुक्त कार्यालय,
उत्तरी दिल्ली नगर निगम
ए–1 ब्लॉक केशवपुरम जोन,
दिल्ली–110035

Sub : C-7, Keshav Puram, लोक निर्माण विभाग के पीछे बने खत्ते का area बढ़ाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि C-7, Keshav Puram, लोक निर्माण विभाग के पीछे जो आपको विभाग का खत्ता पहले से बना हुआ है उसे तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। दोबारा बनाते हुए उन्होंने खत्ते का Size 4×4 mtr. लगभग बड़ा कर दिया है जिससे उन्होंने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर Size 4×4 mtr. का अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। आपसे अनुरोध है कि इस अनाधिकृत कब्जों

को हटाने हेतु Demolishing का Programme जारी करने का कष्ट करें ताकि सरकारी जमीन से अनाधिकृत कब्जे को हटाया जा सके।

सहायक अभियंता
लोक निर्माण विभाग उ.प. आर.–12
केशव पुरम, रोड नं. 37, दिल्ली–35

प्रतिलिपि–

1. कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि. मंडल उत्तर पश्चिम आर.–1, मुकरबा चौक, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियंता

सहायक अभियंता कार्यालय
लोक निर्माण, उ.प्र. आर–12
केशव पुरम, रोड़ नं. 37,
दिल्ली–35

Q/o The Assistant Engineer
Public Works Department
Keshav Puram Road
No. 37, Delhi-35

संख्या 23 (PS-Ench) स.अ. / उ.प.आर.–12 / लो.नि.वि. / 2018–19 / 1151 दिनांक 04 / 12 / 2018

सेवा में,

उपायुक्त कार्यालय,
उत्तरी दिल्ली नगर निगम
ए–1 ब्लॉक केशवपुरम जोन,
दिल्ली–110035

विषय : C-7, Keshav Puram, लोक निर्माण विभाग के पीछे बने खत्ते का area बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र सं. 23(PS-Ench) स.अ. / उ.प.आर.–12 / लो.नि.वि. / 2018–19 / 1151 दिनांक 04.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भित पत्र का अवलोकन को जैसाकि आपको पूर्व ने सूचित किया जाता है कि आपके विभाग द्वारा C-7, Keshav Puram, लोक निर्माण विभाग के पीछे खत्ते को तोड़कर उनका Size बढ़ाकर नया बनाया जा रहा है। संबंध में कनिष्ट अभियंता द्वारा मौके पर कई बार कार्य को रुकवाने का प्रयास किया गया है, परंतु स्थानीय R.W.A. के पदाधिकारी व आसपास के लोग व स्थानीय निगम पार्षद श्री योगेश वर्मा जी ने कहते हैं कि कार्य लोकहित ने हो रहा है। कूड़ाघर छोटा होने के कारण सारा

कूड़ा व गंदगी सड़क पर फैली रहती है जिससे आसपास के लोगों को काफी बीमारियां हो रही हैं व स्थानीय लोग इस कार्य को किसी भी हालत में रुकने नहीं दे रहे हैं। (साईट की छायाप्रति संलग्न)।

महोदय, यह कार्य आपके विभाग द्वारा करवाया जा रहा है अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग को निर्देश जारी करे कि कार्य को तुरन्त बंद करे व फालतू Cover की गई जगह की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग से लेने की उपरांत ही कार्य करें यदि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो इस तोड़कर वापिस अपनी जगह पर बनाने का निर्देश जारी करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियंता
लोक निर्माण विभाग उ.प. आर.–12
केशव पुरम, रोड नं. 37, दिल्ली–35

प्रतिलिपि–

1. कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि. मंडल उत्तर पश्चिम आर.–1, मुकरबा चौक, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

211. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 2015 से 31 जनवरी, 2019 तक विभाग ने तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य; रोड, सिविल, स्कूल प्रोजेक्ट डिविजन द्वारा किये गए, उन प्रत्येक कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई, किए गए कार्यों का अनुरोध कहाँ से विभाग को मिला आदि विवरण दे;

(ख) 1 अप्रैल, 2015 से 31 जनवरी, 2019 तक विभाग ने तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किन–किन कामों के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ, उस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई सभी की अलग–अलग प्रगति रिपोर्ट का विवरण है?

(ग) जिन अनुरोधों पर कोई कार्य नहीं किया गया उसका कारण क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) विभाग द्वारा किये गए संबंधित रोड व सिविल अनुरक्षण कार्यों का विवरण (अनुसंलग्नक–A, B1 & B2)* संलग्न है:

(ख) प्राप्त सभी अनुरोधों के अनुसार कार्य का निष्पादन किया गया व प्रगति रिपोर्ट (अनुसंलग्नक–A, B1 & B2)* संलग्न है; और

(ग) माननीय विधायक के पत्र सं. M.L.A./A.C.-03/4173 dated 14.09.2018 पर कार्यवाही की गई है, इस संबंध में माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया कि पूरी सड़क में केवल एक कालोनी के सामने ग्रिल नहीं लगाई जा सकती है।

212. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोण्डली विधानसभा में लोक निर्माण की कुल कितनी सड़कें है;

(ख) मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सड़कों के गड्ढे भरने के लिए हर विभाग सभा क्षेत्रवार कितना पैसा लोक निर्माण विभाग को दिया गया था;

(ग) कोण्डली विधानसभा की कितनी सड़कों के गड्ढे जनवरी में भरे जा चुके हैं और इनके लिए कितना पैसा दिया गया;

(घ) कोण्डली विधानसभा के नालों की सफाई के लिए 2018–19 में कितने पैसे खर्च किये गए, और;

(ङ) क्या सभी नालों की सफाई कर दी गई है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) कोण्डली विधानसभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा कुल 26 सड़कों की देखरेख की जाती है;

(ख) सड़कों के गड्ढे भरने हेतु राशि सड़कों के वार्षिक रखरखाव मद को प्रभारित की जाती है। अलग से किसी आबंटन की आवश्यकता नहीं होती है। वार्षिक रखरखाव के अंतर्गत सड़कों पर फुटपाथ की मरम्मत, ड्रेनों की सफाई पेंटिंग व बागवानी कार्य कराये जाते हैं;

(ग) कोण्डली विधान के सभी सड़कों के चिन्हित गड्ढे भरे जा चुके हैं। गड्ढे भरने हेतु A/R & M/O बजट से खर्च किया गया है;

(घ) वर्ष 2018–19 के दौरान खर्चा राशि रु. 79.00 लाख (लगभग); और

(ङ) जी हाँ, वर्ष 2019–2020 के लिए सभी नालों की सफाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

213. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **माननीय श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के वेतन संबंधी शिकायत निवारण के लिए क्या कोई विशेष कमेटी का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या वेतन संबंधी वाद के निपटान हेतु विभाग ने कोई समय सीमा तय की है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो केवल वेतन संबंधी वाद के निपटान हेतु क्या कोई समय अवधि तय करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) जी नहीं। असंगठित एवं संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के वेतन संबंधित शिकायतों का समाधान प्रथम चरण में क्षेत्रीय श्रम निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत श्रम विभाग के 9 जिलों में कार्यरत संयुक्त श्रमायुक्त व उपश्रमायुक्त को न्यूनतम वेतन/वेतन संबंधित विवादों के निपटान हेतु उपरोक्त दोनों ही अधिनियमों के अंतर्गत प्राधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। वेतन संबंधित विवादों की अर्धन्यायिक सुनवाई इन प्राधिकारियों द्वारा की जाती है एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात उचित आदेश पारित किये जाते हैं;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) जी नहीं, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा वेतन संबंधित विवादों का अर्धन्यायिक प्रक्रिया द्वारा समाधान किया जाता है, उक्त दोनों ही अधिनियमों के प्रावधानों में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है; और

(घ) उपरोक्त क्रमांक (ग) में वर्णित; और

(ङ) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत नियुक्त किये गये प्राधिकारियों के द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्रतिमाह श्रम विभाग (मुख्यालय) को भेजी जाती है और समय–समय पर सचिव (श्रम) द्वारा इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है एवं वेतन संबंधित विवादों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु आदेश भी दिये जाते हैं।

214. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार ने जे.एन.यू. मामले में किन कारणों से अभी तक अभियोजन की अनुमति नहीं दी है;

(ख) अभियोजन की अनुमति देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है;

(ग) इस मामले में फाइल दिल्ली सरकार के पास किस तिथि को स्वीकृति हेतु आई थी;

(घ) किन–किन विभागों ने इस का अध्ययन किया;

(ङ) वर्तमान में फाइल कहां पर है;

(च) कब तक अभियोजन की अनुमति मिल जाने की आशा है?

माननीय गृह मंत्री : (क) विचारधीन;

(ख) धारा 196 अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार है;

(ग) 14.01.2019;

(घ) पुलिस विभाग, गृह विभाग, विधि विभाग; और

(ङ) विधि मंत्री, दिल्ली सरकार; और

(च) विचाराधीन।

215. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारंभ में थाना स्तरीय समितियाँ बनाने का उद्देश्य क्या था और इन्हें बनाने के लिए किसने पहल की थी;

(ख) 2015 से लेकर जिला स्तरीय समितियों के गठन तक उनके अध्यक्ष की उपस्थिति में इसकी कुल बैठकों का थानावार विवरण क्या है;

(ग) इसके बनाने से लेकर जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में दिल्ली के जिलों में जिला स्तरीय कितनी बैठकें हुई थीं; और

(घ) क्या जिला स्तरीय बैठकें उपयोगी सिद्ध हुई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें थाना स्तरीय बैठकों में क्यों नहीं बदला जाता?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

216. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों में वर्ष 2016 से 2018 दिसम्बर तक होने वाली अपराधिक घटनाओं का पूर्ण विवरण दें;

(ख) इस अवधि में चोरी और डकैती की वारदातों पकड़े गए अपराधियों की संख्या और उनसे हुई रिकवरी का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में गलियों में चल रही अवैध शराब और ड्रग्स की दुकानों की संख्या और इन दुकानों पर पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) जनकपुरी के विद्या मार्ग, पंखा रोड, ओल्ड पंखा रोड, लाल साँई मार्ग पर बसों की अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई और भविष्य में कार्रवाई की योजना का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी और सी–1 चौक पर अवैध रूप से चल रही चिकन की दुकानों पर शराब पीने को रोकने पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

217. श्री अनिल कुमार वाजपेयी : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरी दिल्ली में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कितने पुलिस स्टेशन (थाने), पुलिस कार्यालय, (मुख्य) उपायुक्त पुलिस कार्यालय के मेन्टेनेन्स का काल करते हैं?;

(ख) जो–जो पुलिस स्टेशन और पुलिस मुख्यालय, पुलिस उपायुक्त की बिल्डिंगों का रखरखाव करते हैं, उनकी और कितनी धनराशि बकाया है?

(ग) वहाँ पर रह रहे स्टॉफ क्वाटर्स के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी विस्तृत जानकारी क्या है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) इस विभाग द्वारा निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों (थानों) का मेन्टेनेन्स किया जाता है;

1. साकेत पुलिस स्टेशन।
2. अम्बेडकर नगर पुलिस स्टेशन।
3. मालवीय नगर पुलिस स्टेशन।
4. मेहरोली पुलिस स्टेशन।
5. हौज खास पुलिस स्टेशन।
6. पुलिस उपायुक्त कार्यालय हौज खास।
7. पुलिस उपायुक्त, 7वीं वाहिनी पी.टी.एस. मालवीय नगर।
8. आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन।
9. वसंतकुंज पुलिस स्टेशन।
10. संगम विहार पुलिस स्टेशन।
11. पी.टी.एस., झडोवा कलां।
12. पी.टी.एस., सेक्टर–9 द्वारका।
13. पुलिस थाना, राजेन्द्र नगर।
14. पुलिस थाना, चाणक्य पुरी।

15. पुलिस थाना, सेक्टर–12, आर.के. पुरम।

16. पुलिस थाना, सरोजनी नगर।

17. पुलिस थाना, धौला कुंआ।

18. पुलिस थाना, जफरपुर।

19. पुलिस थाना, नजफगढ़।

20. सुरक्षा लाइन ई. ब्लाक कृष्णा मेनेन मार्ग।

21. प्रधानमंत्री सुरक्षा लाइन, विनय मार्ग, चाणक्य पुरी।

22. सातवीं बटालियन कम्पोटिट चीन मूर्ति पुरी।

(ख) इस विभाग की कुल राशि रु. 18,60,16,667/– बकाया है; और

(ग) स्टॉफ क्वाटरों के लोगों को महानिदेशक के.लो.नि.वि. नई दिल्ली के ज्ञानपीठ 82/एस.ई. (टी.ए.एस.)/प्लिन्थ एरिया रेटरा/399 दिनांक 24.12.2012 के अनुबंध–2 में वर्णित व्याप्पक विनिर्देश और स्वच्छता, वैद्युत अन्वायुक्तियों फिटिंग्स जिन पर कुरसी दरें लागू हैं, के लिए सुविधाओं के मापदण्डों के अनुसार सुविधा प्रदान की जाती है।

218. श्री संजीव झा : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015 से लेकर दिसंबर, 2018 तक बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष वार चोरी, डकैती, लूटपाट, स्नैचिंग एवं बलात्कार आदि अपराधों की कितनी–कितनी घटनाएं हुई;

(ख) इनमें से कितने मामलों को दिल्ली पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है तथा कितने मामले अभी तक पेंडिंग हैं;

(ग) नए सीमांकन के अनुसार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कौन–कौन से क्षेत्र दिल्ली पुलिस के किन थानों के अंतर्गत आते हैं;

(घ) उपरोक्त थानों से संबंधित पुलिस उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं थाना–अध्यक्षों के नाम एवं मोबाईल नंबरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2015 से लेकर अब तक बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र की थाना लेवल कमेटी की कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं; और

(च) इन बैठकों में से कितनी बैठकों की अध्यक्षता स्वयं माननीय सांसद महोदय द्वारा की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

219. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल और सिविल जोन में अब तक कितनी जिला स्तरीय मीटिंग डी.सी.पी. ऑफिस द्वारा बुलाई गई, विस्तार में जानकारी क्या है;

(ख) हर मीटिंग के मिनट्स सहित कार्यवाही की विस्तृत जानकारी क्या है;

(ग) मीटिंग्स में शामिल होने वाले सभी सदस्यों, गैर–सदस्यों की हाजिरी का विवरण क्या है;

(घ) दरियागंज डी.सी.पी. ऑफिस, सिविल लाईन डी.सी.पी. ऑफिस द्वारा 1 जनवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2019 तक अपने इलाके में होने वाले अपराधों, एफ.आई.आर., कार्यवाहियों, चार्जशीट की जानकारी विस्तार में उपलब्ध करवाएं;

(ङ) क्या सिविल लाईन डी.सी.पी. ऑफिस द्वारा पिछले चार सालों में मजनू का टीला, मद्रासी कालोनी, मोरी गेट, पुल मिठाई, यमुना पुश्ता पर नशे का खिलाफ कोई अभियान/कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हाँ तो इसका विस्तृत विवरण क्या है; और

(छ) कश्मीरी गेट, चाँदनी चौक, सिविल लाईन, जामा मस्जिद थाने में पिछले पाँच सालों में दर्ज अपराधों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

220. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर मैट्रो स्टेशन के निकट नियत स्थान पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के मामले में प्रश्नकर्ता विधायक की क्या स्थिति है;

(ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से अग्निशमन विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) इन पर कितनी देर में कार्यवाही हुई और जानमाल की कितनी हानि हुई;

(घ) अग्निशमन विभाग द्वारा मालवीय नगर निरंकारी स्कूल के पीछे हुए अग्निकांड जैसी घटनाएं रोकने के लिए कौन–कौन से सावधानी उपाय किए गए; और

(ङ) मालवीय नगर के कुछ समय पहले हुए N.I.L..26 अग्निकाण्ड से संबंधित रिपोर्ट का विवरण क्या है;

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) मालवीय नगर मैट्रो स्टेशन के निकट गीतांजलि इंकलेव दमकल केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस स्थान पर विभाग द्वारा एक अग्निशमन वाहन प्रतिदिन सुबह से शाम तक तुरंत टर्नआउट के लिए खड़ा किया जा रहा है।

(ख) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र इस विभाग के नेहरू प्लेस दमकल केन्द्र के अंतर्गत आता है। इस केन्द्र पर अभी तक 1210 काल्स (01.4.18 से 19.02.2019) प्राप्त हुई जिन्हें इस विभाग द्वारा अपनी सेवाएं दी गई है।

(ग) इन सभी सूचनाओं पर इस विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही की गई व अपनी सेवाएं दी गई। इन सभी घटनाओं में कुल 04 लोगों की जान गई व 18 लोग इनमें घायल हुए। संपत्ति नुकसान के बारे में ब्यौरे इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस विभाग द्वारा मालवीय नगर क्षेत्र में तुरंत पहुंचने के लिए गीतांजलि दमकल केन्द्र का निर्माण जल्द करवाया जा रहा है। फिलहाल दिन में एक अग्निशमन वाहन इस केन्द्र पर भेजा जाता है।

(ङ) मालवीय नगर निरंकारी स्कूल के पीछे हुए अग्निकांड की रिपोर्ट संलग्न है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI HEADQUATERS: DELHI FIRE SERVICE: NEW DELHI

NO. F.6/DFS/HQ/2018/2388 Dated: 31.05.2018

Sub: Special Report of "Serious Fire" occurred at Near Sant Nirankari School, Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi on 29.05.2018 at 1657 hrs.

1. Receipt of Call

On 29.05.2018 at 1657 hrs, a fire call was received at Delhi Fire Service Control Room through Mr. Nilesh from Mob. No. 9155200642 stating that there is a fire at above mentioned address.

2. First Dispatch

Immediately, at 1658 hrs, 02 water tenders and 01 water bouser with Station Officer (Mathura Road) were responded. On reaching the site, the officer in-charge started fire-fighting operations.

3. Scale-Up

At 1740 hrs. officer in-charge upgraded the fire as of "Make 6 Category" and at 1741 hrs, additional 09 water tenders, 02 water bousers and 01 bulk foam tender were responded with Divisional Officer and 02 Assistant Divisional Officers.

4. Reinforcement

At 1745 hrs, under order of Director additional 03 water bousers were responded. Dy. Chief Fire Officer also responded to the scene of fire.

5. Category raised to Serious

At 1855 hrs, officer in-charge upgraded the fire as of "Serious Category" and at 1856 hrs, additional 04 water tenders, 03 water bousers, 01 FRFSA, 01 rescue tender, 01 control cum light van, 01 hose tender 01 QRT and 01 motor pump were responded with 03 Divisional Officers and 04 Assistant Divisional Officers. 02 Chief Fire Officers and 03 Dy. Chief Fire Officers also responded to the scene of fire. Director Delhi Fire Service also responded to the fire scene.

At 1934 hrs, officer incharge demanded QRT and motor pump, accordingly 02 QRT's and 01 motor pump were dispatched.

6. Fire Brought under Control

At 0015 hrs on 30.05.20.18 "Surrounded Message" was received in control room from the officer-in-charge.

At 0615 hrs "Under Control Message" was received in control room from the officer-in-charge.

At 0700 hrs "Stop Message" was received in control room from the officer-in-charge. However, cooling/combing operations continued until 0600 hours on 31.05.2018 when the operation was declared closed.

In 35 fire units (water tenders -15, water bousers-09, bulk foam tender - 02. FRFSA - 01, motor pump-02, control cum light van - 01, hose tender -01, QRT-03 and rescue tender -01) were utilized for operation and approximately 800,000 liters of water was discharged on, to the fire utilizing six water jets.

7. Brief about the incident:

Fire started from a truck that was being loaded and parked in a narrow lane with a building under construction and a storage godown premises on the other. The godown was stuffed heavily with petro-chemical based material. The fire spread quickly to the godown and the adjoining building and burnt fiercely emanating huge quantity of smoke containing thick black shoot. The smoke spread to the adjoining residential area and threatened the life of large number of people. The fire temperature was well above 1000°C. The fire duration was expected to be large and thus, enough' water was mobilized by increasing the number of firefighting units together with replenishment from nearby sources like Select City Walk Mall. DJB filling points to ensure continuity of water supply @ 1000 liters per minute to operate 5-6 water jets simultaneously to contain the fire to its place of origin. The burning rate of materials was very high after the dust storm that continued until 1200 hours midnight but the fire was contained. This was unprecedented and not experienced in the last two decades. The fire fighters took great risk and showed exemplary courage and dedication in coming within 5-10 meters from the fire to make water reach the burning materials before it was convened into steam. The godown owners' representative was asked to remove the salvaged goods using Fork Lift. The active operation lasted for 14 hours and cooling/combing continued until 0600 hours on 31.05.2018 when final withdrawal was made. Most importantly there were no casualties/injuries in such a massive fire. The Delhi Police, local leadership and the local residents supported the entire operation well.

8. Unauthorized Occupancy

It is learnt that the occupancy was unauthorized. Such a huge storage of petrochemicals in a thickly populated unplanned area is a potential threat and need to be identified by the agencies concerned and measures taken to remove them to industrial pocket with required fire protection facilities.

9. Discontinuity in fire fighting operations

The DDMA representative asked the officer-in-charge at the fire scene to withdraw from the premises and firefighting operations were discontinued thrice when the IAF commenced water application. This involved a great risk and may lead to life threatening situation particularly when petrochemicals are involved in fire that too in a thickly populated area. This needs to be avoided in future.

(DR. G.C. MISRA)
Director
T.No. 011-23414000

Copy for favour of kind information to:

1. The Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. The Secretary to Hon'ble Minister of Horn'e, PWD, Health & Industries. Transport, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi
3. PS to the Chief Secy. GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi

4. PS to Pr. Secy. (Home), GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi

5. PS to The Commissioner of Police, Delhi with the request to direct the concerned officials to investteie the cause of fire and apprise this department.

6. PS to the Commissioner, South Delhi Municipal Corporation. Civic Centre, New Delhi.

221. श्री रामचंद्र : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षवार किन–किन श्रेणी के पदों पर कितनी नियुक्तियाँ की गई; और

(ख) डी.एस.एस.एस.बी. के रिकॉर्ड के अनुसार इस समय दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में पदों के अनुसार रिक्तियों की संख्या का क्या विवरण है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

222. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय उपमुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डी.एस.एस.एस.बी. के पास आवेदकों की शिकायतें और प्रश्नों के समाधान का कोई समुचित मैकेनिज्म नहीं है;

(ख) ऐसे मामलों के निपटान हेतु वर्तमान में क्या मैकेनिज्म उपलब्ध है;

(ग) डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा आर.टी.आई. आवेदन पत्रों के उत्तर यथासमय पर न देने के क्या कारण हैं;

(घ) डी.एस.एस.एस.बी. चालू भर्ती के संबंध में आर.टी.आई. आवेदन पत्रों के उत्तर यथासमय पर न देने के क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कार्यालय का जनता के फोन न उठाने का क्या कारण है; और

(च) डी.एस.एस.एस.बी. को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

223. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दास ग्रेड–2 (पोस्ट कोड–90/09) के पद की भर्ती संबंधी फाइल की टिप्पणी सहित फाइल की प्रमाणित प्रति;

(ख) किसी प्रत्याशी (पद कोड 16/17 एवं 133/17) द्वारा वास्तव में प्राप्त अंक और उसके अंकों को सामान्यकरण (Normalisation) करने के बाद अधिकतम अंतर कितना रहता है;

(ग) किसी चयनित प्रत्याशी को जारी नियुक्ति प्रस्ताव पत्र की वैधता अवधि कितनी है;

(घ) क्या यह सत्य है कि बीटेक, बी.बी.ए., बी.सी.ए. होटल प्रबंधन और बी फार्मा के प्रत्याशी दास ग्रेड–2 के पदों के लिए योग्य हैं; सभी संबंधित आदेशों की प्रतियाँ;

(ङ) 10.05.2018 के बाद डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामान्यकरण से पहले और सामान्यकरण के बाद प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण; (सॉफ्ट कॉपी में, यदि संभव हो);

(च) 10.05.2018 के पश्चात् आयोजित परीक्षाओं में डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा अपनाए गए अंक सामान्यकरण के मार्ग निदेश क्या हैं; और

(ङ) क्या डी.एस.एस.एस.बी. अंतिम चयन के लिए प्रत्याशियों से नॉन क्रिमी लेयर (गैर मलाईदार वर्ग) का प्रमाणपत्र मांगता है, इस प्रमाणपत्र को जारी करने की वैधता अवधि क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

224. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए कोई विशेष कमेटी प्रस्तावित है; और

(ग) विभिन्न विभागों में उपरोक्त आरक्षण कब तक लागू हो जायेगा?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः चलिये, 280 श्री प्रकाश जारवाल जी।

श्री प्रकाश जारवालः मेरा जवान सबसे मजबूत। अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद 280 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा संगम विहार में दो स्कूल हैं और उन स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी अधिक है। कम से कम चार हजार बच्चे उसमें ऐक्स्ट्रा हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्य मंत्री साहब का कि उन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग बनाने का उसमें प्रपोजल पास कर दिया जिसका टैण्डर भी हुआ और अध्यक्ष जी, वो 162 कमरों का नया स्कूल बनना था मगर उसमें जो पीडब्ल्युडी के अधिकारी हैं, वो बहाना ढूढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, इसमें सीवर पानी का कनैक्शन कहाँ से देंगे और ये काफी गहरे में है। जब कि उसके साथ में दो सरकारी स्कूल चल रहे हैं तो अध्यक्ष जी, में आपके संज्ञान में इसलिये लाना चाहता हूँ कि ये अगर स्कूल बन जायेगा तो संगम विहार जो काफी घनी आबादी का क्षेत्र है, वहाँ काफी लोगों को बहुत फायदा होगा, काफी गरीब बच्चों को बहुत फायदा होगा, तो मेरा निवेदन है कि जो टैन्डर हो गया, उसका कार्य पूरा करा के इस स्कूल को इसी साल चालू कराएँ। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे कहना था।

माननीय अध्यक्षः श्री बग्गा जी।

श्री एस के बग्गाः मेरा जवान सबसे मजबूत। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम–280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ईडीएमसी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी कृष्णा नगर विधान सभा में ईडीएमसी ने एक ब्लाक नंबर–नौ, गीता

कालोनी के पास गुरूद्वारे के पीछे एक ठेकेदार को पार्किंग का ठेका दिया है। ठेकेदार पार्किंग की जगह के अलावा पूरी रोड पर दोनों तरफ सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी करता है। कई बार कहने पर ईडीएमसी और ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतने ट्रक वहाँ आते हैं कि वहाँ की जनता बहुत परेशान है। एक पार्किंग पुश्ते श्मशान घाट के पीछे भी है। वह भी ट्रकों से माल बेचा जाता है। पूरी मार्किट बनी हुई है, रस्ता रोके रहते हैं। कई बार कहने पर भी ईडीएमसी कोई कार्य नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि ईडीएमसी व ट्रैफिक पुलिस के अफसरों को बुलायें व समस्या का हल करवायें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सुखबीर सिंह जी अनुपस्थित। गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मेरा जवान सबसे मजबूत, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा का जो अगर आप किलोमीटर में विधान सभा को देखें तो करीबन 32 से 35 किलोमीटर में विधान सभा फैली हुई है। एक छोर से दूसरा छोर और मेरी विधान सभा का आखिरी गाँव है; दोराला बार्डर जो कि ऐम्स हास्पिटल जो बन रहा है, उसके बिल्कुल टच में है और वहाँ से अभी लोग सैक्टर बीस द्वारका में राशन कार्ड संबंधित जो भी दिक्कते हैं, उसके लिए वो आते हैं और उनको दोराला से नजफगढ़ बस पकड़नी पड़ती है नजफगढ़ से द्वारका मोड़ पकड़नी पड़ती है दूसरी, और वहाँ से तीसरी बस पकड़नी पड़ती है। वहाँ से सैक्टर बीस की, जो कि बहुत सर्विस कम है और इसमें आने जाने में कम से कम तीन से चार घंटे का समय लगता है। उसके बाद राशन दफ्तर की हालत ये है कि न वहाँ पर डाटा एँट्री ओपरेटर है, न वहाँ पर इंसपेक्टर है, जो नाम राशन कार्ड में चढ़ाने हैं या नये राशन कार्ड जो बनने हैं, वो सारे के सारे पिछले दो तीन

साल से ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। जिसकी मैं लिखित शिकायत कई बार दे चुका हूँ, मंत्री जी से मिल चुका हूँ और आप ये समझियेगा कि ये वो लोग हैं, जो वास्तव में समाज में पीड़ित लोग हैं, जिनको जरूरत होती है राशन की और वो वहाँ तक जाते हैं। निश्चित तौर से मैंने अभी कल भी बताया था, कैम्प लगाया था। कैम्प के अंदर कम से कम पाँच—सात सौ आदमी तो थे रियली। वहाँ पर एफएसओ को बुलाया मैंने, इंस्पेक्टर को बुलाया, एसी को बुलाया लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। उनको बचना भारी हो गया वहाँ पर। तो मेरा माननीय मंत्री जी को...

माननीय अध्यक्षः गुलाब जी, कन्क्लूड करिये।

श्री गुलाब सिंहः सर, ये कहना है कि मंत्री जी इसके ऊपर कुछ संज्ञान लें अन्यथा मैं हर बार सदन के अंदर 280 के माध्यम से नियम 55 के माध्यम से कहीं न कहीं मैं आपके संज्ञान में बात लाता रहूँगा और देखो जी, इस बात को मान लो, हमने जब बिजली के बिल ठीक करा लिए तो इस काम को भी करायेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप ये मत सोचना कि हम ऐसे ही बैठ जायेंगे। साढ़े चार लाख मतदाता हैं, आप ये सोचियेगा, मात्र अब साढ़े आठ हजार के आसपास राशन कार्ड बनने हैं, मेरी विधान सभा में।

माननीय अध्यक्षः हो गया गुलाब जी, हो गया। मैं दे रहा हूँ।

श्री गुलाब सिंहः सर, मैं बहुत परेशान हूँ।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, गुलाब जी इसे कई बार उठा चुके हैं।

श्री गुलाब सिंहः सर, बहुत परेशान हूँ। मैं आपको भेज रहा हूँ, पर्सनली भेजूंगा। सर, बहुत परेशान हैं प्लीज इसके ऊपर सलाह दीजिये।

सर, सैंट्रल में एक आफिस था। मंत्री जी ने वहाँ पर रेड डाली आज से दो साल पहले, वो ऑफिस बिल्कुल ठीक जगह पर था, उसमें ताला लग गया, वो खत्म कर दिया। अब वो चल नहीं रहा। तो मंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इसके बारे में कोई गंभीरता से संज्ञान लें।

माननीय अध्यक्षः चलिये, धन्यवाद। सुश्री भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय...

माननीय अध्यक्षः एक सैकण्ड, विजेन्द्र गुप्ता जी, मेरी आवाज सुन रहे हों तो आ जायें, अगला उनका है। हाँ, भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौडः अध्यक्ष महोदय, मेरा जवान सबसे मजबूत था, है और रहेगा। मैं आपके समक्ष 280 पर अपनी पालम विधान सभा के एक महत्वपूर्ण और बहुत सेंसिटिव मुददे को लेकर के चर्चा करना चाहूँगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। एक एसोसिएशन उनकी बनी है; कब्रिस्तान वेलफेयर एसोसियेशन। उसके बहुत सारे लोग मुझसे आकर के मिले। इन लोगों को अपनी मैय्यत को दफनाने के लिए लगभग 800 गज का एक टुकड़ा उनको मिला हुआ है। उसके साथ ही एक चार हजार गज की जमीन है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। मैय्यत को दफनाने के लिए वक्फ बोर्ड ऑलरेडी उनको एक एनओसी पहले से दे चुका है। जिस 800 गज की जमीन पर मुस्लिम समाज के लोग 2001 से मैय्यत को दफनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से भर चुकी है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से करके लगभग पाँच बार वहाँ मिट्टी को उसके ऊपर भरवा कर के फिर मैय्यत को दफनाना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज के लोग बहुत परेशानी में हैं। इस स्थान का इस्तेमाल पालम, द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर तक की मैय्यतों के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, 4000 गज जमीन का टुकड़ा है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, एनओसी ऑलरेडी उनको दे चुकी है लेकिन एक अनवर नाम का व्यक्ति जो एमसीडी का कर्मचारी है, उसने बहुत सालों से इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उसे काँग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का भी संरक्षण प्राप्त है। इस जमीन पर बहुत साल से कब्जा है। छोटे कब्रिस्तान और बड़े कब्रिस्तान के बीच में एक दीवार को खिंचवा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 280 के माध्यम से सदन को ये अपील करूंगी कि ये 4000 गज का टुकड़ा जिसके ऊपर एक अनवर नाम के व्यक्ति ने कब्जा किया है और मुस्लिम समाज को अपनी मैय्यत को दफनाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जमीन को...

माननीय अध्यक्षः भावना जी बैठिए, दो मिनट।

सुश्री भावना गौड़ः जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, कोई जरूरत नहीं है आने की। बैठें, बाहर बैठें मैं माननीय सदस्यों से कह रहा हूँ अंदर आने की जरूरत नहीं है, बाहर बैठे कृपया। कोई जरूरत नहीं आने की। हमारे चीफ व्हिप गायब हैं। उनको समझ नहीं आता! क्या काम है इतना?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं भारद्वाज जी, सौरभ जी, कोरम पूरा करने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है हमेशा। विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं है इसके लिए। नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं। सौरभ जी, सौरभ जी ये आप जैसे विधायक को नहीं शोभा देता। विपक्ष तो इस चीज की इंतजार में रहता है कौरम पूरा न हो। हम भागें बाहर और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। हम विधायक आज तक ये नहीं समझ पाये तो काम कैसे चलेगा? कई बार हो चुका है ये। मामला समझ नहीं आता। सवा घंटा कुल हुआ है। सवा घंटे के अंदर हमको बाहर बैठना पड़ गया। हाँ, भावना जी?

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं क्योंकि बड़ा हौच–पौच हो गया है सारा।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं हो गया आपने पढ़ जितना था, जितना था, लगभग पढ़ चुकी हो, अंतिम लाइन पढ़ दीजिए।

सुश्री भावना गौड़ः बस अंतिम मैं लाइन यही पढ़ रही हूँ कि 280 के अंतर्गत मैंने जो इतना सैंसिटिव मुद्दा आपके इस सदन पटल पर रखा है, वो जमीन जो 4000 गज की जमीन है, वो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जो गुंडा तत्व हैं वहाँ के, उन्होंने उसको कब्जा किया है। काँग्रेस के एक बड़े नेता का संरक्षण उसे प्राप्त है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो जमीन हम लोग खाली नहीं करवा पा रहे। सदन की तरफ से आप सभी लोग क्योंकि ये बहुत सैंसिटिव विषय है। मैय्यत को दफनाने का विषय अपने–आप में बहुत सैंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन को तुरंत अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के खाली करवाया जाये।

माननीय अध्यक्षः हो गया।

सुश्री भावना गौड़ः और ये जो जमीन है, ये कब्रिस्तान वैल्फेयर ऐसोसियेशन के लोग जिनको ऑलरेडी हमारे वक्फ बोर्ड ने एनओसी दिया हुआ है।

माननीय अध्यक्षः भावना जी, हो गया। आपने जितना लिखा था, उससे ज्यादा हो गया है।

सुश्री भावना गौड़ः उसको खाली करवाया जाये, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्लीज। विजेन्द्र गुप्ता जी, अनुपस्थित, पवन कुमार शर्मा जी अनुपस्थित, सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सरकार के उस वादे की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो 500 नये स्कूल खोलने का था। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान मात्र 24 नये स्कूलों का निर्माण शुरू कराया और यह भी निर्माण वो 24 स्थान हैं जिसमें पुरानी सरकार जो थी, उन्होंने प्लॉट दिये और उन्होंने इसके नक्शे पास कराके काम शुरू कराया। आज तक वो 24 स्कूल भी ये सरकार बना नहीं पाई। केजरीवाल सरकार ने मात्र इनके निर्माण कार्य के लिए... 500 नये स्कूल खोलने का वादा पूरा करने में बुरी तरह असफल रही है। वह बिना किसी सोच विचार धड़ल्ले से 20 हजार 770 कमरे का निर्माण करने जा रही है।

अध्यक्ष जी, स्कूलों के नये कमरों का निर्माण निश्चित रूप से दूर–दराज उन क्षेत्रों के स्कूल के बच्चों को शिक्षा नहीं पहँचा सकता जो शिक्षा से वंचित हैं। क्योंकि स्कूल कहीं हैं। जहाँ स्कूल हैं, वहाँ तो कमरों की जरूरत नहीं है। जहाँ स्कूल नहीं, कमरे वहाँ चाहिए। जहाँ स्कूल नहीं हैं, वहाँ बन नहीं पा रहे। आठ हजार कमरों पर 1400 करोड़ रूपया खर्च करने की बात है। इस प्रकार एक कमरे पे 17 लाख 50 हजार रूपया खर्च हो रहा है। इससे अतिरिक्त कमरे में क्या लगभग ढ़ाई लाख रूपया उसके फर्नीचर पर लग रहा है। 20 लाख रूपया कुल खर्चा हो रहा है। सरकार इस प्रकार का स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिरकार ये कार्य किस सर्वे के आधार

पर किया जा रहा है? क्या कोई सर्वे किया गया वहाँ बच्चों के स्कूलों का, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, वहाँ तो बच्चे पढ़ ही रहे थे। वहाँ पे कोई नयी जनसंख्या नहीं आ गयी। तो जहाँ स्कूलों की जरूरत नहीं थी, वहाँ स्कूल नहीं बन पा रहे।

अब इसके साथ–साथ अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। अध्यापकों की कमी है। जैसे आप जानते हैं, 20 हजार से ज्यादी संख्या अध्यापकों की अभी तक खाली कुर्सियां पड़ी हैं। और उन स्कूलों के पास कमरे भी हैं, बच्चे भी हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं। जहाँ कमरे की जरूरत नहीं है, वहाँ कमरे बन गये। जहाँ अध्यापकों की जरूरत है, वहाँ अध्यापक नहीं हैं। जो स्कूलों की जरूरत है, वहाँ स्कूल नहीं हैं। अध्यक्ष जी, नये बनाने कमरे शुरू करने से पहले जिस शिक्षा ने स्थिति के अंदर इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं ली। कोई व्हाइट पेपर इन्होंने नहीं लिया। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े–बड़े दावे करती आ रही है। इसके परिणाम सीमित स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। आज भी अध्यापकों के 25 हजार पद खाली पड़े हैं। लगभग साढ़े छः सौ विद्यालयों में प्रिंसिपल ही नहीं हैं और पद खाली पड़े हैं। पता नहीं, प्रिंसिपलों के बिना बच्चे पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं, हमारा नया मॉडल है। ये कैसे मॉडल है जिसमें साढ़े छः सौ कालेजों में, स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं हैं।

आगे देखिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे ये विनती करना चाहता हूँ। शिक्षा के लिए ये जरूरी अपील है और इसके अंदर भी अगर हम अपना गैर–जिम्मेवाराना सिस्टम बनायें, दिखायेंगे... उसके अंदर सीरियसनेस दिखाने की जरूरत है। जो साढ़े छः सौ प्रिंसिपल की वैकेंसी हैं, उनको भरा जाये। जो 25 हजार टीचरों की वैकेंसी है, उनको भरा जाये और साथ में जो नकली कमरे बनाने का ढ़ोंग रचाया जा रहा है, कमरे नहीं, स्कूल बनाये जायें ताकि दूर–दराज के बच्चों को हम शिक्षा दे पायें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। बहुत–बहुत धन्यवाद सिरसा जी। ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत माता के शेर बब्बर शेर नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो काम किया है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी आ गये भई सब।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये सब इमरान खान के आदमी बैठे हैं यहां। भई इमरान खान के आदमी हो क्या? अरे! इमरान खान के आदमी हो। अरे भारत माता के शेर बब्बर शेर नरेन्द्र मोदी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, बैठ जाइये।

श्री ओम प्रकाश शर्माः को सैल्यूट करो जिसके नेतृत्व में आज भारत की मर्यादा सुरक्षित है।

माननीय अध्यक्षः सदन अच्छा–भला चल रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिये। बैठिए, जगदीश जी, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: अरे! और चिल्लाओ। चिल्लाओ ना, और जोर से चिल्लाओ।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हो आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सही राम जी, प्लीज। सही राम जी, नो कमैंटस प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: भारत माता के शेर बब्बर को नमस्ते करो, नमस्कार करो।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज नो कमेंटस।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या मुझे समझ नहीं आता?

श्री ओम प्रकाश शर्मा: अरे! और बोलो भई।

माननीय अध्यक्ष: अरे भई, उनको...

श्री ओम प्रकाश शर्मा: बोलो, बोलो, बोलो। अरे बोलो। अरे बोलो भई।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज। ओम प्रकाश जी, पढ़िये आप।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: या तो बोलें ना जी, एक तो चुप हो जायें, तो बोलूँगा।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप चलिए, अपना विषय रखिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: नहीं भारत माता के शेर से भी इनको दिक्कत है तो पता नहीं इमरान खान के पास जाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: चलिए, ओम प्रकाश जी करिए, शुरू करिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान...

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: अरे पाकिस्तानियो! पाकिस्तानियों के दलाल मत बनो। इमरान खान के दलाल मत बनो। इस हाउस को पाकिस्तान की वो मत बनाओ। ये हिन्दुस्तान की है।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: नहीं, तुम्हारे कुत्ते खाते हैं बिरयानी। हाँ, तुम्हारे कुत्ते खाते हैं बिरयानी वहाँ, हाँ।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: बोलो, बोलो। अरे! बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? हमारे यहाँ कुत्ते बिरयानी खाते हैं। भेज देना अपने भी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अवतार सिंह जी,मानिये। मदन लाल जी, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, आप xxx [1]से हटाइये पहले तो।

माननीय अध्यक्षः नहीं ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ये क्या भाषा बोल रहे हो आप?

श्री ओम प्रकाश शर्माः इन्हें xxx से बाहर निकालिये।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये, ये, ये शब्द निकालिये। ये शब्द निकाल दीजिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः किसी और को बना दो। किसी और को बना दो।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, प्लीज। आप पढ़िये। आप अपना 280 पढ़िये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! उपाध्यक्ष हो के बोली जा रही हैं।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! प्रोब्लम है कुछ? ये स्पीकर साहब का काम आपने करना है? श्रीमान्... अरे! इनको करने दो।

---

[1] चिह्नित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी आप पढ़ना... सिरसा जी ने पढ़ा है न। वो चुप हो जायेंगे, आप पढ़िये।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अच्छा हो जाओ भई, चुप हो जाओ।

माननीय अध्यक्षः आप पढ़िये प्लीज। आप शुरू करिये न पढ़ना अपना।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष महोदय... अरे! बहनजी मेरी भी सुन लो थोड़ी सी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सौरभ जी, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज उनको पढ़ने दीजिए

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे, कोई नई मशीन बनाई है क्या? कोई नई मशीन बनाई कुत्ते पकड़ने वाली। हैं, नई मशीन बनाई?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, सौरभ जी, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः इतना प्रेम क्यों कर रहे हो मुझसे?

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, ये सदन है। अरे! भई आप...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, पढ़िए, आप पढ़िए।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! बोलू कहाँ?

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, चुप हों ना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किसलिए बोले वो?

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये बोले जा रही हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने बोल दिया बात खत्म। आप शुरू करिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये बोल क्यों रही है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः सुनो ना। आप सुन नहीं रहे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं क्या सुनूँगा?

श्री ओम प्रकाश शर्माः आप सुन लो जरा कान उधर करके।

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप कभी कह रहे हैं, भारत माता की जय बोलो।

श्री ओम प्रकाश शर्माः हाँ, बोल रहा हूँ मैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सदन जब बोल रहा था, तब आप कुछ और बोल रहे थे।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये देख लो अब। अरे पाकिस्तान जाना है पासपोर्ट बनवा दूँ, वीजा बनावाऊं? नहीं, वीजा बनवा दूँ पाकिस्तान का?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट सदन का खराब किया है और आप लोगों ने इतना वेटेज दे दिया उसको, समझने को तैयार नहीं हैं आप!

श्री ओम प्रकाश शर्माः भारत माता की...

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार की अक्षमता और कुशासन के कारण गत तीन

सालों में स्वीकृत 6,000 करोड़ रुपये की 30 से भी अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रारम्भ तक न हो पाने की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस परियाजनाओं में प्रमुख अस्पतालों का विकास तथा रिमॉडलिंग, डिस्पेंसरियों तथा पॉलिटेक्निक में अपग्रेडेशन, बस डिपोज का निर्माण तथा रिहायशी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सम्मिलित है। यद्यपि ये सभी परियोजनाएँ एक्सपेंडीचर फाइनेंस कमिटी द्वारा गत तीन वर्षों से स्वीकृत की गई हैं। सरकार ने इनकी सुध तक नहीं ली है। सरकार की अक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में असफल रही है। अधिकतर परियोजनाओं की निविदाएँ तक आमंत्रित नहीं की गईं। इनमें अधिकतर परियोजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र की हैं। सरकार इन क्षेत्रों में अपनी सफलता के बिगुल बजाती फिरती है, तरह–तरह के विज्ञापन छपवाती है परंतु उसने एक बार भी अपने भीतर झाँककर इन महत्वकांक्षी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया है। इन परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वित न किए जाने के कारण इन पर खर्च काफी बढ़ चुका है परंतु सरकार अभी भी इनके प्रति लापरवाह है। परियोजनाओं में लम्बित कार्य पूरा होने की समय सीमा पार कर चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना अपने शेड्यूल से सात महीने पीछे चल रही है। आशंका है कि यह परियोजना आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में पूरी नहीं होगी। इसी तरह सरकार ने 94 डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक में उन्नत करने की योजना बनाई थी, इसे जनवरी 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था परंतु आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। यही हाल कक्षा और स्कूलों का है। आपके बजट में बताया गया है कि आपने 21 स्कूल बनाए हैं। लेकिन मुझे लगता है, दिल्ली में यदि इस सरकार ने कोई स्कूल बनाया है तो कृपया उन जगहों के नाम दें। ये केवल लोगों को भरमाने का कारण है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 1278 कमरे बनाए जाने थे, जिनमें मुश्किल से 8,000 कमरे ही पूरे हुए हैं और इनमें भी बहुत

भारी घोटाला है; 20–20 लाख रुपया एक कमरे की कीमत बताई जा रही है, यह परियोजना भी नौ महीने पीछे चल रही है।

मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे सरकार को निर्देश दें कि केंद्र पर दोषारोपण करने के स्थान पर सरकार आत्म–निरीक्षण करे कि किस प्रकार दिल्ली में विकास कार्य हम दिल्लीवासियों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो बोल रहे है, पाकिस्तानियों को खा जाएगा। हम भी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब राखी जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए–बैठिए। बैठिए, प्लीज। राजेश गुप्ता जी, आप पढ़िए जरा, प्लीज, पढ़िए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पढ़िए, आप पढ़िए। आप शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने 280 में मुझे सवाल रखने का मौका दिया...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी अपना 280 पढ़ रहे हैं।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बड़ी जबरदस्त एडवर्टिजमैंट इलेक्शन कमिशन की तरफ से हुई कि वो दो दिनों का कैम्प लगाएँगे जिसमें जो न्यू वोटर्स हैं, उनको रजिस्टर करेंगे। मेरे ख्याल से दिल्ली के हमारे साथी विधायक जिसमें हमारे विपक्ष के साथी भी इस बात को मानेंगे कि या तो उन्होंने वहाँ पर वो कहीं पोलिंग स्टेशन पर गए ही नहीं, अगर गए तो सिर्फ एक आध आदमी गया और जो गया भी, वो भी निहायती बद्तमीजी से वहाँ पर बात कर रहा था। लगभग हर विधान सभा में ये हालात रहे कि मैं नहीं समझता कहीं पर 10–20–50 वोट भी इन्होंने बना दिए होंगे। इस किस्म का प्रचार करना इलेक्शन कमिशन जैसी बॉडी द्वारा, और लोगों ने वहाँ पर धक्के खाए, विधायकों को फोन करें, हम लोग परेशान हुए, हम एआरओ को फोन कर रहे हैं तो बात नहीं हो पा रही है और इतनी बुरी हालात बन जाना... मैंने पहले भी विधान सभा में इस बात को रखा था जब हमने कहा था, वोट कटे हैं कि एक नया तरीका ढूँढ लिया गया है कि लोग वोट ही न दे पाएँ। अब अगर नए वोट बनेंगे ही नहीं तो इस देश का जो नया बच्चा आ रहा है, जो 18 साल का हो रहा है, जिसका पहला अधिकार है उस वोट देने का, उसके अधिकार से वंचित करने का तरीका ढूंढ लिया गया है क्या? तो इस बात को मैं चाहता हूँ कि इस बात पर आप संज्ञान लें और पूछे इलेक्शन कमिशन को, बल्कि विधान सभा चिट्ठी लिखे क्योंकि ये तो विधान सभा के सीधे सीधे, मेरे ख्याल से आपके कार्य क्षेत्र में आता है कि वो वोट भी नहीं बनने दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः इसको मैं स्पेशल कमिटी को रेफर कर रहा हूँ।

श्री राजेश गुप्ताः जी सर, थैंक यू सर। वंदेमातरम।

माननीय अध्यक्षः 11 नम्बर, अलका लाम्बा जी।...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरे पास कोई लिखित में कुछ नहीं आया आपकी ओर से, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सुशील जी, कुछ नहीं अब इस समय। हो गया, समय पूरा हो रहा है। 11 नम्बर, अलका लाम्बा जी, प्लीज, पढ़ना शुरू कीजिये।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, नियम 280 के तहत आपने मेरी विधान सभा का मुद्दा उठाने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, ये बहुत गम्भीर कर देने वाला है जो मेरी क्षेत्रीय समस्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनियेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, 2019 के मद्दे नजर मेरी विधान सभा में। विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए इस सदन की जानकारी में लाना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा मजनू टीला के अरूणा नगर गुरूद्वारे के साथ पाकिस्तान से आए लोगों का निरंतर आना जारी हैं। लास्ट जो मैं वहाँ पर पता करके आयी हूँ मात्र दो हफ्ते पहले ही एक पूरा परिवार पाकिस्तान से आया है और वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, सब के पास पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं। सबकी जो वीजा की अवधि है, खत्म हो चुकी है, सब बिल्कुल अवैध तौर–तरीकों से वहाँ रह रहे हैं या उन्हें रखा जा रहा है। और उनके लिए यमुना बेल्ट उस तरफ जो है, उनको लगातार यमुना रिवर बेल्ट पर बसाया जा रहा है। बार–बार मुझे कहा जाता है विधायक के तौर पर,

मानवीय आधार के तौर पर मुझे उन्हें बिजली, पानी, सीवर, सड़क, शौचालय देने हैं लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि वो यमुना रिवर बेल्ट है, मैं वहाँ कोई भी उन्हें सुविधाएँ नहीं दे पा रही, फिर भी टेम्परारी कुछ शौचालय, पीने के पानी के टेंक, ये हम दे पा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी जो वाकया हुआ, वो पिछली बारिशों में, जो अभी गुजरी है, बहुत बारिश हुई, पानी घरों में भरा और वहाँ पर यमुना की तरफ जो पानी छोड़ना था, वहाँ से छोड़ने नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ के लोग जो हिंदुस्तानी भारतीय, सालों से बसे हुए हैं और यमुना के उस तरफ जहाँ पानी छोड़ना था, वहाँ पर पाकिस्तान से लाकर लोगों को लगातार बसाया जा रहा है, अवैध, इल्लीगल तौर पर बसाया जा रहा है और भू–माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर कब्जे करके उन्हें बसाकर वहाँ पर दोनों को भिड़वाने की, हिंसा कराने की पूरी एक साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं जो तीन साल, चार साल पहले पाकिस्तान से आकर वहाँ पर बसे हैं, जिनकी अवधि वीजा की खत्म हो चुकी है, जिन्हें भारत सरकार बिल्कुल गम्भीरता से नहीं ले रही, ये हमारी भी सुरक्षा के साथ, राज्य की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। वो कहाँ देश में घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, किस मकसद से हैं, कोई इसकी जाँच करने वाला नहीं है। मैं बार–बार कह चुकी हूँ। क्योंकि जब पानी छोड़ने की बात आई, अध्यक्ष जी, पानी नहीं उस तरफ से छोड़ने दिया गया क्योंकि छूटता तो वहाँ जो यमुना की तरफ बसाया गया है लोगों को, वो डूब जाते।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, जितना लिखा था, हो गया, प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं ये कह रही हूँ, ये जब पूछा गया कि आपको यहाँ पर भारत सरकार लाई है मानवीय आधार पर, आपको यहीं क्यों यमुना बेल्ट पर बसाया है? देश बहुत बड़ा है, किसी भी जगह

ले जाकर एक मानवीय आधार पर, पर उनका ये कहना था, उनका एक मकसद है 2019 के चुनाव में सिर्फ उन हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों को पूरी तरह 2019 में इस्तेमाल करना और ये सिर्फ साबित करना कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुओं के साथ कैसा होता है और राजनीति के तौर पर उन्हें एक हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इन सब लोगों का आईडेंटिफिकेशन होना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः बस हो गया, अब हो गया, प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः सब लोगों के वीजा की जाँच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है, भारत की मोदी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है।

माननीय अध्यक्षः मनोज जी, अंतिम। आपका है ना मनोज जी? हाँ, बोलिये–बोलिये।

श्री मनोज कुमारः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आज जो समस्या मेरे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, मैं लगातार चार दिन से 280 में लगा रहा था, आज आया, उसके लिए बहुत–बहुत आभार।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा कोंडली में आने वाले गाजीपुर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में पहले से ही बहुत गंदगी है, एक तरफ एसटीपी बना हुआ है, एक तरफ गाजीपुर का कूड़ेदान बना हुआ है, वहीं पे मुर्गामंडी, मछली मंडी और भैंस मंड़ी बनी हुई है और अध्यक्ष जी, गाजीपुर मुर्गा मंडी की जो रोड है, जो मयूर विहार फेस–3 की तरफ जाती है, जो कि बिल्कुल यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। जब दिल्ली से कोई यूपी से दिल्ली में आता है तो उसको लगना चाहिए, ये होना चाहिए कि दिल्ली में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। परन्तु वहाँ इतनी

गंदगी है कि लोग अपने शीशे चढ़ा के, मुँह ढककर के निकलते हैं। अध्यक्ष जी, रोड पर, जो पीडब्ल्युडी का नाला है,उसको बंद करके चिकन व मटन के वेस्ट को जो लोग बेचते है, शिरी, खरोड़े, पाए और अंतड़ियॉ–वंतड़ियॉ जो बेकते हैं, वो रोड किनारे बैठकर के, पुटपाथ पे बैठते हैं, जिसमें से आना–जाना बहुत दूभर हो रखा है। अध्यक्ष जी, गाजीपुर कूड़ेदान के बिल्कुल ठीक नीचे पूरा का पूरा रोड पर जाम लगा रहता है, ट्रैफिक पुलिस वाले दोनों तरफ खड़े होते हैं परन्तु जो मुर्गा मंड़ी, मछली मंड़ी के दो कट हैं, उनको सुचारू रूप से नहीं चलाते। वहाँ पूरा जाम लगा रहता है, भंयकर तरीके से, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़े होके दोनों तरफ देखती है कि कौन सी गाड़ी रोकनी है और कौन सी गाड़ी का चालान करना है। यातायात सुचारू नहीं चलता वहाँ पे। वहीं पर मछली मंड़ी व मुर्गा मंडी के साथ में एमसीडी की एक जमीन पड़ी है, खाली वहाँ पर पिछले दो महीने से पूरी दिल्ली से ट्रक भरकर के जिनमें चिकन का वेस्ट होता है, मटन का वेस्ट, मांस के टुकड़े होते हैं और वो खाली प्लॉट में सड़क के किनारे डाल दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन का ये काम है मैंने एमसीडी कमिश्नर से भी बात करी, डीसी जो एमसीडी के हैं, उनसे कई बार बात हुई है। 5–10 बार आश्वासन दे देते हैं कि जी, हमारा प्लॉट है जी। हम करवाते हैं। एसएचओ जो गाजीपुर है, उनसे मैंने स्वयं बात करी कि जी, ये जो अवैध तरीके से जो ट्रक लाकर के रोड पे कूड़ा डाल रहे हैं, आप कृपया इन ट्रकों को जब्त करें, इनका चालान करें ताकि खुले में ये कूड़ा न डाल सकें। परन्तु अध्यक्ष जी, वहाँ न पुलिस ने कोई कार्रवाई करी, न ही एमसीडी की तरफ से कोई संतोषजनक काम हुआ। अभी जो बरसात हुई, उसमें पूरा का पूरा पानी जब उस मलबे पर गिरा, मांस के वेस्ट के ऊपर और पूरी सड़क एकदम ऐसे बन गया जैसे ये खून की नदी बह रही है। उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी, न एमसीडी कोई कार्रवाई करने को तैयार है, न एसएचओ, पुलिस डिपार्टमेंट।

माननीय अध्यक्षः हो गया।

श्री मनोज कुमारः स्पीकर साहब, इसमें इतनी भंयकर बदबू है कि वहाँ पे मैं खुद इकट्ठा हुआ, कुछ लोगों को लेके, लेकिन वहाँ पे उल्टियॉ तक हो रही हैं, इतना भंयकर हाल है। तो मैं इस सदन से निवेदन करूँगा कि जो पीडब्ल्युडी की रोड है, जो पूरा फुटपाथ तोड़ दिया गया है, नाला बंद कर दिया जिसकी वजह से वो खाली प्लॉट में, चढ़के ट्रक का वेस्ट डाल रहे हैं, कम से कम एमसीडी, पुलिस नहीं कर रही तो पीडब्ल्युडी अपना नाला खोद के फुटपाथ को ठीक करे, बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री इमरान खान जी से मुझे अपना वक्तव्य देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वक्तव्य सदन में प्रस्तुत करेंगे।

माननीय मंत्री का वक्तव्य (नियम–106)

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को स्वीकार किए गए संकल्प के संदर्भ में मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 106(2) के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग से प्राप्त दिनाक 14 दिसम्बर, 2018 के उत्तर की प्रति* सदन पटन पर प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं हो गया, इसपे चर्चा नहीं, देखिए विजेन्द्र जी इसपे चर्चा नहीं है, किसी नियम में कोई चर्चा नहीं है।

---

* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20839 पर उपलब्ध।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इन्होंने अभी तक, मेरी बात तो आ जाए ना जी।

माननीय अध्यक्षः आपकी बात तो कल आई थी, कल भी दी थी आपने, कल आपने दिया था।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है, तो आप मेरी बात को क्लीयर करने दीजिए ना।

माननीय अध्यक्षः नहीं हो गया अब, नहीं, फैसला मैंने कर लिया। इसपे चर्चा नहीं है अब। आप रूल बुक देख लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः रूल पढ़के बता रहा हूँ ना।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी ने दे दिया उत्तर, सदन पटल पर रख दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप अध्यक्ष जी, देखिए आपने जैसा कहा, हॉ, मैं टेकअप करूँगा।

माननीय अध्यक्षः सदन पटल पे रख दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए आज। उसमें टॉर्चर का डर है।

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई डर वाली बात ही नहीं है, डरना किस बात का? कल आपने पूरा बोला था इस पर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने बोला था, लेकिन मैं...

माननीय अध्यक्षः फिर दुबारा वही रिपीट होगा, कोई फायदा नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं एक मिनट बोलूँगा।

माननीय अध्यक्षः चलिये, बोलिये आप, एक मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं शॉर्ट में बोलूँगा, मैं जो एक बात बोल चुका हूँ दुबारा क्यों बोलूँगा? देखिए, 106(2) देखिए, मंत्री को पारित संकल्प की प्रति भेजना। इस सदन में 27 नवम्बर को अध्यक्ष जी, एक प्रस्ताव हुआ, उसमें मैं प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा। प्रस्ताव के अनुसार 106(2) क्या कहता है, 'संबंधित मंत्री सदन को संकल्प की स्थिति के बारे में अगले सत्र में सूचित करेंगे।'

माननीय अध्यक्षः आने वाले सत्र में जानकारी देंगे। आने वाले सत्र में, आज दिन बाकी है, उन्होंने जानकारी दे दी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं दी उन्होंने ना।

माननीय अध्यक्षः आज दी है ना जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उन्होंने जब विपक्ष ने मामला उठाया, विपक्ष ने सदन पटल पर रख दिया।

माननीय अध्यक्षः अगर विपक्ष उसको एडवांस में उठा ले तो क्या करेंगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं–नहीं, अगले सत्र का मतलब ये नहीं है, आप अगर उसको तोड़–तोड़ के कर रहे हैं तो अगली सिटिंग में।

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेन्द्र जी, अब हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन ये पूरा मामला, जो छुपाया गया, उस पर मेरा 66 जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, सदन को गुमराह किया गया मंत्री जी के द्वारा, उसके लिए क्षमा तो माँगे मंत्री, सदन से।

माननीय अध्यक्षः चलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्षमा तो माँगे ना।

माननीय अध्यक्षः मुझे श्री इमरान हुसैन... दो मिनट विजेन्द्र जी, अभी एक और, जरा सा सुन लीजिये। मुझे श्री इमरान हुसैन, माननीय निर्वाचन मंत्री से विशेषाधिकार हनन की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत उन्होंने सूचित किया है कि कल दिनांक 27 फरवरी, 2019 को सूचीबद्ध अताराँकित प्रश्न संख्या–102 को उत्तर सचिव, निर्वाचन विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके मंत्री महोदय की अनुमति के बिना विधान सभा सचिवालय में भेज दिया। मंत्री महोदय ने सचिव, निर्वाचन तथा उनके कार्यालय के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सिर्फ इसलिए की मुख्य मंत्री जी की पोल खुल गई।

माननीय अध्यक्षः अरे! विजेन्द्र जी, एक सैकण्ड--- हॉ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात एक बार सुन लीजिए प्लीज। पहला पूरा सुन लीजिए, रूल बुक का ये नियम है, कोई भी स्टॉर्ड क्वेश्चन का, अनस्टार्ड क्वेश्चन को उत्तर आयेगा, वो संबंधित विभाग, मंत्री के पास उसकी परमिशन लेगा, मंत्री को देगा, ये स्थाई नियम है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिना मंत्री की परमिशन के जवाब भेज दिया?

माननीय अध्यक्षः हॉ, बिना मंत्री के, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए उन्होंने लिखा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसका मतलब मंत्री जी छुपा लेते, अच्छा हुआ, उन्होंने नहीं दिखाया।

माननीय अध्यक्षः ये आया है ना, वो ऑन रिकॉर्ड आयेगा, देखिए विजेन्द्र जी, ये ऑन रिकॉर्ड आएगा। मैंने, उन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है, मैंने एक्सैप्ट किया है। विभाग ने जिसने बिना मंत्री की जानकारी के दिया तो वहाँ आयेगा। कमिटी में आयेगा विशेषाधिकार की।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारा मामला ये है कि मुख्य मंत्री जी की पोल खुल गई!

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी आप जो मर्जी आये, बोलते रहिए, आप जो मर्जी आये, बोलते रहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः माननीय स्पीकर साहब वोट कटवा दिये, चार महीने में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, भई विजेन्द्र जी, इतना क्लीयर हुआ है सारा विषय। सारा विषय इतना क्लीयर हुआ है इससे ज्यादा क्लेरिटी नहीं हो सकती। विशेषाधिकार समिति को जा रहा है। आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप वहाँ रखिएगा, वो रिकॉर्ड आएगा। ओन रिकॉर्ड है कि उनसे लिया या नहीं लिया। हर प्रश्न के उत्तर में लिखा जाता है, चलिये, हर प्रश्न को उत्तर आता है उसमें लिखा जाता है, मंत्री जी की सहमति से उत्तर दिया गया, हर प्रश्न के उत्तर में लिखा जाता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो मंत्री जी देवें।

माननीय अध्यक्षः हॉ, सहमति ली नहीं उनसे। सहमति नहीं ली उनसे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वैसे ही पढ़ के आ गये\

माननीय अध्यक्षः कौन?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मंत्री जी।

माननीय अध्यक्षः उन्होंने पढ़ा कब? भई अनस्टार्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अनस्टार्ड की बात कर रहा हूँ मैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो अच्छा है ना।

माननीय अध्यक्षः अच्छा है ही, अच्छा है भइया। चलिए, बैठिये। बजट पर चर्चा मैं आरम्भ कर रहा हूँ। श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री संदीप कुमारः बहुत सारी स्थिति खराब है।

माननीय अध्यक्षः उस पर राखी बिड़ला जी का, राखी बिड़ला जी का प्रस्ताव आ चुका। आप सदन में नहीं थे उस वक्त।

श्री संदीप कुमारः सर, इसमें क्या हुआ, अच्छी बात है, 50—100 लोगों को मशीन दी।

माननीय अध्यक्षः आप सदन में नहीं थे उस वक्त, चलिए बैठिये, बैठिये प्लीज। आदर्श शास्त्री जी।

...(व्यवधान)

श्री आदर्श शास्त्रीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये आपको कुछ... आदर्श शास्त्री जी।

वार्षिक बजट (2019—20) पर चर्चा जारी

श्री आदर्श शास्त्री : बहुत—बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस वर्ष के बजट पर चर्चा करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई आप बैठिए प्लीज, आग्रह कर रहा हूँ मैं, बैठिये। आप बैठिये बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे? नहीं, मैं आग्रह कर रहा हूँ, इसको बंद करिये इसको बंद करके बैठिये। मार्शल्स बाहर करिये प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं। पता लगेगा, कोई बात नहीं। आप बाहर करिये तुरंत। हाँ, करिये। आपको जरूरत ही नहीं, आप समय पर आये नहीं, लिखित में देंगे। खाली नौटंकी करने का कोई औचित्य थोड़ी है, बैठिये। आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : बहुत—बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि बजट पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी को। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बराबरी और समाज को आगे लेकर जाने वाला बजट पाँचवें वर्ष भी उन्होंने सदन के आगे रखा और मैं अपनी बात की शुरूआत एक छोटे से उदाहरण से करना चाहता हूँ। बजट को लेकर गली—मौहल्लों में भी चर्चा होती है कि सरकार का बजट आने वाला है, पार्कों में भी चर्चा होती है और एक ऐसी चर्चा में मैं बैठा था। तो वहाँ बात होने लगी कि किस तरह से बजट बड़ा गोपनीयता के साथ किया जाता है, बनाया जाता है, बहुत सीक्रेट होता है और गुप्त रखा जाता है। तो वहीं पर कुछ लोग बैठे थे और आप उन लोगों का माननीय मुख्य मंत्री अरविंद जी के ऊपर और मनीष जी के ऊपर विश्वास देखिए कि जब वहाँ पर उनके साथ आकर बैठ और बजट के बारे में बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का आम आदमी पार्टी की सरकार का बजट में

यकीनन कोई गोपनीयता नहीं होती। तो आपस में ही चर्चा होने लगी कि गोपनीयता क्यों नहीं होगी। तो उन्हीं लोगों ने जो पार्क में बैठे थे, बोलने लगे कि बजट में गोपनीयता जब होती थी, जब उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी, सफाई नहीं होती थी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और मनीष सिसोदिया जी तो इस तरह का बजट रखेंगे। इसके बारे में हमें पहले ही पता है कि इस बार फिर पाँचवें वर्ष भी दिल्ली सरकार का पूरा उद्देष्य मजबूती से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए होगा। ये यकीन दिल्ली की जनता का मनीष सिसोदिया जी में है, दिल्ली के वित्त मंत्री में है कि उनको पता है कि बजट कितना भी गोपनीय हो दिल्ली सरकार का, जो आम आदमी पार्टी की सरकार का जो बजट होगा, वो हर दिल्ली के आम नागरिक के लिए होगा और उसमें गोपनीयता की कोई जगह नहीं है।

बजट में बहुत सारी ऐसी बातें आयी जो कि मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे समाज को आगे लेकर चलने के लिए, दिल्ली को आगे लेकर चलने के लिए प्रमुख रूप से कुछ बातें मैं यहाँ पर सदन में रखना चाहता हूँ। ये बात तो हम लोगों के, सबके सामने है कि इतनी समस्या आर्थिक स्तर पर देश विकट समस्याओं से गुजर रहा है। पिछले 2—3 वर्षों में, चाहे वो नोटबंदी की वजह से रहा हो, दिल्ली में ट्रेडर्स के साथ सीलिंग का मुद्दा रहा हो, जीएसटी की मार रही हो, उन सबके बावजूद भी दिल्ली के हर उस नागरिक को ये सलाम है कि उस सबके बावजूद भी जहाँ पूरे देश में सवा लाख रुपये पर कैपिटा इन्कम है, वहाँ दिल्ली में लगभग ढ़ाई गुणा ज्यादा तीन लाख रुपये इन्कम के साथ आज नागरिक यहाँ का, जीवनयापन कर रहा है। साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार भी उसी तरह का बजट आबंटित किया गया है और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सबने जाना,

सबको पता है कि लगभग 26 परसेंट से अधिक बजट शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। मगर सदन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के 29 प्रदेशों का बजट भी इसी समय पेश होता रहता है और मैंने उन सभी बजटों को देखा और औसतन एवरेज जो आबंटन शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, दिल्ली के मुकाबले दिल्ली में 26.3 परसेंट है। पूरे देश का औसत 29 प्रदेशों के बजट का औसत केवल 16 परसेंट के आसपास है और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, जीत है दिल्ली सरकार के लिए। और किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और किस तरह से शिक्षा को लेकर... क्योंकि देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं। उनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ दिल्ली सरकार ने लगभग 13 परसेंट बजट हैल्थ के लिए रखा है। वहाँ पर बड़े–बड़े राज्यों में अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा बोलूँगा, 29 प्रदेशों के बजट को मैंने देखा और औसतन जो खर्चा, जो पैसा रखा गया है बजट में, हैल्थ के लिए, बाकी सब प्रदेशों में बड़े–बड़े राज्यों की मैं बात करूँ, आंध्र की बात करूँ, तमिलनाडु की करूँ, गुजरात की करूँ, महाराष्ट्र की करूँ, उत्तर प्रदेश की करूँ, केवल 4.3 परसेंट बजट हैल्थ के लिए बाकी सब राज्यों में रखा गया है। ये दोबारा से इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश की जनता जो अधिकांश गरीब है, दिल्ली की जनता अधिकांश गरीब है, उस पर सही मायने में वोट की जो कीमत है, अगर पूरी तरह से उस कीमत को सलामी कोई सरकार दे रही है, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिजली और स्वास्थ्य में इस तरह का अनपेरलल्ड जो एक एक्सपेंडीचर प्लान किया जा रहा है, बार–बार, हर साल जो एडजस्टमेंट की जा रही है, मैं समझता हूँ, उसका नतीजा हम लोगों के सबके सामने हैं।

इसके अलावा स्कूलों के लिए मनीष जी ने, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने ये कहा था कि लगभग 10 हजार क्लास रूम बनकर तैयार हो गए हैं। मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि एनसीवीआर की रिपोर्ट

में मैं पढ़ रहा था और पूरे देश में केन्द्र सरकार के बनाए हुए नये क्लास रूम और राज्यों के बनाए हुए नये क्लास रूम पिछले दो वर्षों में कुल मिलाकर लगभग साढ़े सात हजार है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में राज्य और केन्द्र सरकार मिलाकर साढ़े सात हजार क्लास रूम बना पाई है और हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसी समय में, इसी दौरान में लगभग 10 हजार से ऊपर क्लास रूम बनाये।

अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से जिस तरह से निवेश, शिक्षा के प्राइमरी क्षेत्र में, माध्यमिक क्षेत्र में हुआ है, मुझे गर्व है कि इस बार माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने उतनी ही मजबूती से सहयोग इंक्यूबेशन सेंटर और उसी तरह से स्टार्टअप्स और एक जो वो आंत्रप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं, जो अपना रोजगार खुद शुरू करने की बात करते हैं, उसको दिया है। और मैं समझता हूँ, किसी बजट में कहीं पर भी इस तरह का कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जाती। जहाँ पर केवल शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थी को पढ़ाकर एक स्टेटिक्स की तरह एक रिकॉर्ड की तरह नहीं बना रहे हैं कि इतने लाख बच्चे पास हुए, 10वीं के इतने लाख बच्चे पास हुए, 12वीं से। हम साथ–साथ ये भी कोषिष कर रहे हैं कि जब ये बच्चे 10वीं और 12वीं से पढ़कर निकलें तो वो इस तरह से सक्षम हों कि कुछ न कुछ रोजगार अपने आप... किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत न हो। नौकरी की निर्भरता न हो उनके ऊपर, अपने आप वो सक्षम होकर के कोई न कोई छोटा–मोटा अपना कारोबार षुरू कर सकें। उसके लिए माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो योजना में उसके लिए व्यय रखा है, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और साथ में कई इस तरह की योजना जिससे इंटेलेक्चुअल कैपिटल में निवेश, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में यानी कि की जो बौद्धिक निवेश है। उसका जो ध्यान खास तौर से रखा गया है, चाहे वो आन्त्रप्रेन्योरशिप की, जैसे मैंने कहा या रिसर्च के लिए

अलग–अलग उसकी स्कीम जो बनायी जा रही है, उसकी बात मैं करूँ, उसी तरह एप्लाइड साइंसिज की बात मैं करूँ, टीचर्स जो कि मैं समझता हूँ, उसी तरह से एक इन्वेस्टमैंट है बच्चों की पढ़ाई में। ये सारी बातें बिल्कुल ये दर्शाती हैं कि किस तरह से माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने ये बजट पेश किया है। ये केवल 2019–20 का बजट नहीं है, ये बजट सही में निवेश है अगले 10–20 साल के लिए, ये निवेश है, अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मैं एक बार फिर माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ इस बजट के लिए। और अंत में ये जरूर कहूँगा, देश में जिस तरह से जो माहौल चल रहा है। यहाँ पर शर्मा जी ने बब्बर षेर की बात करी तो मैं यहीं कहूँगा, बब्बर शेर नारों से तो नहीं बनता। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ, नेतृत्व से बनता है, उदाहरण से बनता है।

1965 की लड़ाई में, जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधान मंत्री थे। तो उन्होंने अपने नेतृत्व में पूरे देश को एक दिन उपवास रखने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उस उपवास में उन्होंने... ये बताना चाहता हूँ मैं सदन को कि उपवास की जब उन्होंने बात करी तो सबसे पहले अपने घर में उन्होंने उपवास से शुरूआत करी और उसके बाद पूरा देश सोमवार के समय खाना नहीं खाता था। तो आज तो बहुत लोग नहीं खाते हैं तो ये नेतृत्व उदाहरण से होता है, दिखाने से होता है, फर्जी नारों से नहीं होता है। एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। प्रमिला टोकस। केवल लाल बहादुर शास्त्री जी का सम्मान पूरा वर्ल्ड... नितिन जी, प्लीज। नितिन जी, प्लीज। सौरभ जी, सौरभ जी। प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब हमारे एलजी साहब इस बुक को पढ़ रहे थे तो हमारे चारों विपक्षी यहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि उनको इस किताब में फुल स्टॉप के सिवाय और फुलस्टॉप और कौमा इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। इस किताब में हमारे विपक्षी साथी यहाँ पे बैठे हैं और दूसरा, जब भाई मनीष जी इस किताब को पढ़ रहे थे तो हमारे चारों विपक्षी... भाई बड़े भाई हैं, वो इस सदन में उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनको शर्म आ रही थी इस सदन में बैठने से कितने अड़ंगे लगाने के बाद इतना ऐतिहासिक बजट, इतना ऐतिहासिक बजट कैसे बनाया! अध्यक्ष जी, उनको किसी को लॉलीपोप लगता है और वो लगना भी चाहिए वो कैसे लगता है कुछ वित्त मंत्री जिसे जनता ने हाराया, जिसको नकारा और उसको ही वित्त मंत्री बना दिया।

माननीय अध्यक्षः चलिये, चलिये।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, फिर उनको लॉलीपोप ही लगेगा। क्योंकि उन्होंने लॉलीपोप दिया है और जुमले दिए हैं। तो उनको लगता है, जैसे हम करते हैं... जो इंसान खुद करता है, वो सोचता है, आगे वाला भी इंसान ऐसा ही काम करता है। वो उनकी नीति ऐसी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सौरभ जी उनकी लय टूटेगी, उनको बोलने दो। उनको डिस्टर्ब... बहुत अच्छा बोल रही हैं, उनको मत डिस्टर्ब करें, प्लीज। चलिये।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैं मनीष भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं शुरूआत करती हूँ, अपने मोहल्ला क्लीनिक से क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पूरी रात मुझे बुखार रहा और

जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वो या हमारे जो आस—पास दुकानें होती हैं, जो डॉक्टर बैठते हैं, वो साढ़े ग्यारह, ग्यारह के बाद बैठते हैं और जो इंसान बीमार होता है, उसके लिए एक—एक पल भारी होता है। तो हमने महसूस किया, मैंने खुद महसूस किया है। अध्यक्ष जी, हमारा मोहल्ला क्लीनिक आठ बजे खुल जाता है और जब मैं आठ, साढ़े आठ बजे मोहल्ला क्लीनिक में गई अध्यक्ष जी, 40 लोग वहाँ पे अपना इलाज करा चुके थे और 50 लोग वहाँ पे बैठे थे, साढ़े आठ बजे! ये अचीवमैंट हमारी सरकार की और ये तो तब हाल है जब इन्होंने काम करने नहीं दिया और ये हमारे माननीय मुख्य मंत्री की अभी बता रहे थे कि ऐड करते हैं।

अध्यक्ष जी, पाँच साल हो गए, हमारे जो माननीय प्रधान मंत्री जो अपने आपको चौकीदार बताते हैं, अपने आप को चौकीदार बताते हैं, हमने नहीं कहा कुछ, अध्यक्ष जी, वो खुद ही बताते हैं और यहाँ पे अध्यक्ष जी, हम अपनी जुबानी बोलें अपनी दिल्ली की, अपनी महिलाओं की, अपने युवाओं की, अपने बुजुर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अभी उन्होंने... शौचालय की आप देखें, किससे ऐड करा रहे हैं। शौचालय बंद, दरवाजा बंद, बीमारी बंद है। ये क्या मतलब? पाँच साल से अभी दरवाजा बंद करना सिखा रहे हैं शौचालय का। अगर शौचालय बंद करेंगे तो बीमारी बंद, क्या बात है! पाँच साल में शौचालय का दरवाजा बंद कराना सिखाया अध्यक्ष जी। हर साल पाँच करोड़ शौचालय बनाने का वादा पूरा किया है, क्या बात है! अगर पाँच करोड़ लोगों को रोजगार देते तो कुछ बात होती, वो अपना शौचालय भी खुद बना लेते अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अगर अभी ये इतनी बात करते हैं, मैं अपने इन्होंने कहा हमने पाँच करोड़ शौचालय खोले हैं हर साल। मैं अपनी विधान सभा की बात बताती हूँ। हमारे विधान सभा में भंवर सिंह कैम्प में हमें टेम्परेरी शौचालय बनाना था और जिस जगह से जाना था, जो रास्ता था, वो डीडीए का रास्ता था। डीडीए ने

उस शौचालय को आगे नहीं जाने दिया अध्यक्ष जी, और ये बात करते हैं कि शौचालय दरवाजा बंद, बीमारी बंद। तो वो लोग कहाँ जाएँगे जो दिल्ली में रह रहे हैं? वो ऐसी जगह रह रहे हैं। मतलब लगना कैम्प में है, वो बस, जगह जा रही है वहाँ से रास्ता ही यूज कर हैं लेकिन रास्ता यूज नहीं होने दे रहे और ऐसे ही भंवर सिंह कैम्प में अभी पानी का हमने बोरवेल लगाना था। वहीं रास्ता, रास्ते में ही हमारी जो मशीन थी, उसको रोक दिया गया कि कहते हैं कि हम मशीन को आगे नहीं जाने देंगे। बोरवेल हमें अपने कैम्प में लगाना था जो डूसिब का कैम्प है। उसमें कैम्प में लगाना था। लेकिन उसको भी वहीं रोक दिया गया। अगर आज लैंड हमारे पास होती तो मुझे लगता है कि ये जो पानी और शौचालय की हमें जो असुविधा हुई, वो उन लोगों तक पहुँचती जो अब गर्मियों में इतनी हाहाकार मच जाती है क्योंकि वहाँ पर और कोई चारा नहीं है। बोरवेल से ही वहाँ पानी की सप्लाई होती है और वो इतनी ऊंचाई पर है क्योंकि कैम्प में और इतनी जगह है नहीं, टेम्परेरी शौचालय कहीं वहाँ पे लगा सकते हैं, वैसे बना नहीं सकते। अगर लेकिन डीडीए रास्ते से ही नहीं जाने दे रही, ये दुर्भाग्य है। और कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, हम शौचालय बना रहे हैं।

अध्यक्ष जी, अब एक मैं... एक इतना छोटा सा बच्चा होगा, कम–से–कम 7–8 साल का। पहले तो तीन बार उसकी दादी आई, थोड़ी सी, आराम से बोला उसने मुझे कि उनकी जो बहू थी, उसको किसी ने किडनैप कर लिया। जब वो चौथी बार आई अध्यक्ष जी, जो वो मेरे ऊपर चिल्लाई है कि मैं चौथी बार आपके पास आई हूँ अभी तक मेरी बहू को ढूँढ के नहीं ले के आए पुलिस वाले। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, उसका 7–8 साल का पोता मेरे पास आके बोलता है, आंटी, मेरी मम्मी को ला दो।

अध्यक्ष जी, हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से भी पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चोरियाँ हो रही हैं। वो इतने दिन हो लिए, उसको डीसीपी के पास भी भेज दिया हमने। एसएचओ से भी बात कर ली। वो कह रहे हैं कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से जाँच जारी है। लेकिन अभी तक वो जाँच पूरी नहीं हुई अध्यक्ष जी। सीसीटीवी कैमरे हम लगा देते हैं, बहुत अच्छी बात है और जब चोरियाँ होती हैं तो उसी सीसीटीवी कैमरे में आ भी जाती है अध्यक्ष जी। लेकिन उसपे कोई कार्रवाई नहीं होती।

मैं अपने ही एरिए की बात करती हूँ, हमारा बंसत अपार्टमैंट में... अखबार में भी आई है, न्यूज में भी आई है, 20 गाड़ियों के एक साथ बैटरी निकाली गई है। मोती बाग गाँव में बैटरी निकाली गई गाड़ियों से, सेक्टर पाँच में गाड़ियों की बैटरी निकाली गई लेकिन कोई अता पता नहीं है उनका अभी तक।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों होना चाहिए इसपे बोल रही हैं वो ? पूर्ण राज्य का चलिए, देखिए, बोलने दीजिए उसको डिस्टर्ब न करिए प्लीज। प्रमिला जी, प्रमिला जी कन्क्लूड करिए, हो गया। कन्क्लूड करिए।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, जब मनीष भाई बोल रहे थे तो उनकी जो आवाज थी, जो वो शब्द बोल रहे थे, उनमें इतना उसकी पीड़ा झलक रही थी कि हमारा पूर्ण राज्य होता तो हम ये कर देते। अभी बात करते हैं, स्कूलों की कि तुमने क्या स्कूल बनाये, स्कूल तो पहले से ही बने थे। अध्यक्ष जी, स्कूलों की दशा बदली है, दिशा में आप बदल गई बाहर से लोग देखने आते हैं। अमेरिका से लोग देखने आते हैं।

मुंबई से देखने लोग आते हैं। हरियाणा से लोग देखने आते हैं। हमने तो दशा बदली थी लेकिन दिशा अपने आप बदल गई। आज से पहले नहीं देखने आए। अगर स्कूल पहले ही बने थे तो पहले क्यों नहीं देखने आए ये?

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, हमारा जो बजट था, 30 हजारा करोड़ का बजट था और चार साल में 60 हजार करोड़ रुपये का हो गया, डबल हो गया और उसमें इतना पानी फ्री, बिजली हाफ, पेन्शन बढ़ा दी, पेन्शन दुगनी कर दी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, प्रमिला को बोलने दीजिए। उसकी लय टूट रही है, वो परेशान हो रही हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो परेशान हो रही हैं। चलिए, बोलिए, प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई। आंगनवाड़ियों के वर्करों की तनख्वाह बढ़ाई 5 से 10 हजार की, सबकी डबल करी। जो पेन्शन थी, वो हजार से दो हजार करी और फिर भी चार साल में दुगना बजट किया और ये कहते हैं कि क्या किया? लॉलीपॉप तो... इनको लॉलीपॉप ही दिखाई देगा अध्यक्ष जी। वो दिल्ली की जनता जानती है। इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य चाहिए क्योंकि जो ये काम किये हैं, ये तो हमारे अरविंद भाई ने बहुत ही सराहनीय काम किये हैं और जो अभी मैंने बताये कि पूर्ण राज्य होता तो इतने और हमारे काम हैं, जो हम कर सकते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं जो डोर टू स्टैप डिलीवरी चली है, अब मैं एक बार थोड़ा सा उस पर ध्यान दिलाना चाहूँगी क्योंकि सर्विस हमारे पास नहीं है, न हम किसी का तबादला कर सकते हैं, न किसी को हटा सकते हैं। जो अभी ऑन लाइन हम उस पर करते हैं अप्लाई अध्यक्ष जी, ऑन लाइन इसको कैंसिल कर देते हैं, जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं और उस पर कुछ न कुछ कमी निकालते हैं वो। और वहाँ पर जाते हैं, जो मुझे बताया है अध्यक्ष जी, जो लोग वहाँ पर गये हैं कि उनको आप 2—4 हजार रुपये दे दो, वो आपका काम करा देते हैं। अगर पूर्ण राज्य होता और सर्विस हमारे पास होती तो शायद ये नहीं हो पाता जो 49 दिनों में जो भ्रष्टाचार था, वो पूरी तरह खत्म करके दिखाया था। अगर अब भी होता तो दिल्ली में पूरा भ्रष्टाचार अभी तक खत्म हो चुका होता। इसलिए इस डर की वजह से इन्होंने हमसे एसीबी छीनी और इनको डर है कहीं न कहीं कि अब 2019 में क्या हाल होने वाला है। किस तरीके से इन्होंने जनता को लूटा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएँ हों। जबसे हमारे चौकीदार की सरकार आई है, तब से हर इंसान दुखी है और अध्यक्ष जी, एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक था।

माननीय अध्यक्षः अब प्रमिला जी कन्क्लूड करिए, प्लीज। 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्रीमती प्रमिला टोकसः और एक बहुत ही समझदार आदमी था। उसने जाकर कहा, ताऊ अबकी बार फिर मोदी सरकार, ताऊ का जवाब... अध्यक्ष जी बोला, अबकी बार मोदी सरकार नहीं, आंखों में आंसू ही आएँगे। वो उस बूढ़े बुजुर्ग की आवाज थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके जो महिलाएँ हैं... अध्यक्ष जी, हमारे पास महिलाएँ भी आती हैं वो अपने बच्चों की नौकरी के लिए आती हैं। अपने लिए भी वो नौकरियाँ माँगती हैं। उस वरिष्ठ नागरिक की आवाज में जो पीड़ा थी, वो स्पष्ट नजर

आ रही थी कि वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि अबकी बार मोदी सरकार नहीं, आंखों में आंसू आएँगे।

अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा बजट, इतना सराहनीय बजट वो लेकर आए कि हमारे जो माननीय विपक्षी साथी यहाँ बैठे हैं, वो सदन में रहने के उन्होंने... मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि हम सदन में बैठ सकें। उनको इस बजट में कोई कमी नजर नहीं आई। मैं सेल्यूट करती हूँ उन भाइयों को भी, जो मनीष भाई के बजट में कोई कमी नहीं आई है और मैं भाई मनीष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा प्रमिला जी के अभिभाषण में खो गया था। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक आम आदमी की आवाज को इस विधान सभा में रखा।

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सर, मैं जिस विधान सभा से हूँ, वहाँ पर 25 साल से बीजेपी का विधायक था और वहाँ पर कहा जाता था कि बीजेपी के अलावा कोई यहाँ से जीत ही नहीं सकता। बात भी ठीक थी, वो 25 साल से जीतते आ रहे थे। सर, लेकिन हमारी सरकार, हमारे डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया, हमारे सीएम, हमारी बाकी टीम, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे वॉलेंटियर्स, सारे जो बिलकुल डीपली इस सरकार के साथ इन्वाल्व्ड थे, दिल्ली के बहुत ही दिग्गज लोग जो चाहते थे कि दिल्ली में बदलाव आए, उसका ये आउटकम था। ये चार साल का बजट और इस साल का बजट बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने डिप्टी सीएम का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो हेल्थ में एक और इन्होंने बेंचमार्क पैदा किया है कि जो बेड्स बढ़ाये जा रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली में बहुत जरूरत है हर हस्पताल में बेड्स

की और बिलकुल ठीक कह रही थी हमारी प्रमिला बहन कि अगर पूर्ण राज्य होता तो शायद हम और जमीन ले आते और यहाँ पर और हस्पताल बना पाते लेकिन खैर वही बात है कि हम आड़े टेढ़े रास्ते से निकल जाएँगे लेकिन दिल्ली के लिए एक नया रास्ता बना जाएँगे। वो हमारे डिप्टी सीएम करते आ रहे हैं। फ्री मेडीशिन्स और ईवन किसी का दिमाग खराब हो जाए. .. अगर वो सीटी स्कैन कराना चाहता हो तो उसका सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा तो वो भी अपनी पर्ची बनवाकर जो है, अगर वहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन नहीं है तो वो सीटी स्कैन की मशीन से बाहर से जाकर इलाज करा सकता है। हमारी सरकार ने हेल्थ में इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया है। हेल्थ चैकअप के लिए हमारे यहाँ पर है एमआरआई जिसके लिए डॉक्टर पहले बहुत–बहुत ज्यादा कमीशन खाया करते थे और बार–बार एमआरआई लिखते थे। हमारे यहाँ पर आप पाँच साल का प्रूफ दिखायें और अपना एमआरआई जो है, आप करवा सकते हैं। हेल्थ में एक बहुत बेंचमार्क हम लोगों ने जनरेट किया।

इसी तरीके से, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा कि पानी, वॉटर में ये बात हम बार बार बोल चुके हैं तो शायद ये सबको आम लगती होगी कि 20 हजार लीटर तक पानी फ्री है लेकिन बहुत सारे लोग पानी की सेविंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि 20 लीटर हजार तक उनका पानी ज्यादा न खर्च हो ताकि उनका बिल जीरो आए। लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर 17 साल से एक यूजीआर बनना था। एक बहुत बड़ा 105 लाख लीटर का यूजीआर बनना था तो उसकी जमीन डीडीए ने पास कर थी। कई साल पहले उसका पैसा नहीं दिया जा रहा था, उसको बनाया नहीं जा रहा था। हम लोगों ने उसका पैसा दिलवाके वहाँ पर पेड़ कटिंग की परमीशन लेकर एक हजार पेड़ भी हमने और लगाकर उसको पूरा नॉर्म्स

के अंडर पूरा किया और पिछले मार्च में उसका उद्घाटन हुआ जहाँ पर 55 परसेंट वो काम पूरा हो गया और जब उसका उद्घाटन होना था, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बड़ी... आप लोग भी ध्यान से सुनियेगा। उससे तीन दिन के बाद हमारे वॉटर मेंबर रिटायर होने जा रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, आप तीन दिन बाद रिटायर होने जा रहे हैं। ये तो 17 साल पहले बनना था ये यूजीआर। हम 17 साल पहले ही क्यों नहीं बना पाये? और आज मैं आपके पीछे पड़–पड़ के इसको मैं बनवा पा रहा हूँ या हमारी सरकार बना रही है ये कैसे? ये 17 साल में क्यों नहीं हुआ? तो वो हँसने लग गये। मैंने कहा, सर, ये एक आप मेरे को गिफ्ट देकर जाएँ, मुझे बताएँ जरूर कि ये यूजीआर क्यों नहीं बना। कहते हैं, आपके यहाँ पर जो विधायक था, वो बोलता था कि अगर ये यूजीआर बन गया तो मेरे पास कौन आयेगा? ट्यूबवैल खुदवाने ही कौन आएगा? क्योंकि उनके पास लोग जाते थे, पानी की समस्या है। वो कहते थे, काके, एक टयूबवेल खोद दे और वहाँ पर इतना मोटा पानी आता था कि लोग खुश हो जाते थे। लेकिन वो भूल जाते थे कि जमीन के पानी में अमोनिया बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से पैरालाइसिस के केसेज बहुत बढ़ते हैं। आज हम उस यूजीआर को 55 परसेंट पूरा कर चुक हैं और कुछ दिनों में उसको और पूरा करने जा रहे हैं। ये उपलब्धियाँ 17 साल के बाद आम आदमी की सरकार आने के बाद ही पूरी हुई हैं जो कि पहले नहीं हुई थी कभी भी। इसी के साथ आप आज जितने भी टयूबवेल्स हैं, वहाँ पर हम लोग, हमारे वॉलेंटियर्स जाकर चैक करते है और ये देखते हैं कि क्या वहाँ पर क्लोरीन यूज हो रही है प्रोपर, नहीं हो रही है। क्या साफ–सफाई रखी गई है कि नहीं रखी गई। 169 टयूबवेल चल रहे थे। आज 169 टयूबवेल्स में से सिर्फ 62 टयूबवेल तक हम उस टयूबवेल्स को कम कर पाए। आज मीठे पानी की सप्लाई पूरी विधान सभा में कर पाए हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है; आम आदमी पार्टी की सरकार। सर,

एक जैसे अभी प्रमिला जी ने बहुत अच्छे–अच्छे उदाहरण उन्होंने यूज किये। जैसे वो बता रही थी कि बुजुर्ग की पेन्शन लगी। मेरे यहाँ पर भी आप फेस बुक में खोल कर देखें तो एक बूढ़ी अम्मा का नाचते हुए विडियो है और लास्ट में उन्होंने मुझे लगे लगा लिया। क्योकि उनकी जब वो दो हजार रुपये की पेन्शन लग गई। कहा, बेटे, मेरे को अपने बच्चों से दवाई के लिए पैसे नहीं माँगने पडेगे। ये जो हमारी सरकार ने कर दिया, शायद ही कोई दूसरी सरकार कर पाएगी। दो हजार रूपया पेन्शन बुजुर्गों को दी है, विडो को ढ़ाई हजार रुपये पेन्शन दी है और जितने भी हमारे हैंडीकैप्ड पेन्शन वाले हैं, उनको हम लोग नोट ओनली पेन्शन, उनको हम लोग ऑटोमेटेड पूरी एक व्हील चेयर दे रहे हैं कि वो लोग अपने आप को किसी तरीके से असहाय महसूस न करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे हिन्दुस्तान में जो हमारी 29 स्टेटस हैं, वहाँ पर जाकर देख लें, कहीं पर इतनी पेन्शन नहीं है जितनी हमारी दिल्ली में है। इतनी बड़ी पेन्शन देने जा रहे हैं। बजा दो भई टेबल। सबसे बड़ा बैंच मार्क।

सर, मैं सैन्सेक्स का, मैं रिस्क मैनेजमेंट में रहा हूँ, लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराता था। जब मार्केट बहुत ऊपर जाती थी तो बुल आता था उसमें। एक बहुत बडा सा दिखाते थे कि बुल आ गया है और मॉर्केट ऊपर गई है। तो हमारे डिप्टी सीएम ने जो एजूकेशन में काम करके दिखाया है, वो एक बहुत बड़ा बुल उन्होंने हिस्ट्री की किताब में अपने लिए ऐड कर दिया है। जो दस हजार कमरे टीचर्स को मोटिवेट करना, इन्टरनेशनली टीचर्स को लेकर जाना, उनको वहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाना कि किस तरीके से इन्टरनेशनल मॉडल में टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरे सिस्टम को मोटीवेट करना... आज वो टीचर्स इतना मोटीवेट करके बच्चों को उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमारे कुछ स्कूल मैं अपनी विधान सभा की बात करूँ तो मेरे कुछ स्कूल जो है, टॉप टेन स्कूलों में हम लोगों ने बच्चों का रिजल्ट आया है। उसका कारण आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे

मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे हैं। सर, इसके साथ–साथ महिला सुरक्षा जिसके लिए एक बहुत बड़ा आन्दोलन हमारे पार्टी ने किया था। केन्द्र सरकार चाहती थी कि लाइटें लगाएँ। हम लोगों ने लाइटें खूब लगाईं। हर विधायक ने खूब लाइटें लगाई। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एलईडी लाइट्स लायेंगे तो हमारे सत्येन्द्र जैन जी ने एक मिनट नहीं लगाया, उनको अलाउड किया और वाईट लाइट्स का जो वर्क ऑर्डर हो रहा था, आज सारी जगह पर जगमगा रही हैं। हमारे विधायक भी अब जहाँ–जहाँ डार्क स्पॉट बिल्कुल आइडैंटिफाई करके वहाँ पर भी लाइट्स लगा रहे हैं। हाई मास्ट लाइट्स लगा रहे हैं। उसकी वजह से लाइट का बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं हैं ताकि महिलाएँ सुरक्षित रह सकें। आज सीसीटीवी कैमरे भी हम जो पूरे दिल्ली में लगाने जा रहे हैं, उसकी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से आपने बोला कि उनकी बहू किडनेप हो गई है तो सीसीटीवी कैमरे में हम लोग आज अपने मोबाइल पर ही चैक कर पायेंगे कि इस तरीके से लेकर आये और बजट में जहाँ–जहाँ पर हम लोगों ने बढ़ोत्तरी की है, ये ही ध्यान रखकर किया है कि दिल्ली में हम लोग सिस्टम में कहाँ–कहाँ पर चेंजेज ला सकते हैं। आज जितने ऑयल के ट्रांसफार्मर्स थे, सरकार ने चेंज कराके ड्राइ ट्रांसफार्मर चेंज किये हैं। एलटी केबल्स 11 हजार की जो मेगावॉट केबल्स हैं, उनको चेंज करने के बाद ऐसा सिस्टम कर दिया कि दिल्ली में लाइट का पैरेलल सिस्टम चलता है। कहीं पर भी लाइट नहीं जाती है। ये बहुत सारे काम इस तरीके से सरकार हमारी करती आई है। मैं बस दिल से दुआएँ दूँगा कि ये हमारी सरकार के जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे जितने मंत्री हैं, वो सब लोग वो इसी तरीके से बने रहें और हम लोग इनके पद चिन्हों पर इनके साथ टीम की तरह काम करते रहें बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने बजट चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं दिल्ली सरकार के ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री ने पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था में एक दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव करके और पूरे देश विदेश में नाम किया, उसी तरह से ही मैं कहूँगा कि वित्त मंत्री के तौर पर भी मनीष सिसोदिया जी ने एक इतिहास बना दिया। जब हम लोग सरकार में आए थे तो तीस हजार करोड़ रुपये का बजट था और आज 60 हजार करोड़ रुपये का बजट है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। एक ईमानदार सरकार की वजह से एक ईमानदार मुख्य मंत्री के तौर पर और एक होनहार और बहुत ही सूझ—बूझ से काम करने वाले हमारे वित्त मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया की वजह से हुआ है। यहाँ पर पहले जो व्यवस्थाएँ थीं, और आज की व्यवस्थाओं में बहुत बदलाव है। पहले जो टैक्स आता था, वो चोरी होता था लेकिन आज एक ईमानदार व्यवस्था की वजह से पूरा टैक्स कलैक्शन हो रहा है। व्यापारी टैक्स दे रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर आज व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो फॉर्मूला जो दिल्ली सरकार ने किया है, उसमें हर वर्ग आज खुश है। इसी की वजह से आज दिल्ली में 60 हजार करोड़ रुपये के बजट तक हम लोग पहुँचे हैं।

मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्य मंत्री साहब का कि उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए भी खास ध्यान रखा है। अभी तक अध्यक्ष जी, पूरे देश में स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसको लागू नहीं किया गया। मैं खास कर... मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ। किसानों का

हाल पूरे देश में बहुत खराब है। किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया लेकिन उसके बाद में जो 2006 में रिपोर्ट आई, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय वित्त जी का, माननीय मुख्य मंत्री साहब का कि उन्होंने किसानों के लिए इतना सोचा और आज दिल्ली से पूरे देश में ये आवाज जाएगी कि दिल्ली जिस तरह से किसानों की फसल जब बर्बाद होती है तो 20 हजार एकड़ का जो मुआवजा दिल्ली सरकार ने दिया था, वो भी पूरे देश में किसी भी मुख्य मंत्री ने या किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन दिल्ली से ये आवाज गई पूरे देश में। इसी तरह से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट दिल्ली में लागू होगी तो पूरे देश में इसकी चर्चा होगी और सारे मुख्य मंत्रियों को इस बात का जरूर एहसास होगा कि दिल्ली एक छोटा सा... जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा।

इसके अलावा मैं धन्यवाद करूँगा कि दिल्ली विलेज डवलेपमेंट बोर्ड के तहत दिल्ली के गाँव के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है जिससे कि गाँव में जो डवलपमेंट हो रही है आज वो अलग से विधायक फण्ड के अलावा जो फण्ड रखा गया है, उससे गाँव वालों में बहुत खुशी का माहौल है कि आज हर गाँव के अंदर दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार ने अभी अभी जो किसानों के लिए 125 रुपये प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज था, उसमें भी 105 रुपये की जो सब्सिडी दी है, उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का

धन्यवाद करूँगा। अब केवल 20 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से किसानों को देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम मेरी सरकार ने उठाए हैं और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी तक हमारी सरकार करते हुए आई है, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार भी 26 परसेंट का जो बजट माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रखा है 15601 करोड़ रुपये का, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जो हमारी सरकार दिल्ली की है, इसका बजट बनाने का पैमाना है, वो अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने का है, न कि हम लोग जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री साहब कहते हैं कि सड़क बनाना, फ्लाई ओवर बनाना, हमारा विकास का पैमाना नहीं है। हमारा विकास का पैमाना है कि हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुलें, हमारे अस्पताल खुलें, उसके लिए भी शिक्षा के लिए बजट जो रखा गया है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ और इसके अलावा जो परिवहन विभाग में भी इस बार काफी अच्छा बजट रखा गया है, आने वाले समय में चार हजार बसें जो दिल्ली में आने वाली हैं, उससे हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरने वाला है। उसके लिए भी मैं बधाई दूँगा और इसके अलावा जो 1397 बस क्यू शेल्टर्स खोले जा रहे हैं, वो भी काफी दिनों से इस बस क्यू शेल्टर की चर्चा होती थी और इस साल भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है उसके लिए भी मैं बधाई दूंगा और छः नए बस डिपो भी बनाए जा रहे हैं जिसमें कि एक कापसहेड़ा का भी नाम आया था जो कि मेरा गाँव भी है।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 4406 कालोनियों में नई पाइप लाइन डाली गयी है, 20 हजार लीटर का पानी हम फ्री दे रहे हैं उसकी वजह से आज 1,39,7000 परिवार जो है, फ्री पानी ले रहे हैं, तो इससे पानी की सेविंग हुई है और आज जो

हमारे, जैसे मैं अपनी विधान सभा की बात करूँ कि मैहरोली विधान सभा में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि 70–80 परसेंट पानी की कमी आज पूरी हो गयी है। ये सारा एक ईमानदार सरकार, ईमानदार व्यवस्था और हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है। आज हर जगह हम कहते हैं कि जो भी हमें बजट चाहिए होता है, माननीय मुख्य मंत्री साहब से, माननीय वित्त मंत्री साहब से हमेशा हमें हर परियोजना के लिए मिलता है। इतना ऐतिहासिक बजट देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री साहब को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, पूरी सरकार को बधाई देता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री साहब को बधाई देता हूँ। हम सब साथी जो आज इस सरकार के हिस्सा हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ, माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, लीडर ऑफ अपोजिशन।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उप मुख्य मंत्री जी ने जो पेश किया था, मैं उसके मुख्य बिन्दु, जिनको उन्होंने सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, जिनके बारे में आरोप किए या उनको अतिरिक्त रूप से अपनी पीठ थपथपाई, उन बिन्दुओं पर ही अपनी बात को सीमित रखूँगा। आपने कहा... गोपाल राय जी बार बार कहते हैं कि 325 करोड़, मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं, 325 करोड़ रुपये दिया जा रहा है, 325 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि जो बजट की पुस्तिका है, उसमें 6392 करोड़ की ग्रांट है। 325 करोड़ का ग्लोबल सेंटर टैक्सिस का शेयर है और फिर लोन वगैरह लगा के 8523 करोड़ रुपया जो एट ए ग्लांस सीधे तौर पर, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर अलग अलग प्रकार से लेकिन जो सीधे प्रकार से दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है, वो है 8523 करोड़ रुपया।

दूसरा, जो उप मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने डबल कर दिया बजटकृ उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये डबल होना कब से शुरू हुआ है। ये हुआ है 2017–18 से। अगर आप 2015–16 और 2016–17 के बजट प्रावधान देखेंगे, वास्तविक तो स्थिति वही है और 2017–18 में चूँकि जीएसटी लागू हो गया और जीएसटी में गारेंटड ऐश्योर्ड रेवेन्यू ग्रोथ जो है, वो 14 परसेंट है। यानी कि 14 परसेंट आपको हर साल ग्रोथ होगी ही होगी। अगर आप उतना नहीं एचीव कर पा रहे हैं तो बाकी का पैसा सेंटर गवर्नमेंट देगी। अब आपको 2018–19 में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया इस जो ऐश्योर्ड रेवेन्यू ग्रोथ है, उसमें साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये आपको इसमें अतिरिक्त मिला है और 2019–20 में आपने बजट प्रावधानों में रखा है, तीन हजार करोड़ रुपया। यानी कि जोकृ और ये हेड आफ ऐकाउंट है आपकी ही किताबों में *'कम्पन्सेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऐराइजिंग ड्यू टु इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी।'* जीएसटी के क्रियान्यवन के कारण होने वाले राजस्व की हानि के लिए मुआवजा। अभी 2017–18 में जब नौ महीने हुए थे, 1 जुलाई से लागू हुआ जीएसटी तो उसके रिजल्टस आने लगे और साढ़े चार हजार करोड़ रुपया आपको 2017–18 में अतिरिक्त मिला। ये आँकड़ों में ही लिखा हुआ है। 2018–19 में जीएसटी से आमदनी आपकी 20670 करोड़ रुपये आ गयी जो आपके रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में है और परपोज्ड में ये 22620 करोड़ यानी कि जो रकम 10 हजार करोड़ के आसपास थी, आपके ही शासनकाल में, जिस जीएसटी को आप गाली देते रहे आज उस जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो वो दिल्ली को मिल रहा है। अब बात करिए जो आपके एजेंडे के मुख्य बिंदु हैं। आपका मुख्य बिंदु है– *'इंस्टालेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज।'* इसके लिए आपने 250 करोड़ रुपये बजट में रखे थे 2018–19 में और रिवाइज्ड में घटा के उसको 40 करोड़ कर दिया यानी कि एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। आपने रखा था, वाई फाई के लिए 'वाई–फाई फॉर डिस्ट्रिक्ट

एण्ड अदर रोड्स' 100 करोड़ रिवाइज्ड में आपने उसको जीरो कर दिया। मुख्य मंत्री सड़क योजना में आपने रखा था एक हजार करोड़ रुपया, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। इस वर्ष में 2018–19 में उसको आपने जीरो कर दिया।

आपने *'लैण्डस्कैप ऑफ पीडब्ल्युडी रोड्स'* 200 करोड़ रुपया रखा था पीडब्ल्युडी ने सड़कों की लैंड स्केपिंग के लिए। उस पर एक करोड़ रह गया रिवाइज्ड में। बसेज की खरीद के लिए *'इक्विटी कैपिटल टु द डीटीसी फॉर परचेज ऑफ बसेज।'* 150 करोड़ रुपया रखा था, रिवाइज में उसको जीरो कर दिया गया। आपने बजट में *'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' यानी कि* मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो अति महत्वाकाँक्षी योजना है दिल्ली के लिए, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम होता है, जिससे दिल्ली का कंजेशन कम होता है और उसमें मात्र लगभग 240 करोड़ रुपया रखना था, 2018–19 में भी कोई पैसा नहीं रखा गया और 2019–20 में भी नहीं रखा गया। मैं कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जब मुख्य मंत्री जी कन्क्लूड करें तो इसे अमेंडमेंट को यहाँ पर प्रस्तुत कर और जानकारी को पूरा कर ये जो *'रीजनल रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम'* है, इसमें पैसा न रखने का मतलब ये है कि दिल्ली की तरफ से *'रीजनरल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम '* को मंजूरी नहीं दी जा रही है। आप बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके शासनकाल में जो *'रोडस एण्ड ब्रिजेज'* हैं, उसके लिए आपके शासनकाल से पहले 7.2 परसेंट जो है, बजट में शेयर होता था; रोडस का और ब्रिजिज का। आपने उसको घटा कर 4.2 परसेंट कर दिया। ढ़ाई परसेंट आपने... 15 से 19 का एवरेज मैंने निकाला है, तो ये बैठता है ढ़ाई परसेंट कम। इसके बाद उप मुख्य मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने अपनी बड़ी पीठ ठोकी कि हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमने शिक्षा में वो कर दिया। वास्तविकता में आपने शिक्षा का बजट घटा दिया। पिछले वर्ष

2018—19 में आपने रखा था 14 हजार करोड़ के करीब, 13962 जो कुल बजट का बनता है 26.35 परसेंट, आपने उसको घटाकर कुल बजट का कर दिया 25.22 परसेंट यानी कि एक परसेंट आपने... आगे सुनिए, आगे सुनिए, अभी तो पिक्चर बाकी है, आपने एक परसेंट कम कर दिया।

अच्छा, जो आप बढ़ा भी रहे हैं, वो रेवेन्यू ऐक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है; तीन हजार करोड़ रुपया। कैपिटल आउट ले पर सिर्फ नौ सौ करोड़ रुपये वषद्धि हुई है। अब रेवेन्यू ऐक्सपेन्डीचर में सेलरीज है। आपके जो आफिस के खर्चे हैं, वगैरह—वगैरह। हेल्थ में आपने पिछले साल से अब में कोई विशेष अन्तर नहीं रखा है। इसके बाद यहाँ बार—बार उप मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी ये दावे करते हैं कि हम एजूकेशन और हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं। अरे भाई! अगर आप एजूकेशन और हेल्थ पर खर्चा नहीं करोगे तो कहाँ करोगे आप?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप सुनिए। अब मैं कुछ ऐसे हेड पढ़ता हूँ और पूरे देश के ऐवरेज निकाल रहा हूँ और पूरे देश में उस पर कितना खर्च हो रहा है और आप कितना खर्च कर रहे हैं। आप रूलर डेवलपमेन्ट पर खर्च कर रहे हैं 0.4 प्रतिशत। पूरे देश में खर्च हो रहा है छः प्रतिशत। आप एग्रीकल्चर पर खर्च कर रहे हैं 0.4 प्रतिशत। पूरे देश में खर्च हो रहा है 6.2 प्रतिशत। आप इरिगेशन पर खर्च कर रहे है 0.6 प्रतिशत। पूरे देश में खर्च हो रहा है 4.5 प्रतिशत।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो वहीं बात आ गयी न। बाकी प्रदेशों में एग्रीकल्चर है। रूलर डेवलपमेन्ट है। इरिगेशन है। क्या आप चाहते हो देश के किसानों का भला न हो? आप चाहते हो?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आप सुनिए।

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दो। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे सारा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एनर्जी। एनर्जी पर पूरे देश में खर्च हो रहा है 6.2 प्रतिशत और आपने दिल्ली के बजट में रखा है 3.3 प्रतिशत। रोड एण्ड ब्रिजेज का तो मैंने पहले ही बता दिया। उसको कट कर दिया। अब एनर्जी का बता दिया। अब आप पुलिस को बहुत गाली देते हैं। तो पुलिस को गाली देते हैं तो अपने बजट में तो दिल्ली के बजट में तो 0.1 प्रतिशत है लेकिन देश भर में वो चार प्रतिशत है। तो कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ है कि जो हेड ऑफ एकाउन्ट हमारे यहाँ बहुत रेलेवेन्ट नहीं है, उनमें अगर पैसा बाकी जगहों पर उसको डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है तो आप इसको... सवाल है, पैसे रखने का विषय नहीं है। सवाल है कि आपने क्या सेवाएँ बढ़ाई? पाँच लाख बच्चे, जो बच्चा नौंवीं में दाखिला लेता है और बारहवीं तक पहुँचते–पहुँचते 33 प्रतिशत बच्चे सिर्फ वहाँ रह जाते हैं। 66 प्रतिशत बच्चे या तो ड्रॉप हो जाते हैं या उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, फेल होने पर। तो आप क्या शिक्षा में सुधार कर रहे हैं? अगर नौंवी से बारहवीं में पहुँचते–पहुँचते कुल स्टूडेन्ट का 33 प्रतिशत रह गया तो आप... मैं ऐसे एक दर्जन उदाहरण दे सकता हूँ, अगर आप मुझे समय दें। जिससे शिक्षा व्यवस्था की सीधी कलई खुलती है। आपने बड़ा यहाँ पर दम भरा कि हमने बिजली कन्ट्रोल किया। आपने तो बिजली कम्पनियों को दिल खोल के पैसा लूटा दिया। फिक्स्ड चार्जेज आपने बढ़ा दिये। दुनिया भर के फिक्स्ड चार्जेज आपने बढ़ा दिए और आपने इसके साथ–साथ जो एक खेल खेला और वो जो रेगुलेशन्स डिसाइड हो रहे थे, उसमें आपने एक नई चीज इन्ट्रोड्यूस कर दी; पीपीसीए चार्जेज... जो मैं बिल भी ले

के आया हूँ और वो बिल में लग के आने लगा। जब 2017–18 में डीईआरसी रेगुलेशन पर साइन किए गए बिजली मंत्री द्वारा और सरकार द्वारा तो उसमें कहा गया– 'The distribution licensing shall be allowed, Discom shall be allowed to recover the incremental power, power procurement cost on quarterly basis over and above the power procurement cost approved in the tariff order of the relevant years incurred due to the following…'

और ये मेरे पास बिल है यहाँ पर। अध्यक्ष जी, ये इसमें लग के आ रहा है। बिल के अन्दर कि वो जो पैसा है, हर बिल में, आपके भी बिल में होगा और वो मेरे बिल में भी है कि लग के आ रहा है। पीपीसीए ऑन फिक्स्ड चार्जेज और पीपीसीए ऑन कन्जम्प्शन आफ इलेक्ट्रिसिटीज। हर उस पर आपने पीपीसीए भी लगा दिया। आपने फिक्स्ड चार्जेज भी लगा दिये। आपने उसके अलावा और भी कई तरह के आपने उसमें कम्पनसेशन्स लगा दिए। यानी कि आपने बिजली की कीमतों में दुनिया भर की वर्षद्धि कर दी और ये जून, 2018 से पीपीसीए लिया जा रहा है। और वो वगैरह–वगैरह... अभी तक एक हजार करोड़ रुपया दिल्ली के लोगों का वसूला गया है।

इसके बाद मैं मनीष जी की बजट स्पीच पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि 52 हजार। ये मनीष जी ने बोला कि इन परियोजनाओं को पूरा करने और निर्धन 52000 रिहायशी इकाइयॉ उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने यानी कि दिल्ली की सरकार के पास पिछले 6 साल से लगभग 52000 घर बने हुए हैं। झुग्गी बस्ती में देने वालों के लिए। एक को भी आपने वो फ्लैट आबंटित नहीं किए और अब आप बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि वो जर्जर हो गये हैं। उनकी रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग पर पैसा खर्च किया जा रहा है। झुग्गी वाले अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उनसे 70 हजार रुपया आपने ले

रखे हैं। उनको वो फ्लैट नहीं दे रहे हैं आप और उनकी रिपेयर पर... बने हुए फ्लैटों की रिपेयर हर साल बजट में रिपेयर कर दीजिए और सुबह जा के धूपबत्ती भी कर लिया करें कि भाई ये ठीक–ठाक खड़े हैं, लोगों को नहीं देंगे। ये आपकी सरकार की ये नीति है। अभी मेरे पास उपमुख्यमंत्री जी...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः फाइनेन्स मिनिस्टर ने... ये मैंने इसको रिप्रोड्यूस किया है। जो उन्होंने सदन में बोला था। उन्होंने बोला जिन अफसरों को, जिन कर्मचारियों को हमने

खड्डेलाइन लगा के रखा हुआ था, सरकार आते ही उनको ऐसी सेंसिटिव पोस्टिंग पर बिठाया गया है, जाके की लास्ट में इस दीवाली पर से पहले जब मुझे दिल्ली के कई व्यापारियों ने आकर कहा कि रिश्वत माँग रहे हैं आपके लोग... मैंने लिस्ट देखी। कौन से लोग हैं वो? मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे–ऐसे लोग जिनको हमने कोई एक चपरासी की पोस्ट देने लायक नहीं समझा था, उनको ऐसे पदों पर बिठा दिया गया ले जाके। मैंने पता किया कि क्या धन्धा चल रहा है। सारे के सारे लोग इनको पैसा चढ़ा–चढ़ा के यहाँ पर पोस्टिंग ले ली। पैसा चढ़ा–चढ़ा के पोस्टिंग ले ली। मुझे मजबूरी में देश के इतिहास में... दिल्ली के इतिहास में तो मैं गारन्टी देता हूँ। पहली बार हुआ है कि फाइनेन्स मिनिस्टर की... वैट डिपार्टमेन्ट का इन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट का एक–एक कमैचारी सरेन्डर करना पड़ा। 25 आदमी मुझे सरेन्डर करने पड़े। मुझे कमिश्नर को निर्देश देने पड़े कि सरेन्डर कर दो। इनको डिपार्टमेन्ट में मत रखो। अगर एलजी इनको नहीं करेंगे। अगर सर्विस डिपार्टमेन्ट नहीं करेगा तो मैं मानूँगा, मैं खुलकर कहूँगा और मैंने लिखकर दिया। मुख्य मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, खुशी की बात है। जिन

25 अधिकारियों की बात यहाँ की गयी, उसमें से 18 मनीष सिसोदिया जी ने और उनकी सरकार ने पोस्ट किए थे। अपने हस्ताक्षर से। क्योंकि अगस्त, 2016 तक आपके पास था सर्विस डिपार्टमेन्ट। इसमें एक जितेन्द्र कुमार हैं जो सस्पेन्ड हुआ। सीबीआई ने अरेस्ट करा। और मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। जो डिप्टी सीएम के साइन से पोस्ट हुए, जिनको कह रहे हैं.. .

माननीय अध्यक्षः नहीं, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाम आ गये उनके।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आर.सी. अन्टील, ए.के.संजनी, जितेन्द्र कुमार, कमलदीप, रत्ना राम और उसके बाद संदीप कुमार, राजीव रंजन, सन्तोष कुमार गुप्ता, रजत मेहरोत्रा। और बाकी के जो लोग हैं, जो नौ लोग, उनको सेक्रेटरी सर्विसेज ने किया था, आपके समय में। जब सर्विसेज आपके हाथ में दी और सेक्रेटरी सर्विसेज ने नहीं किया था। उनको मुख्य मंत्री ने किया था क्योंकि राजेन्द्र कुमार उसी कागज पर साइन करते थे जिस पर मुख्य मंत्री जी कहते थे। नौ राजेन्द्र कुमार ने किए, नौ आपने किए। भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है जिस पर आपने खुद के पैसे ले लेके यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है। मैंने उनकी लिस्ट सदन के पटल पर रख दी है। ये मेरे पास वो लिस्ट भी है जो 25 आदमी आपने रिलीव करे हैं। उसमें एक जेल भी जा चुका है। आपके पास सर्विसेज थी तो आप कैसे–कैसे लोगों को पोस्ट कर रहे थे। अंधेरगर्दी हो गयी थी यहाँ। ये तो साफ आपने खुद ही सिद्ध कर दिया। आपके हस्ताक्षर से, सेक्रेटरी सर्विसेज के हस्ताक्षर से पोस्टिंग हुई है। जिनको आप गाली दे रहे हो और आप हँस रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। थोड़ी आपके अन्दर शर्म बाकी है।

मननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने खुद सदन के अन्दर ये कहा, जो मैंने पढ़के सुनाया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई राजेश जी ऐसे नहीं। अरे भाई मंत्री जी उत्तर देंगे। कह रहे हैं न, उत्तर देंगे। देखना जरा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे। आपके एक–एक शब्द मैंने पढ़ के सुनाये हैं।

माननीय अध्यक्षः आप कन्क्लूड करिए प्लीज, विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, बीस मिनट हो गये हैं। विजेन्द्र जी बीस मिनट, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये पोस्टिंग आपने खुद की है, पैसे लेकर। ये क्या मतलब है?

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आापने ये बात जब कही थी, जब मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया था।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हो, मुझे कहा था आपने।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए आप, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने ऐसे ऐसे लोग वहाँ लगा दिये, आपने खुद बोला, चपरासी नहीं लगा सकते।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आप उनको रिलीव करके...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बनने की कोशिश कर रहे हो।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ, कन्क्लूड करिए प्लीज। कन्क्लूड करिए, प्लीज। हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने इसलिए...

माननीय अध्यक्षः हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः संक्षिप्त रखा है। एक एक प्वाइंट ऐसा था जिस पर सरकार को... और सरकार को मैं तो कह रहा था, आज मैं तो अपने साथियों से कह रहा था कि जो हमारे ये सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं बेचारे आज सुबह से नजरें नीचे किये बैठे हैं। बोलते भी तो नजरें नीचे...

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब कन्क्लूड करिए प्लीज, कन्क्लूड करिए।

श्रीमती वंदना कुमारीः क्योंकि नजरें उठाते हैं तो ये दिखाई देता है। ये हो रहा है। ये मालामाल हो रहे हैं, आप मालामाल हो रहे हैं

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, आप खड़े...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। विजेन्द्र जी, मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूँ। ये विजेन्द्र जी जो कुछ बोल रहे हैं, ये काट दिया जाये कार्यवाही में से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब एलाऊ नहीं कर रहा हूँ। बस, माइक बंद कर दें प्लीज। अब एलाऊ नहीं कर रहा हूँ बस।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अच्छा भला बोल रहे थे, भटक गये बात से। अच्छा भला आपने बोला है फिर उसके बाद भटक गये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए। माननीय मंत्री जी, श्री गोपाल राय जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए। बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय श्रम मंत्री, श्री गोपाल राय जी। भई अब नहीं प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, बोलेंगे, बोलेंगे। जवाब देंगे, चिंता मत करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जवाब देंगे, भरपूर जवाब।

...(व्यवधान)

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो दिल्ली के माननीय वित्त मंत्री जी को दिल्ली का व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत—बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर आखिरी बजट किसी भी पार्टी का किसी भी सदन में जब प्रस्तुत होता है, तो वादों की झड़ी लगाई जाती है लेकिन मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने दिल्ली के अंदर सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद योजनाओं को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, वादों की जगह अपने इरादों को लागू करने के लिए जिस तरह से अपने बजट को इस सदन के सामने रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस सरकार के सामने अगले चुनाव के लिए वादा करने से ज्यादा जरूरी है कि जो वादा किया है, उसे पूरा कैसे किया जाये और उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए। ये शायद पहली बार दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजेन्द्र जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इध ार बैठा है और सत्ता पक्ष उधर बैठा है। बहुत ही तल्ख भरी आवाज में दर्द के साथ विजेन्द्र जी ने कहा कि 2016 तक सर्विसेज आप के पास थी, अब हमारे पास है। अब हमारे पास है। अब हमने ले ली। आज तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अखबार में बयान देते हैं। संविधान के खिलाफ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल... वो हमारी शीला ताई हैं वो भी बोलती रहती हैं बीच—बीच में। अरे! हमारे पास...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब देखिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करने दिया।

माननीय श्रम मंत्रीः हमारे पास में भी तो... 15 साल सरकार चलाई। विजेन्द्र जी की बात उन तक पहुँचना जरूरी है। आज गुस्से में ही सही, तिलमिलाहट में ही सही, इन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि दिल्ली के अंदर सरकार बनने जब से सरकार सदन बना है, जब से सरकार बनी है; चुनी हुई, तब से लेकर के और 2016 तक इस सदन के पास सदन की चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज था। गुंडागर्दी करके नाजायज तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से सर्विसेज छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नो, अब नहीं मैं ऐलाउ नहीं...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बिल्कुल ऐलाउ नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्लीज, बैठिए। नहीं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठ जाइए। मैं ऐलाउ नहीं करूँगा। विजेन्द्र जी, आप जान–बूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सदन में सुनना नहीं चाहते। आाप सदन में सच्चाई को आप सुनना नहीं चाहते।

माननीय श्रम मंत्रीः आप कागज मत मोड़िए। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहता हूँ, होम...

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं आपके समक्ष, आपके माध्यम से सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि आप चलो मेरे साथ। तो मैं आपको ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो विडीयोज हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब मैं शुरू में सरप्राइज इंस्पेक्शन पर जाता था तो हमेशा, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ता था, कई को डाँटना पड़ता था, कई को मतलब ट्रांस्फर पोस्टिंग कुछ करना पड़ता था। तो शुरू–शुरू में जब जाते थे तब तो... तो उस वक्त मैंने अपने साथियों को कहा हुआ था कि मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करते रहना। कहीं कल कोई बात कहे, मेरे को ये शब्द कह दिया था, हर तरह के लोग हैं। किसी की कोई गलती पकड़ी जाए, बाद में कोई आरोप लगा ले। ये सारी उसकी रिकॉर्डिंग है। इत्तेफाक से इसीलिए वो पुरानी रिकॉर्डिंग, पुराने कमरों की रिकॉर्डिंग उस तरह से हो गई, उस वक्त की हालत की। विजेन्द्र गुप्ता जी, आप समय बताओ, कितना समय है आपके पास में। मैं मतलब मेरे ख्याल से 400–500 घंटों की तो मेरी सरप्राइज विजिट की ये मोबाइल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे कम्प्यूटर पर। आप आराम से समय दो, जितना समय आप दे दो, मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः किसी भी विधान सभा में। तो लेकिन अध यक्ष महोदय ये इसको, उसको काट–पीटकर थोड़ा सा वीडियो बनाकर ये बनाया, ताकि चार साल के उस पर थोड़ा सा देख सकें हम भी कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। अब मैं इस सदन से पूछना चाहता हूँ कि ये मूवी, छोटा सा विडियो क्लिप ये देशभर में दिखाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी जो कुछ बोल रहे हैं, वो डिसऐलाउ है।

माननीय श्रम मंत्रीः अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय श्रम मंत्रीः एक सैकण्ड आप बैठ जाइए, बता रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आपकी सरकार ने केन्द्रिय सरकार ने ये छीना था। तभी तो सरकार हाइ कोर्ट गई थी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपकी सरकार ने छीना था, तभी तो हाइ कोर्ट गये थे। तभी तो हाइ कोर्ट गये थे जब गष्ह मंत्र्ाालय ने छीना था सर्विसज को।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाइ कोर्ट ने मोहर लगा दी?

माननीय अध्यक्षः क्या मोहर लगा दी हाइ कोटे ने?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सब आपके कब्जे में है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए।

माननीय श्रम मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक कहावत कही जाती है, 'चोरी और सीनाजोरी'

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप मिसलीड कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज।

माननीय श्रम मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये सदन, पूरी दिल्ली और पूरे देश के लोग जानते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद मई के महीने में केन्द्र सरकार के गष्ह मंत्रालय का सर्कुलर आया था... आदेश आया कि दिल्ली सरकार सर्विसेज का सदुपयोग नहीं कर सकती, उसके पास ये अधि ाकार नहीं है और तब से उसके बाद हम अदालत में गये और उसके बाद अदालत में हम जा रहे हैं लेकिन आज जब सदन के सामने बातों बातों में जब ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली तो मुझे लगता है उसको स्वीकार करके रखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सच आप अपने मुँह से कहें या न कहें, ये सबके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, शुरूआत किया विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा... जी, बार बार कहते हैं। उन्होंने गिनाया, लंबी फेहरिस्त गिनाई। अरे! हम यही तो बार बार कहते हैं और आपने भी कहा कि दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा देते हैं और टैक्स शेयर के रूप में ये तो खुली किताब है। केन्द्र सरकार का भी बजट उठा कर देख लीजिए बजट प्रस्ताव आया है। बजट देखिए इस बार का। बजट देखिए, पाँच साल से बजट आ रहा है। केन्द्र सरकार का जो भी टैक्स शेयर है, दिल्ली का

सवा लाख करोड़ में से 325 करोड़ रुपये ही मिलता है। ये खुली किताब है। इसमें छुपी हुई कौन सी बात है? आप देख लो बजट को। उसके बाद इन्होंने कहा, गिनाने की कोशिश की। दिल्ली के अंदर 26 परसेंट बजट का पिछले बार शेयर था, वो इस बार घटाकर के 25.25 प्वाइंट प्वाइंट कर दिया। अरे! मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, पाँच साल के केन्द्र की सरकार रही है, आज की बात नहीं करता। आजादी के बाद से कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और आज भी बनी है। एक भी सरकार का नाम बता दो। 25 परसेंट छोड़ दो, 15 परसेंट का शिक्षा का बजट हो एक सरकार का नाम बता दीजिए, हरियाणा का कितना बजट है, बता दीजिए। शिक्षा को उत्तर प्रदेश का कितना बजट है, बता दीजिए। चलो, छोड़ो, नई नई सरकार बनी है, गुजरात के विकास मॉडल में शिक्षा का बजट कितना था, वो बता दीजिए। एक बार राजस्थान में 15 साल बाद सरकार गई है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में, वहाँ बता दीजिए छत्तीसगढ़ में सरकार अभी गई है, 15 साल बाद। वहाँ बता दीजिए। अरे! जहाँ आपकी सरकार पहली बार बनी थी और आज आखिरी बार जाने वाली है, आज तक शिक्षा का बजट का एक बार आँकड़ा लेकर के देखेंगे, तब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के शिक्षा का बजट और शिक्षा का विजन क्या है, वो समझ में आ जायेगा। और आपको समझ में आये या न आये, उस प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए पूरी दिल्ली को और पूरे देश को ये समझ में आ रहा है कि बहती हुई गंगा के विपरीत उस धारा के विपरीत जब पूरे देश ने ये मान लिया कि सरकारी शिक्षा तंत्र को ठीक नहीं किया जा सकता है, लोगों ने ये मान लिया कि मजबूर लोगों का विकल्प है; सरकारी स्कूल का। शिक्षा तंत्र आज उस धारा के विपरीत अगर काम कर के दिखाया है, उसका नाम है, अरविंद केजरीवाल की सरकार और मनीष सिसोदिया की सरकार।

लोगों ने यह मान लिया कि मजबूर लोगों का विकल्प है। सरकारी स्कूल का शिक्षा तंत्र आज उस धारा के विपरीत अगर काम कह के नहीं,

कर के दिखाया है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल की सरकार और मनीष सिसोदिया की सरकार।

अध्यक्ष महोदय, अभी विजेन्द्र जी जब कुछ नहीं मिला तो बोले, देखो, शिक्षा बजट वित्त मत चर्चा करो। उसमें तो इतना का इतना तुम्हारा हो गया। हरियाणा मत जाना, राजस्थान मत जाना, उत्तर–प्रदेश मत जाना, गुजरात मत जाना। रूरल डवलेपमैंट के बजट में जाओ, देखो, तुलना करो। गुजरात बनाम दिल्ली का मैं चैलेंज देके कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किसान आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या हुई है, कहाँ हुई है? महाराष्ट्र के अंदर हुई है। छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। और जब मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ने किसानों के ऊपर जो अपने कर्ज माफी को लेकर के आवाज उठायी, उनके सीने पर गोलियाँ चली हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष से, तुलना करने आप जाओगे तो एक तरफ उजाला ही उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम किसानों की आवाज को गोलियों से दबाने की कोशिश करते हो। दिल्ली के अंदर... मैं फिर चैलेंज करना चाहता हूँ, इस देश के अंदर काँग्रेस की सरकार थी। उस समय स्वामीनाथन आयोग बनाया, काँग्रेस सरकार ने बनाया। उस समय किसान आत्महत्या कर रहे थे इस देश के अंदर। उस समय स्वामीनाथन आयोग बना। दो साल के अंदर स्वाामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट सब्मिट कर दिया, काँग्रेस की सरकार को। उस सरकार के जाने के बाद जब भाजपा चुनाव लड़ी, पिछली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने घूम–घूम कर के एक बार नहीं, दस बार हिन्दुस्तान के कोने–कोने में बोला कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के फसल का दाम ड़ेढ़ गुना होगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई। उसमें किसान के लागत के अलावा उसकी मजदूरी जुड़ेगी। उसका जो कर्जा है, ऊपर परसेंटेज जो है, टैक्स जुड़ेगा। सारा जोड़कर के और स्वामीनाथन

आयोग के आधार पर किसान के फसल के दाम लागू होगा। मैं कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर एक सरकार बता दीजिए... नक्शा दिखता है जब भारत के नक्शे पर भाजपा बढ़ती हुई पार्टी के रूप में दिखती है। लेकिन किसानों के नाम पर मंदसौर की गोली लिखी है भाजपा के नाम और अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के नाम पर हिंदुस्तान में पहली बार स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की रिपोर्ट लिखी हुई है। ये फर्क है और ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संघर्ष करते हुए जिस तरह से जनता के अपने वायदे पर काम करने का जो इतिहास बनाया है, शायद इस हिंदुस्तान के अंदर कोई सरकार नहीं है। ये समझते थे कि ये हमें परेशान करके हमें रोक देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो नीयत और नेता और नेतृत्व क्षमता और नियति का प्रश्न है कि वो परेशान करते रहे हैं और हम काम करते रहे हैं। जिसके दम पर आज हम यहाँ खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी चर्चा करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि... इस सदन को कहना चाहता हूँ कि आज जो इस सदन में बजट प्रस्ताव में जो संकल्प लिया है ,जो योजनाएँ पूरी हुई हैं, उनको और बेहतर करने के लिए हमें इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ना है और जो योजनाएँ बची हैं, उन्हें भी जिस तरह से खासतौर से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जिस तरह से बजट का आबंटन हुआ है, बसों को लाने में जिस तरह से सरकार लगी है, उन सारी चीजों को भी हम पूरा करेंगे। जो–जो चीजें हैं, उन्हें ठीक करने का काम करेंगे और मुझे भरोसा है इस बात का कि ये बजट जिस तरह से 70 प्वाइंट एजेंडे को लेकर के सरकार ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इस बजट के माध्यम से जो कहा था, वो करने का वादा भी हम पूरा कर पायेंगे। शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, गोपाल जी। श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री।

माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आज इस सदन का बहुत—बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दोपहर से जो चर्चा हो रही है विभिन्न मुद्दों पर और सवाल उठाये गये। 280 की चर्चा के दौरान भी लगभग सभी सदस्यों ने अपनी बात रखने से पहले 'मेरा जवान सबसे मजबूत' जो कान्फिडेंस व्यक्त किया, ये शायद अपने—आप में एक उस जस्बे को प्रदर्शित करता है कि हम सब लोग यहाँ बैठ के जिस जवान के लिए, जिस किसान के लिए चिंता में हैं, जिस व्यक्ति के लिए, जिस आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने अपना बजट प्रस्ताव शुरू करने से पहले जब मैं बजट रख रहा था, उस दिन भी कहा था कि ये बजट शहीदों के सपनों का बजट है। ये बजट हमारे जवानों के सपनों का बजट है। वो जवान जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं। आज उनके मन में ये भरोसा हो सके कि मैं देश की सीमा के लिए खड़ा हूँ और मेरे पीछे मेरे गाँव में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में मेरे बच्चों की एजूकेशन के लिए एक सरकार काम कर रही है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाये, उसके लिए मेरी सरकार काम कर रही है। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो जवान, उसको ये भरोसा रहे कि मेरी सरकार मेरे धर्म की चिंता किये बिना इस बात से फर्क किये बिना कि मैं किस धर्म, किस जाति से आता हूँ, मेरे परिवार की वैल्फेयर के लिए, मेरे परिवार की ग्रोथ के लिए काम कर रही है। उसको ये भरोसा होना चाहिए, आज उस जवान को ये भरोसा दिलाना हमारी हर सरकार का कर्त्तव्य है। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि वो भरोसा कम से कम जिन जवानों के परिवार दिल्ली में

रह रहे हैं, उनको पूरा है। क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे बच्चे अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो उनकी एजूकेशन की जिम्मेदारी यहाँ बैठी हुई विध ाान सभा और यहाँ से निकली हुई सरकार बहुत पुरजोर तरीके से निभा रही है। उनको ये भरोसा है कि उनके घर में उनके बूढ़े माँ–बाप, उनका कोई व्यक्ति, उनका परिवार, उनकी पत्नी अगर यहाँ कोई बीमार हो जाये तो उसकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने कर रखी है, कम से कम हम ये भरोसा दिलाते हैं और यही काम पूरे देश की सरकार को करना चाहिए। आज उसको भरोसा है कि अगर मेरे को कुछ हो जाये। अगर मैं वतन की रक्षा में शहीद हो जाऊँ, जान दे दूँ, कुर्बान हो जाऊँ तो मेरे पीछे मेरा समाज खड़ा है, मेरा देश खड़ा है, मेरी विधान सभा खड़ी है, मेरी सरकार खड़ी है। और उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि किसी शहादत की भरपाई कभी नहीं हो सकती। किसी परिवार के सदस्य के जाने की भरपाई कभी नहीं हो सकती लेकिन उस परिवार को एक करोड़ रुपये की तुरंत सहायता राशि जिस तरह से ये सरकार उपलब्ध कराती है, देश में कोई सरकार उपलब्ध नहीं कराती है। आज उसको भरोसा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल से हो रही बजट चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा था। सभी साथियों ने इसमें तारीफ भी की, उसमें कुछ इशूज भी उठाये। अपने–अपने नजरिये से, अपनी–अपनी विधान सभा के क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए अलग–अलग सदस्यों ने, उनको जो अच्छा लगा, उस पर, उसके बारे में अपने विचार रखे। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी की बात को भी ध्यान से सुन रहा था। उस पर भी मैं बात करूँगा। सिरसा जी ने भी कल बात रखी थी, उस पर भी मैं बात करूँगा। उन्होंने कल एक सवाल किया था लेकिन मुझे लगता है कि उसका जवाब देना चाहिए। कह रहे थे, आपने इतने स्कूल बनाने का दावा किया था। पाँच स्कूल बता दो, पाँच बनाये हों तो। अब हैं नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट

करूँगा कि उनको एक एक्सट्रा पेन और पेपर उपलब्ध करा दिया जाये ताकि वो लिख लें। ऐसा पेन और पेपर उपलब्ध करा दिया जाये पेपर जिससे मिटे ना। हाँ, तो मैं सोच रहा था उनको ये बता दूँ, अभी कहीं सुन रहे होंगे कि स्कूल तो मैं कितने ही गिना सकता हूँ। मतलब पाँच तो हमने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ही बनवाये हैं पर मैं... क्या फायदा, वो हैं नहीं यहाँ पर। नहीं तो मैं बताता उनको पाँच खिचड़ीपुर से ले के और कालका जी जैसी जगहों पर... यहाँ हमारे सब बैठे हैं; मदनपुर खादर से ले के तमाम जगह नये स्कूल भी बनाये हैं और पुराने स्कूलों को भी जैसा नया किया है।

विजेन्द्र गुप्ता जी ने भी सवाल उठाया शिक्षा पर। कहाँ थे, कहाँ पहुंचा दिया है। गड्ढ़े में डाल दिया... कुछ—कुछ बता रहे थे। तो मैं चाहता था, आपकी अनुमति से अगर सदन अनुमति दें तो एक चार, तीन—चार मिनट का वीडियो है अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको दिखा दूं यहाँ पर।

माननीय अध्यक्षः हाँ, इजाजत, इजाजत है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अगर उसको चला सकते हैं तो यहाँ वो चार मिनट का एक वीडियो है, उसको यहाँ दिखा दें कि यहाँ जब हम 2015 में आये थे तो स्कूलों की हालत क्या थी और स्कूलों की हालत क्या है। मैं चाहता हूँ, उसको एक बार देख लें।

माननीय अध्यक्षः वो आना चाहेंगे तो आ जायेंगे। मनाही थोड़े ही है। बाहर थोड़ी किया है।

(स्कूलों में हुई प्रगति पर सदन में वीडियो क्लिप चलाई गई।)

माननीय अध्यक्षः मन करता है, देखते ही रहें।

के, उसकी सीमा के अंदर बम फोड़े तो देश ने एक बड़ा सख्त मैसेज पाकिस्तान को दिया कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कल पूरे दिन का जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से हमारे एक पायलेट अभिनंदन जी को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और अपनी कैद में रखा हुआ है, उसके फोटो आए, उसके सोशल मीडिया पे कई सारे विडियोज हम लोगों ने देखे और फिर से पूरे देश की आत्मा रो पड़ी कि किस तरह से हमारे पॉयलेट के साथ सलूक किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश इस वक्त सरकार के साथ और हमारी सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश एकजुट है, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, पार्टियों से ऊपर उठके इस वक्त प्रधान मंत्री जी के साथ हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बेहद दुःख हो रहा है कि प्रधान मंत्री जी इस वक्त अपने बूथ मजबूत करने में लगे हुए हैं, न कि देश मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब सारा देश इस वक्त चाहता है कि हमारे जाँबाज पायलेट अभिनंदन को रिहा करवाया जाए, सारा देश चाहता है कि इसके ऊपर सोचा जाए कि कैसे रिहा कराया जाएगा, जब सारा देश चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर से सारे आतंकवादी, जितने भी ठिकाने हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जाए, जब सारा देश चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए,

हमारे देश के प्रधान मंत्री चुनाव प्रचार में लग हुए हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' करने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर देश मजबूत होगा तभी तो बूथ मजबूत होगा। अगरा हमारा जवान मजबूत होगा तभी तो हिन्दुस्तानी मजबूत होगा। अगर देश ही नहीं बचेगा तो बूथ कहाँ से बचेगा? अगर जवान ही नहीं बचेगा तो हिन्दुस्तान कहाँ से बचेगा। पूरा देश इस टाइम बहुत गुस्से में है। मेरे पास सुबह से इतने फोन आ चुके हैं कि ये प्रधान मंत्री को क्या हो गया है? इस वक्त हमारे

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैंने अपने शिक्षा विभाग से कहा कि भई इसको दिल्ली के कम से कम, चलो देश भर की बाद में बात कर लेंगे, इसको टीवी पर चलवा दो, इसको चार साल पूरे होने के मौके पर या इसको दिल्ली के सिनेमा घरों पर चलवा दो। 3–4, 3 मिनट की मूवी है, 3–साढ़े तीन मिनट की। तो इतनी हरकत नीच पर उतरे हुए हैं ये लोग और आपने देखा सर, मैं लगातार सुबह सात बजे घर से निकलता हूँ अपने और मैं मजाक में कहता भी हूँ कि मेरे घर में सुबह–सुबह स्कूल जाने के लिए दो लोग तैयार होते हैं, एक मैं तैयार होता हूँ और एक मेरा बेटा अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। उसके वीडियोज हैं। मुझे इन लोगों ने अफसरों से लिखवाया कि हम कैसे यकीन कर लें कि ये सरकारी स्कूल के वीडियो हैं, जहाँ मंत्री घूम रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है, उसका हवाला देकर इन्होंने ऐसे–ऐसे अफसर तैनात करवाए हैं न अब शिक्षा विभाग में। वो लिख रहे हैं, जी, हम कैसे मान ले कि जहाँ मंत्री विजिट कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल के हैं। मंत्री को झूठा बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, इस सदन के सामने, मैंने इसीलिए वीडियो दिखाया। मैं चार साल से पागल हुआ घूम रहा हूँ, इन स्कूलों में और मुझे अधिकारियों से कहलवाया जा रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस वीडियो को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे यकीन कर लें। सर, रोना आ गया मुझे उस बात पर कि नीचे बैठा अधिकारी मुझसे पूछेगा कि मैं कैसे मान लूँ कि तू सच बोल रहा है।

कैसे मान लूँ कि ये विजिट सरकारी स्कूल की है। लिखकर पूछ रहा है मेरे से।

...(व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः जनाब, इसको प्रिविलेज में भेजो ना। ये तो सीध
ो—सीधे प्रिविलेज में आना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः एक कमिटी बननी चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मतलब इस विधान सभा से बजट जाता है...

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं पागलों की तरह घूमता हूँ। मैं कहता हूँ, इसका वीडियो दिखा दो, अफसर मेरे से पूछेगा कि हम कैसे मान लें कि तू सरकारी स्कूल में गया था।

...(व्यवधान)

इन्होंने जान बूझकर छाँट—छाँट कर ऐसे अफसर लगाए हैं वहाँ पर जो बदतमीजी करें, बेइज्जती करें और काम न करें।

...(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्रीः कमिटी बना दी जाए और उन सारे अफसरों को सम्मन करके उनको जेल भिजवाया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः फाइल पर लिखवा रहे है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये बड़ा गम्भीर विषय है कि एक मंत्री को इस ढंग से अधिकारी बोलते हैं। मैं डीआईपी की कमिटी को ये सारा केस रेफर करता हूँ। डीआईपी की जो कमिटी हमने बना रखी है, उसमें इसकी पूरी जाँच करके उन अधिकारियों के विरूद्ध विधान सभा पूरी कार्रवाईकृ

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लिखवाया है इन्होंने।

माननीय मुख्यमंत्रीः मुझे लगता है एक स्पेशल कमिटी बना दी जाए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सारे देश से लोग स्कूल देखने आ रहे हैं और ये अफसरों से हमें कहलवा रहे है कि तुम झूठ बोल रहे हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, इस सारे विषय को लेकर एक स्पेशल कमिटी का गठन करता हूँ और विचार करके उसमें कौन–कौन नौ सदस्य होंगे, उनकी कल घोषणा कर दी जाए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। इस सम्मान के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ सदन का और आपका। क्योंकि मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ।

सिरसा जी ने बोला, मैंने बता दिया कि कितने... अब हैं नहीं, नहीं तो मैं गिना देता कितने स्कूल बने हैं, कितने नहीं बने हैं। विजेन्द्र गुप्ता जी ने कुछ बातें रखी हैं अध्यक्ष महोदय। अब मैं पिछले चार साल से जब भी बजट की बात होती है, विजेन्द्र जी कुछ न कुछ रखते ही हैं और फिर मैं उनको बताता हूँ भई, जो आपका कैलकुलेशन करके देते हैं, थोड़ा सा उनसे, थोड़ा डेटा वेटा आप भी पढ़ लिया करो, आप दूसरों पर ज्यादा निर्भर करते हो। अब वो 13,000 करोड़ रूपए ज्यादा होता है या 15,000 करोड़ रूपया, मुझे ये बता दीजिए? ये कह रहे हैं, हमने बजट कम कर दिया शिक्षा का। इन्होंने खुद ही डेटा दिया। बोले, पिछले साल 13,000 करोड़ रूपए था, इस बार 15,000 करोड़ रूपए है, तुमने कम कर दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं विजेन्द्र जी, बैठिए अब प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये बहुत गम्भीर विषय है, नहीं ये बहुत गम्भीर है, ये विषय बहुत गम्भीर है इस पर आप इतना लाइट मत लीजिए उसपे। हर बात का तमाशा बना रहे हैं, बैठिए प्लीज।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः हिसाब–किताब में, हमारे यहाँ मिशन, हमारे स्कूलों में, हमारे प्रिंसिपलस और शिक्षकों ने मिलके एक क्लास चला रखी है, 'मिशन बुनियाद', उसमें बेसिक कैल्कुलेशन ये सिखाता है; 13 हजार और 15 हजार करोड़ में कौन सा।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ये तो अग्रवाल समाज की अवमानना का भी मसला बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं... इतने पढ़े–लिखे होते तो चाय–गैस थोड़े ही नाले से निकल रही होती, गैस की जगह से निकल रही होती। अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी ने जीएसटी के बारे में जो बोला कि भई, जीएसटी की वजह से टैक्स बढ़ रहा है, जीएसटी तो पूरे देश में लागू हुआ है जी, हरियाणा में क्या हाल है? उत्तरप्रदेश में क्या हाल है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तथ्य बताओ।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः मैं तो तथ्य ही बता रहा हूँ, तथ्य ही बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के साथ–साथ, दिल्ली, जीएसटी तो देश के सारे राज्यों में लागू हुआ है, फिर वहाँ क्या स्थिति है? जिस वक्त जीएसटी बन रहा था, हम पुरजोर समर्थन करके आए आगे। दिल्ली का जो ग्रोथ रेट था, वो 16 परसेंट था, लेकिन पूरे राज्यों का ध्यान रखते हुए, सभी राज्यों ने मिल के तय किया, भई, बेस रेट 14 परसेंट लेके चलेंगे, हमने तो उसपे भी कम्प्रोमाइज किया। मैंने कहा, नेशनल इन्टरेस्ट में है, हम 16 परसेंट की जगह 14 परसेंट, नही तो हम तो 16 परसेंट पर, 17 परसेंट पर वैसे ही आ जाते आगे। तो अध्यक्ष महोदय, जीएसटी की खामियॉ... ये जीएसटी की तारीफ नहीं है कि कम्पन्सेशन देना पड़ रहा है, ये जीएसटी का फेल्योर है कि अगर देश में कम्पन्सेशन देना पड़ रहा है। कम्पन्सेशन देना जीएसटी का फेल्योर है, जीएसटी सक्सेस फुल तब होता जब राज्यों में ग्रोथ होती, जब राज्य ये कहते जी, हमारा टैक्स तो बेस रेट से ऊपर आ गया। हमें अब जरूरत नहीं है, जीएसटी के अंदर अब कम्पन्सेशन की। अगर कम्पन्सेशन लेना पड़ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि जीएसटी की

वजह से डूब रही है स्थिति, ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि जीएसटी की वजह से ग्रोथ तब होती जब आप हिम्मत करते और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, जो जीएसटी की मूल परिक्लपना थी कि पूरे देश में कहीं भी सेल—परचेज हो रही होगी, किसी भी प्रोडेक्ट की, उसका सारा कच्चा चिट्ठा एक लाइन में होगा। वो इस लाइन में होगा कि कहॉ—कौन फिनिश प्रोडेक्ट कहॉ बिका, उसका रॉ—प्रोडेक्ट कहॉ बिका, उसका रॉ—मैटीरियल कहाँ बिका और वो तीनों को मैच किया जा सकता। वो व्यवस्था लाई जानी थी; एचएसएन कोड से। एचएसएन कोड बनाए गए थे जीएसटी में, आज इतने महीने हो गए, भारत सरकार एचएसएन कोड को लाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि काला बाजारी, काला धन्धा करने वालों के दबाव में है आज। अगर एचएसएन कोड लागू कर दे, कोई रॉ—मैटीरियल केरल से चला, भोपाल का, उसका सैमी प्रोडैक्ट बना, दिल्ली में उसका फिनिश प्रोडैक्ट बिका तो दिल्ली से लेके, भोपाल से लेके, केरल तक में हुए सारे ट्रांजेक्शन एक ही सॉफ्टवेयर में सारे दिख जाएँगे। किसने—कितना रॉ—मैटिरियल प्रोडयूस किया, मैं बताता हूँ। आज माइन्स में, खदानों में इतना माइनिंग करते हैं, ऑन रिकोर्ड इतना दिखाते हैं और सब बाकी ब्लैक में बेचते हैं। वो सारा पकड़ा जाता है। जीएसटी से पकड़ा जा सकता है। अभी—भी पकड़ा जा सकता है, सिर्फ ये है कि सारी चीजों को, कैसे हो गया कि जीएसटीएन जैसी कम्पनी अपनी सारी चीजों को लागू ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि जीएसटी की बड़ी तारीफ कर रहे थे न। फैक्ट हैं कि सारे राज्यों को कम्पनसेशन लेना पड़ रहा है। आइडिया तो ये लगाया गया था कि भई जीएसटी आके राज्यों की इकॉनोमी को आगे बढ़ाएगा और कम्पनसेशन देना नहीं पड़ेगा। पाँच साल बाद क्या होगा\ अभी तो देखिएगा ये जो कम्पनसेशन है, ये सिर्फ पाँच साल के लिए है। सोच के डर लगता है कि पाचँ साल के बाद क्या होगा। जीएसटी की बहुत तारीफ कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के मैं कहूँगा कि देश के जवान से लेके, नौजवान तक, देश के किसान से लेके महिला सुरक्षा तक, छोटे–छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, व्यापारी से लेके, छोटे दुकानदार से लेके, न्यूनतम मजदूरी पाने वाले दिहाड़ी मजदूर तक, इस बजट में सरकार ने बहुत सोच–समझ के ऐसी योजनाएँ बनाई हैं ताकि सबके लिए, सबकी जिंदगी में एक गौरव आ सके, सबकी जिंदगी में एक गरिमा आ सके और मैं अपनी सरकार का, सरकार के सभी मंत्रियों का, तमाम हमारे एडवाइजर्स का, हमारे तमाम वित्त विभाग की टीम, प्लानिंग विभाग की टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इन सब पे काम किया है, एक–एक कैल्कुलेशन को समझा, उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ–साथ हमारे सभी विधायक साथियों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उनका भी ध ान्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक–एक बारीकी के साथ में इस बजट की खूबियों को और जहाँ पॉसिबल हो सकता था, खामियों को भी उजागर करने की कोशिश की, मैं आभार करता हूँ आपका। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी।

माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सम्मुख मैं पूरे देश की एक पीड़ा रखना चाहता हूँ। आज पूरा देश एक बहुत दुःख में है और बहुत पीड़ा से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे 40 जाँबाज सिपाहियों की, पाकिस्तानियों ने एक आतंकवादी हमले के अंदर हत्या कर दी। मंगलवार को हमारे देश की वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसके उनके यहाँ बम फोड़ के आए और उस अपमान का उन्होंने बदला लिया। हमारे 40 सिपाहियों का जो कत्ल किया गया, उस वक्त पूरे देश की आत्मा...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी, ये ठीक नहीं है तरीका। प्लीज।

माननीय मुख्य मंत्रीः रो रही थी।

माननीय अध्यक्षः समय मिला है, आप बोल रहे थे, कोई रोक रहा था? प्लीज बैठ जाइए।

माननीय मुख्य मंत्रीः देश दुःख में था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठेंगे न, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, ओमप्रकाश जी बैठ जाइए। ओमप्रकाश जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ, ओमप्रकाश जी बैठ जाइए, ओमप्रकाश जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओमप्रकाश जी, बैठिए। ओमप्रकाश जी मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाइए। ओमप्रकाश जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। बैठिए प्लीज, नहीं बैठिए आप, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए प्लीज, चलिए, अजय दत्त जी, अब कोई नहीं बोलेगा, प्लीज, प्लीज।

माननीय मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रो रहा था, पूरा देश पीड़ा में था, पूरा देश गुस्से में था, पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा था। मंगलवार की सुबह–सुबह तड़के जब हमारे देश की वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस

देश के प्रधान मंत्री को सेनाओं के साथ बैठ के सभी पार्टियों के साथ बैठ के पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, इस बारे में सोचना चाहिए कि अपने 15 हजार कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के प्रचार की तैयारी करनी चाहिए? भाजपा के पूर्व मुख्य मंत्री येदुरप्पा, उनका बयान आया कि अब 40 जवान शहीद हो गए, अब हमारी 22 सीटें आएँगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीदों करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे, कितने माँओं से माँओं के बच्चे छीनोगे, कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिएकृ लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर! हमने कहा था कि हम पूरी तरह से और आज भी हम पूरी तरह से प्रधान मंत्री जी के साथ हैं, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, हम पूरी तरह से जवानों के साथ हैं, पूरी तरह से सेना के साथ हैं। लेकिन देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब देश के ऊपर आपत्ति आई है, जब देश की भारत और पाक सीमा के ऊपर लड़ाई बनी हुई है, हमारा प्रधान मंत्री बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि ऊपर लड़ाई बनी हुई है हमारा प्रधान मंत्री बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि ऊपर लड़ाई बनी हुई है हमारा प्रधान मंत्री बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाशें हो गई, अब इतनी सीट आएँगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया तुम लोगों ने?

अध्यक्ष महोदय, सारा देश इस टाइम गुस्से में हैं अब, भारतीय जनता पार्टी की हरकतों के ऊपर। आज केवल और केवल एक सरकार है पूरे देश में जो शहीदों के जो सपने हैं... आज अगर बॉर्डर के ऊपर कोई शहीद

होता है तो उसका सपना होता है वो किस लिए शहीद होता है। वो तनख्वाह के लिए शहीद नहीं होता कि उसको तनख्वाह मिल रही थी सिपाही के तौर पे और इसलिए उसने अपनी जान दे दी। एक लाख रुपये, 50 हजार रुपये महीने के अन्दर जवान की जान की कीमत नहीं होती। वो शहीद होता है एक सपने के लिए, वो शहीद होता है कि एक ऐसा भारत बनेगा जिसमें हर एक गरीब को शिक्षण मिलेगी, वो शहीद होता है ऐसे भारत के लिए जहाँ हर गरीब को चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे पैसा न हो, उसको अस्पताल के अन्दर इलाज मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ओम प्रकाश जी, अब ये तो... ओम प्रकाश जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी ये, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री को... नहीं, उनकी इच्छा है जो बोलें। नहीं हमको... नहीं, प्लीज बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। ओम प्रकाश जी, बैठिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये बार बार, बार बार जिस तरह से मुख्य मंत्री के भाषण में टोका—टाकी करते हैं, बहुत ही गलत हरकत है। इनको चेतावनी दे दीजिए कि या तो मुख्य मंत्री को बोलने दें नहीं तो उठा के बाहर फेंक दीजिए इनको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी ये पाँचवीं बार है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं है इनको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इनको बाहर निकलवाइए। हमें नहीं चाहिए सदन में। ये कोई तरीका है?

माननीय अध्यक्षः नहीं, बाहर करिए, बाहर करिए, बाहर करिए, जबरदस्ती।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः बाहर फेंक दीजिए इनको उठा के। बाहर फेंक दीजिए उठाके इनको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, ठीक नहीं है ये। माननीय मुख्य मंत्री बोल रहे हैं। दस बार उन्होंने डिस्टर्ब किया है। दस बार वे बोले हैं। नहीं, ये छोड़ दीजिए। जाइए, बाहर जाइए। सिरसा जी, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं जितना प्यार से टैकल करता हूँ, उतना आप सर पे चढ़े हैं। चलिए, नहीं—नहीं, करिए, बाहर करिए, बाहर करिए, बाहर करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, या तो बैठिए। बस, बस। या तो बैठिए आप। आप बैठिए। आप बैठिए शाँति से।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ये कोई तरीका है इनका? कोई मुख्य मंत्री को नहीं बोलने देते हर बार इंटरवीन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, चलिए उधर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ आपके आने के बाद ओम प्रकाश नीम के पेड़ पे चढ़ गया। बड़ा शांतिपूर्वक सदन चल रहा था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर चले जाएँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बाहर चले जाएँ प्लीज। आप बाहर चले जाएँ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर चलें। चलिए, नितिन जी।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः पुलिस वालों को गाली देते हुए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, चलिए, अपनी सीट पे। सिरसा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाहर चले जाएँ। आप बाहर जाइए, प्लीज। मुझे मालूम है क्या है। हाँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ बाहर जाइए। सिरसा जी को बाहर करिए। हाँ, मैंने बोल दिया है। नहीं, जगदीश जी को नहीं सिरसा जी को, ये सिरसा जी को बाहर करिए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः पुलिस वालों को गाली देते हुए जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए—बैठिए, अखिलेश जी, बैठिए, अब बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रस्ताव लाइए वहाँ से। खड़े होकर प्रस्ताव लाइए। चलिए, पुष्कर जी, अजय दत्त जी आप चलिए प्लीज, आप चलिए। देखिए, शुरूआत कहाँ से हुई, नहीं, ऐसा नहीं है, एक्शन का रिएक्शन होगा। सिरसा जी के आते ही बदतमीजी शुरू हुई है। चलिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, इससे ज्यादा और कौन सा तरीका ठीक हो सकता है? एक सेकण्ड रुकिए प्लीज, बैठिए। माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए इससे ज्यादा क्या सहन करेगा अध्यक्ष? मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, चार बार वो खड़े हुए हैं। चारों बार वार्निंग दी मैंने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये एनार्की नहीं है जो मुख्य मंत्री की तरफ वो भाग कर गए? आज दूसरी घटना की है उन्होंने। दूसरी बार ये घटना की आज उन्होंने और सबसे बड़ी बात, सिरसा जी जैसे ही आए हैं, उसका पारा और चढ़ गया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठिए अब। बैठिए, बैठिए। बैठिए, प्लीज। प्लीज बैठिए।

श्री जगदीप सिंहः सिरसा ने गाली दी है, तब आया है वो।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सिरसा ने गाली दी है। मैं सुन रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये होगा अगर। नहीं, विपक्ष को छूट मिल जाएगी? विपक्ष जो मर्जी आएगा, चाहेगा, करेगा। विपक्ष का सदस्य जो मर्जी आएगा। जो मर्जी आए करेगा, जो मर्जी आएगा, करेगा विपक्ष। हाँ, बैठिए अब। मैं मार्शल नहीं बुलाता तो वो चले जाते। वो सीएम तक जा रहा था। समझ में नहीं आती बात।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी, बैठ जाइए, सोमनाथ जी। माननीय मुख्य मंत्री जी। अब बैठिए प्लीज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप उल्टी बात कर रहे हैं। माफी उनको माँगनी चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे! आप माफी दी उन्होंने।

माननीय अध्यक्षः माफी उनको... हम क्या मारेंगे? पब्लिक मार देगी अपने आप। बैठिए। बैठिए जगदीप जी, बैठिए आप, बैठिए आप, प्लीज। आपको पूरा मौका दिया। आप 20 मिनट बोले हैं आप। पूरा मौका दिया है मैंने। 20 मिनट पूरा बोले हैं। बैठिए अब। बैठिए। किसी को मारने की शुरूआत आपने की है। मारने की शुरूआत ओम प्रकाश ने की है। आपने रोका नहीं जब उठ के भागा वो। आपको तुरंत जाना चाहिए था आपको ओम प्रकाश को पकड़ने तुरंत आना चाहिए। किस लिए, आप किस लिए हैं यहां? आपको तुरंत आ के रोकना चाहिए था। मुझे मार्शल्स को बुलाना पड़ा। आप नेता विपक्ष, आपको रोकना चाहिए था। गलत बात है।

श्री जगदीप सिंहः ये गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, बैठिए प्लीज। जगदीप जी, बैठिए। विजेन्द्र जी, बैठिए। बैठिए, बैठिए। विजेन्द्र जी, बैठिए आप। विजेन्द्र जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो तो मालूम है मुझे। मुझे मालूम है वो तो कल बाहर देख लिया, आप डरने वाले नहीं हैं। विजेन्द्र जी, बैठिए। जगदीप जी, बैठ जाइए अब, प्लीज। माननीय मुख्य मंत्री जी।

माननीय मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सेना के ऊपरकृ जवान अपनी जान क्यों देता है? वो एक सपने के लिए देता है वो तनख्वाह के लिए नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता कि उसको 50 हजार, एक लाख, डेढ़ लाख रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है। एक डेढ़ लाख रुपये के अन्दर किसी की जान नहीं आती। एक जवान जब शहीद होता है तो उसका सपना होता है कि देश के अन्दर हर गरीब को शिक्षा मिलेगी। अगर कोई भी आदमी, चाहे कितना ही गरीब हो। अगर वो बीमार होता है, उसको अच्छा इलाज मिलेगा, देश के अन्दर अच्छी सड़कें बनेंगी, घर—घर में बिजली जाएगी, घर—घर में पानी जाएगा। सभी बच्चों का इलाज होगा। 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था। हजारों—हजारों लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी। उन्होंने कुर्बानियाँ इसीलिए दी थी कि एक ऐसा देश बनेगा जहाँ सबको अच्छी शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी, सबका इंतजाम होगा। आज 70 साल के अन्दर कई पार्टियों की सरकार आईं, खासकर बीजेपी और काँग्रेस वालों की सरकारें आई। उन्होंने क्या किया 70 साल के अन्दर?

कोई भी राज्य, उठा के देख लीजिए ऐसे कई राज्य हैं जहाँ 15–15 साल तक, 20–20 साल तक बीजेपी की सरकार रही। 15–15 साल तक, 20–20 साल तक कॉंग्रेस की सरकारें रही। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक स्कूल उन्होंने अपने पूरे 15 साल के टेन्योर में अच्छा किया हो तो बता दो। एक स्कूल उन्होंने ठीक किया हो? आज 70 साल के बाद ही सही, कम–से–कम दिल्ली के अन्दर एक ऐसी सरकार आई है जो कि शहीदों के सपनों को साकार कर रही है, शहीदों के सपनों को पूरा कर रही है।

आज देश के अन्दर दो किस्म की राजनीति चल रही है। एक वो राजनीति जो देश के टुकड़े–टुकड़े करना चाहती है, जो देश को धर्म और राजनीति, जाति के नाम पे बाँटना चाहती है। जो हिन्दुओ को मुसलमानों से लड़ाती है। ये लोग टुकड़े–टुकड़े गैंग की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि इस देश के अन्दर एक पार्टी है जो टुकड़े–टुकड़े पार्टी है, जो इस देश के टुकड़े–टुकड़े करना चाहती है। जो काम 70 साल से पाकिस्तान नहीं कर पाया, इस देश का विभाजन नहीं कर पाया, इस देश के मन में, लोगों के मन में जहर नहीं घोल पाया, वो इस पार्टी ने पिछले पाँच साल के अन्दर करके दिखा दिया। आज हरियाणा में चला जाओ तो जाट और नॉन जाट के बीच में जहर घोल दिया इन्होंने। महाराष्ट्र में मराठा, नॉन मराठा के बीच में जहर घोल दिया इन्होंने। गुजरात में हिन्दु–मुस्लमान, पटेल–नॉन पटेल के ऊपर के उसमें जहर घोल दिया है इन्होंने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप जा सकते हैं। आप नहीं सुनना चाहते, जा सकते हैं। आप जा सकते हैं कोई बात नहीं। न, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने जाना है, जाइए। नहीं, आप नहीं सुनने चाहते हैं, जाइए। आप

जाइए, नहीं सुनना चाहते हैं। प्लीज विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी आप बैठना चाहते हैं शांतिपूर्वक बैठिए। आप शांतिपूर्वक बैठिए। जाना चाहते हैं, जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपको बैठना है बैठिए। बैठिए, प्लीज। बैठिए, बैठिए। बैठिए प्लीज। बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मुझे परेशान मत करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः स्पीकर साहब बाहर करा दो।

माननीय अध्यक्षः आप चले जाइए खुद। नहीं सुन सकते तो चल जाइए। नहीं सुन सकते, चले जाइए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, बोलिए।

माननीय मुख्य मंत्रीः तो अध्यक्ष महोदय, दो किस्म की राजनीत इस देश के अन्दर चल रही है; एक वो राजनीति आज से पाँच साल पहले लोगों ने केन्द्र में एक सरकार बनाई थी, भारी बहुमत दे के और उसके एक साल बाद आज से चार साल पहले दिल्ली में एक सरकार बनाई थी, भारी बहुमत दे के। आज इस देश के अन्दर ये दो राजनीति चल रही हैं। एक वो केन्द्र सरकार वाली पार्टी की राजनीति जो देश के टुकेड़े–टुकड़े करना चाहती है, देश के लोगों में जहर घोल रही है। हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ा रही है। अलग–अलग जगह पर, अलग–अलग जातियों के... अध्यक्ष महोदय जरा।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। मुझे बाहर करना पड़ेगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर चले जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर चले जाए। अगर बैठना है तो। बैठना है तो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आदर सहित रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाहर चले जाएँ, मुझे मजबूर न करें प्लीज। या चुपचाप बैठ के सुन लें। आपको पूरा समय दिया जाता है। समय ज्यादा दिया जाता है। फिर अब मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। मुख्य मंत्री को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, आप मार्शल बुलाइए अध्यक्ष जी, आप।

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स प्लीज, बाहर करिए। मार्शल्स!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बाहर करिए मार्शल्स। नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं करें, आप माननीय मुख्यमंत्रीकृ रुकिए जरा। आप माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हों, आप बीच में बोलेंगे नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आप सीधा मेरे को अंगुली लगा के. ..

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई अंगुली नहीं लगा रहा है अब। आपको कोई अंगुली नहीं लगा रहा है। आप मान रहे हैं तो मानिए। आप मान रहे हैं तो। चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, विजेन्द्र जी, डिसाइड करिए, जल्दी डिसाइड करिए, क्या करना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं मैंने नहीं कहा उनको, जाएँ। वो बोल नहीं रहे उनको। नहीं वो उनको मैंने कहा नहीं, वो बाहर जाएँ। अरे आप एलओपी के नाते इसे अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीश जी, जगदीश जी को मैंने बाहर नहीं किया, वो जाना चाहते हैं, जाएँ।

...(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक हमारी पार्टी है जिसकी सरकार चार साल पहले बनी थी जो इस देश में असल में राष्ट्र निर्माण करने का काम कर रही है। शहीदों के सपने पूरे करने का काम कर रही है। इस देश ने हमारे आने से पहले देश के अन्दर चारों तरफ निराशा का माहौल था। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि सरकारी अस्पताल अच्छे हो सकते हैं। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि बिजली सस्ती भी हो सकती है। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि बिजली 24 घण्टे भी आ सकती है। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि पानी घर–घर भी पहुँच सकता है। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि कच्ची कालोनियों में इतना भारी विकास हो सकता है। आज चार साल के अन्दर खूब जबरदस्त विकास किया है दिल्ली के अन्दर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है कि यह देश जो निराशा

से भर गया था, उसके अन्दर एक और आशा की किरण आई है कि हो तो सकता है। जब दिल्ली के अन्दर हो सकता है तो पूरे देश के अन्दर हो सकता है।

तो अध्यक्ष महोदय, आज जहाँ एक ओर हमारे सैनिक अपनी जान दाँव पे लगा रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए रात–दिन, 24 घण्टे मेहनत कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द भारत और पाक समस्या का समाधान निकलेगा और हमारे शहीदों के सपने पूरे होंगे। मैं जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया है, बेहद शानदार बजट है, उसका समर्थन करता हूँ और उन्हें इसके लिए बधाई देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अभी कुछ देर पहले ही समाचार प्राप्त हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के दौरान ये घोषणा की है कि भारतीय पॉयलट अभिनन्दन को कल रिहा कर दिया जाएगा। यदि इस घोषणा की अनुपालना में कल भारतीय पॉयलट अभिनंदन को रिहा कर दिया जाता है तो ये एक स्वागत योग्य कदम होगा।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री 2019–2020 के लिए Demands for Grants पेश करेंगे।

वित्त वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान मांगों पर विचार तथा पारण।

Hon'ble Dy.Chief Minister : Hon'ble Speaker, Sir, I present the Demands for Grants for the financial year 2019-20.

माननीय अध्यक्षः अब सदन डिमाण्डस पर डिमाण्ड वाइज विचार करेगा।

Demand No.1 (LegislativeAssembly):

जिसमें रेवेन्यू में 56 करोड़ 92 लाख हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

डिमाण्ड नम्बर–एक पास हुई।

Demand No.2 (General Administration):

जिसमें रेवेन्यू में 6 अरब 12 करोड़ 42 लाख 75 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
डिमाण्ड नम्बर–दो पास हुई।

Demand No.3 (Administration of Justice):

जिसमें रेवेन्यू में 13 अरब 78 लाख रुपये और कैपिटल में 31 करोड़ रुपये कुल राषि 13 अरब 31 करोड़ 78 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
डिमाण्ड नम्बर–तीन पास हुई।

Demand No.4 (Finance):

जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब 62 करोड़ 29 लाख 52 हजार रुपये और कैपिटल में 97 करोड़ 28 लाख 48 हजार रुपये, कुल राशि 4 अरब 59 करोड़, 58 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर–चार पास हुई।

Demand No.5 (Home):

जिसमें रेवेन्यू में 7 अरब 55 करोड़ 32 लाख रुपये और कैपिटल में 43 करोड़ 50 लाख रुपये, कुल राशि 7 अरब 98 करोड़ 82 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर–पाँच पास हुई।

Demand No.6 (Education):

जिसमें रेवेन्यू में 134 अरब 91 करोड़ 65 लाख रुपये और कैपिटल में 3 अरब 87 करोड़, 78 लाख रुपये, कुल राशि 138 अरब 79 करोड़ 43 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर—छः पास हुई।

Demand No.7 (MedicalAnd Public Health):

जिसमें रेवेन्यू में 62 अरब 69 करोड़ 38 लाख रुपये और कैपिटल में 2 अरब 76 करोड़, 28 लाख रुपये, कुल राशि 65 अरब 45 करोड़ 66 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर—सात पास हुई।

Demand No.8 (Social Welfere):

जिसमें रेवेन्यू में 65 अरब 48 करोड़ 55 लाख रुपये और कैपिटल में 10 अरब 66 करोड़ 04 लाख रुपये, कुल राशि 76 अरब 14 करोड़ 59 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर–आठ पास हुई।

Demand No.9 (Industries):

जिसमें रेवेन्यू में 04 अरब 52 करोड़ 29 लाख रुपये 50 हजार रुपये और कैपिटल में 02 अरब 22 लाख रुपये, कुल राशि 04 अरब 54 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर–नौ पास हुई।

Demand No.10 (Development):

जिसमें रेवेन्यू में 31 अरब 05 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपये और कैपिटल में 07 अरब 16 करोड़ 63 लाख रुपये, कुल राशि 38 अरब 22 करोड़ 05 लाख 40 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर–दस पास हुई।

Demand No.11 (Urban Development & Public Works):

जिसमें रेवेन्यू में 81 अरब 87 करोड 35 लाख रुपये और कैपिटल में 92 अरब 64 करोड़ 86 लाख रुपये, कुल राशि 174 अरब 52 करोड़ 21 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर–ग्यारह पास हुई।

Demand No.12 (Loans):

जिसमें कैपिटल में 1 करोड़ 50 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर– बारह पास हुई।

Demand No.13 (Pensions):

जिसमें रेवेन्यू में 01 अरब 25 करोड़ रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
डिमाण्ड नम्बर– तेरह पास हुई।

हाउस ने रेवेन्यू में 412 अरब 67 करोड़ 39 लाख 17 हजार रुपये और कैपिटल में 118 अरब 87 करोड़ 09 लाख 48 हजार रुपये, कुल राशि 531 अरब 54 करोड़ 48 लाख 65 हजार रुपये की डिमाण्ड को मंजूरी दे दी है।

Appropriation (No.02) Bill, 2019

अब माननीय उप मुख्य मंत्री Appropriation (No.02) Bill, 2019 (Bill No. 02 of 2019) को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन माँगेंगे।

HON'BLE DY.CHIEF MINISTER:- Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No.02) Bill, 2019 (Bill No.02 of 2019) to Authorize payment and Appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the NCT of Delhi for the financial year 2019-20.

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

HON'BLE DY.CHIEF MINISTER:- Hon'ble Speaker, Sir, I introduce Appropriation (No.02) Bill, 2019 (Bill No. 02 of 2019) to the House.

माननीय अध्यक्षः – अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2, खण्ड–3 व शेड्यूल बिल का अंग बनें;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

खण्ड–2, खण्ड–3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड–एक, प्रस्तावना एवं शीर्षक बिल का अंग बनें;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

खण्ड–एक, प्रस्तावना एवं शीर्षक बिल का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (No.02) Bill 2019

(Bill No. 02 of 2019) को पास किया जाये।

HON'BLE DY.CHIEF MINISTER :- Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation (No.02) Bill, 2019 (Bill No. 02 of 2019).

माननीय अध्यक्षः – माननीय उप मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

Appropriation (No.02) Bill 2019 (Bill No. 02 of 2019) पास हुआ।

वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वार्शिक बजट पास हुआ।

ये मुझे पहले लेना चाहिए था, गलती से रह गया था। समिति के प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की समयावधि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव। श्री सोमनाथ भारती जी, श्री नितिन त्यागी जी पेश करेंगे।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

SHRI SOMNATH BHARATI: % Hon'ble Speaker sir, I move that this House agrees to extend the time for submission of the report of the Special Enquiry Committee to investigate alleged illegal restoration of cancelled lisence of ration shop in Burari.

The committee shall submit its report to the Hon’ble Speaker before the commencement of the Ninth Session of the Sixth Legislative Assembly.

माननीय अध्यक्षः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
प्रस्ताव पास हुआ।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हॉर्टिकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा बजट सत्र की अवधि के दौरान किये गये सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे राश्ट्र गान के लिए खड़े हों।

राष्ट्र गान– (जन–गण–मन)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।